राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर

उपनिरीक्षक (प्रशिक्षु) बेसिक कोर्स

प्रश्नपत्र – चतुर्थ

स्थानीय एवं विशेष विधियां
[Local & Special Laws]
Volume - I
(To be approved)

By- श्री रमेश कुमार चौधरी **P.O.**

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर

प्रश्नपत्र चतुर्थ

स्थानीय एवं विशेष विधियां

प्रश्नपत्र चतुर्थ

कालांश : 72 अंक : 50

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	खण्ड (क) –सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बुराई संबंधी विधियां	
	भाग 1 :– महिलाओं संबंधी विधियां	
1.	मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019	
2.	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013	
	भाग 2 :– बच्चों संबंधी विधियां	
	बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986	
	भाग 3 :– औषधी संबंधी विधियां	
1.	मेडिकेयर सेवा व्यक्ति और संस्थाएं (सम्पत्ति को हिंसा और नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2008	
2.	मेडिकल हेल्थ एक्ट 2016	
	भाग 4 साधारण	
1.	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993	
2.	राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992	
3.	राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश, 1949	
4.	समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006	
	खण्ड(ख) – पर्यावरण संबंधी विधियां	
1.	भारतीय मत्सय–क्षेत्र अधिनियम, 1897	
2.	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1972	
3.	वन प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972	
4.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986	
5.	राजस्थान वन अधिनियम, 1953	
6.	राजस्थान विनिर्दिष्ट पशु निवारण अधिनियम, 1950	
7.	पब्लिक पार्क अधिनियम, 1958	

खण्ड(ग) – लोक एवं प्राईवेटसम्पत्तिविष्यक विधियां		
भाग 1 –बौद्धिक सम्पदा संबंधी विधियां		
1.	राजस्थान विडियो फिल्म (विनियमन एवं प्रतिषेध) अधिनियम, 1950	
भाग 2 – सार्वजनिक संपत्ति विषयक विधियां		
1.	शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923	
2.	रेल्वे अधिनियम, 1989	
3.	धार्मिक बिल्डिंग (दुरूपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1984	
4.	लोक सम्पत्ति को हानि का निवारण अधिनियम, 1984	
5.	निजी सुरक्षा अधिनियम, 2005	
6.	राजस्थान निजी सुरक्षा नियम, 2007	
7.	राजस्व एवं भूमि संबंधी विधियां	

खण्ड(घ) – औषधि, आयुध एवं विस्फोटक संबंधी विधियां		
भाग 1 –		
1.	स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988	
2.	विस्फोटक अधिनियम, 1884	
3.	औषधि और चमात्कारिक उपचार अधिनियम, 1954	

खण्ड(ड) – अन्य विधियां		
भाग 1 –		
1.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	
2.	विधि विरूद्व क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967	
3.	राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 एवं राजस्थान पुलिस नियम 2008	
4.	राजस्थान आवश्यक सेवा रख–रखाव अधिनियम, 1970	
5.	सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003	
6.	हाथ में मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध	
7.	राजस्थान तंग करने वाली मुकदमे बाजी (निवारण) अधिनियम, 2015	

मोड्यूल (A) सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बुराई संबंधी विधियां

भाग–1 – महिलाओं संबंधी विधियां

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
(1956 का अधिनियम सं. 54)

धारा 2 :– परिभाषाएँ– इस अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **''वेश्यागृह''** के अन्तर्गत कोई मकान, कक्ष, वाहन या स्थान, मकान, कक्ष, वाहन या स्थान का कोई भाग होता है, जो लैंगिक शोषण या दुरूपयोग के प्रयोजन के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए अथवा दो या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिए किया जा रहा हो ;

(च) **''वेश्यावृति'** से अभिप्रेत है, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का लैंगिक शोषण या दुरूपयोग, और अभिव्यक्ति ''वेश्या'' का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

धारा 3 :– वेश्यावृत्ति बनाए रखने अथवा परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने को अनुज्ञात करने के लिए दंड–

(1) कोई व्यक्ति जो वेश्यागृह को बनाए रखता है या प्रबन्ध करता है अथवा बनाए रखने या प्रबन्ध करने में सहायता देता है या कार्य करता है, प्रथम दोषसिद्धि पर एक वर्ष से कम और तीन वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के लिए कठोर कारावास से और जुर्माने से जो दो हजार रूपयों के विस्तार का हो सकेगा तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में , दो वर्ष से कम किन्तु पांच वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के कठोर कारावास से, और जुर्माने से भी जो दो हजार रूपयों के विस्तार का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो–

(क) किसी परिसर का किरायेदार, पट्टेदार, अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए, ऐसे परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करता है या जानते हुए किसी अन्य को प्रयोग करना अनुज्ञात करता है, या

(ख) किसी परिसर का स्वामी, पट्टादाता या भू–स्वामी या ऐसे स्वामी पट्टादाता या भू–स्वामी का अभिकर्त्ता होते हुए, उसे या उसके किसी भाग को, इस ज्ञान के साथ कि वह या उसका कोई भाग वेश्यगृह के रूप में प्रयोग किए जाने में स्वेच्छा पक्षकार है,

प्रथम दोषसिद्ध पर दो वर्ष तक के विस्तार की अवधि के कठोर कारावास से और दो हजार रूपयों के विस्तार के हो सकने वाले जुर्माने से और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में पाँच वर्ष के विस्तार तक की अवधि के हो सकने वाले कठोर कारावास से और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

(2–क) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जाएगी, जब तक उसके प्रतिकूल साबित न किया गया हो, कि उस उपधारा के खंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने को जानते हुए अनुज्ञात कर रहा हो या यथास्थिति, उसे यह ज्ञान था कि परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, यदि–

(क) उस क्षेत्र में जिसमें कि ऐसा व्यक्ति निवास करता है प्रसारित होने वाले समाचार–पत्र में इस प्रभाव की रिपोर्ट प्रकाशित हुई हो कि इस अधिनियम के अधीन ली गई तलाशी के परिणामस्वरूप वह परिसर या उसका कोई भाग वेश्यागृह के लिए प्रयोग करता पाया गया ; या

(ख) खंड (क) निर्दिष्ट तलाशी के दौरान पाई गई सभी वस्तुओं की सूची की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को दे दी गई हो।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्देशित किसी व्यक्ति की उस धारा के अपराध में दोषसिद्धि किसी परिसर या उसके किसी भाग की बाबत् होने पर कोई पट्टा या करार जिसके अधीन ऐसे परिसर का पट्टा दिया गया था, या धारित की गई हो या अपराध कारित किए जाते समय दखल की गई हो, उक्त दोषसिद्धि की तारीख के प्रभाव से शून्य और असंप्रवर्तनीय हो जाएँगे।

धारा 4. वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह के लिए दंड

(1) अट्ठारह वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृति से उपार्जित धन पर पूरी तौर पर या अशंतः जीवन–निर्वाह करता है, उसी अवधि के कारावास से जिसका विस्तार दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जिसका विस्तार एक हजार रूपयों तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और जहाँ ऐसे उपार्जन बालक या अवयस्क से संबंधित हो, वह सात वर्ष से कम और दस वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के कारावास से दंडनीय होगा।

(2) जहाँ अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति–

(क) किसी वेश्या के साथ रह रहा हो या उसकी संगति में आभ्यासिक तौर पर हो ; या

(ख) किसी वेश्या के कार्यकलापों पर ऐसी रीति में नियंत्रण, निदेशक या असर डालने का प्रयोग करता है, जो यह दर्शित करे कि ऐसा व्यक्ति उसे वेश्यावृति करने में सहायता दुष्प्रेरित या विवश कर रहा है ; या

(ग) किसी वेश्या की ओर से दलाल के रूप में कार्य कर रहा हो ;

यह उपधारणा की जाएगी, जब तक प्रतिकूल साबित न हो, कि ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अभिप्रेतों में अन्य व्यक्ति के वेश्यावृति के उपार्जन पर जान–बूझकर जीवन–निर्वाह कर रहा है।

धारा 5. वेश्यावृति कराने के लिए व्यक्ति को लेना, उत्प्रेरित या उपाप्त करना–

(1) कोई व्यक्ति जो

(क) वेश्यावृति के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को, उसकी सम्मति से या उसके बिना उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है ; या

(ख) व्यक्ति को किसी स्थान को जाने को उत्प्रेरित करता है कि वह वेश्यावृति के प्रयोजन के लिए वेश्यागृह की निवासी हो सके या बार–बार आ जा सके ; या

(ग) व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके द्वारा वेश्यावृति करने या उस पर वेश्यावृति कराए जाने की दृष्टि से, ले जाता है या ले जाने का प्रयत्न करता है, या ले जाया जाने देता है; या

(घ) किसी व्यक्ति से वेश्यावृति कराता है या उसके लिए उत्प्रेरित करता है ;

सिद्धदोष होने पर तीन वर्ष से कम और सात वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के कारावास और जुर्माने से भी जो दो हजार रूपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा तथा यदि इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध कारित किया है तो सात वर्ष की अवधि के कारावास का दंड चौदह वर्षों की अवधि के कारावास तक विस्तृत होगा ;

परन्तु यदि कोई व्यक्ति जिसकी बाबत् इस उपधारा के अधीन अपराध किया गया है।

(i) बालक है, इस धारा के अधीन उपबन्धित दंड सात वर्ष से कम न होने वाली और आजीवन तक हो सकने वाली अवधि के कारावास तक बढ़ाया जाएगा ; और

(ii) अवयस्क है, इस धारा के अधीन उपबन्धित दंड सात वर्ष से कम और चौदह वर्ष से अधिक न होने वाली और आजीवन तक हो सकने वाली अवधि के कारावास तक बढ़ाया जाएगा ; और

(2) (विलुप्त)

(3) इस धारा के अधीन अपराध–

(क) उस स्थान पर विचारणीय होगा जहां से व्यक्ति, को उपाप्त किया जाता है, जाने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, ले जाया जाता है या लिवा लाया जाता है अथवा जहां से ऐसे व्यक्ति, को उपाप्त करने या ले जाने का प्रयत्न किया जाता है या

(ख) उस स्थान पर विचारणीय होगा जहां वह उस उत्प्रेरणा के फलस्वरूप लाया गया हो या जहां वह ले जाया गया हो या लिवा लाया गया हो या उसे ले जाने का प्रयत्न किया गया हो ।

धारा 7. सार्वजनिक स्थान में या उनके समीप वेश्यावृत्ति–

(1) वेश्यावृत्ति करने वाला कोई व्यक्ति, और वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति ऐसे किन्हीं परिसरों में की जाएगी–

(क) जो उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र या क्षेत्रों के अन्दर हों, या

(ख) जो किसी सार्वजनिक, धार्मिक, पूजास्थल, शैक्षणिक संस्था, छात्रावास, अस्पताल, परिचर्यागृह या किसी अन्य प्रकार के ऐसे सार्वजनिक स्थान से दो सौ मीटर की दूरी के अन्दर हों, जिसे पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट विहित रीति में इस निमित्त अधिसूचित करे,

कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

(1–क) जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई अपराध किसी बालक या अवयस्क की बाबत है, वहां अपराध करने वाला व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से अन्यून की होगी किन्तु जो आजीवन के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ;

परन्तु न्यायालय, पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, सात वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो–

(क) किसी सार्वजनिक स्थान का पालक होते हुए वेश्याओं को अपने व्यापार के प्रयोजनों के लिए जानबूझकर ऐसे स्थान का आश्रय लेने या वहां रहने देगा या

(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्हीं परिसरों का अभिधारी, पट्टेदार, अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए जानबूझकर उनका या उनके किसी भाग का वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने देगा या

(ग) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्हीं परिसरों का स्वामी, पट्टाकर्ता या भूस्वामी अथवा ऐसे स्वामी, पट्टाकर्ता या भूस्वामी का अभिकर्ता होते हुए उनको या उनके किसी भाग को यह जानते हुए पट्टे पर देगा कि उनका या उनके किसी भाग का वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जाए अथवा जानबूझकर ऐसे प्रयोग का पक्षकार होगा,

प्रथम दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और यदि सार्वजनिक स्थान या परिसर में कोई होटल है तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे होटल का कारबार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति तीन मास से अन्यून की अवधि के लिए किन्तु जो एक वर्ष तक ही हो सकेगी निलंबित किए जाने के दायित्व के अधीन होगी।

परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन किया गया कोई अपराध किसी होटल में किसी बालक या अवयस्क की बाबत है, तो ऐसी अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के दायित्व के अधीन होगी

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''होटल'' का वही अर्थ होगा जो होटल आमदनी कर अधिनियम, 1980 (1980 का 54) की धारा 2 के खंड (6) में है।

(3) राज्य सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य के किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में किस प्रकार के व्यक्ति बार–बार आते–जाते हैं, और वहां के लोगों की प्रकृति कैसी है और वहां की जानसंख्या कितनी है तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि वेश्यावृत्ति ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में नहीं की जाएगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) जहां किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है वहां राज्य सरकार अधिसूचना में ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों की परिसीमाएं युक्तियुक्त निश्चितता से परिनिश्चित करेगी ।

(5) ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी जो जारी किए जाने के पश्चात् नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी तारीख से प्रभावी हो।

धारा 14. अपराधों का संज्ञेय होना– दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2), में किसी बात के होते हुए भी यह है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस संहिता के अर्थ में संज्ञेय अपराध समझा जाएगा ;

परन्तु यह कि उस संहिता में किसी बात के होते हुए भी –

(i) वारण्ट के बिना गिरफ्तारी केवल विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके निदेश या मार्गदर्शन अथवा उसके पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन ही की जा सकेगी

(ii) जब विशेष पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से यह अपेक्षा करता है कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में वारण्ट के बिना गिरफ्तार करे तो वह उस अधीनस्थ अधिकारी को एक लिखित आदेश देगा जिसमें वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जाना है और वह अपराध जिसके लिए गिरफ्तारी की जा रही है विनिर्दिष्ट होगा और पश्चात् कथित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व उसे आदेश के सार से अवगत कराएगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, उसे आदेश दिखाएगा।

(iii) विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा विशेषतः प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी जो उप–निरीक्षक, की पंक्ति से नीचे का न हो उस दशा में जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि विशेष पुलिस अधिकारी का आदेश अभिप्राप्त करने में लगने वाले विलम्ब के कारण इस बात की संभाव्यता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित कोई मूल्यवान साक्ष्य नष्ट कर दिया जाएगा या छिपा दिया जाएगा या इस बात की संभाव्यता है कि वह व्यक्ति जिसने अपराध किया है या जिसके द्वारा अपराध किए जाने का संदेह है भाग निकलेगा अथवा ऐसे व्यक्ति का नाम या पता ज्ञात नहीं है या यह संदेह करने का कारण है कि मिथ्या नाम या पता दिया गया है, संपृक्त व्यक्ति को ऐसे आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकेगा, किन्तु ऐसे मामले में

वह उस गिरफ्तारी और उन परिस्थितियों की जिनमें गिरफ्तारी की गई थी, रिपोर्ट यथाशक्य शीघ्र विशेष पुलिस अधिकारी को देगा

धारा 15. वारण्ट के बिना तलाशी–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जब कभी यथास्थिति, विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हों कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी परिसर में रहने वाले किसी व्यक्ति, के संबंध में किया गया है या किया जा रहा है और कि उस परिसर की वारण्ट से तलाशी असम्यक् विलंब के बिना नहीं की जा सकती तो ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे परिसर में वारण्ट के बिना प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन तलाशी करने से पूर्व यथास्थिति, विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, उस परिक्षेत्र के जिसमें तलाशी किया जाने वाला स्थान स्थित है दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों से (जिनमें से कम से कम एक स्त्री होगी) हाजिर होने और तलाशी को साक्षित करने के लिए कहेगा और उनको या उनमें से किसी को वैसा करने के लिए लिखित आदेश दे सकेगा ;

परन्तु प्रतिष्ठित स्थापित निवासियों की बाबत यह अपेक्षा कि वे उस परिक्षेत्र के हों जिसमें वह स्थान स्थित है जहां तलाशी ली जानी है, ऐसी किसी स्त्री की बाबत लागू नहीं होगा जिससे हाजिर होने और तलाशी को साक्षित करने की अपेक्षा की गई है।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर होने और उसे साक्षित करने से उस दशा में जिसमें ऐसा करने के लिए उसे लिखित आदेश परिदत्त या निविदत्त करके किया गया है, युक्तियुक्त हेतु के बिना इंकार करेगा या उपेक्षा करेगा, उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 187 के अधीन अपराध किया है।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी परिसर में प्रवेश करने वाले, यथास्थिति, विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी को उसमें पाए गए सभी व्यक्तियों को वहां से हटाने का हक होगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन व्यक्ति, को हटाने के पश्चात यथास्थिति, विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी उसे तुरन्त समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा।

(5–क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (5) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, ऐसे व्यक्ति की आयु का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए या लैंगिक दुरुपयोग के परिणासम्वरूप किन्हीं क्षतियों का पता चलाने के लिए या लैंगिक रूप में संचारित किन्हीं रोगों की विद्यमानता के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा में, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का वही अर्थ है जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) में है ।,

(6) यथास्थिति, विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, और तलाशी में भाग लेने या हाजिर होने या साक्षित करने वाले अन्य व्यक्ति उस तलाशी के संबंध में या उसके प्रयोजनों के लिए विधिपूर्वक की गई किसी बात के लिए अपने खिलाफ कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही किए जाने के भागी नहीं होंगे ।

(6–क) इस धारा के अधीन तलाशी लेने वाले, यथास्थिति, विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी के साथ कम से कम दो महिला पुलिस अधिकारी होंगे और जहां उपधारा (4) के अधीन हटाई गई किसी स्त्री या लड़की से पूछताछ करना अपेक्षित है, वहां ऐसी किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा और यदि कोई महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो पूछताछ किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन की किसी महिला सदस्य की उपस्थिति में ही की जाएगी ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा और धारा 17क के प्रयोजनों के लिए, "मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से ऐसी संस्था या ऐसा संगठन अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त है ।

(7) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध यावत्शक्य इस धारा के अधीन किसी तलाशी को ऐसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किए गए किसी वारण्ट के प्राधिकारी के अधीन की गई किसी तलाशी को लागू होते हैं ।

महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

धारा 2 **परिभाषाएँ**

महिलाओं का अशिष्ट रूपण –

महिलाओं का अशिष्ट रूपण से अभिप्रेत है,स्त्री की,उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का किसी रीति में वर्णन जो उसके अशिष्ट होने का या अल्पीकृत करने का या महिलाओं के चरित्र अलंकृत करने के प्रभाव के रूप में हो जिससे दुराचार ,भ्रष्टाचार की या लोकदूषण या नैतिकता को क्षति की सम्भावना होः–

लेबिल :– से अभिप्रेत है, किसी पैकेज पर चिपकाई गई या दिखाई देने वाली कोई लिखित,चिन्हित,सील लगी,हुई,छपी हुई या रेखाचित्रित कोई सामग्री

पैकेजः– के अन्तर्गत होगा कोई बक्स,कार्टून,टीन

महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अधीन दण्डनीय कृत्य

(i) **धारा 3 के अनुसार** महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाला विज्ञापनों का प्रतिषेध – कोई व्यक्ति किसी विज्ञापन का प्रकाशन नहीं करेगा या प्रकाशन नहीं कराएगा अथवा प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जिसमें किसी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण अन्तर्विष्ट हों।

(i) **धारा 4 के अनुसार** महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों पुस्तिकाओं (पेम्फलेट्स) आदि के प्रकाशन या डाक से भेजने का प्रतिषेध – कोई व्यक्ति, पुस्तक, पुस्तिका, पेपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोग्राफ, रूपण या चित्र जिसमें महिलाओं का किसी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो, उत्पादित नहीं करेगा या उत्पादित नहीं कराएगा, विक्रय नहीं करेगा, किराए पर नहीं देगा, वितरण परिचालित नहीं करेगा या डाक द्वारा नहीं भेजेगा।

धारा 6. शास्ति –कोई व्यक्ति **धारा 3** या **धारा 4** का उल्लंघन करता है –

प्रथम दोषसिद्धि पर– दो वर्ष तक का कारावास और दो हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर– कारावास जो छः माह से कम नहीं होगा किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा जो एक लाख रूपये तक हो सकेगा।

धारा 8.अपराधों का संज्ञेय जमानतीय होना–

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, (2 आफ 1974) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध जमानतीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन के अपराध संज्ञेय होंगे।

सती (निवारण) अधिनियम, 1987

परिभाषाएं–

(ग) सती कर्म से अभिप्रेत है,

(i) किसी विधवा का उसके मृत पति या किसी अन्य नातेदार के शरीर के साथ या पति या ऐसे नातेदार से संबंधित किसी वस्तु, पदार्थ या चीज के साथ जीवित दहन या गाड़ देने का कार्य ; अथवा

(ii) किसी स्त्री का उसके किसी भी नातेदार के शरीर के साथ जीवित दहन या गाड़ देने का कार्य, भले ही यह दावा किया जाए कि ऐसा दहन या गाड़ देना विधवा या स्त्री की ओर से स्वेच्छा से किया गया है या अन्यथा ;

धारा 3. सती कर्म करने का प्रयत्न– भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई सती कर्म करने का प्रयत्न करेगा और सती कर्म करने का कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

परंतु इस धारा के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने से पूर्व, अपराध किए जाने की परिस्थितियों, किए गए कार्य, अपराध से आरोपित व्यक्ति की कार्य करने के समय मानसिक दशा और अन्य सभी सुसंगत बातों पर विचार करेगा ।

धारा 4. सती कर्म करने का दुष्प्रेरण –

(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई स्त्री सती कर्म करती है, तो जो कोई सती कर्म करने का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु से, या आजीवन कारावास से, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

(2) यदि कोई स्त्री सती कर्म करने का प्रयत्न करती है, तो जो कोई ऐसे प्रयत्न का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दुष्प्रेरण करेगा, वह आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कार्यों में से किसी कार्य या तत्समान कार्यों को भी दुष्प्रेरण समझा जाएगा, अर्थात

(क) किसी विधवा या स्त्री को उसके मृत पति या किसी अन्य नातेदार के शरीर के साथ या पति या ऐसे नातेदार से संबंधित किसी वस्तु, पदार्थ या चीज के साथ, स्वयं का जीवित दहन कर लेने या गड़ जाने के लिए उत्प्रेरित करना, चाहे वह ठीक मानसिक दशा में है या मत्तता या

संज्ञा शून्यता की हालत में है या ऐसा कोई अन्य कारण है जो उसकी स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग में बाधा डाल रहा है ;

(ख) किसी विधवा या स्त्री को यह विश्वास दिलाना कि सती कर्म के परिणामस्वरूप उसे या उसके मृत पति या नातेदार को कुछ आध्यात्मिक लाभ होगा या कुटुम्ब का पूर्ण कल्याण होगा;

(ग) किसी विधवा या स्त्री को, सती कर्म करने के उसके संकल्प में दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना और इस प्रकार उसे सती कर्म करने के लिए उकसाना ;

(घ) सती कर्म से संबंधित किसी जुलूस में भाग लेना या विधवा या स्त्री को उसके मृत पति या नातेदार के शरीर के साथ शवदाह या शमशान भूमि तक ले जाकर सती कर्म करने के उसके विनिश्चय में सहायता करना ;

(ङ) उस स्थान पर, जहां सती कर्म किया जा रहा है, सती कर्म करने के कार्य में या उससे संबंधित किसी अनुष्ठान में सक्रिय सहभागी के रूप में उपस्थित रहना ;

(च) विधवा या स्त्री को, जीवित दहन या गाड़े जाने से अपने को बचाने से रोकना या उसमें बाधा पहुंचाना ;

(छ) सती कर्म के निवारण के लिए पुलिस के कोई कदम उठाने के उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना या हस्तक्षेप करना ।

धारा 5. सती कर्म के गौरवान्वयन के लिए दंड – जो कोई सती कर्म के गौरवान्वयन के लिए कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

धारा 8. कुछ संपत्तियां अभिग्रहण करने की शक्ति – (1) जहां कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि सती कर्म के गौरवान्वयन के प्रयोजन के लिए कोई निधि या संपत्ति संगृहीत की गई है या जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का संदेह उत्पन्न करती है, वहां वह ऐसी निधि या संपत्ति का अभिग्रहण कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे अपराध का, जिसके संबंध में ऐसी निधि या संपत्ति संगृहीत की गई थी, विचारण करने के लिए गठित विशेष न्यायालय को, यदि कोई है, ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट देगा और उसके व्ययन के बारे में ऐसे विशेष न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करेगा ।

धारा 9. इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण –

(1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, इस धारा के अधीन गठित किसी विशेष न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होंगे ।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक विशेष न्यायालय गठित करेगी और प्रत्येक विशेष न्यायालय संपूर्ण राज्य या उसके ऐसे भाग की बाबत, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(3) विशेष न्यायालय में ऐसा न्यायाधीश पीठासीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, नियुक्त किया जाएगा ।

(4) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हत नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति में ठीक पूर्व, किसी राज्य में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश नहीं हो।

घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''व्यथित व्यक्ति'' से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है;

. (थ) ''प्रत्यर्थी'' से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है;

परंतु यह कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी;

(द) ''सेवा प्रदाता'' से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अस्तित्व अभिप्रेत है;

(ध) साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहाँ व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्त स्वामित्व या किरायेदारी में है, या उनमें से किसी के स्वामित्व या किरायेदारी में है, जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले, कोई अधिकार, हक, हित या साम्या रखते हैं और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुंब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य है;

धारा–3 घरेलू हिंसा की परिभाषा–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य,लोप या कुछ करना या आचरण,घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह–

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य,सुरक्षा,जीवन,अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारिरिक भलाई की अपहानि करता है,या उसे कोई क्षति पहुॅचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृति है और जिसके अंतर्गत शारिरिक दुरूपयोग,लैंगिक दुरूपयोग,मौखिक और भावनात्मक दुरूपयोग और आर्थिक दुरूपयोग कारित करना भी हैःया

(ख)किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरूद्ध मॉग की पूर्ति के लिए या उससे संबधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीडित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीडन करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुॅचाता है या संकटापत्र करता है या

(ग) खंड (क) या (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है या

(घ) व्यथित व्यक्ति को,अन्यथा क्षति पहुॅचाता है या उत्पीडन कारित करता है,चाहे वह शारिरिक हो या मानसिक।

धारा 5. पुलिस अधिकारियों के कर्त्तव्य–

(क) किसी पुलिस अधिकारी से घेरलू हिंसा का कोई परिवाद प्राप्त हुआ है या घटना के स्थान पर उपस्थित है या रिपोर्ट की जाती है तो वह तुरन्त रिपोर्ट प्राप्त करेगा।
(ख) उसके अधिकारों के बारे में बतायेगा।
(ग) सेवा प्रदाताओं / संरक्षण अधिकारों की सेवाओं को उपलब्ध करायेगा।
(घ) मुफ्त विधिक सेवाओं के अधिकारों की जानकारी देगा।
(ड़) मामला 498ए से सम्बन्धित है तो परिवाद दर्ज करने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करेगा अगर संज्ञेय अपराध बनता है तो प्रकरण दर्ज करेगा।

धारा–31 प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति– (1) प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अन्तरिम संरक्षण आदेश का भंग,इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा और ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो बीस हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनो से दंडनीय होगा

ऐसे अपराध का विचारण उस मजिस्ट्रट द्वारा किया जायेगा जिसके द्वारा मूल आदेश पारित किया गया था

उक्त आरोंपों को विरचित करते समय मजिस्ट्रेट निम्न आरोप भी विरचित कर सकेगा

(1) धारा 498 क भारतीय दंड सहिंता

(2) दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961के अधीन किसी अपराध का

धारा–32 संज्ञान और सबूत – (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973(1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 31 की उपधारा(1) के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

(2)व्यथित व्यक्ति के एकमात्र परिसाक्ष्य पर,न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961

दहेज की परिभाषा :–

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार दहेज से तात्पर्य–

(क) विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लिये या

(ख) विवाह के किसी पक्ष के माता–पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष या अन्य व्यक्ति के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी जाने वाली या दी जाने के लिये प्रतिज्ञाकी गई किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है।

धारा 3. दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति – 2(1) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से, जो पन्द्रह हजार रुपए से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, पांच वर्ष, से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।,

(2) उपधारा (1) की कोई बात, –

(क) ऐसी भेंटों को, जो वधू को विवाह के समय (उस निमित्त कोई मांग किए बिना) दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होंगी
परन्तु यह तब जब कि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं ;

(ख) ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय (उस निमित्त कोई मांग किए बिना) दी जाती हैं या उनके संबंध में लागू नहीं होगी
परन्तु यह तब जब कि ऐसी भेंटें, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैः–

परन्तु यह और कि जहां ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है दी जाती है वहां ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य, ऐसे व्यक्ति की वित्तीय प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं हैं।,

धारा 4. दहेज मांगने के लिए शास्ति – यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति, वधू या वर के माता–पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। परन्तु न्यायालय

ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, छह मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।,

धारा 5. दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना – दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा ।

धारा 7. अपराधों का संज्ञान – (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, –

(क) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा;

(ख) कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, –

(i) अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, या

(ii) अपराध से व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता–पिता या अन्य नातेदार द्वारा अथवा किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर,

ही करेगा, अन्यथा नहीं;

(ग) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश पारित करे ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से कोई ऐसी समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है जिसे इस निमित्त केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई है ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी ।,

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा।,

धारा 8. अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा जमानतीय और अशमनीय होना –

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होगी मानो वे –

(क) ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए; और

(ख) निम्नलिखित से भिन्न विषयों के प्रयोजनों के लिए –

(i) उस संहिता की धारा 42 में विनिर्दिष्ट विषय; और

(ii) किसी व्यक्ति की वारण्ट के बिना या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी,

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानतीय, और अशमनीय होगा ।,

धारा 8क. कुछ मामलों में सबूत का भार – जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है।

राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 :–

परिभाषा :–धारा 2.

(क) डायन :–डायन से ऐसी स्त्री अभिप्रेत है जिसे स्थानीय रूप में डायन ''डाकन'' ''डाकिन'' या अन्यथा नाम से जाना जाता हो, जिसकी पहचान किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संपति को कोई हानि पंहुचाने वाली स्त्री के रूप में इस विश्वास के साथ ही जाये कि वह स्त्री किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है अथवा उसके पास कोई बुरी शक्ति है,

(ख) डायन वृति :–डायन वृति से दुराशयपूर्वक आत्मा का आह्वान करने या सम्मोहन करने या चुराये गये माल का पता लगाने के लिए अलौकिक या जादूई शाक्ति का उपयोग अभिप्रेत है और इसमें ऐसी अन्य समान वृतियां सम्मिलित है, जिन्हें टोना–टोटका, तन्त्र–मन्त्र, जादू–टोना, झाड़–फूंक या इसी प्रकार के नामों से जाना जाता हो,

(ग) डायन–चिकित्सक :– डायन–चिकित्सक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि स्थानीय रूप में गुनिया, तांत्रिक, ओझा या अन्यथा नाम से जाना जाता हो और जो यह दावा करता हो कि उसके पास डायन को नियंत्रित करने या उसका उपचार करने की अलौकिक या जादुई शक्ति है अथवा जो किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त कराने के तात्पर्य से कोई अनुष्ठान करता है,

(घ) **डायन प्रताड़ना :–** डायन प्रताड़ना से किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई ऐसा निम्नलिखित कार्य या आचरण अभिप्रेत है
(1) किसी स्त्री की डायन के रूप में पहचान करना, दोष लगाना या मानहानि करना,
(2) ऐसी स्त्री को, चाहे मानसिक या शारीरिक रूप से, तंग करना अपहानि करना या उसे क्षति पहुॅचाना अथवा उसकी संपति को हानि पहुॅचाना और

(ड़) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2)या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) में परिभाषित है, वही अर्थ है जो क्रमशः उक्त संहिताओं में है।

धारा 4 डायन –प्रताड़ना के लिए दण्ड :– (1) जो कोई भी, उप–धारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, डायन–प्रताड़ना कारित करता है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
(2) जो कोई भी, किसी स्त्री को डायन के रूप में चिहिनत करते हुए उसे कोई भी अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए बाध्य करता है या उसको नग्न अथवा कम वस्त्रों में या पुते हुए चेहरे या शरीर के साथ प्रदर्शित या प्रस्तुत करता है या इसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करता है जो मानव गरिमा के प्रति अनादरपूर्ण है या उसे उसके घर पर अथवा अन्य संपति से बेकब्जा करता हैं तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये से कम का नहीं होगा, अथावा दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा 6 डायन–चिकित्सक के लिए दण्ड– जो कोई
(1) यह दावा करता हो कि उसके पास डायन को नियंत्रित करने या उसका उपचार करने की अलौकिक या जादुई शक्ति है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो, दस हजार रूपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा,
(2) किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त करने के तात्पर्य से अनुष्ठान करता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा, या
(3) किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त करने के तात्पर्य से किसी डायन–चिकित्सक से अनुष्ठान करवाता है जो ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा 7. डायन– प्रताडना से पीडित स्त्री की अप्राकृतिक मृत्यु के लिए दण्ड :– जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा कारित की जाती है और यह साबित हो जाता है कि उसकी मृत्यु से पूर्व उसके साथ डायन–प्रताडना की गयी थी तो धारा 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस प्रकार डायन–प्रताडना के कारित किये जाने में सम्मिलित हो, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रूपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा 9. प्रतिकर का आदेश :–(1) जहां धारा 4, 5, 6 और 7 के अधीन जुर्माने का दण्डादेश अधिरोपित किया गया है, वहां न्यायालय जुर्माने की रकम नियत करते समय, उपचार की और पीडित व्यक्ति की संपत्ति को भी कारित हानि को किसी लागत, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(2) जब कोई न्यायालय जुर्माने का दण्ड अधिरोपित करता है, तब वह न्यायालय, निर्णय देते समय, वसूल किये गये जुर्माने का कम से कम साठ प्रतिशत प्रतिकर के रूप से पीडित को संदत किये जाने को आदेश देगा।

धारा 10. भारतीय दण्ड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना :– इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 को केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5क, धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वैसे ही लागू होंगे जैसे कि उक्त संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

धारा 11. विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही :– (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट या किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा, जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार–बार आते–जाते हैं, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है तो वह उस क्षेत्र को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध से ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और

सदाचार बनाये रखने तथा लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा और निवारक कार्यवाही कर सकेगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं.2) के अध्याय 8, 10, और 11 के उपबंध जहां तक हो सके, उप–धारा (1) के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक स्कीमें वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए बना सकेगी जिसमें उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के निवारण के लिए ऐसी स्कीम या स्कीमों में विनिर्दिष्ट समुचित कार्यवाही करेंगे।

भाग 2 बच्चों संबंधी विधियां –

बाल विवाह (प्रतिषेध) अधिनियम, 2006

धारा 2. परिभाषाएं

(क)–बालक– बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरूष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है

(ख) बाल विवाह– बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई भी बालक हो

(ग) विवाह के बंधन में आने वाले पक्षकार– विवाह के बंधन में आने वाले पक्षकार से पक्षकारों में से कोई भी, जिसके विवाह का एतद्द्वारा अनुष्ठान किया जाए या किया जाने वाला हो

3. बाल विवाहों का, बंधन में आने वाले पक्षकार के, जो बालक है, विकल्प पर शून्यकरणीय होना–

(1) प्रत्येक बाल–विवाह, जो चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के, जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्यकरणीय होगा।

परन्तु किसी बाल–विवाह को अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल करने के लिए विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही, जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी।

(2) यदि अर्जी फाइल किए जाने के समय अर्जीदार अवयस्क है तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद–मित्र के साथ–साथ विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मार्फत फाइल की जा सकेगी।

(3) इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय फाइल की जा सकेगी, किन्तु बालक ने अर्जी फाइल करने से पूर्व वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात् दो वर्ष पूरे कर लिये हो।

(4) इस धारा के अधीन अकृतता की डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय, विवाह के दोनो पक्षकारों और उनके माता–पिता या उनके संरक्षक को यह निदेश देते हुए आदेश करेगा कि वे, यथास्थिति, दूसरे पक्षकार, उसके माता–पिता या संरक्षक को विवाह के अवसर पर उसको दूसरे पक्षकार से प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण और अन्य उपहार या ऐसी मूल्यवान वस्तुओं, आभूषणों अन्य उपहारों के मूल्य के बाराबर रकम और धन लौटा दे।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बद्व पक्षकारों को जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा आदेश क्यों नहीं पारित किया जाए, सूचनाएं न दे दी गई हों।

9. बाल– विवाह करने वाले पुरूष वयस्क के लिए दण्ड– जो कोई अठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरूष वयस्क होते हुये बाल–विवाह करेगा वह , कठोर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक ही हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, अन्यथा दोनो से दण्डनीय होगा।

10. बाल–विवाह का अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दण्ड– जो कोई किसी बाल–विवाह को सम्पन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल–विवाह नहीं था, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

11. बाल–विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दण्ड–

(1) जहां कोई बालक बाल–विवाह करेगा, वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भारसाधन में चाहे माता–पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधिविरूद्व हैसियत में, चाहे माता–पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधिविरूद्ध हैसियत में, बालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु कोई स्त्री कारावास से दण्डनीय नहीं होगी।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है यह उपधारणा की जाएगी कि जहां किसी अवयस्क बालक ने विवाह किया है वहां ऐसे अवयस्क बालक का भारसाधन रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुष्ठापित किए जाने के निवारित करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहा है।

13. बाल–विवाहों को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति– (1) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर, या किसी व्यक्ति के परिवाद के माध्यम से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल–विवाह तय किया गया है या उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे किसी किसी व्यक्ति के, जिसके अंतर्गत किसी संगठन का सदस्य या कोई व्यक्ति संगम भी है, विरूद्ध ऐसे विवाह को प्रतिषिद करने वाला व्यादेश निकलेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई परिवाद बाल–विवाह या बाल–विवाहों का अनुष्ठान होने की संभाव्यता से सम्बन्धित व्यक्तिगत जानकारी या विश्वास का कारण रखने वाला किसी व्यक्ति द्वारा और युक्तियुक्त जानकारी रखने वाले किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा, किया जा सकेगा।

(3) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी विश्वासनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान कर सकेगा।

(4) अक्षय तृतीया जैसे कतिपय दिनों पर सामूहिक बाल–विवाहों के अनुष्ठान का निवारण करने के प्रयोजन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों के साथ जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी को प्रदत हैं बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट को बाल–विवाहों के अनुष्ठान को रोकने या उसका निवारण करने की अतिरिक्त शक्तियां भी होंगी और उस प्रयोजन के लिए, वह सभी समुचित उपाय कर सकेगा और अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई व्यादेश किसी व्यक्ति या किसी संगठन के सदस्य या व्यक्ति संगम के विरूद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ने यथास्थिति ऐसे व्यक्ति संगठन के सदस्यों या व्यक्ति संगम को पूर्व सूचना न दे दी हो और उसे/उनके व्यादेश निकाले जाने के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर न दे दिया होः

परन्तु किसी अत्यावश्यकता की दशा में न्यायालय को इस धारा के अधीन कोई सूचना दिए बिना अन्तरिम व्यादेश निकालने की शक्ति होगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश की, ऐसे पक्षकार को, जिसके विरूद्ध व्यादेश जारी किया गया था, सूचना देने और सुनने के पश्चात पुष्टि की जा सकेगी या उसे निष्प्रभावी किया जा सकेगा।

(8) न्यायालय उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश को या तो स्वप्रेरणा पर या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखण्डित या परिवर्तित कर सकेगा।

(9) जहां कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन प्राप्त होता है, वहां न्यायालय आवेदक को, या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने का शीघ्र अवसर देगा और यदि न्यायालय आवेदक को सुनने के पश्चात् आवेदन पूर्णतः या भागतः नामंजूर करता है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(10) जो कोई यह जानते हुए कि उसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश जारी किया गया है उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा तो वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनो से दण्डनीय होगा।

परन्तु कोई स्त्री कारावास से दण्डनीय नहीं होगी।

15. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला :– कोई व्यक्ति, "प्रवेशन लैंगिक हमला" करता है, यह कहा जाता है, यदि वह–

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मुत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मुत्रमार्ग या गुर्दा में घुसेडता है या बालक से उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मुत्रमार्ग या गुदा या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मुत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक के साथ ऐसा करवाता है।

धारा 4 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड :– (1) जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से, कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, ऐसे पीडित के चिकित्सा व्ययों और पुर्नवास की पूर्ति के लिए पीडित को किया जाएगा।

धारा 5 गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला :–

(क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर–

(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है, या

(ii) किसी थाने के परिसरों में, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित हैं या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है, या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, या

(iv) जब वह, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,

प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ख) जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,–

(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है, या

(ii) बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में, या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में, या

(iv) जहां उक्त व्यक्ति सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,

प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह या अन्य या तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारिवृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ड.) जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राईवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(च) जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(छ) जो कोई, किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।

स्पष्टीकरण :– जहां किसी बालक पर, किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थांतर्गत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति में दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेले किया गया था, या

(ज) जो कोई, किसी बालक पर घातक आयुध, अग्न्यायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(झ) जो कोई, किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए, या उसके/उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ञ) जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे,–

(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन यथा परिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा ह्रास कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है,

(ii) बालिका की दशा में, वह लैंगिक हमले के परिणामस्वरूप, गर्भवती हो जाती है,

(iii) बालक मानव प्रतिरक्षाह्रास विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से, जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थाई या स्थाई रूप से ह्रास कर सकता है,

{ (iv) बालक की मृत्यु हो जाती है, या}

(ट) जो कोई, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है,

(ठ) जो कोई, उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार–बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ड.) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ढ) जो कोई, बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता–पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, ऐसे बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ण) जो कोई, बालक को सेवा प्रदान करने वाली संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(त) जो कोई, किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह या कहीं और बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(थ) जो कोई, यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(द) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है,या

(ध) जो कोई, सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान या प्राकृतिक विपत्ति की स्थिति या उस प्रकार की किन्हीं भी स्थितियों के दौरान के दौरान बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(न) जो कोई, बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और वह पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय किसी लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है, या

(प) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है,

वह गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।

धारा 6 .गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड –(1) जो कोई गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दंडित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, पीडित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीडित को किया जाएगा।}

धारा 7 लैंगिक हमला :– जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श करने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।

धारा 8 लैंगिक हमले के लिए दंड :– जो कोई, लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 9 गुरूतर लैंगिक हमला :–

(क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर–

(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है, या

(ii) किसी थाने के परिसरों में, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित हैं या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है, या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, या

(iv) जब वह, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,

प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ख) जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,–

(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है, या

(ii) बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में, या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में, या

(iv) जहां उक्त व्यक्ति सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,

प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह या तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारिवृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ड.) जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राईवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(च) जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(छ) जो कोई, किसी बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला करता है।

स्पष्टीकरण :– जहां किसी बालक पर, किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है वहीं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थांतर्गत सामूहिक लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति में दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेले किया गया था, या

(ज) जो कोई, किसी बालक पर घातक आयुध, अग्न्यायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(झ) जो कोई, किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए, या उसके/उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ञ) जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे,–

(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन यथा परिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो

जाता है या किसी प्रकार का ऐसा ह्रास कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है,

(ii) बालक मानव प्रतिरक्षाह्रास विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप अयोग्य करके अस्थाई या स्थाई रूप से ह्रास कर सकेगा,

(ट) जो कोई, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है,

(ठ) जो कोई, उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार–बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ड.) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ढ) जो कोई, बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता–पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, ऐसे बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(ण) जो कोई, बालक को सेवा प्रदान करने वाली संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(त) जो कोई, किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह या कहीं और बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(थ) जो कोई, यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(द) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है,या

(ध) जो कोई, सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान या प्राकृतिक विपत्ति की स्थिति या उस प्रकार की किन्हीं भी स्थितियों के दौरान के दौरान बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या

(न) जो कोई, बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और वह पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय किसी लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है, या

(प) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है,

वह गुरूतर लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।

धारा 10 गुरूतर लैंगिक हमले के लिए दंड :–जो कोई, गुरूतर लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 11 लैंगिक उत्पीडन :– कोई व्यक्ति, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीडन करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से–

(i) कोई शब्द कहता या ध्वनि या कोई अंगविक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा, या

(ii) किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके,

(iii) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्ररूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है, या

(iv) बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रानिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार–बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है, या

(v) बालक के शरीर के किसी भाग या बालक को लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रसत होने का, इलेक्ट्रानिक, फिल्म या अंकीय या किसी अन्य पद्वति के माध्यम से वास्तविक या बनावटी तस्वीर खींचकर मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है, या

(vi) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है।

स्पष्टीकरण :– कोई प्रश्न, "लैंगिक आशय" जिसमें अंतर्वलित है, तथ्य का प्रश्न होगा।

धारा 12 लैंगिक उत्पीडन के लिए दंड :–जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीडन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 13. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग–

धारा 14. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने के लिए दण्ड–

धारा 15. बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दण्ड–

धारा 16. किसी अपराध का दुष्प्रेरण–

धारा 17. दुष्प्रेरण के लिए दण्ड–

धारा 18. किसी अपराध को कारित करने के प्रयत्न के लिए दण्ड–

धारा 21:– किसी व्यक्ति को यदि यह बात जानकारी में है कि पोक्सो अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है या किये जाने की सम्भावना है और वह पुलिस को इसकी रिपोर्ट नहीं करता है अथवा जब कोई पुलिस अधिकारी पोक्सो अधिनियम के अधीन मामला दर्ज करने में विफल रहता है वहाँ ऐसे व्यक्ति को छः माह तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है, लेकिन यदि कोई बालक ऐसी रिपोर्ट देने में विफल रहता है तो उस पर कोई आपराधिक दायित्व अधिरोपित नही किया जायेगा।

धारा 24 और 26 :–

(i) बालक का कथन बालक के निवास स्थान पर या उसकी पसंद के स्थान पर उप निरीक्षक से अन्यून पंक्ति की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा।

(ii) कथन लेखबद्ध करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा।

(iii) पुलिस अधिकारी यह निश्चित करेगा कि बालक की परीक्षा करते समय बालक किसी समय अभियुक्त के सम्पर्क में न आये।

(iv) बालक किसी भी दशा में रात्रि में पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जायेगा।

(v) बालक की पहचान सुरक्षित रखी जायेगी।

(vi) बालक के कथन उसके माता–पिता या उसके विश्वास रखने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में लेखबद्ध किये जायेगें।

(vii) आवश्यकता पड़ने पर किसी दुभाषिए या अनुवादक की मदद ली जाएगी।

(viii) यदि बालक निःशक्त है तो किसी विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ की मदद ली जाएगी।

धारा 27:–

(i) बालक की परीक्षा धारा 164क दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार लेखबद्व की जायेगी चाहे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी हो या नहीं

(ii) यदि पीड़ित बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जायेगी।

(iii) चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता–पिता या ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जायेगी जिस पर बालक भरोसा या विश्वास रखता हो।

(iv) यदि बालक की परीक्षा के समय उसके माता–पिता या ऐसा अन्य व्यक्ति किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता है तो चिकित्सीय परीक्षा, चिकित्सा संस्था के प्रमुख के द्वारा बताये अनुसार किसी महिला की उपस्थिति में की जायेगी।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम,2020

महिला और बाल विकास मंत्रालय अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 165 (अ) दिनांक 9 मार्च, 2020'— केन्द्रीय सरकार, **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32)** की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 है।**

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2. परिभाषाएंः—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **"अधिनियम"** से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32) अभिप्रेत है,'

(ख) **"जिला बालक संरक्षण एकक"** (डीसीपीयू) से किशोर न्याय (बालकों कही देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015, (2016 का 2) की धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला बालक संरक्षण एकक अभिप्रेत है,'

(ग) **"विशेषज्ञ"** से अभिप्रेत है मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा बाल विकास या अन्य सुसंगत विषय में प्रशिक्षित व्यक्ति, जिसकी संप्रेषण क्षमता अभिघात, निःशक्तता या किसी अन्य भेद्यता से प्रभावित ऐसे बालकों के साथ संप्रेषण को सुकर बनाने की आवश्यकता है,'

(घ) **"विशेष शिक्षक"** से सीखने और संवाद की चुनौतियों, भावनात्मक और व्यावहारिक मुद्दों, शारीरिक निःशक्तताओं और विकासपरक मुद्दों सहित तरीकों से बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं और आवश्यकताओं का समाधान करके निःशक्त बालकों से संप्रेषण करने में प्रशिक्षित व्यक्ति अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरणः— इस खंड के प्रयोजनों के लिए निःशक्तता पद का वही अर्थ होगा जैसा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (ध) में परिभाषित किया गया है,'

(ड.) **"बालक के संप्रेषण के तरीके से परिचित व्यक्ति"** का अर्थ है बालक के माता—पिता या परिवार का सदस्य या बालक के साझा परिवार का सदस्य या कोई भी व्यक्ति जिसमें बालक विश्वास और भरोसा रखता है, जो उस बालक के संप्रेषण के विशिष्ट तरीके से परिचित है, और जिनकी उपस्थिति बालक के साथ अधिक प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक होती है या हो सकती है,'

(च) **"सहायक व्यक्ति"** से नियम 4 के उपनियम (7) के अनुसार बालक कल्याण समिति द्वारा जांच और परीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से बालक को सहायता प्रदान करने के लिए नियत व्यक्ति, या अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में पूर्व—परीक्षण या परीक्षण प्रक्रिया में बालक की सहायता करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों, के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगें जो अधिनियम में हैं

3.जानकारी का सृजन और क्षमता निर्माणः– (1) केन्द्रीय सरकार, या जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार बालकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए आयु–अनुकूल शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल है–

(i) उनकी शारीरिक और आभासी पहचान की सुरक्षा,' और उनकी भावनात्मक तथा मानसिक भलाई की रक्षा करने के लिए उपाय,'

(ii) लैंगिक अपराधों से निवारण और संरक्षण,'

(iii) चाइल्ड हेल्पलाइन–1098 सेवाओं सहित रिपोर्टिंग तंत्र,'

(iv) अधिनियम के अधीन अपराधों के प्रभावी निवारण के लिए लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता और लैंगिक साम्यता को अंतर्निविष्ट करना।

(2) सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे पंचायत भवनों, सामुदायिक केन्द्रों, स्कूलों और महाविद्यालयों, बस टर्मिनलों, रेल्वे स्टेशनों, सभा स्थलों, हवाई अड्डों, टैक्सी स्टेण्डों, सिनेमा हॉलों और ऐसे अन्य प्रमुख स्थानों पर संबंधित सरकारों द्वारा उपयुक्त सामग्री और सूचना प्रसारित की जा सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार संभावित जोखिम और भेद्यताओं, दुर्व्यवहार के संकेतों, अधिनियम के अधीन बालकों के अधिकारों के बारे में जानकारी के साथ ही बालको के लिए उपलब्ध सेवाओं के उपयोग के बारे में जानकारी फैलाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेगी।

(4) बालकों के आवास वाली या स्कूलों, क्रेचों, खेल अकादमियों या बालकों के लिए किसी अन्य सुविधा सहित बालकों के नियमित संपर्क में आने वाली किसी भी संस्था को बालकों के संपर्क में आने वाले प्रत्येक कर्मचारी, शिक्षण या गैर–शिक्षण, नियमित या संविदात्मक, या ऐसे संस्थान का कर्मचारी होने के नाते किसी अन्य व्यक्ति की समय–समय पर पुलिस सत्यापन और पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसे संस्थान यह भी सुनिश्चित करेंगें कि बालक सुरक्षा और संरक्षण पर उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए आवधिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।

(5) संबंधित सरकारें बालकों के विरूद्व हिंसा के प्रति शून्य–सहिष्णुता के सिद्धांत के आधार पर एक बालक संरक्षण नीति तैयार करेंगी, जिसका बालकों के लिए कार्य करने वाले या संपर्क में आने वाले सभी संस्थानों, संगठनों या किसी अन्य एजेंसी द्वारा पालन किया जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार बालकों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को चाहे वे नियमित हों या संविदात्मक, समय–समय पर बालक सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूक करने और अधिनियम के अधीन उनकी जिम्मेदारी के बारे में शिक्षित करने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, संवेदीकरण कार्यशालाएं और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सहित प्रशिक्षण प्रदान

करेगी। पुलिस कार्मिकों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की संबंधित भूमिकाओं में उनकी क्षमता के निर्माण हेतु नियमित आधार पर अभिविन्यास कार्यक्रम और गहन पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगें।

4. बालक की देखभाल और संरक्षण के बारे में प्रक्रियाः—(1) जहां किसी विशेष किशोर पुलिस एकक (इसे इसमें इसके पश्चात् "एसजेपीयू" कहा गया है) या स्थानीय पुलिस की अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन बालक सहित किसी भी व्यक्ति से सूचना प्राप्त होती है, ऐसी सूचना की रिपोर्ट प्राप्त करने वाली एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस, रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को तुरंत निम्नलिखित ब्यौरा प्रकटित करेगीः—

(i) अपना नाम पदनाम,'

(ii) पता और टेलीफोन नंबर,'

(iii) सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी के पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क का ब्यौरा।

5. दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ और सहायक व्यक्ति

6. चिकित्सीय सहायता और देखरेख

7. विधिक सहायता और मदद

8. विशेष राहत

9. मुआवजा

10. जुर्माना अधिरोपण और इसके भुगतान की प्रक्रिया

11. बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री की रिपोर्टिंग

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005

धारा 3 :– राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन एक निकाय का, जो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से ज्ञात होगा, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी।

(2) आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात –

(क) एक अध्यक्ष, जो विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बालकों के कल्याण के संवर्द्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो, और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले छह सदस्य, जिनमें से कम से कम दो स्त्रियां होगी और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा,

(i) शिक्षा,

(ii) बाल स्वास्थ्य, देखरेख, कल्याण या बाल विकास,

(iii) किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों या निःशक्त बालकों की देखरेख,

(iv) बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण,

(v) बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र, और

(vi) बालकों से संबंधित विधियां

(3) आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा ।

धारा 25 बालक न्यायालय – राज्य सरकार, बालकों के विरूद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों का त्वरित विचारण करने का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्वारा, उक्त अपराधों का विचारण करने लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी

परंतु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए–

(क) कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है, या

(ख) कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है।

धारा 26 विशेष लोक अभियोजक राज्य सरकार, प्रत्येक बालक न्यायालय के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।

किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016

महत्वपूर्ण परिभाषाएं

धारा 2 (12) बालकः– से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

धारा 2 (13) "विधि का उल्लंघन करने वाला बालक" :– से ऐसा बालक अभिप्रेत है, जिसके बारे में यह अभिकथन है या पाया गया है उसने कोई, अपराध किया है और जिसने उस अपराध के लिए जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

धारा 2 (14) "देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक" :– से ऐसा बालक अभिप्रेत है–

- जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृश्यमान साधन नहीं हैं; या
- जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते या वहां रहते पाया जाता है; या
- जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बालक का संरक्षण हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने,–

  (क) बालक को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है; या

  (ख) बालक को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है;

  (ग) किसी अन्य बालक या बालकों का वध कर दिया है, उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी या उनकी उपेक्षा या उसका या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा वध किए जाने, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसका शोषण या उसकी उपेक्षा किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; या
- जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता–पिता या संरक्षक हैं, किन्तु वे उसकी देखरेख करने में, यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए, असमर्थ हैं; या
- जिसके माता–पिता अथवा कोई संरक्षक है और ऐसी माता या ऐसे पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए, समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है; या
- जिसकके माता–पिता नहीं हैं और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या जिसके माता–पिता ने उसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है; या

- जो गुमशुदा या भागा हुआ बालक है या जिसके माता–पिता, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, युक्तियुक्त जांच के पश्चात् भी नहीं मिल सके हैं; या
- जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रताड़न या शोषण किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या
- जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरूपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की संभावना है; या
- जिसका पूर्णतया अन्तकरण विरूद्ध अभिलाभों के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या
- जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है; या
- जिसके विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह के लिये जाने के आसनन जोखिम में है और जिसके माता–पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षकों और अन्य व्यतियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है; या

धारा 2 (28) ''योग्य व्यक्ति'' :– से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो बालक की किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ऐसे व्यक्ति की इस निमित्त जांच के पश्चात् पहचान कर ली गई है और उसे उक्त प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा बालक को लेने और उसकी देखरेख करने के लिए 'योग्य' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है;

धारा 2 (33) ''जघन्य अपराध'' :– के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन न्यूनतम दंड सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का है;

धारा 2 (45) ''छोटे अपराधों'' :– के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या किसी अन्य विद्यमान विधि के अधीन अधिकतम दंड तीन वर्ष तक के कारावास का है;

धारा 2 (48) ''परिवीक्षा अधिकारी'' :– से राज्य सरकार द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के अधीन परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा जिला बालक संरक्षण एकक के अधीन नियुक्त किया गया विधि–सह–परिवीक्षा अधिकारी अभिप्रेत है;

धारा 2 (54) ''घोर अपराध'' :– के अंतर्गत ऐसा अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड तीन से सात वर्ष के बीच के कारावास का है;

बालकों की देखरेख एवं संरक्षा के साधारण सिद्धान्त

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 इस अधिनियम की **धारा 3** के अनुसार बालकों से संबंधित मामलों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और अन्य अभिकरण अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन में निम्नांकित मूलभूत सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करेंगें :–

1. **निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धान्त :–**
   बालक के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय का दोषी नहीं है।
2. **गरिमा एवं योग्यता का सिद्धान्त :–**
   बालकों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाएगा तथा उनके अधिकारों को ध्यान में रखा जाएगा।
3. **भाग लेने का सिद्धान्त :–**
   बालक को सुने जाने तथा उसके हितों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में भाग लेने का अधिकार है और बालक के दृष्टिकोण को बालक की आयु और परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।
4. **सर्वोत्तम हित का सिद्धान्त :–**
   बालक के संबंध में सभी निर्णय उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए लिये जाऐंगें, जो उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हों।
5. **कौटुम्बिक जिम्मेदारी का सिद्धान्त :–**
   बालक की देखरेख, उसका पोषण और उसकी संरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक कुटुम्ब या माता–पिता या संरक्षक की है।
6. **सुरक्षा का सिद्धान्त :–**
   बाल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जायेंगें तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसको कोई अपहानि नहीं हो या उसके साथ किसी प्रकार का बुरा व्यवहार न हों।
7. **सकारात्मक उपाय का सिद्धान्त :–**
   बालक के हित को ध्यान में रखते हुए उसके समावेशित एवं सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने हेहु सकारात्मक उपाय अपनाए जाऐंगें।
8. **गैर कलंकीय शब्दार्थों का सिद्धान्त :–**
   बालक के लिए किसी भी प्रकार के प्रतिकूल या अभियोगात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
9. **अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने का सिद्धान्त :–**
   बालक के किसी अधिकार का किसी भी प्रकार का अधित्यजन अनुज्ञेय या विधिमान्य नहीं होगा।
10. **समानता एवं विभेद न किए जाने का सिद्धान्त :–**

किसी भी बालक के साथ उसके लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, निःशक्तता या किसी प्रकार के कारित अपराध के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा।

11. एकान्तता व गोपनीयता के अधिकार का सिद्धान्त :–

प्रत्येक बालक को संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में अपनी एकांतता और गोपनीयता की संरक्षा करने का अधिकार होगा। बालक की गोपनीयता या एकान्तता का उसके हित के सिवाय अतिक्रमण नहीं किया जाएगा।

12. अंतिम अवलंब के उपाय के रुप में संस्थात्मक बनाने का सिद्धान्त :–

बालक को युक्तियुक्त जांच करने के बाद अंतिम अवलंब के उपाय के रुप में संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा।

13. संत्यावर्तन व प्रत्यावर्तन का सिद्धान्त :–

बालक के हित में न होने के सिवाय उसे यथाशीघ्र अपने कुटुंब में पुनः मिलाने और उसकी पूर्ववर्ती सामाजिक, आर्थि एवं सांस्कृतिक प्रास्थिति में मिलाने के प्रयास किए जाऐंगें।

14. नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धान्त :–

विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी बालक के पिछले सभी अभिलेखों को समाप्त किया जाएगा ताकि बालक नये सिरे से शुरुआत कर सके।

15. अपयोजन का सिद्धान्त :–

विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से न्यायिक कार्यवाहियों को बिना किसी विलम्ब के निपटाने के उपायों को बढावा दिया जाएगा।

16. नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त

इस अधिनियम के अधीन न्यायिक हैसियत से कार्य करते हुए सभी व्यक्तियों या निकायों द्वारा उचित सुनवाई के अधिकार, पक्षपात के विरुद्ध नियम तथा पुनर्विलोकन के सिद्धान्त सहित नैसर्गिक न्याय के सभी प्रक्रियागत मानकों का पालन किया जाएगा।

बालकों के मामलों में कार्य करने वाली एजेन्सियां

1. **किशोर न्याय बोर्ड :–** धारा 4 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। इस बोर्ड में तीन सदस्य होंगें जिसका अध्यक्ष प्रथम श्रेणी स्तर का मजिस्ट्रेट होगा तथा जिसमें दो अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाऐंगें। इन सदस्यों में से एक महिला होगी तथा दोनो सदस्यों को बालकों के मामलों में कार्य करने का 7 साल का अनुभव अनिवार्य है। यह बोर्ड प्रत्येक जिले में होगा तथा आवश्यकतानुसार एक से अधिक बोर्ड भी गठित किए जा सकते है। बोर्ड विधि से संघर्षरत बालकों के मामलों की सुनवाई करेगा।

   किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 3 के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है।

नियम 4 में बोर्ड की संरचना तथा नियम 5 में बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में प्रावधान किए गए है।

इसी प्रकार नियम 6 के अन्तर्गत बोर्ड की बैठकों तथा नियम 7 में बोर्ड के कृत्यों का प्रावधान किया गया है।

2. **बाल कल्याण समिति :–** धारा 27 के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस समिति में 5 सदस्य होंगें जो सभी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाऐंगें। इन सदस्यों में से एक महिला होगी तथा सभी सदस्यों को बालकों के मामलों में कार्य करने का 7 साल का अनुभव अनिवार्य है। यह समिति प्रत्येक जिले में होगी तथा आवश्यकतानुसार एक से अधिक समिति भी गठित की जा सकती है। समिति देखभाल एवं सरक्षण वाले बालकों के संबंध में कार्य करेगी।

   किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 15 के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में एक या अधिक बाल कल्याण समिति के गठन उसकी संरचना तथा सदस्यों की अर्हताओं का प्रावधान किया गया है।

   नियम 16 में समिति के नियम एवं प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान किए गए है।

   इसी प्रकार नियम 17 के अन्तर्गत समिति के अतिरिक्त कृत्यों तथा उत्तरदायित्वों का प्रावधान किया गया है।

3. **विशेष किशोर पुलिस इकाई :–** धारा 107 में विशेष पुलिस किशोर इकाई के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिलें और शहर में विधि के साथ संघर्षरत बालकों एवं अन्य उपेक्षित बच्चों से सम्बन्धित मामलों को देखने के लिए एक विशेष बालक पुलिस इकाई के गठन का प्रावधान है। विशेष बालक पुलिस इकाई का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर की रैंक का पुलिस अधिकारी करेगा। इस इकाई में जिले के सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी शामिल होगें और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्त्ता जिनमें एक महिला होगी शामिल होगें। यह इकाई बालको से संबधित सभी कृत्यो का समन्वय करेगी। यह इकाई बालको के विरूद्व अपराधो का संज्ञान गंभीरता से लेगी, विधि के उपबंधो मे प्राथमिकी दर्ज होना सुनिश्चित करेगी। यह इकाई पुलिस थानो के सूचनापट पर बाल कल्याण अधिकारी एवं बाल संरक्षण से जुडी अन्य इकाईयो के नाम, संपर्क सून्न द्रश्यमान स्थान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेगी ।

   किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 86 के अनुसार विशेष किशोर पुलिस इकाई की संरचना एवं उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान किए गए है।

नियम 86. विशेष किशोर पुलिस इकाई :–

(1) राज्य सरकार बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए प्रत्येक जिला और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी।

(2) केंन्द्रीय सरकार आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी और जहां कहीं विशेष किशोर पुलिस

इकाई गठित नहीं की जा सकती है, वहां पर रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के कम से कम अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) बाल कल्याण अधिकारियों और विशेष किशोर पुलिस इकाई के अन्य पुलिस अधिकारियों को बालकों से संबंधित मामलों से निपटाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और अभिविन्यास दिया जाएगा।

(4) नामनिर्दिष्ट बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण और तैनाती अन्य पुलिस थानों की विशेष किशोर पुलिस इकाइयों या जिला इकाई में की जा सकेगी।

(5) बालकों से वार्तालाप करने वाला पुलिस अधिकारी जहां तक संभव हो सादा कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा और बालिकाओं के साथ पेश आने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा।

(6) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या कोई अन्य पुलिस अधिकारी विनम्र और सौम्य तरीके से बाल करेगा और बालक की गरिमा और उसका आत्म सम्मान बनाए रखेगा।

(7) जहां कहीं ऐसे प्रश्न पूछे जाने हैं जो बालक को असहज बना सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को विनम्र तरीके से पूछा जाएगा।

(8) जब किसी बालक के विरूद्ध अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति शिकायकर्ता और पीड़ित बालक को सौंपी जाएगी और अन्वेषण पूरा होने के बाद, अन्वेषण की रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की एक प्रति शिकायतर्का या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपी जाएगी।

(9) किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बालक के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोनों ही बालक हैं, उन्हें एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाया जाएगा।

(10) विशेष किशोर पुलिस इकाई के पास निम्नलिखित की सूची होगीः

(i) इसके विधिवत क्षेत्राधिकार में बोर्ड और बाल कल्याण समिति, बैठक के उनके स्थान, बैठक के घंटे, बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट और सदस्यों के नाम और संपर्क बयौरों, समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और संपर्क ब्यौरों और बोर्ड और समिति के सामने अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और

(ii) इसके विधिवत क्षेत्राधिकार में बाल देखरेख संस्थाओं और उपयुक्त सुविधाओं के संपर्क ब्यौरों।

(11) विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के नाम और संपर्क ब्यौंरे पुलिस थानों, बाल देखरेख संस्थाओं, समितियों, बोर्डों और बाल न्यायालयों के प्रमुख भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे।

(12) विशेष किशोर पुलिस इकाई उसके क्षेत्राधिकार में बालकों के कल्याण से संबंधित मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड और समिति के निकट समन्वय में कार्य करेगी।

(13) विशेष किशोर पुलिस इकाई बालकों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगी।

4. **बाल कल्याण पुलिस अधिकारी :–** धारा 107 में ही बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान किए गए है। प्रत्येक पुलिस थाने में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होगा जो सहायक उप निरीक्षक के पद से कम का न हो एवं बालकों से जुड़े मुद्दो पर जानकारी रखता हो। जिसके पास बालकों के सम्बन्ध में विशेष योग्यता, समुचित प्रशिक्षण और स्थिति का ज्ञान हो और स्वैच्छिक और गैरसरकारी संगठनों के समन्वय से बालकों के साथ पीड़ित या अपराधियों के रूप में व्यवहार करने में सक्षम हो।

विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया

धारा 9. ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है:–

1. जब किसी मजिस्ट्रेट की जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है, यह राय है कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपराध किया है और ऐसी राय को अविलम्ब अभिलेखबद्ध करेगा और उस बालक को ऐसी कार्यवाही के अभिलेख के साथ कार्यवाहियों पर अधिकारिता रखने वाले बोर्ड को तत्काल भेजेगा।
2. यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपराध किया है, बोर्ड से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष यह दावा करता है कि वह व्यक्ति बालक है या अपराध के लिए जाने की तारीख को बालक था, या यदि न्यायालय की स्वयं यह राय है कि वह व्यक्ति अपराध के किए जाने की तारीख को बालक था तो उक्त न्यायालय उस व्यक्ति की आयु की अवधारणा करने के लिए ऐसी जांच करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (किन्तु शपथ पत्र नहीं) और उस व्यक्ति की यथासंभव निकटतम आयु का कथन करते हुए मामले के निष्कर्ष अभिलिखित करेगा;

   परन्तु ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय के समक्ष किये जा सकेगा और उसको किसी भी प्रक्रम पर, मामले का अंतिम निपटारा हो जाने के पश्चात् भी, स्वीकार किया जाएगा और उस दावे का अवधारण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, भले ही वह व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या उससे पूर्व बालक न रह गया हो।
3. यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वाह ऐसे अपराध के किए जाने की तारीख को बालक था, तो वह उस बालक को बोर्ड के पास, समुचित आदेश पारित करने के लिए भेजेगा और न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश के, यदि कोई हो, बारे में यह समझा जाएगा कि उसका कोई प्रभाव नहीं है।
4. यदि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को, जब उस व्यक्ति के बालक होने के दावे की जांच की जा रही है, संरक्षात्मक अभिरक्षा में रखा जाना अपेक्षित है, तो उस व्यक्ति को उस अंत कालीन अवधि में सुरक्षित सिल में रखा जा सकेगा।

धारा 10. विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पकड़ा जाना:–

(1) जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तभी ऐसे बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा, जो बालक को अविलम्ब, किंतु उस सीान से, जहां से ऐसे बालक की गिरफ्तारी हुई थी, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश करेगा:

परंतु किसी भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को, पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या जेल में नहीं डाला जाएगा।

(2) राज्य सरकारः–

(i) उन व्यक्तियों के लिए उपबंध करने के लिए जिनके द्वारा (जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन भी हैं) विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकेगा;

(ii) उस रीति का उपबंध करने के लिए, जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को, यथास्थिति, किसी संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जा सकेगा, इस अधिनियम से संगत नियम बनाएगी।

धारा 11. ऐसे व्यक्ति की भूमिका, जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा गया हैः–

ऐसे व्यक्ति का, जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा जाता है, जब आदेश प्रवर्तन में हो, उक्त बालक की जिम्मेदारी इस जिम्मेदारी इस प्रकार होगी मानो उक्त व्यक्ति बालक का माता–पिता है और बालक के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी होगाः

परन्तु तब के सिवाय, जब परिषद की यह राय है कि माता–पिता या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे बालक का प्रभार लेने के लिए उपयुक्त है, इस बात के होते हुए भी कि उक्त बालक का माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया है, बालक परिषद द्वारा कथित अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति के प्रभार में बना रहेगा।

धारा 12. ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक हैः–

(1) जब कोई ऐसा व्यक्ति, जो दृश्यमान रूप से एक बालक है और जिसने अभिकथित जमानतीय या गैर जमानतीय अपराध किया है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार या निरूद्ध किया जाता है या बोर्ड के समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है, तब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को प्रतिभूत सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा या उसे किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगाः

परंतु ऐसे व्यक्ति की तब इस प्रकार छोड़ा नहीं जाएगा जब यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह संभाव्य है कि उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होगा या उक्त व्यक्ति नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा या उस व्यक्ति के छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा और बोर्ड जमानत देने से इंकार करने के कारणों को और ऐसा विनिश्चय लेने से संबंधित परिस्थितियों को अभिलिखित करेगा।

(2) जब पकड़े गये ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपधारा (1) के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसी रीति से, जो विहित

की जाए, संप्रेक्षण गृह में केवल तब तक के लिए रखवाएगा जब जक ऐसे व्यक्ति को परिषद के समक्ष न लाया जा सके।

(3) जब ऐसा व्यक्ति, बोर्ड द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तक वह ऐसे व्यक्ति के बारे में जांच के लंबित रहने के दौरान ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसे यथास्थिति, संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए आदेश करेगा।

(4) जब विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक, जमानत के आदेश के सात दिन के भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो ऐसे बालक को जमानत की शर्तों को संशोधित करने हेतु परिषद के समक्ष पेश किया जाएगा।

धारा 13. माता–पिता, संरक्षण अथवा परिवीक्षा अधिकारी को इत्तिलाः–

जहां विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को गिरफ्तार किया जाता है वहां उस पुलिस थाने या विशेष किशोर पुलिस इकाई का बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदाभिहित अधिकारी, जिसके पास ऐसा बालक लाया जाता है, बालक को पकड़े जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ही निम्न को सूचना देगा–

(i) ऐसे बालक के माता–पिता या संरक्षण को, यदि उनका पता चलता है, इत्तिला देगा और उन्हें निर्देश देगा कि वह उस बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों जिसके समक्ष बालक को पेश किया जाएगा; और

(ii) परिवीक्षा अधिकारी को, या यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी को दो सप्ताह के भीतर एक सामाजिक अन्वेशण रिपोर्ट, जिसमें बाल के पूर्ववृत्त और कौटुम्बिक पृष्ठीभूमि के बारे में तथा अन्य ऐसी तात्विक परिस्थितियों के बारे में जानकारी अंतर्विश्ट होगी, जिनके बारे में यह संभाव्य है कि वे जांच करने में बोर्ड के लिए सहायक होंगी, तैयार करने और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए इत्तिला देगा।

(2) जहां बालक को जमानत पर छोड़ दिया जाता है वहां बोर्ड द्वारा परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को इत्तिला दी जाएगी।

धारा 15. बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारणः–

(1) किसी ऐसे बालक द्वारा किए गए जघन्य अपराध की दशा में, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों के समझने की योग्यता और उन परिस्थितियों को, जिनमें उसने अपराध किया था, के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18 के उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगाः

परन्तु एसे निर्धारण के लिए बोर्ड, अनुभवी मनोवैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।

स्पष्टीकरणः— इस धारा के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्टीकृत किया जाता है कि प्रारंभिक निर्धारण विचारण नहीं है, लेकिन ऐसे बालक के अभिकथित अपराध को कारित करने की क्षमता तथा परिणामों को समझने का निर्धारण करना है।

(2) जहां प्रांरभिक निर्धारण करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए तो बोर्ड, यथाशक्य, दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) के अधीन सम्मन मामले के विचारण से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगाः

परन्तु बोर्ड द्वारा मामले का निपटारा किया जाने वाला परिषद का आदेश, धारा 101 की उपधारा (2)के अधीन अपीलीय होगाः

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन मूल्यांकन को, धारा 14 के अधीन विनिर्दिष अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

धारा 21. आदेश, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरूद्ध पारित न किया जा सकेगाः—

विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय पृवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जाएगा।

धारा 22. बालक के विरूद्ध लागू न होने वाली दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन की कार्यवाहीः—

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में या तत्समय प्रवृत्त किसी निरोध निवारक विधि में अंतर्विष्ट किसी त्तप्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बालक के विरूद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन न कोई कार्यवाही संस्थित की जाएगी और न ही कोई आदेश पारित किया जाएगा।

धारा 23. विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक और ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है, संयुक्त कार्यवाही नहीं होने के कानूनी प्रावधानः—

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 223 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है, संयुक्त कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(2) यदि बोर्ड द्वारा या बालक न्यायालय द्वारा जांच के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि वह बालक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का किसी बाल के साथ विचारण नहीं किया जाएगा।

धारा (24) निष्कर्षों पर अनर्हता का अपसारण :—

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बालक, जिसने कोई अपराध किया है और जिसके बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जा चुकी है, किसी ऐसी निरर्हता से, यदि कोई हो, ग्रस्त नहीं होगा, जो ऐसी विधि के अधीन किसी अपराध की दोषसिद्धि से संलग्न होः

प्रंतु उस बालक के मामले में जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण की है या उससे अधिक है तथा उसे बालक न्यायलय द्वारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (प) के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला पाया जाता है, उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(2) बोर्ड, पुलिस या बालक न्यायालय द्वारा अपनी स्वयं की रजिस्ट्री को यह निर्देश देते हुए आदेश देगा कि ऐसी दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेख, यथास्थिति, अपील की अवधि या ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जो विहित की जाए, समाप्त होने के पश्चात् नष्ट कर दिए जाएंगेः

परंतु जघन्य अपराध के मामले में, जहां बालक धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (प) के अधीन विधि के उल्लंघन में होना पाया जाता है, ऐसे बाल की दोषसिद्धि के संगत अभिलेखों को बालक न्यायालय द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा।

धारा 25. लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध :–

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विधि के उल्लंघन करने वाला अभिकथित या विधि का उल्लंघन करते हुए पाए गए किसी बालक के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां उस बोर्ड या न्यायालय में वैसे ही जारी रहेंगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया है।

धारा 26. विधि का उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालक की बाबत उपबंध :–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक का प्रभार ले सकेता जो विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान या किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था की देखरेख से भाग चुका है, जिसके अधीन उस बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा गया था।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बालक को चौबीस घंटे के भीतर अधिमानतः उस बोर्ड के समक्ष, जिसने उस बालक की बाबत मूल आदेश पारित किया गया था, यदि संभव हो, या उस निकटतम बोर्ड के समक्ष जहां बालक पाया जाता है पेश किया जाएगा।

(3) बोर्ड, बालक के निकल भागने के कारणों को सुनिश्चित करेगा और बालक को उस संस्था या उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से बालक भाग निकला था, या वैसे ही किसी अन्य स्थान या व्यक्ति को, जिसे बोर्ड ठीक समझे वापस भेजे जाने के लिए समुचित आदेश पारित करेगाः

परंतु परिषद किन्हीं विशेष उपायों की बाबत, जो बालक के सर्वोत्तम हित में आवश्य समझे जाएं, अतिरिक्त निर्देंश भी दे सकेगा।

(4) ऐसे बालक के बारे में कोई अतिरिक्त कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

देखरेख एवं संरक्षण के लिए जरुरतमन्द बालकों के संबंध में प्रक्रिया

धारा 31. समिति के समक्ष पेश किया जानाः–

(1) देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित किसी व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा, अर्थातः–

(i) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या विशेष किशोर पुलिस एकक या पदाभिहित बालक कल्याण पुलिस के अधिकारी या जिला बालक कल्याण एकक के किसी अधिकारी या तत्समय प्रवृतत किसी श्रम विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षण द्वारा;

(ii) किसी लोक सेवक द्वारा;

(iii) ऐसी बालबद्ध सेवाओं या किसी स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन या किसी अभिकरण द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए;

(iv) बालक कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा;

(v) किसी सामाजिक कार्यकर्ता या लाकक भावना से युक्त नागरिक द्वारा;

(vi) स्वयं बालक द्वारा, या;

(vii) किसी नर्स, डाक्टर, परिचर्या गृह (नर्सिंग होम) अस्पताल या प्रसृति गृह के प्रबंधक द्वाराः

परंतु बालक को समय नष्ट किए बिना, किन्तु चौबीस घंटे की अवधि के भीतर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, जांच की अवधि के दौरान समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति का और बालक को, यथास्थिति, बाल गृह या आश्रय गृह या सुविधा उपयुक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने या सौंपने की रीति का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

नियम–18. समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना–

(1) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को कार्य–समय के दौरान समिति के बैठक स्थल पर समिति के समक्ष और कार्य समय के बाद ड्यूटी रोस्टर के अनुसार समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा;

परंतु जहां बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वहां स्वतः समिति बालक तक पहुंचने के लिए ऐसे बालक के स्थान तक जाएगी।

(2) जो कोई भी बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है, वह प्ररूप 17 में रिपोर्ट करेगा, जिसमें बालक तथा जिन परिस्थितियों में वह पाया गया उन परिस्थितियों के ब्यौरे का उल्लेख किया जाएगा।

(3) यदि बालक की आयु दो वर्ष से कम है, जो चिकिसीय रूप से अस्वस्थ है, तो देखरेख और संरक्षण के जरूरमंद बालक के संपर्क में आने वाला व्यक्ति या संगठन चौबीस घंटे के भीतर उस बालक की फोटो के साथ लिखित रिपोर्ट भेजेगा और उस बालक के चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होते ही उसे इस आशय के प्रमाण के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) बालक से विचार–विमर्श करने के बाद समिति उस बालक को उसके माता–पिता या संरक्षक के पास या जिस समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत किया गया हो, उस समिति के निकट बाल गृह होने पर ऐसे बाल गृह में उस बालक को रखे जाने तथा ऐसा गृह मौजूद न होने की दशा में उस बालक को किसी उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्था में रखे जाने के निर्देश जारी कर सकेगी।

(5) समिति या कर्तव्य पर उपस्थित समिति का सदस्य बालक को बालगृह में रखे जाने के आदेश प्ररूप 18 में जारी करेगा।

(6) समिति या कर्तव्य पर उपस्थित समिति का सदस्य उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए बालक की तात्कालिक चिकित्सीय जांच की आवश्यकता होने पर ऐसी जांच के आदेश जारी करेंगे।

(7) परित्यक्त या गुमशुदा या अनाथ बालक के मामले में जांच कार्य लंबित रहने के समय बालक की अंतरिम अभिरक्षा प्रदान करने के संबंध मे आदेश जारी करने से पहले समिति यह देखेगी कि ऐसे बालक के विषय में जानकारी अभिहित पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए।

(8) समिति यथास्थिति जांच कार्य लंबित रहने के समय या बालक के प्रत्यावर्तन के समय, उसके माता–पिता, संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में बालक को रखने के लिए प्ररूप 19 में आदेश करते हुए ऐसे माता–पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति को प्ररूप 20 में वचनबंध पर हस्ताक्षर करने को कह सकेगी।

(9) जब कभी समिति किसी बालक को किसी संस्था में रखे जाने का आदेश देती है, तब जांच कार्य लंबित रहने के समय अल्पकालिक स्थापन के प्ररूप 18 में जारी किए गए आदेश की प्रति बाल देखरेख संस्था और बालक के माता–पिता, संरक्षक और पिछले अभिलेख के ब्यौरे के साथ ऐसी संस्था के प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएगी। ऐसे आदेश की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को भी भेजी जाएगी।

नियम 19. जांच की प्रक्रिया–

(1) समिति उन परिस्थितियों की जांच करेगी, जिनमें बालक को प्रस्तु किया गया है, और तदनुसार ऐसे बालक को देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित करेगी।

(2) यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आगे जांच कार्य लंबित रहने के समय समिति अपनी अधिकारिता का अभिनिश्चय करने के उद्देश्य से प्रथम दृश्टया बालक की आयु अवधारित करेगी।

(3) जब बालक को समिति के समक्ष लाया जाता है, तब समिति प्ररूप 21 में आदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 36 की उप–धारा (2) के अधीन सामाजिक अन्वेषण करने के लिए वह मामला किसी सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी संगठन को सौंपेगी।

(4) समिति उपयुक्त पुनर्वास योजना सहित व्यक्तिगत देखरेख योजना प्ररूप 7 में तैयार करने का निर्देश संबंधित व्यक्ति या संगठन को देगी। संस्थागत देखरेख में रहने वाले प्रत्येक के लिए तैयार की जाने वाली यह व्यक्तिगत देखरेख योजना मामले के पूर्ववृत्त, बालक की परिस्थितियों और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर उसके पूर्ण पुनर्वास और पुनर्समेकन के उद्देश्य से तैयार की जाएगी।

(5) जांच कार्य से नैसर्गिक न्याय के आधार भूत सिद्धान्तों की पूर्ति होगी और बालक एवं उसके माता–पिता या संरक्षक की जानकारी प्राप्त भागीदारी सुनिश्चित होगी। बालक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसकी आयु और परिपक्वता के स्तर के अनुरूप उसके विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। समिति के आदेश लिखित रूप में होंगे और उनमें कारणों का उल्लेख किया जाएगा।

(6) समिति बालक से संवेदनशील और बालक के अनुकूल तरीके से सवाल–जवाब करेगी और किसी भी प्रतिकूल या आरोप लगाने वाले शब्दों या बालक की गरिमा या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी।

(7) समिति प्ररूप 19 के अनुसार बालक को उसके सर्वोतम हि में निर्मुक्त या उसका प्रत्यावर्तन करने से पहले दस्तावेजों और सत्यापन रिपोर्टों के माध्यम से अपनी संतुष्टि करेगी।

(8) सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता या संस्था या किसी गैर–सरकारी संगठन के बाल कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाने वाला सामाजिक अन्वेषण प्ररूप 22 के अनुसार होगा और इसमें बालक की पारिवारिक स्थिति के मूल्यांकन का विस्तृत विवरण होना चाहिए तथा लिखित रूप में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या बालक के परिवार को उसका प्रत्यावर्तन उस बालक के सर्वोतम हित में होगा।

(9) बालक को निर्मुक्त करने या उसका प्रत्यावर्तन करने से पहले समिति उस बालक और उसके माता–पिता अथवा संरक्षक को परामर्शदाता के पास भेज सकेगी।

(10) समिति अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए बालकों के समुचित अभिलेख रखेगी, जिनमें चिकित्सीय रिपोर्टें, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, कोई अन्य रिपोर्ट(टें)और बालक के विषय में समिति द्वारा पारित आदेश शामिल होंगे।

(11) जांच कार्य के लंबित रहने के सभी मामलों में, समिति बालक को पेशी की अगली तारीख की जानकारी पिछली तारीख के बाद अधिकतम 15 दिनों की अवधि में देगी और ऐसी प्रत्येक तारीख को जांच कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी से आवधिक स्थिति रिपोर्ट भी मांगेगी।

(12) जांच कार्य के लंबित रहने के सभी मामलों में, समिति बालक को प्रस्तुत किए जाने की पहली तारीख से शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि सहित बालक के पुनर्वास के उपाय करने के निर्देश उस व्यक्ति या संस्था को देगी, जिसके पास बालक को रखा गया है।

(13) जब समिति की बैठक जारी न हो तब समिति के किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए किसी निर्णय का अनुसमर्थन, समिति की अगली बैठक में किया जाएगा।

(14) किसी मामले के अंतिम निपटान के समय, अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए अभिहित सदस्य उपस्थित होगा।

(15) समिति एक निकाय के रूप में तालमेल पूर्ण ढ़ग से कार्य करेगी और इसलिए अपनी कोई उप–समिति गठित नहीं करेगी।

(16) जहां किसी बालक को किसी अन्य जिले या राज्य या देश को प्रत्यावर्तित किया जाना हो, वहां समिति जिला बाल संरक्षण इकाई को यथापेक्षित आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के निर्देश देगी, जैसे कि अनापति प्रमाण पत्र के लिए विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों और विदेश मंत्रालय से सम्पर्क करना, किसी अन्य जिले या राज्य या देश की समकक्ष समिति या किसी अन्य स्वैच्छिक संगठन से संपर्क करना, जहां बालक को भेजा जाना है।

(17) मामले के अंतिम निपटान के समय, समिति निपटान आदेश में यथास्थिति सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता या संस्था या किसी गैर–सरकारी संगठन के बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्ररूप 7 में तैयार की गई ऐसे बालक की व्यक्तिगत देखरेख योजना को शामिल करेगी।

(18) मामले का अंतिम निपटान करते समय, समिति मामले के निपटान की तारीख से अधिकतम एक मास की अवधि में बालक के अनुवर्तन की तारीख देगी और उसके बाद छह मास की अवधि तक मास में एक बार तथा उसके बाद कम से कम एक वर्ष या ऐसी अवधि तक, जिसे समिति उपयुक्त समझे, हर तीन मास में एक बार अनुवर्तन की तारीख देगी।

(19) जहां बालक किसी अन्य जिले का हो, वहां समिति आयु संबंधी घोषणा और मामले की फाइल तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना संबंधित जिले की समिति को भेजेगी, जो कि व्यक्तिगत देखरेख योजना का अनुवर्तन इस प्रकार करेगी जैसे कि निपटान आदेश उसी ने पारित किया हो।

(20) व्यक्तिगत देखरेख योजना की निगरानी निपटान आदेश पारित करने वाली समिति द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्ररूप 14 में जारी किए गए पुनर्वास कार्ड द्वारा की जाएगी और यह कार्ड व्यक्तिगत देखरेख योजना के कार्यान्वयन का अनुवर्तन करने वाली समिति के अभिलेख में शामिल होगा। ऐसा पुनर्वास कार्ड पुनर्वास–सह–स्थापन अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

(21) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के संबंध में समिति द्वारा पारित सभी आदेश बालक की गोपनीयता और निजता का विधिवत ध्यान रखते हुए अभिहित पोर्टल पर अपलोड भी किए जाएंगे।

(22) जब कोई माता–पिता या संरक्षक अधिनियम की धारा 35 की उप–धारा (1) के अधीन किसी बालक को अभ्यर्पित करना चाहे, तब ऐसे माता–पिता या संरक्षक प्ररूप 23 में समिति को आवेदन प्रस्तत करेंगे। जिस मामले में ऐसे माता–पिता या संरक्षक निरक्षरता या अन्य किसी कारण से आवेदन प्रस्तुत न कर पाएं, उस मामले में समिति विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपबन्ध कराए जाने वाले विधिक सहायता

परामर्शी के माध्यम से उन्हें आवेदन प्रस्तु करने मे सहायता करेगी। अभ्यर्पण विलेख प्ररूप 24 के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

(23) समिति अधिनियम की धारा 35 की उप–धारा 3 के अधीन जांच शीघ्रतापूर्वक कराएगी और अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अभ्यर्पित बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।

(24) अनाथ या परित्यक्त बालक के मामले में समिति बालक के माता–पिता या संरक्षकों को खोजने के सभी संभव प्रयास करेगी और ऐसी जांच पूरी होने पर, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि बालक या तो ऐसा अनाथ या परित्यक्त है, जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है तो समिति उस बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।

(25) विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण सहित किसी बाल देखरेख संस्था को प्राप्त हुए परित्यक्त या अनाथ बालक के मामले में, ऐसा बालक चौबीस घंटे की अवधि में (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) प्ररूप 17 में रिपोर्ट के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस रिपोर्ट में बालक का विवरण और फोटो तथा उप परिस्थितियों का ब्यौरा दर्शाया जाएगा, जिन परिस्थितियों में वह बालक प्राप्त हुआ और बाल देखरेख संस्था या विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसी द्वारा उसी अवधि में ऐसी रिपोर्ट की प्रति स्थानीय पुलिस को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(26) समिति अधिनियम की धारा 36 के अधीन जांच के लंबित रहने के समय बालक के लिए अल्पावधिक स्थापन एवं अंतरिम देखरेख आदेश प्ररूप 18 में जारी करेगी।

(27) समिति अनाथ या परित्यक्त बालक के ब्यौरे को अपलोड कराते हुए, यह अभिनिश्चय करने के लिए अभिहित पोर्टल का प्रयोग करेगी कि क्या परित्यक्त या अनाथ बालक कोई गुमशुदा बालक है।

(28) समिति जोखिम कारकों पर विचार करने के बाद और बालक के सर्वोतम हित में उसके जन्मदाता माता–पिता या विधिकसंरक्षक(कों) का पता लगाने के प्रयोजनार्थ बालक प्रान्त होने के समय से बहत्तर घंटे की अवधि में अनाथ या परित्यक्त बालक का ब्यौरा और फोटो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित किए जाने का निर्देश दे सकेगी।

(29) समिति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करने के बाद परित्यक्त या अनाथ बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने वाला आदेश प्ररूप 25 में जारी करेगी और यह जानकारी प्राधिकरण को भेजेगी।

(30) जहां बालक के माता–पिता का पता लगा लिया जाता है, वहां बालक के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया इन नियमों के नियम 82 के अनुसार होगी।

बालकों के पुनर्वास हेतु विभिन्न गृह

धारा 47. सप्रेक्षण गृहः–

(1) राज्य सरकार, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गेर–सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्येक जिला या जिलों के समूह में संप्रेक्षण गृह सीापित कर सकेगी और उना रखरखाव कर सकेगी जिन्हें इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित किसी बालक को अस्थायी रूप से रखने, उसकी देखरेख और पुनर्वास के लिए इस अधिनियम की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(2) जहां राज्य सरकार की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन सीापित या अनुरक्षित किसी गृह से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत संस्था, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित ऐसे बालक को अस्थायी रूप से रखने के योग्य है, तो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी संस्था को संप्रेक्षण गृह के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा संप्रेक्षण गृहों के प्रबंध और अनुश्रवण के लिए उपबंध कर सकेगी, जिसके अंतर्गत विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित किसी बालक के पुनर्वास और उसको समाज में मिलाने के लिए उनके द्वारा दी गई सेवाओं का स्तर और विभिन्न किस्में तथा ऐसी परिस्थितियां, जिनके अधीन और वह रीति भी है, जिसमें किसी संप्रेक्षण गृह का पंजीयन मंजूर किया और वापस लिया जा सकेगा।

(4) विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित प्रत्येक ऐसे बालक को, जो माता या पिता, संरक्षक के भारसाधन में नहीं रखा जाता है और किसी संप्रेक्षण गृह में भेजा जाता है, बालक की शारीरिक और मानसिक प्रास्थिति और कारित अपराध की कोटि पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् बालक की आयु और लिंग के अनुसार उसे अलग रखा जाएगा।

धारा 48. विशेष गृह :–

(1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में, जो विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों के पुनर्वास के लिए अपेक्षित हों, जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है और जो किशोर न्याय बोर्ड के धारा 18 के अधीन किए गए आदेश द्वारा वहां पर रखे गए हैं, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विशेष गृह स्थापित कर सकेगी और उनका रखरखाव कर सकेगी, जो उस रूप में ऐसी रीति में रजिस्ट्रीकृत किए जायेंगे, जो विहित की जाए।

(2) राज्य सरकार, विशेष गृहों के पबंधन और अनुश्रवण के लिए नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा दी गई सेवाओं के स्तर और विभिन्न किस्में, जो किसी बालक को समाज में पुनः मिलाने के लिए आवश्यक हैं और वे परिस्थितियां, जिनके अधीन और वह रीति भी है, जिसमें किसी विशेष गृह का पंजीयन मंजूर किया और वापस लिया जा सकेगा।

(3) उपधरा (2) के अधीन बनाए गए नियमों में विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालकों की आयु, लिंग, उनके द्वारा कारित अपराध की प्रकृति और बालक की मानसिक और शारीरिक प्रास्थिति के आधार पर उन्हें विलग और पृथक् रखने के उपबंध भी किए जा सकेंगे।

धारा 49. सुरक्षित स्थानः—

(1) राज्य सरकार, धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी राज्य में कम से कम एक सुरक्षित स्थान की सीापना करेगी जिससे अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को, जो सोलह से अठारह वर्ष की आयु के बीच का है और कोई जघन्य अपराध कारित करने का अभियुक्त है या सिद्वदोष ठहराया गया है, रखा जा सके।

(2) प्रत्येक सुरक्षित स्थान में जांच की प्रक्रिया के दौरान ऐसे बालकों या व्यक्तियों के और कोई अपराध कारित करने के दोषसिद्ध बालकों या व्यक्तियों के ठहरने के लिए अलग प्रबंध और सुविधाएं होंगी।

(3) राज्य सरकार, नियमों द्वारा उस प्रकार के सीानों को, जिन्हें उपधारा (1) के अधीन सुरक्षित स्थान के रूप में अभिहित किया जा सकता है और उन सुविधाओं और सेवाओं को, जिनका उसमें उपबंध किया जाए, विहित कर सकेगी।

धारा 50. बाल गृह :—

(1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ऐसे बाल गृह स्थापित कर सकेगी और उनका रखरखाव कर सकेगी, जिन्हें बालकों को देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को रखने के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, किसी बाल गृह को, बालकों के लिए विशेष जरूरतों वाले ऐसे उपयुक्त गृह के रूप में अभिहित कर सकेगी, जो आवश्यकता पर निर्भर करते हुए विशिष्ट सेवा प्रदान करता है।

(3) राज्य सरकार, नियमों द्वारा बाल गृहों की संप्रेषण और प्रबंध का उपबंध कर सकेगी, जिसके अंतर्गत पदत्त प्रत्येक बालक के लिए निजी देखरेख योजना के आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं का स्तर और प्रकृति भी है।

किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराध

धारा 74. बालक की पहचान प्रकटन का प्रतिषेध :–

(1) किसी जांच या अन्येषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचार पत्र, पत्रिका या समाचार पृष्ठ या दृश्य–श्रवण माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में की किसी रिपोर्ट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्ट को प्रकट नहीं किया जाएगा, जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक या किसी बाल पीड़ित या किसी अपराध के साक्षी की, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे मामले में अंतवर्लित है, पहचान हो सकती है और न ही ऐसे बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगाः

परंतु यह कि लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, परिषद् या जैसा विषय हो समिति जांच करते समय ऐसे प्रकटीकरण की अनुमति दे सकती है बशर्ते उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण उस बालक के सर्वोतम हित में हो।

(2) पुलिस, ऐसे मामलों में जहां वाद को बन्द किया जा चुका है या उसका निस्तारण किया जा चुका है, चरित्र प्रमाण–पत्र के प्रयोजनार्थ या अन्यथा बालकों के अभिलेख को प्रकट नहीं करेगी।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनींय होगा।

धारा 75. बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड :–

जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उस बालक पर ऐसी रीति से, जिससे उस बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट होना संभाव्य हो, हमला करेगा, उसका परित्याग करेगा, उत्पीड़न करेगा, उसे उच्छन्न करेगा या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करेगा या उस पर हमला किया जाना, उप परित्याग, उत्पीड़न, उच्छन्न या उसकी उपेक्षा किया जाना कारित करेगा या ऐसा किए जाने के लिए उसे उपाप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या एक लाख रूपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगाः

परंतु उस मामले में जहां यह पाया जाता है कि जैविक माता–पिता द्वारा बालक का ऐसा परित्याग, उन परिस्थितियों के कारण है जो उनके नियंत्रण के बाहर हैं, यह माना जाएगा कि ऐसा परित्याग जानबूझकर नहीं है तथा इस धारा के दाण्डिक उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगेः

परंतु यह और कि यदि ऐसा अपराध किसी संगठन द्वारा नियोजित है या उसका प्रबंधन कर रहा है, जिसे बालक की देखरेख और संरक्षण सौंपा गया है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगाः

परन्तु यह और भी कि पूर्वोक्त क्रूरता के कारण यदि बालक शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है या उसे मानसिक रोग हो जाता है या वह मानसि रूप से नियमित कार्यों को करने में अयोग्य हो जाता है या उसके जीवन या अंग को खतरा होता है, ऐसा व्यक्ति कठोर कारावास से, जो

तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और पांच लाख रूपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 76. भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन :–

(1) जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को नियोजित करता है या किसी बालक से भीख मंगवाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रूपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगाः

परंतु यदि भीख मांगने के प्रयोजन के लिए व्यक्ति बालक का अंगोच्छेदन करता है या उसे विकलांग बनाता है तो वह कारावास से, जो सात वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और पांच लाख रूपए तक के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के कारित करने का दुष्प्रेरण करता है, वह उपधारा (1) में यथा उपबंधित शास्ति से, दंडनीय होग और ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (14) के उपखंड (अ) के अधीन अयोग्य माना जाएगाः

परंतु ऐसे बालक को किन्हीं परिस्थितियों में विधि का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा और उसे ऐसे संरक्षक या अभिरक्षक के भारसाधन या नियंत्रण से हटा लिया जाएगा और समुचित पुनर्वास के लिए समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

धारा 77. बालक को मादक लिकर या स्वापक औषिधि या मनःप्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति :–

जो कोई सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश से अन्यथा किसी बालक को लोक स्थान में कोई मादक लिकर या कोई स्वापक औषधि या तम्बाकू उत्पाद या मनःप्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

धारा 78. किसी बालक का किसी मदिरा लिकर, स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय–विक्रय, उसे साथ रखने, उसकी आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग किया जानाः–

जो कोई किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक औशधि, मनःप्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय–विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग करेगा, यह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रूपए के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

धारा 79. किशोर बालक कर्मचारी का शोषण

तत्समय पवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो कोई किसी नियोजन के प्रयोजन के लिए बालक को दृश्यमानतः लगाएगा या उसे बंधुआ रखेगा या उसके उपार्जनों के निर्धारित करेगा या उसके उपार्जन को अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए उपयोग में लेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी और एक लाख रूपये के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजन के लिए ''नियोजन'' पद के अंतर्गत माल और सेवाओं का विक्रय और आर्थिक लाभ के लिए लोक स्थानों में मनोरंजन करना भी आएगा।

धारा 80. निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किये बिना दत्तकग्रहण के लिए उपचारः–

यदि कोई व्यक्ति अथवा संगठन इस अधिनियम के अधीन निर्धारित प्रावधानों अथवा प्रक्रियाओं का पालन किये बिना दत्तग्रहण के प्रयोजनार्थ किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को प्रस्तावित करता है या देता है या प्राप्त करता है तो ऐसा व्यक्ति या संगठन या तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जो तीन वर्ष तक हो सकता है या एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से या दोनों से दण्डनीय होगाः

परंतु ऐसे मामले में जहां अपराध किसी मान्यता प्राप्त दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा किया जाता है, दत्तकग्रहण अभिकरण के भारसाधक और दिन–प्रतिदिन कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर अधिनिर्णीत उपरोक्त दंड के अतिरिक्त, ऐसे अभिकरण का धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और धारा 65 के अधीन उसकी मान्यता को भी कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वापस ले लिया जाएगा।

धारा 82. शारीरिक दंड :–

(1) किसी बालक देखरेख संस्था का भारसाधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति, जो किसी बालक को अनुशासनबद्व करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बालक को शारीरिक दंड देगा, वह प्रथम दोषसिद्धि पर दस हजार रूपए के जुर्माने से या दोनों से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट संस्था में नियोजित कोई व्यक्ति, उस उपधारा के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध होता है तो ऐसा व्यक्ति सेवा से पदच्युति का भी दायी होगा और उसे उसके पश्चात् प्रत्यक्षतः बालकों के साथ कार्य करने से विवर्जित कर दिया जाएगा।

(3) ऐसे मामले में, जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संस्था में किसी शारीरिक दंड की रिपोर्ट की जाती है और ऐसी संस्था का प्रबंध तंत्र किसी जांच में सहयोग नहीं करता है या समिति या बोर्ड या न्यायालय या राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं करता है, वहां ऐसी संस्था के प्रबंधतंत्र का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी और वह जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

धारा 83. उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोगः–

(1) कोई गैर–राज्यिक स्वयं भू उग्रवादी समूह या दल, जिसकी केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में पहचान की गई है, यदि किसी प्रयोजन के लिए किसी बालक की भर्ती करता है या उस उपयोग करता है, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और पांच लाख रूपये के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) कोई वयस्क या कोई वयस्क समूह, बालकों का व्यक्तिक रूप से या किकसी गैंग के रूप में अवैध कार्यकलापों के लिए उपयोग करता है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास का, जो सात वर्ष त की हो सकेगा, का दायी होगा और पांच लाख रूपये के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 84. बालक का व्यपहरण और अपहरणः–

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 359 से धारा 369 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित किसी ऐसे बालक या अवश्यस्क का लागू होंगे जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और तद्नुसार सभी उपबंधों का अर्थान्वयन किया जाएगा।

धारा 85. निःशक्त बालकों पर किए गए अपराधः–

जो कोई इस अध्याय में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध को, किसी बालक पर, जिसे किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा इस प्रकार निःशक्त रूप में प्रमाणित किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दोहरी शास्ति का दायी होगा।

स्पष्टीकरणः– इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, ''निःशक्तता'' पद का वही अर्थ होगा जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (झ) में दिया गया है।

धारा 86. अपराधों का वर्गीकरण और अभिहित (नामोदिष्ट) न्यायालयः–

धारा 86. अपराधों का वर्गीकरण और अभिहित न्यायालय :– (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, वहां ऐसा अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक किन्तु सात वर्ष से कम है, वहां ऐसा अपराध असंज्ञेय और अजमानतीय होगा।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध तीन वर्ष से कम के कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय है, वहां ऐसा अपराध असंज्ञेय और अजामनतीय होगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2012 अधिनियम, 2005 (2006 का 4) अथवा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अपराध बालक न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।

धारा 87. दुष्प्रेरण :–

जो कोई इस अधिनियम के अधीन अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दष्प्रेरित कृत्य कर दिया जाता है वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित होगा।

स्पष्टीकरण :– दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया कोई कृत्य या अपराध तब माना जाएगा जब वह उकसाने के परिणामस्वरूप या षडयंत्र के अनुसरण में या ऐसी सहायता से, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है, किया जाता है।

धारा 88. वैकल्पिक दंड :–

जहां कोई कार्य या लोप कोई ऐसा अपराध गठित करता है जो इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय है, वहां ऐसी किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसी विधि के अधीन ऐसे दंड का भागी होगा, जो ऐसे दंड का उपबंध करता है जो मात्रा में अधिक है।

बालक की आयु के निर्धारण की प्रक्रिया

धारा 94. आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारणः–

(1) जहां बोर्ड या समिति की, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न) उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति उपसंजाजि के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति बालक है तो समिति या बोर्ड बालक की यथासंभव सन्निकट आयु का कथन करते हुए ऐसे संप्रेक्षण को अभिलिखित करेगा और आयु की और अभिपुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना यथास्थिति, धारा 14 या धारा 36 के अधीन जांच करेगा।

(2) यदि समिति या परिषद के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार हैं कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो यथास्थिति, समिति या बोर्ड निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा–

(i) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण–पत्र या संबंधित परीक्षाबोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण–पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में,

(ii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण–पत्र;

(iii) उपरोक्त ;पद्ध और ;पपद्ध के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगाः

परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष इस प्रकार लाए गए व्यक्ति की अभिलिखित आयु, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जाएगी।

बालकों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में प्रक्रिया

नियम 54. बालकों के विरूद्ध अपराधों के मामले में प्रक्रिया –

(1) किसी बालक के विरूद्ध अपराध की शिकायत बालक, परिवार, संरक्षक, बालक के मित्र अथवा अध्यापक, चाइल्ड लाइन सेवा अथवा किसी व्यक्ति अथवा संबंधित संगठन द्वारा की जा सकती है।

(2) किसी बालक के विरूद्ध संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना की प्राप्ति पर, पुलिस तुरंत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (प्रा0सू0रि0) दर्ज करेगी।

(3) किसी बालक के विरूद्ध गैर–संज्ञेय अपराध की सूचना की प्राप्ति पर, पुलिस को दैनिक बही में प्रविष्टि करेगी जिसे तुरंत संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 155 की उप–धारा (2) के अधीन सीधी उचित कार्यवाही करेगा।

(4) बालक के विरूद्ध अपराधों के सभी मामलों में, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई प्रतिबद्ध अपराध यथास्थिति विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण, समिति अथवा बोर्ड, सहित, किसी बाल देखभाल संस्था द्वारा किया जाता है, तो बाल अथवा में विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण में पूर्व में रखे गए बालकों के साथ रखने तथा ऐसी संस्था अथवा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण में पूर्व में रखे गए बालकों के साथ रखने तथा ऐसी संस्था अथवा अभिकरण की मान्यता को हटाने तथा रजिस्ट्रीकरण को निरस्त करने की सिफाारिश करने के लिए उपर्युक्त आदेश कर सकता है।

(6) जहां इस अधिनियम तथा नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए प्र0सू0रि0 विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण सहित किसी बाल देखभाल संस्था में कार्यरत व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज की जाती है तो ऐसे किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान बालकों सहित प्रत्यक्ष रूप से काम से निकाला जाएगा।

(7) जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम और नियमों के अधीन सेवा से पदच्युत किया गया हो अथवा दोषी पाया गया हो, उसे नियुक्ति से अयोग्य ठहराया जाएगा।

(8) किसी भी मामले में किसी बालक को पुलिस हवालात अथवा जेल बंद नहीं किया जाएगा।

(9) बालक और उसके परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन परा–विधिक स्वयंसेवक सुलभ कराए जाएंगे।

(10) भोजन, कपड़े, आपातालीन चिकित्सा सेवा, परामर्श, मनोचिकित्सक सहायता की जरूरतों के संबंध में बालक की तात्कालिक आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाएगा तथा इन्हें पुलिस स्टेशन में बालक को तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) जब कोई बालक यौनिक शोषण के अध्यधीन हो, बालक को नजदीक के यथास्थिति जिला अस्पताल अथवा वन–स्टाप क्रासिस सेंटर, यदि स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, भेजा जा सकता है।

(12) बालकों की प्रतीक्षा के लिए तथा अपना बयान और साक्षात्कार देने वाले बालकों के लिए पृथक स्थल की सुविधा सहित प्रत्येक न्यायालय परिसर में विशेष बाल कक्ष; पृथक प्रवेश, जहां संभव हो; जहां कहीं संभव हो बालकों से बातचीत के लिए वीडियो कानफ्रेंसिंग; पुस्तकें, खेलों आदि जैसे बालकों के मनोरंजन का प्रावधान किया जाए। पीड़ित बालकों की सुनवाई अथवा साक्ष्य के अलावा बयान और साक्षात्कार बाल कक्ष में बाल अनुकूल प्रक्रिया के माधयम से अभिलिखित किए जाएंगे।

(13) निम्नलिखित शर्तों को सुनिश्चित करते हुए पीड़ित व्यक्ति/साक्षी बालक का कथन अथवा साक्षात्कार लिया जाएगाः

(i) मजिस्ट्रेट बालक के कक्ष अथवा यदि संभव हो, गृह अथवा संस्था जहां वह रह रहा है बालक के आवास स्थल में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन बालक का कथन अभिलिखित करेगा।

(ii) बालक द्वारा दिए गए अनुसार कथन अक्षरशः अभिलिखित किया जाएगा।

(iii) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार, ऑडियो–वीडियो साधनों द्वारा भी कथन अभिलिखित किया जा सकता है।

(iv) माता–पिता अथवा संरक्षक अथवा सामाजिक कार्यकर्ता बालक के साथ होंगे।

(14) विधिक सेवा प्राधिकरण सुनवाई पूर्व परामर्श देने बालक के कथन को अभिलिखित करने हेतु एक सहायक व्यक्ति अथवा परा–विधिक स्वयं सेवक उपलब्ध करा सकता है तथा बालक के कथन को अभिलिखित करने के लिए बालक का साथ देने हेतु जो अग्रिम रूप में न्यायालय तथा न्यायालय पर्यावरण से बालक को परिचित कराएगा, तथा जहां बालक को न्यायालय आने के अनुभव से व्याकुल हुआ पाया जाता है तो सहायक व्यक्ति अथवा परा–विधिक स्वयं सेवक अथवा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बालक की ओर से दिए गए आवेदन पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है।

(15) यदि बाल पीड़ित अथवा साक्षी जिले अथवा राज्य अथवा देश से संबंधित नहीं हैं, बालक का कथन अथवा साक्षात्कार अथवा अभिसाक्ष्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी अभिलेख किया जा सकता है।

(16) जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग संभव नहीं है, सभी आवश्यक आवास, बाल के लिए यात्रा व्यय तथा बालक का साथ देने के लिए संरक्षक को राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथार्थ के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

(17) बाल साक्षियों के साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक न्यायालय परिसर में अति संवेदनशील साक्षियों के लिए पृथक कमरे अभिहित किए जाएंगे।

(18) जहां तक संभव होगा, बालक से संबंधित सुनवाई के दौरान, बाल अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन किया जाएगाः

(i) माता–पिता अथवा संरक्षक (कों) हर समय (क्योंकि बालक के सर्वोतम हित में है) बालक के साथ रहेंगे। यदि उक्त व्यक्ति हितों की अनदेखी करता है, तो बालक की पसंद पर अन्य व्यक्ति अथवा उपयुक्त व्यक्ति अथवा अभिज्ञात उपयुक्त संस्था का प्रतिनिधि अथवा समिति अथवा न्यायालय द्वारा नियुक्त मनोचिकित्सक न्यायालय के अनुमोदन से हर समय बालक के साथ रहेगा।

(ii) जहां कहीं आवश्यक होगा बालक को मनोचिकित्सकीय परामर्श को उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) ऐसी स्थिति में जहां माता–पिता अथवा संरक्षक अपराध में लिप्त हैं अथवा जहां बालक ऐसे किसी स्थान पर रह रहा हो जहां बालक को और अधिक आघात लगने का जोखिम हो, तो इसे न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है अथवा स्वयं अपने प्रस्ताव पर न्यायालय बालक को ऐसी अभिरक्षा अथवा देखभाल से बाहर लाए जाने अथवा ऐसी स्थिति से निकालने के लिए निर्देश देगा तथा बालक को तुरंत समिति के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iv) बालक के साथ अपराधों के संबंध में पीड़ित की आयु के निर्धारण हेतु, अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम की धारा 94 के अधीन बोर्ड तथा समिति हेतु अधिदेशित इन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

(v) उपयोग की गई भाषाओं से बालक को परिचित कराया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो अनुवादक तथा विशेष शिक्षा देने वाले उपलब्ध कराए जाएंगे।

(vi) बालक का बयान अभिलेख करने से पूर्व, न्यायालय सुनिश्चित करें कि बाल स्वैच्छिक बयान की देने में समर्थ है।

(vii) एकमात्र, बालक की आयु के आधार पर सुनवाई में साक्ष्य के रूप में बालक के किसी बयान की उपेक्षा न की जाए।

(viii) बालक के साक्षात्कार में अनुमेय इमेज अथवा बयान बालक के मानसिक अथवा शारीरिक हित के प्रति नुकसानदायक नहीं होने चाहिए।

(ix) साक्षात्कार में अनुमेय प्रश्न, साक्षात्कार का समय बालक को भारस्वरूप न लगे तथा बालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयुक्त हो।

(x) छोटे बालकों अथवा अन्यत्र अक्षम बाल के मामले में, बातचीत के वैकल्पिक तौर तरीके तथा साक्ष्य संग्रहण जिसमें डॉट–डपट करना कम हो, अंगीकार किए जाने चाहिए।

(xi) न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर बालक दोषी के सम्मुख न आए।

(xii) गवाए गए दिनों हेतु स्कूल से विशेष अनुमति तथा उपचारात्मक कक्षाओं के लिए प्रबंध स्कूल प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किए जाएं।

(19) बालक को, जैसा की मामला हो, का प्रतिनिधित्व–

(i) उसकी पसंद के वकील, अथवा

(ii) पब्लिक प्रोसिक्युटर, अथवा

(iii) विधायी सेवा प्राधिकरण द्वारा तय किए गए अथवा पैनल में रखे गए वकील द्वारा।

(20) न्यायालय के समस्त कार्मिकों तथा संबंधित अन्य में बालकों की विशेष जरूरतों तथा बाल अधिकारों पर संचेतना पैदा की जाए।

(21) सुनवाई की प्रक्रिया के उपरान्तः

(i) बालक अथवा संरक्षक को न्यायिक कार्यवाही के निर्णय तथा इसके प्रस्ताव की सूचना दी जानी चाहिए।

(ii) बालक अथवा संरक्षक को उनके विधायी विकल्पों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए।

नियम (55) अधिनियम की धारा 75 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया :–

(1) इस अधिनियम की धारा 75 तथा इस नियम के प्रयोजनार्थ, किसी बालक का विवाह करना बालक के साथ क्रूरता समझा जाएगा। विवाह किए जाने वाले बालक के जोखिम की सूचना की प्राप्ति पर, पुलिस अथवा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का 6) के अधीन कोई अधिकारी बालक को उपयुक्त निर्देशों तथा पुनर्वास उपायों के लिए समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

(2) जहां किसी बालक के साथ क्रूरता का कार्य किसी बाल देखरेख संस्था, अथवा किसी स्कूल में अथवा बालक को रखे गए किसी देखभाल और संरक्षण के किसी स्थान पर होता है तो बालक के सर्वोतम हित को समझते हुए बालक के लिए वैकल्पिक पुनर्वास उपलब्ध कराएगा।

(3) तुरंत चिकित्सा अवधान की अपेक्षा बाल अधिनियम के अधीन आने वाले बालक को इस संबंध में बोर्ड अथवा समिति द्वारा दिए गए निर्देश पर किसी अस्पताल अथवा क्लीनिक अथवा सुविधा के अधीन निःशुल्क अपेक्षित चिकित्सा देखभाल और उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने में हुई विफलता जिसके कारण गंभीर चोट, अनिवर्त्य क्षति अथवा जीवन जाने की आशंका अथवा मृत्यु हुई हो बालक के प्रति जान बूझकर की गई लापरवाही समझा जाएगा तथा विस्तृत जांच के बाद बोर्ड अथवा समिति के निर्देश पर अधिनियम की धारा 75 के अधीन क्रूरता के समतुल्य होगा।

नियम 56. अधिनियम की धारा 77 के अधीन अपराध की दशा में प्रक्रिया :–

(1) जब कभी कोई बालक मदान्ध करने वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थों अथवा मनःप्रभावी पदार्थों अथवा तम्बाकू उत्पादों के प्रभाव में अथवा लत में, बिक्री के प्रयोजनार्थ सहित, पाया जाता हो, तो पुलिस इस बात की जांच करेगी कि बालक जिस प्रकार से ऐसे मदान्ध करने वाली शराब अथवा लत पड़ी तथा तुरंत प्र0सू0रि0 दर्ज करेगी।

(2) वह बालक जिसको स्वापक नशीले पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ का सेवन कराया गया है अथवा इसके प्रभाव में आया पाया जाता है, उसे या तो बोर्ड या समिति, यथास्थिति, के सम्मुख प्रस्तुत

किया जाए तथा बोर्ड या समिति बालक के पुनवार्स तथा नशे को छुड़ाने के संबंध में उचित आदेश पारित करेगी।

(3) यदि कोई बाल मदान्ध करने वाली शराब अथवा तम्बाकू उत्पादों का आदि पाया जाता है, बालक को समिति के सम्मुख पेश किया जाएगा जो बालक की नशे की लत छुड़ाने और इस प्रयोजन के लिए, अभिज्ञात उपयुक्त सुविधा में बालक के स्थानांतरण सहित पुनर्वास के लिए निर्देश पारित करेगी।

(4) यदि कोई बाल मदान्ध करने वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा तम्बाकू उत्पाद किसी बाल देखभाल संस्था में लेते हुए पाया जाता है, तो बालक को तुरंत बोर्ड या समिति के सम्मुख पेश किया जाएगा। केवल उन मामलों को छोड़कर जहां बालक बोर्ड या समिति के सम्मुख पेश किए जाने की स्थिति में न हो तथा तुरंत चिकित्सा की जानी अपेक्षित हो।

(5) बोर्ड स्वयं या समिति से प्राप्त शिकायत पर तुरंत प्र0सू0रि0 दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी करेगा।

(6) बोर्ड अथवा समिति उन परिस्थितियां, जिनमें ऐसे उत्पाद बाल देखभाल संस्था में प्रविष्ट हुए तथा बालक तक पहुंच के बारे में जांच के उपयुक्त निर्देश भी जारी करेगी तथा चूक करने वाले पदाधिकारियों तथा बाल देखभाल संस्थान के खिलाफ उचित कार्यवाही की अनुशंसा करेगी।

(7) यथास्थिति, बोर्ड अथवा समिति बालक को किसी दूसरी बाल देखभाल संस्था में स्थानांतरण, जैसा भी मामला हो, के लिए भी निर्देश जारी करेगी।

(8) मदान्ध करने वाली शराब, तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को अपनी दुकान पर प्रमुख स्थान पर एक संदेश प्रदर्शित करना चाहिए कि किसी बालक को मदान्ध करने वाली शराब या तम्बाकू उत्पाद देना और बेचना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 7 वर्ष तक का सक्षम कारावास तथा एक लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

(9) सभी तम्बाकू उत्पाद और मदान्ध करने वाली शराब पर अवश्य की संदेश प्रदर्शित होना चाहिए कि किसी बालक को मदान्ध करने वाली शराब अथवा तम्बाकू उत्पाद देना और बेचना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

(10) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा मान्यता प्राप्त किसी बाल देखभाल संस्था के अथवा किसी समिति अथवा बोर्ड के कार्यालय के 200 मीटर के भीतर मदान्ध करने वाली शराब, स्वापक नशे के पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा तम्बाकू उत्पादों को देना अथवा बेचना इस अधिनियम की धारा 77 के अधीन अपराध समझा जाएगा।

नियम 57. अधिनियम की धारा 78 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया :–

(1) जब कभी कोई बालक मदान्ध करने वाली शराब, स्वापक नशीली दवाएं या मनःप्रभावी पदार्थ बेचता, ले जाता, आपूर्ति करता या तस्करी करता पाया जाता है तो पुलिस इस बात की जांच करेगी कि बालक पर कैसे और किसके संग मदान्ध करने वाली शराब, स्वापक नशीली दवाओं अथवा मनःप्रभावी पदार्थों की लत पड़ी तथा तुरंत प्र0सू0रि0 दर्ज करेगी।

(2) कोई बालक जो अधिनियम की धारा 78 के अधीन अपराध करने का अभिकथित है, उसे बोर्ड के सम्मुख पेश किया जाएगा, यदि बालक देखभाल और संरक्षण का जरूरतमंद है तो उसे बोर्ड, समिति के पास भेजेगा।

नियम 58. अधिनियम की धारा 80 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया :–

(1) जहां कोई अनाथ, परित्यक्त या छोड़ा गया बालक इस अधिनियम में यथा प्रदत्त प्रक्रियाओं और नियमों का अनुपालन किए बिना दत्तक ग्रहण के प्रयोजनार्थ पेश अथवा दिया अथवा लिया जाता है तो पुलिस स्व–प्रेरणा से अथवा इस संबंध में सूचना की प्राप्ति पर तुरंत प्र0सू0रि0 दर्ज करेगी।

(2) वह बालक जिसे दत्तक ग्रहण के प्रयोजनार्थ दिया अथवा लिया गया है, को तुरंत समिति के संम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा जो ऐसे बालकों को किसी विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण में रखने सहित बालक को पुनर्वास हेतु उचित निर्देश पारित करेगी।

(3) जहां कहीं किसी मान्यता प्राप्त विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा ऐसे किसी अभिकरण से संबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 80 के अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो समिति किसी अन्य बाल देखभाल संस्था अथवा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण में रखे गए बालकों को विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण में रखने हेतु भी उचित आदेश पारित कर सकती है।

नियम 59. अधिनियम की धारा 81 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया :–

(1) किसी बालक को बेचने अथवा खरीदने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस अविलंब प्र0सू0रि0 दर्ज करेगी।

(2) प्राधिकरण द्वारा तैयार दत्तक ग्रहण निनियमों के अधीन यथा अनुमति प्राप्त को छोड़कर दत्तक के विचार से किसी संबंधित दत्तकग्राही माता–पिता (ओं) अथवा बालक के माता–पिता अथवा संरक्षक अथवा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा दत्तक ग्रहण शुल्क अथवा सेवा प्रभार अथवा बाल देखभाल संमत्ति के विषय में कोई भुगतान अथवा परितोषिक देना या देने पर सहमत होना, प्राप्त करना अथवा प्राप्त करने पर सहमत होना इस अधिनियम की धारा 81 तथा इस नियम के अधीन अपराध समझा जाएगा।

(3) बेचने अथवा खरीदने के अध्यधीन कोई बालक अविलंब समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, जो उस बालक के पुनर्वास के लिए उचित आदेश पारित करेगी।

(4) जहां किसी माता–पिता अथवा बालक के संरक्षक अथवा वास्तविक प्रभार रखने वाले व्यक्ति अथवा बालक के अभिरक्षक द्वारा इस अधिनियम की धारा 81 के अधीन कोई अपराध किया जाता है। समिति यथास्थिति, किसी बाल देखभाल संस्था अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति के साथ, बालक को रखने के लिए उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(5) जहां विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा किसी अस्पताल अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह अथवा ऐसी किसी संस्था अथवा अभिकरण से संबद्ध व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 81 के अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो समिति ऐसी बाल देखभाल संस्था अथवा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा अस्पताल अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह में रखे गए अन्य बालकों को यथास्थिति किसी अन्य बाल देखभाल संस्था अथवा विशेषीकृत अभिकरण अथवा अस्पताल अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह, में रखने के उचित आदेश पारित कर सकती है।

(6) समिति, राज्य सरकार से अनुशंसा करेगी कि लागू समय के लिए किसी विधि के अधीन ऐसे अभिकरण या संस्था का रजिस्ट्रीकरण या मान्यता या ऐसे किसी अस्पताल या नर्सिंग होम या मातृत्व गृह या ऐसे संबद्ध व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण या लाइसेंस भी वापस लिया जाएगां

नियम 60. इस अधिनियम की धारा 82 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया :–

(1) इस अधिनियम की धारा 82 के अधीन बालक को शारीरिक दंड देने की शिकायत, बालक द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा दी जा सकती है।

(2) प्रत्येक बाल देखभाल संस्था शारीरिक दंड की शिकायतें प्राप्त करने के लिए अपने भवन में एक प्रमुख स्थल पर शिकायत पेटिका रखेगी।

(3) शिकायत पेटिका मास में एक बार जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी।

(4) ऐसी सभी शिकायतें बाल देखभाल संस्था के नजदीक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत प्रस्तुत की जाएंगी तथा तत्संबंधी प्रतियां बोर्ड या समिति को भेजी जाएंगी।

(5) न्यायिक मजिस्ट्रेट संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा मामले को जांच के लिए देगा तथा कोई शिकायत प्राप्त होने पर उचित उपाय करेगा।
(6) बोर्ड या समिति, बालक जिसने शिकायत की है अथवा जो शारीरिक दंड के अध्यधीन रहा है, के सर्वोतम हि में, उसे अन्य बाल देखभाल संस्था में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकती है।
(7) जहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि संस्था का प्रबंधन इस अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (3) के अधीन जांच में सहयोग अथवा न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, वहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या तो स्वयं अपराध का संज्ञान लेगा अथवा प्र0सू0रि0 के रजिस्ट्रीकरण का निर्देश देगा तथा संस्था के प्रबंधन के भार साधक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा।
(8) जहां बोर्ड अथवा समिति अथवा राज्य सरकार बाल देखभाल संस्था में शारीरिक दंड की किसी घटना के संबंध में संस्था के प्रबंधन को कोई निर्देश जारी करता है, प्रबंधन इनका पालन करेगा।
(9) गैर–अनुपालन के मामले में, बोर्ड स्वयं या समिति या राज्य सरकार की शिकायत पर इस अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (3) के अधीन प्र0सू0रि0 का प्रत्यक्ष रजिस्ट्रीकरण होगां
(10) जहां अथवा इस अधिनियम की धारा 82 की उपधारा 21(2) के अधीन कोई व्यक्ति सेवा से पदच्युत अथवा बालकों के साथ सीधे कार्य करने से विवर्जित किया गया हो, बालक को शारीरिक दंड देने के अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे इस अधिनियम तथा नियमों के अधीन आगे कहीं नियुक्ति से निर्हित होगा।

बालकों का संस्थागत प्रबन्धन

नियम 69. बालकों का संस्थागत प्रबंधनः–
क.– (1) प्रत्येक बालक को बाल देखरेख संस्था के अधिकारी या बालक को प्राप्त करने के लिए प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत् प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे प्राप्तकर्ता अधिकारी कहा जाएगा, प्राप्त किया जाएगा।
(2) प्राप्तकर्ता अधिकारी बालक की पहचान के संबंध में स्वयं का समाधान करेगा और किसी भी संदेह की दशा में, प्राप्तकर्ता अधिकारी तुरंत प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगा जो अविलंब बोर्ड या समिति को सूचित करेगा और बालक को बिना किसी देरी के बोर्ड या समिति के समक्ष पेश करेगा।
ख.– बाल देखरेख संस्था में आवास के प्रकार–
(1) कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामले में, बाल देखरेख संस्था में बालकों के आवास तीन प्रकार के हैंः
(i) संरक्षणात्मक अभिरक्षा;
(ii) रात भर का संरक्षणात्मक आवास;
(iii) पुनर्वास आवास।
(2) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के मामले में, बाल देखरेख संस्था में बालकों के आवास दो प्रकार के हैंः
(i) रात भर का संरक्षणात्मक आवास;
(ii) पुनर्वास आवास।
ग.– संरक्षणात्मक अभिरक्षा.–
(1) ऐसे आवास के लिए बोर्ड द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किया हुआ प्रपत्र 41 में संरक्षणात्मक अभिरक्षा कार्ड या बाल न्यायालय द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ अभिरक्षा वारंट अपेक्षित होता है।

(2) ऐसे आवास की अवधि बोर्ड या बाल न्यायालय यथा निदेशित या उनके द्वारा समय–समय पर यथा विस्तारित होगी।

(3) ऐसा आवास जांच के लंबन के दौरान होगा।

घ.– रात भर का संरक्षणात्मक आवास–

(1) ऐसे आवास का प्रयोजन बालक को आवास प्रदान करना और एक विकल्प प्रदान करके उसे पुलिस स्टेशन या किसी अन्य अनुपयुक्त स्थान पर पूरी रात रखने से निवारित करना है।

(2) ऐसा आवास रात के 20.00 बजे के बाद और अगले दिन 14.00 बजे तक हो सकता है।

(3) प्राप्त करने वाले अधिकारी को बाल कल्याण अधिकारी द्वारा रात भर के संरक्षणात्मक आवास के लिए भेजे गए लिखित आवेदन पर बालक को बाल देखरेख संस्था में एक रात के आवास की अनुमति दी जाएगी। आवेदन के साथि उन परिस्थितियों को जिनमें बालक को पकड़ा या पाया गया है और बालक की चिकित्सा स्थिति दर्शाने वाले सुसंगत दस्तावेजों ी प्रति होगी।

(4) बालक की पहचान के बारे में समाधान होने पर, प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा बालक को प्राप्त किया जाएगा और प्ररूप 42 तीन प्रतियों में भरा जाएगा। प्ररूप की एक प्रति बाल देखरेख संस्था के अभिलेख के रूप में रखी जाएगी, एक प्रति बाल कल्याण अधिकारी को दी जाएगी और तीसरी प्रति बोर्ड या संबंधित समिति को उनके अभिलेख के लिए अग्रेषित की जाएगी।

(5) बालक को अगले दिन प्ररूप में दिए गए समय पर बाल कल्याण अधिकारी के प्रभार में सौंप दिया जाएगा और प्ररूप की प्रति में उक्त बाल कल्याण अधिकारी से प्राप्ति ली जाएगी।

(6) यदि बाल कल्याण अधिकारी निर्दिष्ट समय पर बालक का प्रभार नहीं लेता है, बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे तथ्यों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट के साथ बालक कों संबंधित बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) यह टिप्पणी करते हुए कि बालक को रात भर के संरक्षणात्मक आवास के लिए प्राप्त किया गया है, बालक के ब्यौरे, प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे।

(8) बालक की शारीरिक रूप से तलाशी ली जाएगी और उसका सभी व्यक्तिगत सामान, यदि कोई पाया जाता है, बाल कल्याण अधिकारी को जिसने बालक को प्रस्तुत किया है, सौंप दिया जाएगा और वह सभी वस्तुओं का अभिग्रहण करेगा और ऐसे अभिग्रहण की एक प्रति प्राप्तकर्ता अधिकारी को देगा।

(9) बालक को, यदि वह भूखा है, तो उसकी प्राप्ति के समय पर ध्यान दिए बिना, खाने एवं पीने के लिए भोजन प्रदान किया जाएगा।

(10) बालक को यथास्थिति स्वागत शयनागार या पृथक्करण इकाई में, रात के लिए रखा जाएगा।

ड.– पुनर्वास आवास–

(1) बालक को ऐसे आवास के लिए समिति द्वारा बाल गृह में और बार्ड या बाल न्यायालय द्वारा विशेष गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जाएगा।

(2) बालक को प्रपत्र 14 में पुनर्वास कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें बालक के आवास की अवधि का उल्लेख होगा जब तक कि बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा उस संबंध में विशिष्ट आदेश के द्वारा अवधि को कम न किया गया हो।

च.– बालक को प्राप्त करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :–

(1) प्राप्तकर्ता अधिकारी बालक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखत प्रक्रिया का अनुपालन करेगाः

(i) बालक का पूरा व्यक्तिगत ब्यौरा प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा। पुनर्वास आवास के मामले में, बालक की रिहाई की तारीख भी लिखी जाएगी;

(ii) बालक को तलाशी की आवश्यकता और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद और शिष्टता और सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए उसकी तलाशी ली जाएगी और सभी व्यक्तिगत सामान का इन नियमों के नियम 72 में यथा उल्लिखित रीति से निपटान किया जाएगा। बालिका की तलाशी महिला कर्मचारी द्वारा ही ली जाएगी;

(iii) बालक को, यदि वह भूखा है, उसकी प्राप्ति के समय पर ध्यान दिए बिना, खाने एवं पीने के लिए भोजन प्रदान किया जाएगा;

(iv) बालक को खराब स्वास्थ्य, चोट, मानसिक बीमारी, रोग या व्यसन जिसके लिए तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाएगी;

(v) बालक को विशेषरूप से चिन्हित शयनागार या वार्ड या अस्पताल में, यदि उसके ऐसे संक्रामक या संचारी रोग से ग्रस्त होने की संभावना है जिसके लिए विशेष देखरेख और सावधानी की जरूरत है, विलग किया जाएगा;

(vi) बालक से परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होना, परिवार के सदस्यों से संपर्क करने जैसी किसी तत्काल और अविलंब आवश्यकता के बारे में पूछा जाएगा। प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा इसके बारे में एक टिप्पणी या यह तथ्य कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लिखा जाएगा और बाल कल्याण अधिकारी मामला कार्यकर्ता जिसको बालक सौंपा गया है, प्रस्तुत करेगा। वही टिप्पणी बालक की केस फाइल में भी रखा जाएगा।

(2) बाल देखरेख संस्था में प्राप्त किए गए प्रत्येक बालक को पहले चौदह दिनों तक इस प्रयोजन के लिए विशेषरूप से बनाए गए शयनागार में या पृथक्करण इकाई में रखा जाएगा ताकि बालक, बाल देखरेख संस्था के जीवन में समंजित हो सके।

छः– बालक को प्राप्त करने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः–

(1) यदि बालक रात में प्राप्त किया जाता है, उसी दिन या अगले दिन निम्नलिखित प्रक्रिया अपराई जाएगीः–

(i) बालक का फोटो लिया जाएगा। एक फोटो बालक की केस फाइल में रखा जाएगा और दूसरा बालक के ब्यौरे के साथ सूचक कार्ड में चिपकाया जाएगा। एक प्रति क्रमांकित एलबम में रखी जाएगी और फोटो की एक प्रति बोर्ड या समिति को भेजने के साथ–साथ जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी और इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी;

(ii) बालक को स्नान कराया जाए और उसे साफ कपड़े प्रदान किए जाएं। देखरेखकर्ता इन नियमों के नियम 30 के अनुसार बालक को प्रसाधन वस्तुएं, कपड़ों का नया सैट, बिस्तर और अन्य सामग्री एवं उपकरण देगा, जिनकी एक सूची उसकी केस फाइल में रखी जाएगी। सामानों की इन नियमों के नियम 30 के अनुसार समय–समय पर पुनःपूर्ति की जाएगी;

(iii) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता नए भर्ती किए गए प्रत्येक बालक को बाल देखरेख संस्था और इसके कार्यकरण से, विशेषकर निम्नलिखित क्षेत्रों से, परिचित कराएगा–

(क) व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई;

(ख) बाल देखरेख संस्था का अनुशासन और आचरण संहिता;

(ग) दैनिक नियमित कार्यलाप और सहजात वार्तालाप; और

(घ) बाल देखरेख संस्था में अधिकार, उत्तरदायित्व और कर्तव्य।

(iv) बालक का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा जो बालक के स्वास्थ्य की स्थिति और उसके शरीर पर कोई घाव या चिह्न और कोई अन्य टिप्पणी जिसे चिकित्सा अधिकारी ठीक समझे, को अभिलिखित करेगा और जिसकी एक प्रति बालक के चिकित्सा अभिलेख में रखी जाएगी;

(v) प्रभारी अधिकारी द्वारा बालक को बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता समानुदेशित करेगा।

गुमशुदा बालकों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

नियम 92. गुमशुदा बालक के बारे में जांचः–

(1) गुमशुदा बालक एक ऐसा बालक है जिसके ठिकाने की उसके माता–पिता, कानूनी अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को जिसे बालक की अभिरक्षा विधिक रूप से सौंपी गई है, गायब होने की परिस्थितियां या कारण कुछ भी हों, जानकारी नहीं है और उसे जब तक ढूंढ नहीं लिया जाता है या उसकी सुरक्षा और कल्याण को स्थापित नहीं किया जाता है, गुमशुदा और देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाएगा।

(2) जब किसी बालक के बारे में जो गुमशुदा है, शिकायत प्राप्त होती है, पुलिस तत्काल एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी।

(3) पुलिस बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करेगी और बालक को खोजने के लिए त्वरित कार्यवाही के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई को प्रथम सूचना रिपोर्ट अग्रेषित करेगी।

(4) पुलिस निम्नलिखित करेगीः

(i) गुमशुदा बालक का नवीनतम फोटोग्राफ प्राप्त करेगी और जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई, गुमशुदा व्यक्ति दल, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो/मीडिया आदि के लिए प्रतियां बनाएंगी;

(ii) नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्ररूप भरेगी;

(iii) विशेष रूप से बनाए गए गुमशुदा व्यक्ति सूचना प्रपत्र को भरेगी और तत्काल गुमशुदा व्यक्ति दल, जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य संबंधित संस्थाओं को भेजेगी,

(iv) नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रासंगिक सूचना अपलोड करने के बाद गुमशुदा बालक के माता–पिता या अभिभावक के पता और संपर्क फोन नम्बरों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति डाक/ई–मेल द्वारा निकटवर्ती विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगी;

(v) गुमशुदा बालक के फोटो और शारीरिक ब्यौरे के साथ पर्याप्त संख्या में बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं को प्रकाशन के लिए भेजने के लिए तैयार करेगी;

(vi) गुमशुदा बालक के फोटो और ब्यौरे को (क) प्रमुख समाचार पत्रों (ख) टेलीविजन/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया (ग) स्थानीय केबल टेलीविजन नेटवर्क और सोशल मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित कर व्यापक प्रचार–प्रसार करेगी और बाद में बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत करेगी;

(vii) लाउड स्पीकरों के उपयोग और बालक की गुमशुदगी की सूचनाओ का वितरण करके और प्रमुख स्थानों पर चस्पा करके आस–पास के क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करेगी। सूचना को लोगों में फैलाने के लिए सोशल नेटवर्क पोर्टलों, संक्षिप्त संदेश सेवा अलर्ट और सिनेमा घरों में स्लाइडों का उपयोग किया जा सकता है;

(viii) शहर और कस्बे के लिए सभी केंद्रों अर्थात् रेलवे स्टेशनों, बस स्टेण्डों, हवाई अड्डों, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं का वितरण;

(ix) रूचि के क्षेत्रों और स्थानों जैसे कि सिनेमा घरों, शॉपिंग मालों, पार्कों, मनोरंजन पार्कों, गेम्स पार्लरों में खोजना और ऐसे क्षेत्रों को जहां गुमशुदा और भाग के गए बालक बार–बार आते–जाते हैं, अभिनिर्धारित करना और उन पर नजर रखना;

(x) उस क्षेत्र के, जहां से बालक गुमशुदा होने की सूचना मिली है, आस–पास के क्षेत्र में और सभी संभावित मार्गों और बस स्टैण्डों रेलवे स्टेशनों जैसे परागमन गंतव्य बिन्दुओं और अन्य स्थानों पर लगे क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरों की रिकार्डिंग को स्कैन करेगी;

(xi) निर्माणाधीन स्थलों, अनुप्रयुक्त भवनों, अस्पतालों और औषधालयों, चाइल्ड लाइन सेवाओं, और अन्य स्थानीय पहुंच कार्यकर्ताओं, रेलवे पुलिस, और अन्य स्थानों पर पूछताछ करना;

(xii) गुमशुदा बालकों के ब्यौरे पड़ोसी राज्यों के जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो और सीमावर्ती पुलिस थानों के थाना अधिकारियों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी पुलिस चौकियों के प्रभारियों को भेजेगी और संबंधितों से नियमित वार्तालाप करेगी ताकि अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

(5) जहां बालक को चार मास की अवधि के भीतर खोजा नहीं जा सकता है, मामले के अन्वेषण को जिला की मानव अवैध व्यापार रोधी इकाई को हस्तांतरित किया जाएगा जो अन्वेषण में हुई प्रगति के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकारण को प्रत्येक तीन मास में रिपोर्ट भेजेगा।

(6) जब बालक को खोज लिया जाता हैः

(i) उसे उपयुक्त निदेश के लिए बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा;

(ii) पुलिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजेगी जो बालक और उसके परिवार को परामर्श और समर्थन सेवाएं प्रदान करेगा; और

(iii) पुलिस जांच करेगी कि क्या बालक के साथ इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है और यदि ऐसा है तो तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

(7) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए जांच की रीति के लिए उपयुक्त मानक प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार कर सकेगी।

भाग 3 मेडिकल संबंधी अपराध विधियॉ

गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

धारा 2 परिभाषाएं :–

(खक) **गर्भ उत्पाद** से गर्भाधान से जन्म होने तक विकास के किसी भी प्रक्रम पर गर्भधारण का कोई उत्पाद अभिप्रेत है, जिसमें अतिरिक्त भ्रूण–झिल्ली तथा भ्रूण या गर्भ सम्मिलित है;

(खख) **भ्रूण** से गर्भाधान के पश्चात् आठ सप्ताह (छप्पन दिन) के अंत तक कोई विकासोन्मुख मानव जीव अभिप्रेत है;

(खग) **गर्भ** से गर्भाधान या सृजन से अनुगामी सत्तावनवें दिन से प्रारंभ होकर (जिसमें कोई ऐसा समय अपवर्जित करके जिसमें उसका विकास निलंबित रहा हो) और जन्म पर समाप्त होने वाली इसकी विकास की अवधि के दौरान कोई मानव जीव अभिप्रेत है;,

(ग) **आनुवंशिकी सलाह केन्द्र** से रोगियों को आनुवंशिकी सलाह देने के लिए कोई संस्था, अस्पताल, परिचर्यागृह या कोई स्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

(घ) **आनुवंशिकी क्लिनिक** से अभिप्रेत है, कोई क्लिनिक, संस्था, अस्पताल, परिचर्यागृह या कोई स्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसका प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं करने के लिए उपयोग किया जाता है ।

स्पष्टीकरण––इस खंड के प्रयोजनों के लिए, आनुवंशिकी क्लिनिकष में कोई ऐसा यान सम्मिलित है जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर अथवा ऐसे अन्य उपस्कर का जो गर्भ के लिंग का अवधारण करने में सक्षम हो या किसी ऐसे वहनीय उपस्कर का जो गर्भावस्था के दौरान लिंग का पता लगाने के लिए या गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन के लिए समक्ष है, उपयोग किया जाता है;,

(ङ) **आनुवंशिकी प्रयोगशाला** से कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा स्थान भी है जहां आनुवंशिकी क्लिनिक से प्रसवपूर्व निदान–परीक्षण के लिए प्राप्त नमूनों का विश्लेषण या परीक्षण करने की सुविधाएं दी जाती है।

(ज) **बाल चिकित्सक विशेषज्ञ** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास बाल चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता है;

(झ) **प्रसवपूर्व निदान प्रक्रिया** से अभिप्रेत है सभी स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति विज्ञान संबंधी या चिकित्सा संबंधी प्रक्रियाएं, जैसे कि पराश्रव्य लेखन, भ्रूण दार्शिकी, गर्भधारण के पूर्व या पश्चात् लिंग चयन के लिए, किसी प्रकार के किसी विश्लेषण या प्रसवपूर्व निदान परीक्षण के लिए, किसी पुरुष या स्त्री के, उल्व–तरल, जरायु अंकुरिका, भ्रूण, रक्त या किसी अन्य टिशू या तरल का किसी आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक में भेजने के लिए नमूना लेना या निकालना,

(ट) **प्रसवपूर्व निदान परीक्षण** से किसी गर्भवती स्त्री या गर्भ उत्पाद के आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री अप्रसामान्यताओं या जन्मजात असंगतियों या हीमोग्लोबिन विकृतियों या लिंग सहलग्न रोगों का पता लगाने के लिए किया गया पराश्रव्य लेखन या उसके उल्व–तरल, जरायु अंकुरिका, रक्त या किसी टिशू या तरल का कोई परीक्षण या विश्लेषण अभिप्रेत है;

धारा 3.अनुवांशिक परामर्श केन्द्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला व अनुवांशिक क्लीनिक का विनियमन :– इस अधिनियम के लागू किये जाने के पश्चात्–

(1) कोई भी अनुवांशिक परामर्श केन्द्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला, अनुवांशिक क्लीनिक तब तक प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीकी का संचालन, या उसके साथ मदद करने की कार्य नहीं कर सकेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत नहीं है।

(2) कोई भी अनुवांशिकी सलाह केन्द्र या अनुवांशिकी प्रयोगशाला या अनुवांशिक क्लीनिक किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ऐसी अर्हताएँ जो विहित की जाएँ नहीं हैं नियोजित नहीं करेगा या नियोजित नहीं कराएगा या उसकी सेवाऐं नहीं लेगा।

(3) कोई भी पंजीकृत अनुवांशिक विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग विशेषज्ञ या अन्य कोई व्यक्ति प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीकी का स्वंय या किसी अन्य व्यक्ति की मदद या संचालन तकनीकी परीक्षण हेतु पंजीबद्ध स्थान के अलावा नहीं करेगा।

धारा 3क. लिंग चयन पर प्रतिषेध :– कोई व्यक्ति, जिसमे बंध्यता के क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ या विशेषज्ञों का दल सम्मिलित है, किसी स्त्री या किसी पुरूष या दोनों पर अथवा उनमें से किसी से या दोनों से लिए गये किसी टिशु, भ्रूण गर्भ उत्पाद, तरल या गेमीट पर स्वंय सहायता नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से सहायता नहीं लेगा।"

धारा 3ख. ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों, आदि को, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रकृत नहीं है, पराश्रव्य मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध :– कोई व्यक्ति ऐसे किसी आनुवांशिकी सलाह केन्द्र, अनुवांशिकी प्रयोगशाला या अनुवांशिक क्लीनिक या किसी अन्य व्यक्ति को जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पराश्रव्य मशीन, इमेजिंग मशीन या स्कैनर या भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए सक्षम किसी अन्य उपस्कर का विक्रय नहीं करेगा।}

धारा 4. इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर व पश्चात् – (1) किसी भी स्थान जिसमें पंजीकृत अनुवांशिक परामर्श केन्द्र या अनुवांशिक प्रयोग या अनुवांशिक क्लीनीक का प्रयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा या प्रयोग का कारण प्री–नेटल डायग्रोस्टीक तकनीकी के लिए संचालन के लिये, सिवाय खंड 5 (2) में विशिष्टतया खंड (3) में वर्णित शर्तों की संतुष्टी के प्रयोग में नहीं लायी जावेगी।

(2) प्रसूति पूर्व तकनीकी निम्नलिखित वर्णित उद्येश्यों के सिवाय प्रयोग में नहीं लायी जाऐगी–मुख्यतः–

(i) क्रोमासोल अनियमितता में ,

(ii) जेनेटिक मेटाबोलिक डिसिंस ,

(iii) हिमाग्लेबिन पोलियो ,

(iv) सेक्स लिंक्ड बीमारी ,

(v) कोनेजेनाटाइल अनियमितता में।

(vi) अन्य कोई अनियमितता या बीमारी जैसा कि केन्द्रीय पर्यवेक्षणीय मंडल द्वारा निर्दिष्ट की जावे।

(3) किसी प्रसवपूर्ण निदान – तकनीकी का उपयोग या परिचालन तभी किया जाएगा जब ऐसा करने के लिए अर्हित व्यक्ति का उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि निम्नलिखित किसी शर्त की पूर्ति हो गई है, अर्थात् :–

(i) गर्भवती स्त्री की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक है,

(ii) गर्भवती स्त्री के दो या दो से अधिक स्वतः गर्भपात हुए हैं या भ्रूण हानि हुई हो,

(iii) गर्भवती स्त्री,विभव विरूपजनकों, जैसे कि औषधियों, विकिरणों, संक्रमण या रसायनों से प्रभावित हुई है,

(iv) गर्भवती स्त्री या उसके पति के कुटुम्ब में मानसिक मंदता या शारीरिक विरूपता जैसे कि संस्तम्भता या किसी अन्य आनुवांशिक रोग का परिवार वृत्त है,

(v) कोई अन्य शर्त जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाऍ,

परन्तु किसी गर्भवती स्त्री पर पराश्रव्य लेखन करने वाला व्यक्ति क्लिनिक में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, उसका पूरा अभिलेख रखेगा और उसमें पाई गई कोई कमी या अशुद्धि धारा 5 या 6 के उपबन्धों का उल्लंघन मानी जाएगी जब तक कि ऐसा पराश्रव्य लेखन करने वाला व्यक्ति उसके विपरीत साबित नहीं कर देता है।

(4) कोई व्यक्ति जिसमें गर्भवती स्त्री का नातेदार या पति सम्मिलित है, खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय, उस पर किसी प्रसवपूर्व निदान–तकनीकी का उपयोग नहीं करायेगा या उसे प्रोत्साहित नहीं करेगा।

(5) कोई व्यक्ति जिसमे किसी स्त्री का कोई नातेदार या पति सम्मिलित है, उस स्त्री पर या उसके नातेदार या पति पर या दोनों पर किसी लिंग चयन करने वाली तकनीक का प्रयोग नहीं कराएगा या कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं करेगा।

धारा 5. गर्भवती महिला की लिखित सहमति तथा भ्रूण के लिंग के बारे में उसे संसूचना पर प्रतिबंध :– (1) कोई भी व्यक्ति धारा 3 के खण्ड दो में निर्दिष्ट उद्येश्यों के लिए प्री–नेटल डायग्नोस्टिक प्रक्रिया का संचालन नहीं करेगा, जब तक,–

(क) वह संबधित गर्भवती महिला के वह सभी ज्ञात पक्षों व प्रक्रिया के बारे के सभी पक्षों को स्पष्ट नहीं कर देता है।

(ख) वह इस प्रक्रिया में जानेवाली उस महिला की लिखित रूप से सहमति उस भाषा में जिसे वह जानती है, निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त नहीं कर लेता है।

(ग) खंड 5 (2) के अन्तगर्त लिखित रूप से प्राप्त सहमति की प्रति उस महिला को नहीं प्रदान कर देता है।

(2) कोई व्यक्ति जिसमें प्रसवपूर्व निदान– प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है, संबंधित गर्भवती स्त्री या उसके नातेदारों या किसी अन्य व्यक्ति को शब्दों, संकेतों द्वारा या किसी अन्य रीति से भ्रूण का लिंग संसूचित नहीं करेगा।}

धारा 6. लिंग के निर्धारण को प्रतिबंधित किया जाना :– इस अधिनियम के आरंभ पर–

(क) कोई भी अनुवांशिक परामर्श सलाह केन्द्र या अनुवांशिकी प्रयोगशाला या अनुवांशिक क्लीनिक का संचालन उसके केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लीनिक में प्रसूति पूर्व परीक्षण का प्रयोग लिंग के निर्धारण के लिए, जिसमें अल्ट्रा सोनोग्रीफी शामिल है, नहीं करेगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीकी जिसमें अल्ट्रा सोनोग्राफी सम्मिलित है, का संचालन भ्रूण के लिंग निर्धारण हेतु नहीं करेगा या करने का कारक नहीं बनेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, गर्भ धारण से पूर्व या उसके पश्चात् लिंग का चयन किसी भी ढंग से कारित नहीं करेगा या कारित करवाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।}

धारा 23. अपराध व शास्ति :– (1) कोई चिकित्सकीय अनुवांशिक विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पंजीकृत चिकित्सी व्यवसायी या कोई व्यक्ति जिसका स्वयं का अनुवांशिक परामर्श केन्द्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला या अनुवांशिक क्लीनिक या ऐसे अनुवांशिक परामर्श केन्द्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला या क्लीनिक को अपनी तकनीकी या व्यवसायिक सेवायें नियुक्ति प्रदान करता है चाहे ऐसा वह अवैतनिक या अन्यथा करता है, और इस अधिनियम के प्रावधान या किसी नियम का उल्लघंन करता है वह तीन वर्ष के कारावास से व दस हजार रूपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जावेगा तथा पश्चात्वर्ती दोषसिद्वि पर पांच वर्ष तक का कारावास तथा पचास हजार रूपये तक के कारावास से दंडित किया जावेगा।

(2)रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम समुचित प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए, जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, यदि न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए जाते हैं, और मामले के निपटाए जाने तक सिद्वदोष ठहराए

जाने पर उसके नाम को प्रथम अपराध के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए स्थायी रूप से परिषद् के रजिस्टर से हटाया जाना भी है, रिपोर्ट किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति जो किसी आनुवांशिक सलाह केन्द्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला या अनुवांशिक क्लीनिक या अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक या इमेजिंग क्लिनिक की या किसी अन्य व्यक्ति की, धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसवपूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए सहायता लेगा, प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह उपबंध किया जाता है कि धारा (3) के उपबंध ऐसी स्त्री को लागू नहीं होगें, जिसे ऐसी निदान तकनीक कराने या ऐसा लिंग चयन करने के लिए विवश किया गया हो।

धारा 25. अधिनियम या नियमों के उन प्रावधानों के उल्लंघन के लिये दंड जिनके उल्लंघन पर कोई दंड निर्दिष्ट नहीं है—जो कोई इस अधिनियम के किसी प्रावधान या किसी नियमों को बारे में उल्लघंन करेगा जिसके लिए स्पष्ट रूप से कोई दंड कहीं भी उपबंधित नहीं है, वह तीन माह तक के कारावास व अर्थ दंड से जो कि 1000 रूपये तक हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तथा लगातार उल्लंघन होने की दशा में 500 रूपये प्रतिदिन से जब तक ऐसा अपराध प्रथम अपराध के दोषसिद्ध होने की दशा में लगातार होता है।

मानव अंग एवं उतकों का प्रतिरोपण अधिनियम, 1994

धारा 18.बिना प्राधिकृति के मानव अंग निकालने के लिये दंड–(1) कोई भी व्यक्ति जो अपनी सेवायें किसी अस्पताल को जो कि प्रतिरोपण के उद्देश्य के लिए संचालन के साथ सहयुक्त या किसी भी रीति से मानव अंग बिना प्राधिकृत के देता है वह 10 वर्ष तक कारावास एवं जुर्माना जो 20 लाख रूपये तक का हो सकता से दंडीत किया जावेगा।

(2) जहां कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अन्तर्गत दंडित किया गया है और वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है, उसका नाम समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रमशः राज्य चिकित्सा परिषद् को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेगा जिसमें उसका प्रथम अपराध पर तीन वर्ष तक के लिए तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए स्थाई रूप से हटाया जाना सम्मिलित है ।

(3) कोई भी व्यक्ति अपनी सेवाऐं किसी अस्पताल को प्रदान करता है एवं जो बिना किसी अधिकार के मानव उतकों को निकाले जाने की प्रक्रिया स्वयं करता है अथवा सहयोगियों के साथ करता है अथवा ऐसा करने में कोई सहायता देता है तो वह उस दण्ड का दायी होगा जो कारावास के साथ है एवं जिसकी समयसीमा 3 वर्ष तक हो सकती है एवं साथ ही जुर्माना लगाया जा सकता है जो पांच लाख रूपये तक की सीमा का होगा।

धारा 19. मानव अंगों के व्यापारिक व्यवहार के लिए दंडः– जो कोई–

(क) जो कोई किसी मानव अंग के वितरण के लिए प्रस्ताव करता है या वितरण के लिए कोई भुगतान देता या प्राप्त करता है,

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता व प्राप्त करता है जो कि स्वेच्छा या किसी 1{मानव अंग अथवा उतक अथवा दोनों} को भुगतान पर वितरित करता है।

(ग) मानव अंग भुगतान पर वितरित करने के लिये प्रस्ताव करता है।

(घ) मानव अंग के वितरण के लिए प्रस्ताव या वितरण के लिये किसी भुगतान के प्रबंधन में सम्मिलित होकर वार्तालाप या प्रवर्तन करता है।

(ड.) किसी प्रबंधन या व्यक्तियों के समूह को नियोजित करता है चाहे वह एक सीमित फर्म या कंपनी हो जिसकी गतिविधियां जिसमें प्रवर्तन करना या वार्तालाप सम्मिलित हो जो कि खंड (घ) में निर्दिष्ट है।

(च) किसी विज्ञापन को प्रकाशित या वितरित करता है या प्रकाशन या वितरण का कारण बनता है, जो–

(क) व्यक्तियों को भुगतान पर मानव अंग वितरित करने हेतु नियंत्रित करता है।
(ख) कोई मानव अंग वितरित करने के लिए भुगतान पर प्रस्तावित करता है।
(ग) विज्ञापन कर्ता यह व्यक्त करता है कि वह स्वेच्छया खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रबंध के लिए प्रवर्तन या वार्तालाप दर्शाता है।

(छ) यह खंड ऐसे कूटकृत दस्तावेजों की प्रस्तुति एवं ऐसे कूटकृत दस्तावेजों के तैयार किये जाने पर रोक लगाती है तथा कूटकृत शपथ–पत्रों की प्रस्तुति पर रोक लगाती है जिन्हें कि यह स्थापित करने के लिए दिया गया हो कि दानदाता अपने मानव अंगों का दान एक करीबी रिश्तेदार के रूप में अथवा प्रेमस्वरूप अथवा अंगगृहिता के साथ लगाव के कारण कर रहा है कम से कम 5 वर्ष परन्तु जिसे 10 वर्ष तक बढाया जा सकता है एवं जुर्माने का दायी होगा जो 20 लाख रूपयों से कम ना हो परन्तु जिसे 1 करोड रूपये की सीमा तक बढाया जा सकता है}, से दंडित किया जा सकेगा।

धारा 19 क. मानव उतकों में अवैधानिक रूप से सौदे करने हेतु दण्डः– जो भी व्यक्तिः–

(क) किसी भी मानव उत्तक की आपूर्ति करके उसके पेटे किसी भी प्रकार का भुगतान करता है अथवा आपूर्ति करने का प्रस्ताव रखता है, अथवा

(ख) ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो भुगतान की ऐवज में कोई भी मानव उत्तक की आपूर्ति करने की इच्छा रखता हो, अथवा

(ग) भुगतान की ऐवज में किसी मानव उतक की आपूर्ति करने का प्रस्ताव रखता हो, अथवा

(घ) किसी मानव उत्तक की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव रखता हो अथवा ऐसी आपूर्ति के संबंध में किये जाने वाले भुगतान की व्यवस्था हेतु संलिप्त होते हुए उस भुगतान की प्रक्रिया को आरंभ करता है अथवा सौदेबाजी करता है, अथवा

(ड.) व्यक्तियों की किसी संस्था के प्रबंधन अथवा नियंत्रण में भाग लेता है अथवा किसी फर्म या कंपनी के प्रबंधन एवं नियंत्रण में भाग लेता है जिसकी गतिविधियों में उक्त खण्ड (घ) से संबंधित कोई व्यवस्थापन, आरंभ या सौदेबाजी सम्मिलित हैं, अथवा

(च) किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रकाशन या वितरण करवाता हो अथवा ऐसा प्रकाशन और वितरण स्वंय से करता हो जो कि :–

(i) किसी मानव उत्तक की आपूर्ति भुगतान के पेटे किसी व्यक्ति से आमंत्रित करता हो, अथवा

(ii) किसी भी मानव उतक की आपूर्ति भुगतान के पेटे प्रस्तावित करता हो, अथवा

(iii) यह इंगित करता हो कि विज्ञापनदाता अपनी स्वंय की इच्छा से खण्ड (घ) में संदर्भित किसी भी प्रकार का व्यवस्थापन का आरंभ अथवा सौदेबाजी करता हो, अथवा

(छ) यह खण्ड ऐसे कूटकृत दस्तावेजों की प्रस्तुति एवं कूटकृत दस्तावेजों के तैयार किये जाने पर रोक लगाती है तथा कूटकृत शपथ पत्रों की प्रस्तुति पर रोक लगाती है जिन्हें कि यह स्थापित करने के लिए दिया गया हो कि दानदाता अपने मानव अंगों का दान एक करीबी रिश्तेदार के रूप में अथवा प्रेमस्वरूप अथवा अंगगृहिता के साथ लगाव के कारण कर रहा है तो यह अपराध कम से कम 1 वर्ष के कारावास से दण्डनीय है परन्तु जिसे कि 3 वर्ष तक बढाया

जा सकता है एवं यह जुर्माने योग्य भी है जो कि राशि रूपये 5 लाख से कम ना हो परन्तु जिसे 25 लाख रूपये तक बढाया जा सकता है।}

धारा 20.इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के उल्लघंन पर दंड—जो कोई इस अधिनियम के किसी प्रावधान या किसी नियम या पंजीयन की किसी शर्त का उल्लघंन जिसके लिये पृथक रूप से कोई दंड इस अधिनियम में उपबंधित नहीं करता है तो 5 वर्ष अथवा जुर्माने के साथ जिसे कि 20 लाख रूपये तक विस्तारित किया जा सकता है, से दंडित किया जावेगा।

धारा 22.अपराधों का संज्ञान— (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम कि किसी अपराध का संज्ञान सिवाय परिवाद के नहीं लेगा।

(क) संबंधित समुचित प्राधिकारी या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस बारे में नियुक्त प्राधिकारी या जैसा भी मामला हो, समुचित प्राधिकारी,

(ख) एक व्यक्ति जिसने संबंधित समुचित प्राधिकारी को कम से कम 60 दिनों की अवधि का सूचना पत्र ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जावे दे दिया हो अभिकथित आरोपों के बारे में अपने आशय का परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

(2) मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से भिन्न कोई न्यायालय इस अधिनियम में वर्णित अपराध का विचारण नहीं कर सकेगा।

(3) जहां पर कि उपधारा (1) के खण्ड (2) के अन्तर्गत कोई परिवाद प्रस्तुत किया गया है ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है उपलब्ध करावेगा।

भाग 4 :– साधारण विधियों के बारे में

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

3.अत्याचार के अपराधों के लिए दंडः–(1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा।

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश–द्वारा पर मल–मूत्र, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा।

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पडोस में मल–मूत्र, कूडा, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा।

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्ध–नग्न घुमाएगा।

(ड.) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपडे उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मानव गरिमा के विरूद्व है।

(च) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आवंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित करा लेगा।

(छ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल नष्ट करेगा या उत्पाद को ले जाएगा।

स्पष्टीकरणः– खंड (च) और इस खंड के प्रयोजनों के लिए,"सदोष" पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(अ) व्यक्ति की इच्छा के विरूद्व,

(आ) व्यक्ति की सहमति के बिना

(इ) व्यक्ति की सहमति से, जहां ऐसी सहमति, व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके व्यक्ति हितबद्व है, मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर, अभिप्राप्त की गई है, या

(ई) ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को "बेगार" करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात्श्रम बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा।

(झ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु–शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा।

(ञ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन को अनुज्ञात करेगा।

(ट) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को, किसी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी, मूर्ति या पात्र के समर्पण को वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगाः

(ठ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को, निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा–

(क) मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने,

(ख) किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन फाइल न करने या ऐसे नामनिर्देशन को प्रत्याहृत करने या

(ग) किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नामनिर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेगें।

(ड.) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को, जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9 के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा,

(ढ) मतदान के पश्चात्, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से, निवारित करेगा, जो उसको प्राप्य हैं,

(ण) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्व इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा,

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्व मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाहियों संस्थित करेगा,

(थ) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए करेगा,

(द) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा,

(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौच करेगा

(न) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा सामान्यतया धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा।

स्पष्टीकरणः—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु" पद से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मूर्ति, फोटो और रंगचित्र है,

(प) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध शत्रुता घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या चिह्नों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा, अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा,

(फ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगा।

(ब) (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को साशय, यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य, लैंगिक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है,

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री के बारे में, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यों या अंगविक्षपों का उपयोग करेगा,

स्पष्टीकरणः— उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए, "सहमति" पद से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है, जब कोई व्यक्ति शब्दों, अंगविक्षेपों या अमौखिक संसूचना के किसी रूप में विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी की रजामंदी को संसूचित करता है,

परंतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री, जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में सहमति के रूप में नहीं माना जाएगा,

परंतु यह और कि स्त्री, अपराधी के साथ सहित, लैंगिक इतिहास, सहमति विवक्षितनहीं करता है या अपराध को कम नहीं करता है,

(भ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किसी स्त्रोत, जलाशय या किसी अन्य स्त्रोत के जल को दूषित या गंदा करेगा जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणतया उपयोग किया जाता है,

(म) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढिजन्य अधिकार से इंकार करेगा या ऐसे सदस्य को लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निवारित करने के लिए बाधा पहुंचाएगा जिसमें जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है,

(य) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोडने के लिए मजबूर करेगा या मजबूर करवाएगा :

परंतु इस खंड की कोई बात किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्यवाही को लागू नहीं होगी,

(यक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा,–

(क) किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या श्मशान–भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता, झरना, कुंआ, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सडक या मार्ग का उपयोग करना,

(ख) साइकिल या मोटर साइकिल आरोहण या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपडे पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोडे या किसी अन्य यान पर आरोहण करना,

(ग) जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या जाटरस सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना,

(घ) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तुएं,या

(ड) किसी वृत्तिक में व्यवसाय करना या किसी ऐसी उपजीविका, व्यापार, कारोबार या किसी नौकरी में नियोजन करना, जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है,

(यख) जादू–टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, या

(यग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।}

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है–

(i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा, और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढे हुए साक्ष्य के कारण फांसी दी जाती है तो देता है या गढता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा,

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा और गढेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा,

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय है,

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा,

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरूद्ध यह जानते हुए करेगा कि

ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है , वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा,

(vक) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरूद्ध, यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किये जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा, या

(vii) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।

धारा **4.कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड :–** (1) कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,–

(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को, सूचनाकर्ता को पढकर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना,

(ख) इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना,

(ग) इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान करना,

(घ) पीडित या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना,

(ड.) अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में साठ दिन की अवधि के भीतर आरोपपत्र फाइल करना तथा विलंब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना,

(च) किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को सही रूप से तैयार, विरचित करना तथा उसका अनुवाद करना,

(छ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना,

परन्तु लोक सेवक के विरूद्ध इस संबंध में आरोप, प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) लोक सेवक द्वारा उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा और लोक सेवक के विरूद्ध दांडिक कार्यवाहियों के लिए निदेश दिया जाएगा।

धारा 6.भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना :– इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5क, धारा 149 और अध्याय 23 के उपबन्ध, जहां तक हो सकें, इस अधिनियम के लिए उसी प्रकार लागू होगें जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

धारा 8. अपराधों के बारे में उपधारणा :– इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है कि :–

(क) अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तिय सहायता की है तो विशेष न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है,

(ख) व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है, और यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्येश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था।

(ग) अभियुक्त, पीडित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक अन्यथा साबित न हो, अभियुक्त को पीडित की जाति या जनजातिय पहचान का ज्ञान था।

धारा 18. अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना :– संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी।

धारा 18क. किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना :–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी, यदि आवश्यक हो, से पूर्व अन्वेषण अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी, संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होगें।

माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

धारा 2. परिभाषाएं– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
(क) **सन्तान** के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री और पौत्री सम्मिलित हैं किन्तु अवयस्क सम्मिलित नहीं है,
(ख) **भरण–पोषण** के अन्तर्गत भोजन, कपडे, निवास और चिकित्सकीय परिचर्या और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,
(ग) **अवयस्क** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे वयस्कता अधिनियम, 1875 (9 आफ 1875) के प्रावधानों के अधीन वयस्कता की आयु प्राप्त न करने वाला माना जाता है,
(घ) **माता–पिता** से ऐसे माता या पिता अभिप्रेत है, जो जैविक, दत्तकग्राही या सौतेला पिता या सौतेली माता, यथास्थिति, हों, चाहे पिता या माता वरिष्ठ नागरिक हैं या नहीं,
(ज) **वरिष्ठ नागरिक** से ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और जिसने साठ वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर ली है अभिप्रेत है,
धारा 4 :–माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषणः– (1) कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसके अन्तर्गत माता–पिता है, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन सम्पति में से स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है,–
(i) माता–पिता या दादा–दादी की दशा में उसके एक या अधिक बालकों के विरूद्व जो कोई अवयस्क नहीं है
(ii) किसी निःसंतान वरिष्ठ नागरिक की दशा में उसके ऐसे नातेदार के विरूद्व जो धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट हैं,
(2) किसी वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण करने के लिए, यथास्थिति, बालक या नातेदार की बाध्यता ऐसे नागरिकों की आवश्यकताओं तक विस्तारित होती है जिससे कि वरिष्ठ नागरिक एक साधारण जीवन व्यतीत कर सके।
(3) अपने माता–पिता का भरण–पोषण करने की बालक की बाध्यता, यथास्थिति, ऐसे माता–पिता, पिता या माता या दोनों की आवश्यकता तक विस्तारित होती है जिससे कि ऐसे माता–पिता एक साधारण जीवन व्यतीत कर सकें।
(4) कोई व्यक्ति जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है और उसके पास पर्याप्त साधन हैं, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण करेगा, परन्तु यह जब तक कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उसके कब्जे में है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को वसीयत में प्राप्त करता है जहाँ एक नातेदार से अधिक किसी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को वसीयत में प्राप्त करने के हकदार हैं, वह भरणपोषण ऐसे नातेदार द्वारा उस अनुपात में संदेय होगा जिसमें वे उसकी सम्पति को विरासत में प्राप्त करते है।

धारा 5. भरण पोषण के लिए आवेदन :– (1) धारा 4 के अधीन भरण पोषण के लिए आवेदन –
(क) यथास्थिति किसी वरिष्ठ नागरिक या किसी माता–पिता द्वारा किया जा सकेगा, या
(ख) यदि वह अशक्त है तो उसके प्राधिकृत किसी व्यक्ति या किसी संगठन द्वारा किया जा सकेगा, या
(ग) अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

धारा 7. लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध :– ऐसा कोई लोक सेवक जो,–

(क) किसी व्यक्ति से, इस आशय से कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या अधिगृहित करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है कि चाहे स्वयं उसके या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा किसी लोक कर्त्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेईमानी से किया जाए या करवाया जाए या ऐसे कर्त्तव्य के कार्यपालन को पूरा न किया जाए या न करवाया जाए, या

(ख) किसी लोक कर्त्तव्य का कार्यपालन अनुचित लाभ से या बेईमानी से, चाहे स्वयं के द्वारा या किसी अन्य किसी अन्य लोक सेवक द्वारा करने या करवाने या ऐसे कर्त्तव्य के कार्यपालन को पूरा न करने या न करवाने के लिए किसी व्यक्ति से किसी इनाम के रूप में कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, या

(ग) किसी लोक कर्त्तव्य का अनुचित लाभ से या बेईमानी से कार्यपालन करता है या किसी अन्य लोक सेवक को किसी लोक कर्त्तव्य का अनुचित रूप से या बेईमानी से कार्यपालन करने हेतु प्रेरित करता है या किसी व्यक्ति से कोई असम्यक् लाभ स्वीकार करने के परिणामस्वरूप या उसकी प्रत्याशा में ऐसे कर्त्तव्य का कार्यपालन करने से प्रविरत रहता है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 :– इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी असम्यक् लाभ को अभिप्राप्त करने के लिए सहमत होने, प्रतिगृहित करने या अभिप्राप्त करने से ही लोक सेवक द्वारा लोक कर्त्तव्य का पालन स्वयं अपराध का गठन करेगा, चाहे लोक सेवक द्वारा उसका कार्यपालन अनुचित रहा हो या न रहा हो।

दृष्टांत– एक लोक सेवक एस एक व्यक्ति, पी से उसके नाम राशन कार्ड आवेदन को समय से प्रक्रिया में लाने के लिए पांच हजार रूपये की रकम इसे देने को कहता है। एस इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण 2 :– इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(i) अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है पदों में ऐसे मामले सम्मिलित होंगे, जहां ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक सेवक होते हुए, स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए लोक सेवक या के रूप में अपने पद का दुरूपयोग करके या अन्य लोक सेवक पर निजी प्रभाव का प्रयोग करके या किन्हीं अन्य भ्रष्ट या अवैध साधनों के द्वारा कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

(ii) इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होते हुए वह असम्यक् लाभ सीधे या पर–पक्षकार के माध्यम से अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

धारा 7क. भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक् लाभ लेना – जो कोई भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को, स्वयं ऐसे लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा किसी लोक कर्त्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेईमानी से करने या करवाने या ऐसे कर्त्तव्य के कार्यपालन को पूरा न करने या न करवाने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई असम्यक् लाभ प्रतिगृहित करता है या अभिप्राप्त करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो सात वर्ष का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

धारा 8. किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध :– (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित आशय से किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को कोई असम्यक् लाभ देता है या देने का वचन करता है–

(i) किसी लोक सेवक को कोई लोक कर्त्तव्य अनुचित रूप से करने हेतु प्रेरित करने के लिए, या

(ii) किसी लोक सेवक को इस प्रकार किसी लोक कर्त्तव्य को अनुचित रूप से किए जाने के लिए इनाम देने हेतु, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा,

परन्तु इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां कोई व्यक्ति ऐसा असम्यक् लाभ देने के लिए विवश किया जाता है,

परन्तु यह और कि इस प्रकार विवश व्यक्ति ऐसा असम्यक् लाभ देने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर मामले की रिपोर्ट विधि प्रवर्तन प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को देगा,

परन्तु यह भी कि जहां इस धारा के अधीन अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है वहां ऐसा वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा।

दृष्टांत– कोई व्यक्ति पी लोक सेवक एस को, यह सुनिश्चित करने के लिए दस हजार की रकम देता है कि सभी बोली लगाने वालों में से उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए। पी इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण– इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि वह व्यक्ति, जिसे असम्यक् लाभ दिया गया है या देने का वचन दिया गया है वही व्यक्ति है जिसे संबंधित लोक कर्त्तव्य करना है या किया है और इस बात का भी कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा असम्यक् लाभ उस व्यक्ति को सीधे या किसी अन्य पक्षकार के माध्यम से पहुंचाया जाता है या पहुंचाने का वचन दिया जाता है।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, यदि इस व्यक्ति ने किसी विधि का प्रवर्तन करने वाले प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को सूचना देने के पश्चात् विधि का प्रवर्तन करने वाले ऐसे प्राधिकारी का अन्वेषण अभिकरण को पश्चात्वर्ती के विरूद्व अभिकथित अपराध से उसके अन्वेषण में सहायता करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक् लाभ देता है या देने का वचन देता है।

धारा 10. वाणिज्यिक संगठन के भारसाधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना :– जहां धारा 9 के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है, और न्यायालय में ऐसे अपराध का वाणिज्यिक संगठन के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया जाना साबित हो जाता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंध, सचिव या अन्य अधिकारी अपराध का दोषी होगा और अपने विरूद्व कार्यवाही किए जाने का दायी होगा तथा कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी फर्म के संबंध में निदेशक से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

धारा 12. अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड–जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो या नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी जो सात वर्ष तक बढाई जा सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

धारा 13. लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार :– (1) कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा–

(क) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कपटतापूर्वक दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है या

(ख) यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अवधि रूप से अपने आशय को समृद्व करता है।

स्पष्टीकरण 1. – किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि उसने अवैध रूप से अपने को साशय समृद्व बनाया है, यदि वह या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अपनी पदावधि के दौरान किसी समय अपनी आय के ज्ञात स्त्रोतों से अननुपातिक धनीय संसाधन या संपत्ति उसके कब्जे में है या रही है, जिसके लिए लोक सेवक समाधानप्रद रूप से हिसाब नहीं दे सकता है।

स्पष्टीकरण 2. – पद आय के ज्ञात स्त्रोत से किसी विधिपूर्ण स्त्रोत से प्राप्त आय अभिप्रेत है।

(2) कोई लोक सेवक जो आपराधिक अवचार करेगा ऐसे अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो चार वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा।

धारा 14. आभ्यासिक अपराधी के लिए दंड :– जो कोई जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया गया है, उसके पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगी।

धारा 15. प्रयत्न के लिए दंड :– जो कोई धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

धारा 17क लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्त्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ या अन्वेषण :– (1) कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित के पूर्वानुमोदन के बिना किसी ऐसे अपराध में कोई जांच या पूछताछ या अन्वेषण नहीं करेगा, जिसे इस अधिनियम के अधीन लोक सेवक द्वारा अभिकथित रूप से कारित किया गया है, जहां ऐसा अभिकथित अपराध लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्त्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय से संबंधित है –

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, संघ के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के,

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, किसी राज्य के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के,

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के,

परन्तु ऐसा कोई अनुमोदन किसी अन्य व्यक्ति को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए असम्यक् लाभ प्रतिगृहित करने या प्रतिगृहित करने का प्रयत्न करने के आरोप पर घटनास्थल पर ही गिरफ्तार करने संबंधी मामले में आवश्यक नहीं होगा,

परन्तु यह और कि संबद्व प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपने विनिश्चय की सूचना तीन मास की अवधि के भीतर देगा, जिसे लेखबद्व किए जाने वाले कारणों से उस प्राधिकारी द्वारा एक मास की और अवधि के लिए बढाया जा सकेगा।

धारा 19. अभियोजन पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता – (1) कोई न्यायालय धारा 7, धारा 11, धारा 13 और धारा 15 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, जिसकी बाबत यह अभिकथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का अधिनियम संख्यांक 1) में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा–

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के मामलों के संबंध में, नियोजित है और जो अपने पद से केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, केंद्रीय सरकार ;

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो राज्य के मामलों के संबंध में नियोजित है और जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, राज्य सरकार ;

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उसे उसके पद से हटाने के लिए, सक्षम प्राधिकारी।

परन्तु किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए ऐसी सरकार या ऐसे प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के लिए, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी को कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि,–

(i) ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अभिकथित अपराधों के बारे में, जिनके लिए लोक सेवक को अभियोजित किए जाने की ईप्सा की गई है, किसी सक्षम न्यायालय में कोई परिवाद फाइल न किया हो, और,

(ii) न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 203 के अधीन परिवाद खारिज न कर दिया हो और परिवादी को लोक सेवक के विरूद्व अभियोजन के लिए आगे कार्यवाही करने के लिए मंजूरी अभिप्राप्त करने का निदेश न दे दिया हो,
परन्तु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त होने की दशा में, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी, संबद्व लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना किसी लोक सेवक को अभियोजित करने के लिए मंजूरी नहीं देगा,

परन्तु यह भी कि समुचित सरकार या कोई सक्षम प्राधिकारी, इस उपधारा के अधीन किसी लोक सेवक के, अभियोजन के लिए मंजूरी की अपेक्षा करने वाले प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात्, उसकी प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उस प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय देने का प्रयास करेगा।

परन्तु यह भी उस दशा में जहां अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान करने के लिए कोई विधिक परामर्श अपेक्षित है वहां ऐसी अवधि को लेखबद्व किए जाने वाले कारणों से एक मास की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा,

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार किसी लोक सेवक के अभियोजन हेतु मंजूरी देने के प्रयोजन के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्वांत विहित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण :– उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, लोक सेवक पद में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित है–

(क) ऐसा व्यक्ति जिसने उस अवधि के दौरान जिसमें अभिकथित रूप से अपराध किया गया है, पदधारण करना बंद कर दिया था, या

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसने उस अवधि के दौरान जिसमें अभिकथित रूप से अपराध किया गया है, पदधारण करना बंद कर दिया था और वह उस पद से भिन्न कोई अन्य पदधारण कर रहा था, जब अभिकथित रूप से अपराध किया गया है।

(2) जहां किसी भी कारण से इस बाबत शंका उत्पन्न हो जाए कि उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित पूर्व मंजूरी केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा दी जानी चाहिए वहां ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध का किया जाना अभिकथित है।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित मंजूरी के न होने या उसमें कोई त्रुटि, लोप या अनियमितता होने के आधार पर निर्णय तब तक नहीं उल्टा या परिवर्तित किया जाएगा जब तक कि न्यायालय की राय में उसके कारण वास्तव में कोई अन्याय हुआ है ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को किसी प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी में किसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के आधार पर तब तक नहीं रोकेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के परिणामस्वरूप अन्याय हुआ है ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य आधार पर कार्यवाहियां नहीं रोकेगा और कोई न्यायालय किसी जांच, विचारण, अपील या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंर्तवर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन यह अवधारित करने में कि ऐसी मंजूरी के न होने से या उसमें किसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के होने से कोई अन्याय हुआ या नहीं, न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि क्या कार्यवाहियों के किसी पूर्वतर प्रक्रम पर आक्षेप किया जा सकता था और किया जाना चाहिए था या नहीं ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) त्रुटि के अंतर्गत मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की सक्षमता भी है ;

(ख) अभियोजन के लिए अपेक्षित मंजूरी के अंतर्गत इस अपेक्षा के प्रति निर्देश भी है कि अभियोजन किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की ओर से, या किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की मंजूरी से होगा या समतुल्य प्रकृति की कोई अपेक्षा भी

राजस्थान मृत्यु भोज निवारण नियम, 1961

नियम 2. व्याख्या :– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) **"अधिनियम"** से राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 अभिप्रेत है, और

(ii) **"संहिता"** से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) अभिप्रेत है,

नियम 3. निषेधाज्ञाएं जारी करना :– (1) सक्षम न्यायालय अधिनियम की धारा 5 के अधीन निषेधाज्ञा जारी करेगा–

(i) तुरन्त, जहां सरपंच, पंच, पटवारी या लम्बरदार से लिखित में सूचना प्राप्त की जाती है।

(ii) सूचना देने वाले व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा के पश्चात्, जहां ऐसी सूचना मौखिक रूप दी जाती है।

(2) ऐसी निषेधाज्ञा, जहां तक हो सके, इन नियमों से सलंग्नित प्ररूप में जारी की जायेगी, और पुलिस के जरिये सामान्य अनुक्रम में तामिल की जायेगी, जो उक्त निषेधाज्ञा के किसी उल्लंघन या अवज्ञा पर निगरानी रखेगा और रिपोर्ट करेगा, जहां सरपंच, पंच, पटवारी या लम्बरदार से लिखित सूचना की प्राप्ति पर निषेधाज्ञा जारी की जाती है वहां निषेधाज्ञा की प्रति उसके किसी उल्लंघन या अवज्ञा की रिपोर्ट करने के उसे निर्देश के साथ ऐसे सरपंच, पंच, पटवारी या लम्बदार को भी भेजी जा सकेगी।

नियम 4. अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (i) के अधीन सूचना :–अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सूचना में, संहिता की धारा 190 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अर्थ के भीतर शिकायत नहीं है, तो सक्षम मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 191 के प्रावधानों के अनुसार–

(i) जहां ऐसी सूचना लिखित में हो, वहां अभियुक्त के विरूद्ध प्रक्रिया जारी कर सकेगा और साथ ही साक्ष्य देने के लिए उसमें नामित सूचनाकर्त्ता और किसी अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, को समन जारी कर सकेगा, और

(ii) जहां ऐसी सूचना मौखिक हो, सूचना सूचित करने वाले व्यक्ति की तुरन्त जांच कर सकेगा और ऐसी परीक्षा के आधार पर प्रक्रिया जारी कर सकेगा।

नियम 5. फीस अधिग्रहित करना और व्यय का भुगतान :– सरपंच, पंच, पटवारी या लम्बरदार द्वारा की गयी शिकायत पर जारी प्रक्रिया पर कोई फीस अधिग्रहित नहीं की जायेगी, और गवाहों को सरकारी निधियों से यात्रा व्यय और खाना राशि का भुगतान किया जायेगा।

नियम 6. अधिनियम के अधीन मामलों में अभियोजन :–अधिनियम के अधीन मामलों को न्यायालय से लगे अभियोजन करने वाले उप–निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा संचालित किया जायेगा, परन्तु किसी मामले में, जिसे न्यायालय विशेष रूप से जटिल प्रकृति के रूप में विचारित करे, यह जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से मामले का संचालन करने के लिए स्थानीय अधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है।

मोड्यूल (बी) :– पर्यावरण संबंधी विधियां–

भारतीय वन अधिनियम 1927

धारा 2. निर्वचन खण्ड–इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ से विरुद्ध न हो, –

(1) **"पशु"** के अन्तर्गत हाथी, ऊंट, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, खस्सी, पशु, टट्टू बछेड़े, बछेड़िया, खच्चर, गधे, सुअर, मेढ़े मेढ़िया, भेडें, मेमने, बकरियां और बकरियों के मेमने हैं;

(2) "वन अधिकारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी इस अधिनियम के सब या किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन वन अधिकारी द्वारा की जाने के लिए अपेक्षित कोई बात करने के लिए नियुक्त करे;

(3) "वन अपराध" से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभिप्रेत है;

(4) "वन–उपज" के अन्तर्गत–

(क) निम्नलिखित वस्तुएं आती है अर्थात् इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कुचुक, खैर, लकड़ी का तेल, राल, प्राकृतिक वारनिश, छाल, लाख महुआ के फूल, महुआ के बीज, कुथ, और हरड़ भले ही वे वन में पाई या वन से लाई गई हों या नहीं; और

(ख) निम्नलिखित वस्तुएं, उस सूरत में आती हैं जिसमें कि वे वन में पाई जाती हैं या वन से लाई जाती हैं, अर्थात्

(i) वृक्ष और पत्ते, फूल और फल और वृक्षों के इसमें इसके पूर्व अवर्णित सब अन्य भाग और उपज,

(ii) (घास, बेलें, नरकुल और काई सहित) वे पौधे जो वृक्ष नहीं हैं और ऐसे पौधों के सब भाग और उपज,

(iii) वन्य पशु और खालें, हाथी दांत, सींग, हड्डियां, रेशम, रेशम के कोए, शहद और मोम तथा पशुओं के सब अन्य भाग या उत्पाद,

(iv) पीट, सतही मिट्टी, चट्टान और (चूना पत्थर, लेटराइट, खनिज तेल और खानों और खदानों की सब पैदावार सहित) खनिज;

(4–क) **"स्वामी"** के अन्तर्गत, ऐसी सम्पत्ति के बारे में, प्रतिपाल्य अधिकरण आता है जो ऐसे अधिकरण के अधीक्षण या भार–साधन में है;

(5) **"नदी"** के अन्तर्गत कोई सरिता, नहर, सकरी, खाड़ी या अन्य प्राकृतिक या कृत्रिम जल सरणी है;

(6) **"इमारती लकड़ी"** के अन्तर्गत वृक्ष आते हैं जब कि वे गिर गए हों या गिराए गए हों, और सब प्रकार की लकड़ी है चाहे वह किसी प्रयोजन के लिए काटी, गढ़ी या खोखली की गई हों या नहीं; और

(7) **"वृक्ष"** के अन्तर्गत ताड़, बांस, ठूंठ, झाड़–झांखड़ और बेंत आते हैं।

आरक्षित वनों के सम्बन्ध में

धारा 3. वनों को आरक्षित करने की शक्ति–राज्य सरकार ऐसी किसी वन भूमि या बंजर–भूमि को, जो सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं, या जिसकी पूरी वन–उपज या उस उपज के किसी भाग की, सरकार हकदार है, इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से आरक्षित वन बना सकेगी।

32. संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की शक्ति–राज्य सरकार निम्नलिखित बातों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्–

(क) वृक्षों और इमारती लकड़ी की कटाई, चिराई, संपरिवर्तित करना और हटाना, तथा संरक्षित वनों की वन–उपज का संग्रहण करना, विनिर्माण करना तथा उसका हटाना,

(ख) संरक्षित वनों के सामीप्य के नगरों और ग्रामों के निवासियों को अपने प्रयोग के लिए वृक्ष, इमारती लकड़ी या अन्य वन–उपज लेने के हेतु अनुज्ञप्तियां अनुदत्त करना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियों का पेश और वापस किया जाना,

(ग) व्यापार के प्रयोजनों के लिए ऐसे वनों में से वृक्षों या इमारती लकड़ी या वन–उपज को गिराने या हटाने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियां प्रदान करना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियां पेश और वापस किया जाना,

(घ) खण्ड (ख) और (ग) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा ऐसे वृक्षों को काटने या ऐसी इमारती लकड़ी या वन–उपज को संगृहीत करने और हटाने की अनुज्ञा के लिए किए जाने वाले संदाय, यदि कोई हों,

(ङ) ऐसे वृक्षों, इमारती लकड़ी और उपज के बारे में उनके द्वारा किए जाने वाले अन्य संदाय, यदि कोई हों और वे स्थान जहां ऐसा संदाय किया जाएगा,

(च) ऐसे वनों में से होकर जाने वाली वन–उपज की परीक्षा,

(छ) ऐसे वनों में खेती या अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि की कटाई–सफाई

(ज) ऐसे वनों में पड़ी इमारती लकड़ी और धारा 30 के अधीन आरक्षित वृक्षों का आग से संरक्षण,

(झ) ऐसे वनों में घास काटना और ढोर चराना,

(ञ) ऐसे वनों में शिकार खेलना, गोली चलाना, मछली पकड़ना, जल विषैला करना और पाश या जाल बिछाना और ऐसे वनों के उन क्षेत्रों में जिनमें हाथी परिरक्षण अधिनियम, 1879 (1879 का 6) प्रवृत्त नहीं है, हाथियों का वध करना या पकड़ना,

(ट) धारा 30 के अधीन वन के किसी बंद प्रभाग का संरक्षण और प्रबन्ध, और

(ठ) धारा 29 में निर्देशित अधिकारों का प्रयोग।

धारा 33. धारा 30 के अधीन अधिसूचना या धारा 32 के अधीन वाले नियमों के उल्लंघन में किए गए कार्यों के लिए शास्तियां–(1) जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:–

(क) धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को गिराएगा, परितक्षण करेगा, छावेगा, या जलाएगा या ऐसे किसी वृक्ष की छाल उतार डालेगा या पत्तियां तोड़ डालेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचाएगा,

(ख) धारा 30 के अधीन वाले किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल पत्थर की खुदाई करेगा या चूने या लकड़ी का कोयला फूंकेगा, या किसी वन–उपज का संग्रहण करेगा, उससे कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलाएगा, या उसे हटाएगा,

(ग) किसी संरक्षित वन में, धारा 30 के अधीन वाले किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल, किसी भूमि को खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ेगा या साफ करेगा,

(घ) ऐसे वन को आग लगाएगा, या धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष तक, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो, या गिराया गया हो, या ऐसे वन के बन्द किए गए किसी प्रभाग तक फैल जाने से रोकने के लिए युक्तियुक्त–पूर्ण पूर्वावधानी बरते बिना आग जलाएगा,

(ङ) ऐसे किसी वृक्ष या बन्द प्रभाग के सामीप्य में अपने द्वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा,

(च) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिराएगा या किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार खींचेगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है,

(छ) पशुओं को ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा,

(ज) धारा 32 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का अतिलंघन करेगा,

वह उस अवधि के लिए कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) जब कभी संरक्षित वन में जानबूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है, तब राज्य सरकार, इस बात के होते हुए भी कि इस धारा के अधीन कोई शास्ति लगाई गई है, निदेश दे

सकेगी कि ऐसे वन में या उसके किसी प्रभाग में चरागाह या वन–उपज के किसी अधिकार का प्रयोग उतनी अवधि के लिए, जितनी वह ठीक समझती है, निलम्बित रहेगा।

धारा 41 वन उपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति –इमारती लकड़ी के बहाने के विषय में, सब नदियों और उनके तटों का नियन्त्रण और थल या जल द्वारा अभिवहन में की गई इमारती लकड़ी और वन–उपज का नियंत्रण, राज्य सरकार में निहित है और वह सब इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेषता और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम–

(क) उन मार्गो को विहित कर सकेंगे जिनके द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वन–उपज, राज्य में आयात या राज्य से निर्यात या राज्य के अन्दर स्थानान्तरित की जा सकेगी;

(ख) किसी ऐसे अधिकारी के पास के बिना, जो उसे देने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है, या ऐसे पास की शर्तों के अनुसार से अन्यथा ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य उपज के आयात या निर्यात या स्थानान्तरण को प्रतिषिद्ध कर सकेंगे;

(ग) ऐसे पासों के दिऐ जाने, पेश करने और वापस करने के लिए और उनके लिए फीसों के दिए जाने के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(घ) अभिवहन में की गई इमारती लकड़ी या अन्य वन–उपज को, जिसके विषय में यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी कीमत के कारण या उस पर देय किसी शुल्क, फीस, या स्वामित्व या प्रभार के कारण कोई धन सरकार को देय है या जिस पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए चिन्ह लगाना वांछनीय है; रोक लेने, उसके बारे में रिपोर्ट देने, उसे परीक्षित करने, या चिन्हित करने के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(ड़) सह आगारो (सब डिपो) की स्थापना और विनियमन के लिए, जिसमें ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य वन–उपज उन व्यक्तियों द्वारा, जिनके भारसाधन में वह है; परीक्षा के लिए या ऐसे धन के दिये जाने के लिए, इस हेतु कि ऐसे चिन्ह उस पर लगाए जाएं, ले जाई जाएगी और उन शर्तों को जिनके अधीन ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य वन–उपज ऐसे डिपुओं को लाई जाएगी; उनमें संगृहीत की जाएगी और उनमें हटाई जाएगी, उपबंध कर सकेंगे;

(च) इमारती लकड़ी और वन–उपज के अभिवहन के लिए प्रयुक्त किसी नदी की धारा या तटों को बंद करना या बाधित करना और ऐसी किसी नदीं में घास, झाड़ झखांड, शाखाएं या पत्तियां फेंकना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जिससे ऐसी नदी बन्द या बाधित हो जाए, प्रतिषिद्ध कर सकेंगे;

(छ) ऐसी किसी नदी की धारा या किनारों की बाधा के निवारण या हटाने के लिए और उस व्यक्ति से, जिसके कार्यों और उपेक्षा के कारण यह आवश्यक हुआ है, ऐसे निवारण या हटाने का खर्चा वसूल करने के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(ज) विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर, लकड़ी की चिराई मशीन के लिए गड्ढा बनाना, इमारती लकड़ी को संपरिवर्तित करना, काट लेना, जलाना छिपाना या उन पर चिन्ह लगाना, उस पर किन्हीं चिन्हों को बदलना या मिटाना या चिन्ह लगाने वाले हथौड़े या इमारती लकड़ी को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त अन्य उपकरणों को कब्जे में रखना या साथ ले जाना, पूर्ण रूप से शर्तों के अधीन प्रतिषिद्ध कर सकेंगे;

(झ) इमारती लकड़ी के लिए सम्पत्ति संबंधी चिन्हों के प्रयोग और ऐसे चिन्हों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित कर सकेंगे, उस समय को विहित कर सकेंगे, जिसके लिए ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रभावी रहेगा, ऐसे चिन्हों की उस संख्या को सीमित कर सकेंगे जो किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेंगे, और रजिस्ट्रीकरण के लिए फ़ीसों के उद्ग्रहण के लिए उपबंध कर सकेंगे।

धारा 42. धारा 41 के अधीन बनाए गए नियमों के भंग के लिए शास्ति—(1) राज्य सरकार ऐसे नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति के रूप में ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ऐसे नियमों द्वारा विहित कर सकेगी।

(2) ऐसे नियम उपबन्ध कर सकेंगे कि उन मामलों में, जिनमें अपराध सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व या विधिपूर्ण प्राधिकारी का प्रतिरोध करने की तैयारी करने के पश्चात् किया गया है या जहां कि अपराधी उसी प्रकार के अपराध के लिए पहले भी सिद्धदोष हो चुका है, उपधारा (1) में वर्णित शास्तियों से दूगनी शास्ति लगायी जा सकेंगी।

धारा 44. डिपो पर दुर्घटना की अवस्था में सब व्यक्ति सहायता करने के लिए आबद्ध होंगे—ऐसे किसी डिपो में किसी सम्पत्ति को संकटापन्न करने वाली दुर्घटना या आपात की दशा में ऐसे डिपो में, चाहे सरकार द्वारा या चाहे किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, नियोजित हर व्यक्ति ऐसा संकट टालने या नुकसान या हानि से ऐसी सम्पत्ति को बचाने के लिए उसकी अपनी सहायता मांगने वाले किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को सहायता देगा।

धारा 45. कतिपय प्रकार की इमारती लकड़ी, जब तक कि उसके बारे में हक साबित नहीं कर दिया जाता, सरकार की सम्पत्ति समझी जाएगी और तद्नुसार संग्रहीत की जा सकेगी—(1) बहती हुई, किनारे से लगी हुई, अटकी हुई या डुबी हुई सब इमारती लकड़ी,

ऐसे सब काष्ठ और इमारती लकड़ी, जिस पर ऐसे चिह्न लगे हैं जो धारा 41 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, या जिस पर चिह्न अग्नि द्वारा या अन्यथा मिटाए, बदले या बिगाड़े गए हैं, और

ऐसे क्षेत्रों में, जैसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, सभी अचिह्नित काष्ठ और इमारती लकड़ी, जब तक कि कोई व्यक्ति इस अध्याय में यथा उपबन्धित रूप में उन पर अपना अधिकार और हक सिद्ध नहीं कर दे, सरकार की सम्पत्ति समझी जाएगी ।

(2) ऐसी इमारती लकड़ी किसी वन अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उसे धारा 51 के अधीन बनाए गए किसी नियम के आधार पर संगृहीत करने का हकदार है, संगृहीत की जा सकेगी और ऐसे किसी डिपो में लाई जा सकेगी जिसे वन अधिकारी बहती हुई इमारती लकड़ी की प्राप्ति के लिए अधिसूचित करे ।

(3) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इमारती लकड़ी के किसी वर्ग को इस धारा के उपबन्धों से छूट दे सकेगी।

शास्तियां और प्रक्रिया

धारा 52. अधिहरणीय सम्पत्ति का अभिग्रहण–(1) जबकि यह विश्वास करने का कारण है कि किसी वन–उपज के बारे में कोई वन विषयक अपराध किया गया है, तब ऐसी उपज, सब औजारों, नावों, छक़ड़ों या पशुओं सहित, जिनका प्रयोग ऐसे अपराध के करने में हुआ है, किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत की जा सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला हर अधिकारी ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिह्न लगाएगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण हो गया है, और यथाशक्य शीघ्र ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगाः

परन्तु जबकि वह वन–उपज, जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसा अपराध हुआ है, सरकार की सम्पत्ति है, और अपराधी अज्ञात है, तब यदि यथाशक्य शीघ्र अधिकारी परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को दे देता है, तो वह पर्याप्त होगा।

67. अपराधों का संक्षिप्ततः विचारण करने की शक्ति–जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन किसी ऐसे वन विषयक अपराध का विचारण संक्षिप्ततः कर सकेगा, जो छह मास से अनधिक कारावास या पांच सौ रुपए से अनधिक जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय है।

68. अपराधों का शमन करने की शक्ति–(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वन अधिकारी को शक्ति प्रदान कर सकेगी कि वह–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध ऐसा युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा 62 या धारा 63 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न कोई वन विषयक अपराध किया है, उस अपराध के लिए जिसके बारे में यह संदेह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत कर ले, और

(ख) जब कोई सम्पत्ति अधिहरणीय होने के नाते अभिगृहीत की गई है, तब ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित उसके मूल्य के दे दिए जाने पर उस सम्पत्ति को निर्मुक्त कर दे ।

(2) ऐसे अधिकारी के, यथास्थिति, ऐसी धनराशि, या मूल्य या दोनों के दे दिए जाने पर संदिग्ध व्यक्ति को यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा, और वही सम्पत्ति, यदि कोई हो, जो अभिगृहीत की गई है, निर्मुक्त कर दी जाएगी तथा ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

(3) इस धारा के अधीन किसी वन अधिकारी को उस दशा में ही शक्ति प्रदत्त की जाएगी जब कि वह रेंजर से अनिम्न पंक्ति का वन अधिकारी नहीं है और कम से कम सौ रुपए मासिक वेतन पाता है, और उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत धनराशि किसी भी दशा में पचास रुपए से अधिक नहीं है।

राजस्थान गौवंशीय पशु (वध प्रतिषेध और अस्थायी विनयमन प्रवास और निर्यात) अधिनियम 1995

परिभाषाएं :–

क. गो–मांस से गोवंशीय पशु का मांस अभिप्रेत है ।
ख. गोवंशीय पशु से अभिप्रेत है गाय, बछड़ा, सांड या बैल किन्तु इसमें भैंस और उसकी नस्ल सम्मिलित नहीं है।
ज. गाय से गोवंशीय पशु प्रजाति की तीन वर्ष की आयु से उपर की कोई मादा अभिप्रेत है।

धारा 3. **गोवंशीय पशु के वध का प्रतिषेध**– तत्समय प्रवृत किसी भी विधि में या किसी भी प्रथा या रूढ़ि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी, कोई व्यक्ति किसी भी गोवंशीय का वध नहीं करेगा या नहीं करवायेगा, उसे वध के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा या नहीं करवायेगा।

धारा 4. **गोमांस और गोमांस उत्पादों के कब्जे, विक्रय या परिवहन का प्रतिषेध–** तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी , कोई भी व्यक्ति गोमांस या किसी भी रूप में गोमांस उत्पादों का कब्जा, विक्रय या विक्रय के लिए परिवहन नहीं करेगा या विक्रय या परिवहन नहीं करवायेगा।

धारा 6. **परिवाहक का दुष्प्रेरक होना**– जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने के उदेश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपबंधित है।

धारा 8. **शास्ति**.–(1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लघंन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लघंन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोषसिद्वि पर, ऐसी समयावधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु दस वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।
(2) जो कोई धारा 4 या धारा 5 के उपबंधों का उल्लघंन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लघंन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोषसिद्वि पर, ऐसी समयावधि के कठोर कारावास से, जो छः माह से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

धारा 9. **उपहति कारित करने के लिए दण्ड.–(**1) जो कोई किसी भी गोवंशीय पशु को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग–शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति कारित करता है।

(2) जो कोई किसी गोवंशीय पशु को साक्ष्य उपहति कारित करता है वह, दोषसिद्वि पर ऐसी समयावधि के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष तक की की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो तीन हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) जो कोई उप–धारा (1) के अधीन किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है।

धारा 10. **किसी भी गोवंशीय पशु को साशय क्षति पहुंचाने के लिए दण्ड,–** (1) जो कोई किसी गोवंशीय पशु को साशय गंभीर क्षतियां कारित करता है वह दोषसिद्वि पर ऐसी समयावधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो सात हजार रू. तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए गंभीर क्षति के अन्तर्गत है–

(i) पुस्त्वहरण (सांड के मामले में)

(ii) किसी भी आंख को स्थायी रूप से दृष्टिहीन करना

(iii) किसी भी कान को स्थायी रूप से श्रवण–शक्तिहीन करना

(iv) किसी भी अंग या जोड़ को अलग करना

(v) किसी हडी या दांत का भंग या विसंधान

(vi) कोई भी ऐसी उपहति, जो जीवन को खतरे में डाले या जो उपह्रत को घोर शारीरिक कष्ट कारित करे और अन्ततः अनुपयुक्त या अनुपयोगी बना दे।

(2) जो कोई उप धारा (1) के अधीन के किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है।

धारा **12–क गिरफतारी और अभिग्रहण की शक्ति**– सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसी निमित्त लिखित में प्राधिकृत कोई व्यक्ति–

(i) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी उपस्थिति में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध करता है, गिरफ्तार कर सकेगा या गिरफ्तार करवा सकेगा और ऐसे गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना ऐसे पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा, जो ऐसे व्यक्ति के विरूद्व विधि के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(ii) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए उपयोग में लिये जा रहे है प्रवहण के किसी भी साधन का अभिग्रहण कर सकेगा या करवा सकेगा और अभिग्रहण की रिपोर्ट , अनावश्यक विलम्ब के बिना, सक्षम प्राधिकारी को करेगा या करवायेगा।

राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1963

धारा 2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) **लाउड स्पीकर** या **साउन्ड एम्पलीफायर** से ऐसा साधन अभिप्रेत है, जिसके द्वारा सॉफ्ट साउण्ड, चाहे मौखिक, लिखित या लेखबद्व हो, बढायी जाती है,

(ii) **सार्वजनिक स्थान** से ऐसा स्थान अभिप्रेत है (जिसमें सडक, मार्ग या रास्ता शामिल है और लैडिंग स्थान भी शामिल है चाहे पूर्ण रास्ता हो या नहीं) जिस पर जनता की पहुंच है या पहुंचने का अधिकार है, या जिस पर जनता को गुजरने का अधिकार हैं।

धारा 3. रात्रिक ध्वनि की घोषणा और वर्जन – (1) यदि कोई क्षेत्र, जिसे धारा 1 की उपधारा (4) के अधीन यह लागू की जाये, जिला मजिस्ट्रेट या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई अन्य अधिकारी ऐसे तरीके में प्रदान सूचना द्वारा, जिसे निर्धारित किया जाये और ऐसे अन्य तरीके में, जिसे वह ठीक समझे, रात्रि के ऐसे समय के दौरान, जिसे सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, चाहे मौखिक हो या लाउड–स्पीकर द्वारा हो या साउण्ड एम्पलीफायर द्वारा हो या अन्यथा हो, जो उसकी राय में जनता को क्लेश या गंभीर असुविधा कारित करने के लिए संभावित है, उत्पादित किसी ध्वनि को रात्रिक के रूप में घोषित कर सकता हैं।

(2) रात्रिक ध्वनि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसे तरीके में, जिसे निर्धारित किया जाये और ऐसे अन्य तरीके में, जिसे वह ठीक समझे, प्रदान सूचना द्वारा प्रतिबंधित की जायेगी।

धारा 4. लाउड स्पीकरों के प्रयोग और चलाने के विरूद्व प्रतिबंध – कोई भी व्यक्ति किसी भाषण, प्रवचन, संगीत या रेडियो कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए लाउड स्पीकर या साउण्ड एम्पलीफायर प्रयुक्त नहीं करेगा या नहीं चलायेगा या उसे किसी वायरलैस प्राप्त सेट या ग्रामोफोन के साथ लगायेगा–

(क) ऐसी दूरी के भीतर, जिसे निर्धारित किया जाये–

(i) अस्पताल से या उस भवन से, जिसमें टेलिफोन एक्सचेंज है, या

(ii) राज्य सरकार द्वारा संचालित, मान्यता प्राप्त या नियंत्रित किसी शैक्षणिक संस्था से या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से या स्थानीय प्राधिकरण से, ऐसी संस्था के कार्य समय या कार्यरत रहने के दौरान, या

(iii) राज्य सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त किसी हॉस्टल से या विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण से, जब ऐसा हॉस्टल विद्यार्थियों के प्रयोग में हो, या

(iv) ऐसे भवन से, जिसमें सरकारी कार्यालय या न्यायालय कार्यरत हो, ऐसे न्यायालय या कार्यालय के कार्य समय के दौरान

(ख) निर्धारित प्राधिकारी की लिखित में अनुमति के बिना 11 पी.एम. और 5 पी.एम. के मध्य परन्तु इस धारा में कोई भी बात सार्वजनिक स्थान के अलावा स्थान में साउण्ड एम्पलीफायर के प्रयोग को लागू नहीं होगी, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से अनुज्ञप्तिकृत वायरलैस उपस्कर का सक्षम भाग हैं।

धारा 6. शास्तियां – जो कोई भी इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता या इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक किये गये किसी अन्य के लिए प्रतिकूल कार्य करता है, तो पहली दोषसिद्वि पर जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकेगा, या दूसरी या अनुगामी दोषसिद्वि पर किसी अवधि के कारावास से, जो एक माह तक हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 7. प्रक्रिया – इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय, जमानतीय और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा।

धारा 8. गिरफ्तार करने की पुलिस की शक्ति – इस अधिनियमों के प्रावधानों और ऐसा करने से रोकने के लिए उसके अधीन बनाये गये विधिपूर्वक किसी आदेश के प्रतिकूल किसी व्यक्ति से अपेक्षा करना, और अस्वीकृत या अवज्ञा के मामले में, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना उपनिरीक्षक की रैंक से कम नहीं पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्वक होगा, मानो यदि उसने संज्ञेय अपराध कारित किया हो।

मोड्यूल (सी) :– लोक एवं प्राईवेट सम्पत्ति विषयक विधियां–

भाग–1 , बौद्धिक सम्पदा विषेयक विधियां

कॉपीराईट एक्ट1957

धारा 13. कृतियां जिनमें प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्वशील है–(1) इस धारा के उपबंधों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित वर्गों की कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व समस्त भारत में होगा, अर्थात् –

(क) मौलिक, साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियां;

(ख) चलचित्र फिल्म; और

(ग) ध्वन्यंकन, ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी कृति में, जो ऐसी कृति से भिन्न हो जिसको धारा 40 या धारा 41 के उपबंध लागू होते हैं, प्रतिलिप्यधिकार तब तक अस्तित्व में नहीं होगा जब तक कि,

(i) प्रकाशित कृति की दशा में वह कृति भारत में पहले प्रकाशित नहीं की जाती या जहां कृति भारत के बाहर पहले प्रकाशित की जाती है वहां उसका रचयिता ऐसे प्रकाशन की तारीख को अथवा उस दशा में, जिसमें रचयिता उस तारीख को मर चुका है अपनी मृत्यु के समय भारत का नागरिक न रहा हो;

(ii) वास्तु कृति, से भिन्न किसी अप्रकाशित कृति की दशा में, उसका रचयिता कृति की रचना की तारीख को भारत का नागरिक न हो या भारत में अधिवसित न हो; और

(iii) वास्तु कृति, की दशा में, वह कृति भारत में स्थित न हो ।

स्पष्टीकरण–संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में, इस उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रतिलिप्यधिकार प्रदत्त करने वाली शर्तें उस कृति के सब रचयिताओं को पूरी करनी होंगी ।

(3) प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व निम्नलिखित में नहीं होगा –

(क) कोई चलचित्र फिल्म यदि उस फिल्म का कोई पर्याप्त भाग किसी अन्य कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन हो;

(ख) किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति की बाबत बनाया गया कोई ध्वन्यंकन, यदि उस ख्ध्वन्यंकन, के बनाने में ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन हुआ हो ।

(4) किसी चलचित्र फिल्म या वन्यंकन, में प्रतिलिप्यधिकार, किसी ऐसी रीति में पृथक् प्रतिलिप्यधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जिसकी या जिसके पर्याप्त भाग की बाबत, यथास्थिति, वह फिल्म या वह ध्वन्यंकन, बनाया गया हो ।

(5) वास्तु कृति, की दशा में, प्रतिलिप्यधिकार केवल कलात्मक स्वरूप और डिजाइन की बाबत ही अस्तित्व में होगा तथा सन्निर्माण की प्रक्रियाओं या पद्धतियों पर विस्तृत नहीं होगा ।

धारा 14. **प्रतिलिप्यधिकार का अर्थ**–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रतिलिप्यधिकार से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कृति या उसके किसी पर्याप्त भाग के संबंध में निम्नलिखित कार्यों में से किसी को करने या उसका किया जाना प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार, अर्थात् –

(क) कृति साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति की दशा में, जो कम्प्यूटर प्रोग्राम नहीं है,

(i) कृति को किसी पर्याप्त रूप में पुनरुत्पादित करना, जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक माध्यम से किसी भी संचार माध्यम में उसका भंडारण है;

(ii) जनता को कृति की ऐसी प्रतियां उपलब्ध कराना, जो पहले से परिचालन में नहीं हैं;

(iii) कृति को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना या उसे सार्वजनिक रूप से संसूचित करना;

(iv) कृति के संबंध में कोई चलचित्र फिल्म बनाना या ध्वन्यंकन करना;

(v) कृति का कोई भाषान्तर तैयार करना;

(vi) कृति का कोई अनुकूलन करना;

(vii) कृति के भाषान्तरण या अनुकूलन के संबंध में ऐसे कार्यों में से कोई कार्य करना जो कृति के संबंध में उपखंड (i) से उपखंड (vi) में विनिर्दिष्ट है;

(ख) किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम की दशा में, –

(i) खंड (क) में विनिर्दिष्ट कार्यों में से कोई कार्य करना;

(ii) कम्प्यूटर प्रोग्राम की किसी प्रति का विक्रय करना या उसे वाणिज्यिक भाटक पर देना अथवा विक्रय या वाणिज्यिक भाटक पर देने की प्रस्थापना करना

परंतु ऐसा वाणिज्यिक भाटक उस कंप्यूटर प्रोग्राम की बाबत लागू नहीं होगा जहां स्वयं प्रोग्राम भाटक का आवश्यक उद्देश्य नहीं हैं ।,

(ग) किसी कलात्मक कृति की दशा में, –

(i) कृति को किसी सारवान् रूप से पुनरुत्पादित करना, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, –

(अ) इलैक्ट्रानिक या अन्य साधनों द्वारा किसी माध्यम में उसका भंडारण; या

(आ) दो विमा वाली कृति का तीन विमाओं में चित्रण है; या

(इ) तीन विमा वाली कृति का दो विमाओं में चित्रण है;,

(ii) कृति को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना;

(iii) जनता को कृति की ऐसी प्रतियां उपलब्ध कराना, जो पहले से परिचालन में नहीं हैं;

(iv) कृति को किसी चलचित्र फिल्म में सम्मिलित करना;

(v) कृति का कोई अनुकूलन करना;

(vi) कृति के अनुकूलन के संबंध में ऐसे कार्यों में से कोई कार्य करना जो कृति के संबंध में उपखंड (i) से उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट है;

(घ) किसी चलचित्र फिल्म की दशा में, –

(i) फिल्म की प्रति तैयार करना, जिसके अंतर्गत–

(अ) उसके भागरूप किसी बिंब का फोटोचित्र है; या

(आ) इलैक्ट्रानिक या अन्य साधनों द्वारा किसी माध्यम में उसका भंडारण है;,

(ii) फिल्म की किसी प्रति का विक्रय करना या उसके वाणिज्यिक भाटक पर देना अथवा विक्रय या ऐसे भाटक पर देने की प्रस्थापना करना

(iii) फिल्म को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना;

(ङ) किसी ध्वन्यंकन की दशा में, –

(i) उसको सीन्नविष्ट करने वाला कोई अन्य ध्वन्यंकन करना जिसके अंतर्गत इलैट्रानिक या अन्य साधनों द्वारा किसी माध्यम में उसका भंडारण भी हैं;,

(ii) ध्वन्यंकन की किसी प्रति का विक्रय करना या उसे वाणिज्यिक भाटक पर देना अथवा विक्रय या ऐसे भाटक पर देने की प्रस्थापना करना;

(iii) ध्वन्यंकन को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी प्रति के बारे में जिसका एक बार विक्रय किया गया है यह समझा जाएगा कि वह पहले से ही परिचालन में है ।,

धारा 15. डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्री किए जाने योग्य डिजाइनों में प्रतिलिप्यधिकार के बारे में विशेष उपबंध–

(1) इस अधिनियम के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व किसी ऐसे डिजाइन में नहीं होगा जो डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16), के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।

(2) किसी ऐसे डिजाइन में, डिजाइन अधिनियम, 1911 (1911 का 2) के अधीन रजिस्ट्री किए जाने के योग्य है किन्तु जिसकी इस प्रकार रजिस्ट्री नहीं की गई है प्रतिलिप्यधिकार तब तुरंत

समाप्त हो जाएगा जब कोई वस्तु जिस पर डिजाइन प्रयुक्त किया गया है, प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी द्वारा या उसकी अनुज्ञप्ति में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी औद्योगिक प्रक्रिया से पचास से अधिक बार पुनरुत्पादित की जा चुकी है ।

धारा 16. इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय कोई प्रतिलिप्यधिकार न होना—कोई व्यक्ति किसी कृति में, चाहे वह प्रकाशित हो या अप्रकाशित हो, प्रतिलिप्यधिकार या वैसे ही किसी अधिकार का हकदार इस अधिनियम के या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होने से अन्यथा नहीं होगा, किन्तु इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी न्यास या विश्वास के भंग को अवरुद्ध करने के किसी अधिकार या अधिकारिता को निराकृत करती है ।

धारा 22. प्रकाशित साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि—इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह है कि रचयिता के जीवनकाल में प्रकाशित किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति में प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के जिसमें रचयिता की मृत्यु हुई हो ठीक आगामी कलैंडर वर्ष के आरंभ से साठ वर्ष, तक अस्तित्व में रहेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में रचयिता के प्रति निर्देशों का अर्थ, संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में, उस रचयिता के प्रति निर्देश लगाया जाएगा जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है ।

धारा 23. बेनाम और छद्मनाम वाली कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि—

(1) अनाम या छद्मनाम से प्रकाशित किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति की दशा में (जो फोटोग्राफ से भिन्न हो), प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है, ठीक आगामी कलैण्डर वर्ष के आरंभ से साठ वर्ष, तक अस्तित्व में रहेगा

परन्तु जहां रचयिता का वास्तविक परिचय उक्त कालावधि की समाप्ति से पहले ज्ञात हो जाता है वहां प्रतिलिप्यधिकार, उस वर्ष के जिसमें रचयिता की मृत्यु हुई हो ठीक आगामी कलैण्डर वर्ष के आरम्भ से साठ वर्ष, तक अस्तित्व में रहेगा ।

(2) उपधारा (1) में रचयिता के प्रति निर्देशों का अर्थ, अनाम संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में—

(क) जहां रचयिताओं में से एक का वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाता है वहां उस रचयिता के प्रति लगाया जाएगा;

(ख) जहां एक से अधिक रचयिताओं के वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाते हैं वहां रचयिताओं में से उस रचयिता के प्रति लगाया जाएगा जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है ।

(3) उपधारा (1) में रचयिता के प्रति निर्देशों का अर्थ, छद्मनाम वाली संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में—

(क) जहां रचयिताओं में से एक या अधिक के (न कि सबके) नाम छद्मनाम है और उसका या उसके वास्तविक परिचय ज्ञात नहीं होते हैं, वहां उस रचयिता के प्रति लगाया जाएगा जिसका नाम छद्मनाम नहीं हैं या यदि रचयिताओं में से दो या अधिक के नाम छद्मनाम नहीं हैं तो उनमें से ऐसे रचयिता के प्रति लगाया जाएगा जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है;

(ख) जहां रचयिताओं में से एक या अधिक के (न कि सबके) नाम छद्मनाम हैं और उनमें से एक या अधिक के वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाते हैं वहां ऐसे रचयिताओं में से जिनके नाम छद्मनाम नहीं हैं और ऐसे रचयिताओं में से जिनके नाम छद्मनाम हैं और ज्ञात हो जाते हैं, उस रचयिता के प्रति लगाया जाएगा जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है; और

(ग) जहां सभी रचयिताओं के नाम छद्मनाम हैं और उनमें से एक का वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाता है वहां उस रचयिता के प्रति लगाया जाएगा जिसका वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाता है या यदि ऐसे रचयिताओं में से दो या अधिक के वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाते हैं तो उनमें से ऐसे रचयिता के प्रति लगाया जाएगा जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी रचयिता का वास्तविक परिचय उस दशा में ज्ञात हुआ समझा जाएगा जिसमें रचयिता का वास्तविक परिचय या तो रचयिता और प्रकाशक दोनों के द्वारा सार्वजनिक रूप से ज्ञात किया जाता है या उस रचयिता द्वारा अन्यथा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को समाधानप्रद रूप से सिद्ध कर दिया जाता है ।

धारा 24. मृत्यु उपरांत कृति में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि–(1) किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति या उत्कीर्णन की दशा में जिसमें प्रतिलिप्यधिकार रचयिता की मृत्यु की तारीख को या किसी ऐसे संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में उस रचयिता की जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है, मृत्यु की तारीख को या उससे ठीक पहले अस्तित्व में है किंतु जिसका या जिसके किसी अनुकूलन का प्रकाशन उस तारीख से पहले नहीं किया गया है, प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के, जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है, ठीक आगामी कलैंडर वर्ष के आरंभ से या जहां कृति के किसी अनुकूलन का प्रकाशन किसी पूर्वतर वर्ष में होता है, उस वर्ष के ठीक आगामी कलैण्डर वर्ष के आरंभ से साठ वर्ष, तक अस्तित्व में रहेगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति या ऐसी किसी कृति का कोई अनुकूलन प्रकाशित हुआ समझा जाएगा यदि उसे सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है या यदि उस कृति के संबंध में बनाए गए कोई ध्वन्यंकन, सार्वजनिक रूप से विक्रीत किए गए हैं या सार्वजनिक रूप से विक्रय के लिए प्रस्थापित किए गए हैं ।

धारा 26. चलचित्र फिल्मों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि–चलचित्र फिल्म की दशा में प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के, जिसमें फिल्म प्रकाशित की जाती है, ठीक आगामी कलैंडर वर्ष के आरंभ से साठ वर्ष, तक अस्तित्व में रहेगा ।

धारा 27. ध्वन्यंकनों, में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि– ध्वन्यंकन, की दशा में प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के, जिसमें ध्वन्यंकन, प्रकाशित किया जाता है, ठीक आगामी कलैंडर वर्ष के आरंभ से साठ वर्ष, तक अस्तित्व में रहेगा।

धारा 28. सरकारी कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि–सरकारी कृतियों की दशा में, जहां उसमें प्रतिलिप्यधिकार की प्रथम स्वामी सरकार है वहां प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के, जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है, ठीक आगामी कलैंडर वर्ष के आरंभ से साठ वर्ष, तक अस्तित्व में रहेगा ।

धारा 28क. लोक उपक्रम की कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि–ऐसी कृति की दशा में, जहां उसमें प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी कोई लोक उपक्रम है, प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के, जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है, ठीक आगामी कलैंडर वर्ष के प्रारंभ से साठ वर्ष, तक अस्तित्व में रहेगा ।

धारा 29. अंतरराष्ट्रीय संगठनों की कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि–किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन कृति की दशा में, जिसको धारा 41 के उपबंध लागू होते हैं, प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के, जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है, ठीक आगामी कलैंडर वर्ष के प्रारंभ से साठ वर्ष, तक अस्तित्व में रहेगा ।,

धारा 51. प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन कब होगा–किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन हुआ समझा जाएगा–

(क) जब कोई व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी या प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति के बिना या ऐसे अनुदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों का अथवा इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किसी शर्त का उल्लंघन करके–

(i) कोई ऐसी बात करता है जिसे करने का अनन्य अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को प्रदत्त है, या

(ii) किसी स्थान का उपयोग, उस कृति को सार्वजनिक रूप से संसूचित किए जाने के लिए, जब ऐसे संसूचित किए जाने से उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होता है, लाभ के लिए अनुज्ञात करता है, उस दशा के सिवाय जिसमें वह यह नहीं जानता था और उसके पास यह विश्वास करने का समुचित आधार नहीं था कि सार्वजनिक रूप से ऐसा संसूचित किया जाना प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होगा, अथवा

(ख) जब कोई व्यक्ति उस कृति की अतिलंघनकारी प्रतियां–

(i) विक्रय या भाड़े के लिए बनाता है या विक्रीत करता है या भाड़े पर देता है, या व्यापार के तौर पर संप्रदर्शित करता है या विक्रय या भाड़े के लिए प्रतिस्थापित करता है, या

(ii) व्यापार के प्रयोजन के लिए इतने परिमाण में वितरित करता है जिससे प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या

(iii) व्यापार के तौर पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है, या

(iv) भारत में आयात करता है।

परंतु उपखंड (iv) की कोई बात, आयातकर्ता के निजी और घरेलू उपयोग के लिए, किसी कृति की एक प्रति के आयात को लागू नहीं होगी ।,

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति से चलचित्र फिल्म के रूप में पुनरुत्पादन को अतिलंघनकारी प्रति समझा जाएगा ।

धारा 52. कतिपय कार्यों का प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन न होना–(1) निम्नलिखित कार्यों से प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं होगा, अर्थात –

(क) किसी कृति का, जो कम्प्यूटर प्रोग्राम नहीं है–

(i) प्राइवेट या निजी उपयोग, जिसके अंतर्गत अनुसंधान भी है;

(ii) उस कृति की या किसी अन्य कृति की समालोचना या समीक्षा;

(iii) सामयिक घटनाओं और सामयिक क्रियाकलापों की रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक रूप से दिए गए किसी व्याख्यान की रिपोर्ट करना भी है, के प्रयोजनों के लिए उचित प्रयोग ।

स्पष्टीकरण–इस खंड में वर्णित प्रयोजनों के लिए किसी इलैक्ट्रानिक माध्यम में किसी कृति के भंडारण जिसके अन्तर्गत किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम का ऐसा आनुषंगिक भंडारण भी है, जो स्वतः उक्त प्रयोजनों के लिए अतिलंघनकारी प्रति नहीं है, से प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन गठित नहीं होगा ।

(कक) प्रतियां तैयार करना या किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम का ऐसे कम्प्यूटर प्रोग्राम की किसी प्रति का विधिपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, ऐसी प्रति से अनुकूलन–

(i) जिससे की कम्प्यूटर प्रोग्राम का उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सके जिसके लिए उसका प्रदाय किया गया था; या

(ii) जिससे कि कम्प्यूटर प्रोग्राम का केवल उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए उसका प्रदाय किया गया था, उपयोग किया जा सके, हानि, नुकसान या क्षति की बाबत एकमात्र अस्थायी संरक्षण के रूप में पूर्तिकर प्रति तैयार करना;,

(कख) किसी ऐसे कार्य का किया जाना, जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का विधिपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा अन्य प्रोग्रामों के साथ स्वतंत्र रूप से सृजित कंप्यूटर प्रोग्राम की अंतः व्यवहार्यता का प्रचालन करने के लिए आवश्यक सूचना अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक है, परंतु यह तब जब कि ऐसी सूचना अन्यथा सुगमता से उपलब्ध नहीं है;

(कग) उन विचारों और सिद्धांतों को, जो ऐसे कृत्यों के लिए जिनके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रदाय किया गया था, आवश्यक ऐसे कार्यों का निष्पादन करते समय, प्रोग्राम के किन्हीं तत्त्वों पर बल दते हैं, अवधारित करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के कार्यकरण का संप्रेक्षण, अध्ययन या परीक्षण;

(कघ) गैर–वाणिज्यिक व्यक्तिगत उपयोग के लिए वव वैद्य रूप से वैयक्तिक तौर पर अभिप्राप्त प्रति से कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियां तैयार करना या अनुकूलन

(ख) सार्वजनिक रूप से इलैक्ट्रानिक पारेषण या संसूचित किए जाने की पूर्णतया तकनीकी प्रक्रिया के रूप में किसी कृति या प्रस्तुतीकरण का अस्थायी या आनुषंगिक भंडारण;

(ग) उन स्थानों पर जहां अधिकार धारक द्वारा इलैक्ट्रानिक लिंकों, पहुंच या एकीकरण को अभिव्यक्त रूप से प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है, वहां जब तक उत्तरदायी व्यक्ति इस बात से अवगत नहीं है या उसके पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार नहीं हैं कि ऐसा भंडारण किसी अतिलंघनकारी प्रति का है तब तक ऐसे लिंक, पहुंच या एकीकरण उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए किसी कृति या प्रस्तुतीकरण का अस्थायी या आनुषंगिक भंडारण है

परंतु यदि प्रति के भंडारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी से लिखित शिकायत प्राप्त होती है, जिसमें इस बात की शिकायत हो कि ऐसा अस्थायी या आनुषंगिक भंडारण अतिलंघनकारी है, तो भंडारण के लिए उत्तरदायी ऐसा व्यक्ति इक्कीस दिन की अवधि तक अथवा तब तक ऐसी पहुंच को सुकर बनाने से विरत रहेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय से पहुंच को सुकर बनाने से विरत रहने संबंधी आदेश प्राप्त नहीं हो जाता और यदि कोई ऐसा आदेश इक्कीस दिन की ऐसी अवधि के अवसान के पूर्व प्राप्त नहीं होता है तो वह ऐसी पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराना जारी रख सकेगा;

(घ) किसी न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजन के लिए या न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए किसी कृति का पुनरुत्पादन;

(ङ) किसी विधान–मंडल के सचिवालय द्वारा या जहां विधान–मंडल के दो सदन हों, वहां विधान–मंडल के किसी भी सदन के सचिवालय द्वारा तैयार की गई किसी कृति का अनन्य रूप से उस विधान–मंडल के सदस्यों के उपयोग के लिए पुनरुत्पादन या प्रकाशन;

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार तैयार की गई या प्रदाय की गई किसी प्रमाणित प्रति में किसी कृति का पुनरुत्पादन;

(छ) किसी प्रकाशित साहित्यिक या नाट्य कृति से यथोचित उद्धारणों का जनता में पठन या सुपठन;

(ज) मुख्यतः प्रतिलिप्यधिकार रहित सामग्री के संकलन में, जो शिक्षा के उपयोग के लिए सद्भावपूर्वक आशयित हैं और जिसे शीर्षक में तथा प्रकाशक द्वारा या उसकी ओर से निकाले गए किसी विज्ञापन में इस प्रकार वर्णित किया गया है, प्रकाशित साहित्यिक या नाट्य कृतियों में, जो स्वयं में ऐसे उपयोग के लिए प्रकाशित नहीं हैं, जिनमें प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में है लघु लेखांशों का प्रकाशन

परंतु तब जब कि उसी रचियता की कृतियों में से उसी प्रकाशक द्वारा पांच वर्ष की किसी कालावधि के दौरान दो से अधिक ऐसे लेखांश प्रकाशित नहीं किए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण–संयुक्त रचयिताओं की किसी कृति की दशा में, इस खंड में कृतियों से लेखांशों के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उन लेखांशों के किसी एक या अधिक रचयिताओं की अथवा किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से उन रचयिताओं में से एक या अधिक रचयिताओं की कृतियों से लेखांशों के प्रति निर्देश आएंगे;

(झ) किसी कृति का–

(i) किसी शिक्षक या विद्यार्थी द्वारा प्रशिक्षण के अनुक्रम में पुनरुत्पादन; या

(ii) किसी परीक्षा में उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों के भागरूप पुनरुत्पादन; या

(iii) ऐसे प्रश्नों के उत्तरों में पुनरुत्पादन;

(ञ) किसी शिक्षा संस्था के क्रियाकलापों के अनुक्रम में, उस संस्था के कर्मचारिवृंद और छात्रों द्वारा किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति का या किसी चलचित्र फिल्म या किसी ध्वन्यंकन का प्रस्तुतीकरण यदि दर्शक समूह ऐसे कर्मचारिवृंद और छात्रों, छात्रों के माता–पिता और संरक्षकों तथा उस संस्था के क्रियाकलापों से सम्बद्ध व्यक्तियों तक सीमित है अथवा किसी चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन के ऐसे दर्शक समूह को संसूचित किया जाना;,

(ट) ध्वन्यंकन का, उसके उपयोग द्वारा, –

(i) ऐसे आवासिक परिसर में, निवासियों के सामान्य उपयोग के लिए तात्पर्यित किसी संलग्न कमरे या हॉल में (जो होटल या वैसा ही वाणिज्यिक स्थापन नहीं है) अनन्यतः या मुख्यतः वहां के निवासियों के लिए उपलब्ध कराई गई सुख–सुविधाओं के भाग के रूप में सार्वजनिक रूप से सुनवाना, या

(ii) किसी क्लब या वैसे ही संगठन के, जो लाभ के लिए स्थापित या संचालित नहीं है, क्रियाकलाप के भाग के रूप मं सार्वजनिक रूप से सुनवाना;,

(ठ) किसी अव्यवसायी क्लब या सोसाइटी द्वारा किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति का प्रस्तुतीकरण, यदि ऐसा प्रस्तुतीकरण ऐसे दर्शकगण के समक्ष किया जाता है जो उसके लिए कोई संदाय नहीं करता या किसी धार्मिक संस्था के फायदे के लिए किया जाता है;

(ड) सामयिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक या धार्मिक विषयों पर किसी लेख का किसी समाचारपत्र, पत्रिका या अन्य सामयिकी में पुनरुत्पादन, जब तक कि ऐसे लेख के रचयिता ने ऐसे पुनरुत्पादन का अधिकार अपने लिए अभिव्यक्त रूप से आरक्षित न कर लिया हो;

(ढ) परिरक्षण के लिए किसी गैर–वाणिज्यिक सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा किसी माध्यम में किसी कृति का भंडारण यदि पुस्तकालय के पास पहले से ही कृति की गैर अंकीय प्रति है;,

(ण) किसी पुस्तक की (जिसके अन्तर्गत पुस्तिका, संगीतपत्रक, मानचित्र, चार्ट या रेखांक भी है), किसी गैर–वाणिज्यिक सार्वजनिक पुस्तकालय, के भारसाधक व्यक्ति द्वारा या उसके निदेश के अधीन तीन से अनधिक प्रतियां उस पुस्तकालय के प्रयोग के लिए बनाना यदि ऐसी पुस्तक भारत में विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं है;

(त) किसी ऐसे पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य संस्था में, जिसमें जनता की पहुंच है, रखी हुई किसी अप्रकाशित साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति का, अनुसंधान, या निजी अध्ययन के प्रयोजन के लिए अथवा प्रकाशन की दृष्टि से पुरुत्पादन

परन्तु जहां किसी ऐसी कृति के रचयिता का या संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में रचयिताओं में से किसी का वास्तविक परिचय, यथास्थिति, पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य संस्था को ज्ञात है वहां इस खंड के उपबंध केवल तभी लागू होंगे जब कि ऐसा पुनरुत्पादन, रचयिता की मृत्यु की तारीख से या संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में उस रचयिता की, जिसका वास्तविक परिचय ज्ञात है मृत्यु से या यदि एक से अधिक रचयिताओं का वास्तविक परिचय ज्ञात है तो उनमें से ऐसे रचयिता की जिसकी मृत्यु सबसे अन्त में होती है, मृत्यु के 60 वर्ष, से आगे किसी समय किया जाता है ;

(थ) निम्नलिखित का पुनरुत्पादन या प्रकाशन–

(i) किसी विधान–मंडल के अधिनियम से भिन्न कोई विषय जो किसी शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया है;

(ii) किसी विधान–मंडल का कोई अधिनियम इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसे अधिनियम का पुनरुत्पादन या प्रकाशन उस पर किसी टीका–टिप्पणी या किसी अन्य मौलिक विषय के सहित किया जाता है;

(iii) सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या वैसे ही किसी अन्य निकाय की रिपोर्ट यदि ऐसी रिपोर्ट विधान–मंडल के पटल पर रख दी गई है तब के सिवाय जब कि ऐसी रिपोर्ट का पुनरुत्पादन या प्रकाशन सरकार द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है;

(iv) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य न्यायिक प्राधिकारी का कोई निर्णय या आदेश तब के सिवाय जबकि ऐसे निर्णय या आदेश का पुनरुत्पादन या प्रकाशन, यथास्थिति, ऐसे न्यायालय, अधिकरण या अन्य न्यायिक प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया है;

(द) किसी विधान–मंडल के अधिनियम और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के किसी भारतीय भाषा में भाषान्तर का उत्पादन या प्रकाशन–

(i) यदि ऐसे अधिनियम या नियमों या आदेशों या उस भाषा में कोई भाषान्तर सरकार द्वारा पहले उत्पादित या प्रकाशित नहीं किया गया है; या

(ii) जहां ऐसे अधिनियम या नियमों या आदेशों का उस भाषा में कोई भाषान्तर सरकार द्वारा उत्पादित या प्रकाशित किया गया है, यदि वह भाषान्तर जनता में विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं है;

परन्तु यह तब जबकि कि ऐसे भाषान्तर में किसी प्रमुख स्थान पर इस बात का कथन अन्तर्विष्ट है कि वह भाषान्तर सरकार द्वारा प्राधिकृत नहीं है या अधिप्रमाणित रूप में स्वीकृत नहीं है;

(ध) किसी वास्तुकृति का रंगचित्र, रेखाचित्र, उत्कीर्णन या फोटोग्राफ बनान या प्रकाशित करना अथवा किसी वास्तुकृति का संप्रदर्शन करना;

(न) किसी मूर्ति या धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (iii) के अधीन आने वाली अन्य कलात्मक कृति का रंगचित्र, रेखाचित्र, उत्कीर्णन या फोटोग्राफ बनाना या प्रकाशित करना, यदि वह कृति किसी सार्वजनिक स्थान या किसी परिसर में, जिसमें जनता की पहुंच है, स्थायी रूप से स्थित है;

किसी चलचित्र फिल्म में–

(i) किसी ऐसी कलात्मक कृति को सम्मिलित करना जो किसी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य परिसर में, जिसमें जनता की पहुंच है, स्थायी रूप से स्थित है; या

(ii) किसी अन्य कलात्मक कृति को सम्मिलित करना यदि ऐसे सम्मिलित किया जाना केवल पृष्ठभूमि के तौर पर है या उस फिल्म में प्रतिदर्शित मुख्य विषयों से अन्यथा प्रासंगिक है;

(फ) किसी कलात्मक कृति के रचयिता द्वारा, उस दशा में जिसमें ऐसी कृति का रचयिता उसमें प्रतिलिप्याधिकार का स्वामी नहीं है, किसी ऐसे सांचे, कास्ट, स्केच, रेखांक, माडल या अभ्यास रचना का प्रयोग, जो उसने उस कृति के प्रयोजन के लिए बनाए हों

परन्तु यह तब जब कि वह उसके द्वारा उस कृति के मुख्य डिजाइन की पुनरावृत्ति या अनुकृति नहीं करता;

(ब) किसी उपयोगी युक्ति के किसी पूर्णरूप से क्रियाशील भाग के औद्योगिक उपयोजन के प्रयोजनों के लिए किसी तकनीकी रेखाचित्र जैसी किसी द्विआयामी कलात्मक कृति से त्रिआयामी वस्तु का बनाया जाना;,

(भ) किसी भवन या संरचना का उन वस्तु रेखाचित्रों या रेखांकों के अनुसार पुनः सन्निर्माण जिसके अनुसार उस भवन या संरचना का मूलतः सन्निर्माण किया गया था

परन्तु यह तब जब कि मूल सन्निर्माण ऐसे रेखाचित्रों और रेखांकों में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी की सम्मति या अनुज्ञा से बनाया गया था;

(म) किसी चलचित्र फिल्म में ध्वन्यंकित या पुनरुत्पादित किसी साहित्यिक नाट्य, कलात्मक या, संगीतात्मक कृति के संबंध में, उसमें प्रतिलिप्यधिकार की अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसी फिल्म का प्रदर्शन

परन्तु खंड (क) के उपखंड (ii), खंड (ख) के उपखंड (i) और खंड (घ), (च), (छ), (ड) और (त) के उपबंध किसी कार्य के संबंध में लागू नहीं होंगे जब तक कि उस कार्य के साथ ऐसी अभिस्वीकृति न हो जो–

(i) उस कृति की पहचान उसके शीर्षक या अन्य वर्णन से करती हो; और

(ii) उस दशा के सिवाय जिसमें वह कृति अनाम है या उस कृति का रचयिता इस बात के लिए पहले ही सहमत हो चुका है या उस बात की अपेक्षा कर चुका है कि उसका नाम अभिस्वीकार न किया जाए, उस रचयिता का परिचय भी देती हो;

(य) किसी प्रसारण संगठन द्वारा किसी ऐसी कृति का जिसके प्रसारण का उसे अधिकार है, अपने प्रसारण के लिए अपनी सुविधाओं का उपयोग करते हुए किसी प्रसारण संगठन द्वारा क्षणिक ध्वन्यंकन किया जाना, और उसके असाधारण दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर पुरातत्वीय प्रयोजन के लिए ऐसे ध्वन्यंकन को प्रतिधारित रखना;

(यक) किसी वास्तविक धार्मिक संस्कार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी सरकारी समारोह के दौरान साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति का प्रस्तुतीकरण अथवा ऐसी कृति को या किसी ध्वन्यंकन को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना;

स्पष्टीकरण–इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए धार्मिक संस्कार के अन्तर्गत बारात और विवाह से संबंधित अन्य सामाजिक उत्सव है;,

(यख) (i) निःशक्त व्यक्तियों की कृतियों तक पहुच बनाने की सुकर बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत किसी निःशक्त व्यक्ति की प्राइवेट या व्यक्तिगत प्रयोग, शैक्षणिक प्रयोजन या अनुसंधान के लिए ऐसे पहुंच योग्य रूपविधान में सहभागिता भी है, किसी व्यक्ति द्वारा; या

(ii) यदि सामान्य रूपविधान ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी कृतियों का उपयोग किए जाने को निवारित करता है, तो निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए कार्य कर रहे किसी संगठन द्वारा,

किसी कृति का किसी पहुंच योग्य रूपविधान में अनुकूलन, पनुरुत्पादन करना, उसकी प्रतियों को उपलब्ध कराना या उसे सार्वजनिक रूप से संसूचित करना

परन्तु यह और कि संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि कृतियों की प्रतियों का प्रयोग ऐसे पहुंच योग्य रूपविधान में केवल निःशक्य व्यक्तियों द्वारा किया जाए और इसकी प्रविष्टि का कारबार के साधारण माध्यमों में निवारण करने के लिए युक्तियुक्त उपाय किए जाएं

परन्तु तब जब कि निःशक्त व्यक्तियों को कृतियों की प्रतियां ऐसे पहुंच योग्य रूप विधान में लाभ निरपेक्ष आधार पर उपलब्ध करवाई जाए, किन्तु उनसे उत्पादन का कर्ज वसूल किया जाएं।

स्पष्टीकरण–इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए किसी संगठन के अंतर्गत आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 45) की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के

लिए कार्यरत या निःशक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1956 का 1) के अध्याय 10 के अधीन मान्यताप्राप्त अथवा निःशक्त व्यक्तियों तक पहुंच को सुकर बनाने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाला कोई संगठन या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई शिक्षा संस्था या पुस्तकालय या अभिलेखागार भी है;

(यग) लेबल, कंपनी लोगो या संवर्धनकारी या स्पष्टीकारक सामग्री जैसी ऐसी किसी साहित्यिक या कलाकृति की प्रतियों का आयात किया जाना, जो पूर्णतया विधिपूर्वक आयात किए जा रहे अन्य माल या उत्पादों के आनुषंगिक है ।,

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति के भाषान्तर के या किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति के अनुकूलन के सम्बन्ध में किसी कार्य के लिए किए जाने को ऐसे ही लागू होंगे जैसे वे स्वयं उस कृति के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

धारा 52क. ध्वन्यंकन, और वीडियो फिल्मों में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियां–

(1) कोई व्यक्ति, किसी कृति की बाबत किसी ध्वन्यंकन, को तभी प्रकाशित करेगा जब ध्वन्यंकन, में और उसके आधान में निम्नलिखित विशिष्टियां संप्रदर्शित की जाती हैं, अर्थात् –

(क) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसने ध्वन्यंकन, बनाया है;

(ख) ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का नाम और पता; और

(ग) उसके प्रथम प्रकाशन का वर्ष ।

(2) कोई व्यक्ति, किसी कृति की बाबत किसी वीडियो फिल्म को तभी प्रकाशित करेगा जब वीडियो फिल्म में, जब वह प्रदर्शित की जाए, और वीडियो कैसेट में या उसके आधान में निम्नलिखित विशिष्टियां संप्रदर्शित की जाती हैं, अर्थात् –

(क) यदि ऐसी कृति कोई ऐसी चलचित्र फिल्म है जो प्रदर्शन के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित की जानी अपेक्षित है, तो ऐसी कृति की बाबत उस अधिनियम की धारा 5क के अधीन फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा अनुदत्त प्रमाणपत्र की प्रति;

(ख) ऐसे व्यक्ति का नाम और पता जिसने वीडियो फिल्म बनाई है और उसके द्वारा यह घोषणा कि उसने ऐसी वीडियो फिल्म बनाने के लिए ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी से आवश्यक अनुज्ञप्ति या उसकी सहमति प्राप्त कर ली है; और

(ग) ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का नाम और पता।

धारा 53. अतिलंघनकारी प्रतियों का आयात–(1) इस अधिनियम द्वारा किसी कृति या ऐसी कृति में सन्निविष्ट किसी प्रस्तुतीकरण की बाबत प्रदत्त किसी अधिकार का स्वामी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को लिखित में यह सूचना दे सकेगा कि, –

(क) वह उक्त अधिकार का, उसके सबूत सहित स्वामी है; और

(ख) वह आयुक्त से यह अनुरोध करता है कि सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी, कृति की अतिलंघनकारी प्रतियों को प्रतिषिद्ध माल के रूप में माना जाए और यह कि कृति की ऐसी अतिलंघनकारी प्रतियां सूचना में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर भारत में आने की प्रत्याशा है ।

(2) आयुक्त, अधिकार के स्वामी द्वारा दिए गए साक्ष्य की संवीक्षा करने और इस बात का समाधान किए जाने के पश्चात, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कृति की उन अतिलंघनकारी प्रतियों को प्रतिषिद्ध माल मान सकेगा, जो अभिवहन में के माल को छोड़कर, भारत में, आयात किया जा चुका

परंतु यह तब जबकि कृति का स्वामी डेमरेज, भंडारण की लागत और कृतियों के अतिलंघनकारी न पाए जाने की दशा में आयातकर्ता को प्रतिकर दिए जाने संबंधी सम्भावित व्ययों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि, जिसकी आयुक्त अपेक्षा करे, जमा करा देता है ।

(3) जब ऐसे किसी माल को, जिसे उपधारा (2) के अधीन प्रतिषिद्ध माल माना गया है, निरुद्ध कर लिया गया है तो उसे निरुद्ध करने वाला सीमाशुल्क अधिकारी आयातकर्ता को और उस व्यक्ति को, जिसने उपधारा (1) के अधीन सूचना दी है, ऐसे माल के निरुद्ध किए जाने की, उसके निरुद्ध किए जाने के अड़तालीस घंटें के भीतर जानकारी देगा ।

(4) यदि वह व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के अधीन सूचना दी है, अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय का, ऐसे माल के अस्थायी या स्थायी व्ययन के बारे में उसको निरुद्ध किए जाने की तारीख से चौदह दिन के भीतर, कोई आदेश प्रस्तुत नहीं करता है, तो सीमाशुल्क अधिकारी उस माल का छोड़ देगा और उस माल को आगे प्रतिषिद्ध माल नहीं माना जाएगा।

धारा 53क. मूल प्रतियों के पुनः विक्रय अंश का अधिकार–

(1) किसी रंगचित्र, मूर्ति या रेखाचित्र की मूल प्रति के अथवा किसी साहित्यिक या नाट्यकृति या संगीतात्मक कृति की मूल पांडुलिपि के दस हजार रुपए से अधिक कीमत पर पुनः विक्रय की दशा में, ऐसी कृति का रचयिता, यदि वह धारा 17 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी था या उसके विधिक वारिस, ऐसी कृति में, प्रतिलिप्यधिकार के किसी समनुदेशन के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार, ऐसी मूल प्रति या पांडुलिपि के पुनः विक्रय की कीमत में अंश प्राप्त करने के अधिकारी होंगे

परन्तु ऐसा अधिकार, कृति में प्रतिलिप्यधिकार, की अवधि की समाप्ति पर अस्तित्व में नहीं रहेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंश ऐसा होगा जो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड नियत करे और इस निमित्त प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा

परन्तु प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड, कृति के भिन्न–भिन्न वर्गों के लिए भिन्न–भिन्न अंश नियत कर सकेगा

परन्तु यह और कि किसी भी दशा में ऐसा अंश पुनः विक्रय की कीमत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(3) यदि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा और जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

धारा 63. प्रतिलिप्यधिकार या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों के अतिलंघन का अपराध–

कोई व्यक्ति जो–

(क) किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का, या

(ख) धारा 53क द्वारा प्रदत्त अधिकार को छोड़कर, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य अधिकार का,

जानबूझकर अतिलंघन करेगा या अतिलंघन दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा

परन्तु जहां ऐसा अतिलंघन, व्यापार या कारबार के अनुक्रम में अभिलाभ के लिए नहीं किया जाता है वहां, न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, छह मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा या पचास हजार रुपए से कम का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।,

स्पष्टीकरण–किसी भवन या अन्य संरचना का सन्निर्माण, जो किसी अन्य कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन करता है या यदि पूरा कर लिया जाए तो अतिलंघन करेगा, इस धारा के अधीन अपराध नहीं होगा ।

धारा 63क. द्वितीय और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धियों के संबंध में वर्धित शास्ति–

जो कोई धारा 63 के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाने पर ऐसे अपराध का पुनः सिद्धदोष ठहराया जाएगा वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा

परन्तु जहां ऐसा अतिलंघन व्यापार या कारबार के अनुक्रम में अभिलाभ के लिए नहीं किया जाता है, वहां, न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, एक वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा या एक लाख रुपए से कम का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा

परन्तु यह और कि इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारम्भ से पहले की किसी दोषसिद्धि का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा ।,

धारा 63ख. कम्प्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति के जानबूझकर किए गए उपयोग का अपराध होना–जो कोई व्यक्ति, किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति का कम्प्यूटर पर जानबूझकर उपयोग करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात दिन से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा

परन्तु जहां कम्प्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किसी अभिलाभ के लिए अथवा व्यापार या कारबार के अनुक्रम में नहीं किया है वहां न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे कारावास का कोई दण्डादेश अधिरोपित नहीं कर सकेगा और ऐसा जुर्माना, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, अधिरोपित कर सकेगा ।,

धारा 64. अतिलंघनकारी कृतियां अभिगृहीत करने की पुलिस की शक्ति–

(1) यदि किसी पुलिस अधिकारी का जो **उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न** हो, यह समाधान हो जाता है कि किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन की बाबत धारा 63 के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किया जाना संभाव्य है तो वह उस कृति की उन सभी प्रतियों को और उन सभी प्लेटों को, जो कृति की अतिलंघनकारी प्रतियां बनाने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, जहां भी वे पाई जाएं, वारंट के बिना अभिगृहीत कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत सभी प्रतियां और प्लेटें, यथासाध्य शीघ्रता से, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाएंगी ।,

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत किसी कृति की किन्हीं प्रतियों या प्लेटों, में हित रखने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे अभिग्रहण से पन्द्रह दिन के अन्दर, ऐसी प्रतियों या प्लेटों, के उसको लौटाए जाने के लिए मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकेगा और मजिस्ट्रेट, आवेदक और परिवादी को सुनने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच जैसी आवश्यक हो, करने के पश्चात् आवेदन पर ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे ।

धारा 65. अतिलंघनकारी प्रतियां बनाने के प्रयोजन के लिए प्लेटों पर कब्जा–कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी कृति की, जिसमें प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में है अतिलंघनकारी प्रतियां बनाने के प्रयोजन के लिए जानबूझकर कोई प्लेट बनाएगा या अपने कब्जे में रखेगा, वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, ।

धारा 65क. प्रौद्योगिक उपायों का संरक्षण–(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी अधिकार के संरक्षण के प्रयोजन के लिए, उपयोजित प्रभावी प्रौद्योगिक उपायों की, ऐसे अधिकारों का अतिलंघन करने के आशय से, परिवंचना करेगा, कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माना के लिए भी दंडनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी व्यक्ति को, –

(क) ऐसे किसी प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिषिद्ध नहीं है उसमें निर्दिष्ट किसी बात को करने से निवारित नहीं करेगी

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसे किसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रौद्योगिक उपाय की परिवंचना को सुकर बनाता है, ऐसे अन्य व्यक्ति का सम्पूर्ण अभिलेख रखेगा, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता और वे सभी सुसंगत विशिष्टियां, जो उसकी पहचान के लिए आवश्यक हों और वह प्रयोजन, जिसके लिए उसे सुकर बनाया गया है, हो; या

(ख) ऐसी कोई बात करने से निवारित नहीं करेगी जो विधिमान्य रूप से अभिप्राप्त किसी कूटकृत प्रति का प्रयोग करते हुए कूटकरण अनुसंधान करने के लिए आवश्यक हों; या

(ग) कोई विधिपूर्ण अन्वेषण करने से निवारित नहीं करेगी; या

(घ) ऐसी कोई बात करने से निवारित नहीं करेगी, जो किसी कम्प्यूटर प्रणाली या किसी कम्प्यूटर नेटवर्क की, उसके स्वामी के प्राधिकार से सुरक्षा की जांच करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो; या

(ङ) प्रचालन से निवारित नहीं करेगी; या

(च) ऐसी कोई बात करने से निवारित नहीं करेगी, जो किसी उपयोक्ता की पहचान या निगरानी के लिए आशयित प्रौद्योगिक उपायों की परिवंचना करने के लिए आवश्यक हो; या

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक उपाय करने से निवारित नहीं करेगी ।

धारा 65ख. अधिकारप्रबन्धन सूचना का संरक्षण–ऐसा कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर, –

(i) प्राधिकार के बिना, किसी अधिकार प्रबंधन सूचना को हटाता या परिवर्तित करता है; या

(ii) प्राधिकार के बिना, किसी कृति या प्रस्तुतीकरण की प्रतियां, यह जानते हुए कि इलैक्ट्रानिक अधिकार प्रबंधन सूचना को प्राधिकार के बिना हटा दिया गया है या परिवर्तित कर दिया गया है, वितरित करेगा, वितरित किए जाने के लिए आयात करेगा, सार्वजनिक रूप से प्रसारित या संसूचित करेगा, वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा परंतु यदि अधिकार प्रबंधन सूचना से किसी कृति में छेड़छाड की गई है, तो ऐसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी भी ऐसे कृत्यों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अध्याय 12 के अधीन उपबंधित सिविल उपचारों का लाभ उठा सकेगा ।,

धारा 66. अतिलंघनकारी प्रतियों का या अतिलंघनकारी प्रतियां बनाने के प्रयोजन के लिए प्लेटों का व्ययन–इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, चाहे अभिकथित अपराधी सिद्धदोष हुआ हो या न हुआ हो, यह आदेश दे सकेगा कि अभिकथित अपराधी के कब्जे में की कृति की सब प्रतियां या सब प्लेटें जो उसे अतिलंघनकारी प्रतियां या अतिलंघनकारी प्रतियां बनाने के प्रयोजन के लिए प्लेटें प्रतीत हों प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को दे

दी जाएं या ऐसी प्रतियों या प्लेटों के व्ययन के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे, ।

धारा 67. रजिस्टर आदि में मिथ्या प्रविष्टियां करने, मिथ्या प्रविष्टियां पेश करने या देने के लिए शास्ति–

कोई व्यक्ति जो–

(क) इस अधिनियम के अधीन रखे गए प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा या कराएगा, या

(ख) ऐसा लेख बनाएगा या बनवाएगा जिसका ऐसे रजिस्टर में किसी प्रविष्टि का नकल होना मिथ्या रूप से तात्पर्यित हो, या

(ग) किसी ऐसी प्रविष्टि या लेख को, उसका मिथ्या होना जानते हुए, साक्ष्य के रूप में पेश करेगा या पेश कराएगा अथवा देगा या दिलवाएगा,

वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

धारा 68. किसी प्राधिकारी या अधिकारी को प्रवंचित करने या उस पर असर डालने के प्रयोजन में मिथ्या कथन करने के लिए शास्ति–

कोई व्यक्ति जो–

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के निष्पादन में किसी प्राधिकारी या अधिकारी को प्रवंचित करने की दृष्टि से, या

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन किसी विषय के सम्बन्ध में किसी बात के किए जाने या उसके लोप का उपापन करने या उस पर असर डालने की दृष्टि से, कोई मिथ्या कथन या व्यपदेशन यह जानते हुए करेगा कि वह मिथ्या है, वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

धारा 68क. धारा 52क के उल्लंघन के लिए शास्ति–कोई व्यक्ति जो धारा 52क के उपबन्धों के उल्लंघन में कोई ध्वन्यंकन या वीडियो फिल्म प्रकाशित करेगा, कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।,

धारा 69. कंपनियों द्वारा अपराध–(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो वहां हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या

अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) कम्पनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

धारा 70. अपराधों का संज्ञान–इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर न्यायालय नहीं करेगा ।

केबिल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995

धारा 3. केबल टेलीविजन नेटवर्क का बिना रजिस्ट्रीकरण के प्रचालन न किया जाना–कोई भी व्यक्ति केबल टेलीविजन नेटवर्क का तभी प्रचालन करेगा जब वह इस अधिनियम के अधीन केबल आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है।

धारा 4. केबल आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण–(1) कोई व्यक्ति, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क का प्रचालन करने के लिए इच्छुक है या प्रचालन कर रहा है, केबल आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(2) केबल आपरेटर ऐसे पात्रता मानदंड और शर्तों को पूरा करेगा, जो विहित की जाएं और केबल आपरेटरों के भिन्न–भिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न–भिन्न पात्रता मानदंड विहित किए जा सकेंगे ।

(3) धारा 4क के अधीन अधिसूचना जारी करने की तारीख से ही, उस धारा के अधीन अधिसूचित किसी राज्य, नगर, उपनगर या क्षेत्र में किसी ऐसे केबल आपरेटर को, जो अंकीय सम्बोध्य प्रणाली के माध्यम से किसी गूढ़लेखित प्ररूप में चैनल को पारेषित या पुनः पारेषित करने का वचन नहीं देता है, नया रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज तथा फीस होगी, जो विहित की जाए ।

(5) आवेदन के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि आवेदक ने उपधारा (4) के अधीन विहित सभी अपेक्षित जानकारी दे दी है और ऐसा समाधान हो जाने पर, आवेदक को केबल आपरेटर के रूप में रजिस्टर करेगा और उसे ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उपधारा (6) के अधीन विहित की जाएं, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा या उसके रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करेगा

परंतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उपधारा (2) के अधीन विहित पात्रता मानदंड और शर्तों को पूरा नहीं करता है या आवेदन के साथ उपधारा (4) के अधीन यथा विहित अपेक्षित दस्तावेज और फीस संलग्न नहीं है, और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा, यथास्थिति, उसका रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से या नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा और आवेदक को उसकी संसूचना दे सकेगा

परंतु यह और कि आवेदक, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने या उसका नवीकरण करने से इंकार करने के आदेश के विरुद्ध केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

(6) केंद्रीय सरकार, केबल आपरेटरों के रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्रता मानदंड के अनुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य के सुरक्षा हितों, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता, विदेशी संबंध या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध–उद्दीपन को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण के ऐसे

निबंधन और शर्तें, जिनके अन्तर्गत केबल आपरेटर द्वारा पूरे किए जाने वाले अतिरिक्त मानदंड या शर्तें भी हैं, विहित कर सकेगी ।

धारा 11. केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिए उपयोग किए गए उपस्कर का अभिग्रहण करने की शक्ति–

यदि किसी प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी केबल आपरेटर द्वारा धारा 3, धारा 4क, धारा 5, धारा 6, धारा 8, धारा 9, धारा 10 के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह केबल टेलीविजन नेटवर्क को प्रचालित करने के लिए ऐसे केबल आपरेटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपस्कर का अभिग्रहण कर सकेगा

परंतु धारा 5 और धारा 6 के उल्लंघन की दशा में, उपस्कर का अभिग्रहण केबल आपरेटर के स्तर पर सृजित चैनल पर उपलब्ध कराई गई कार्यक्रम संबंधी सेवा तक सीमित होगा ।,

धारा 12. अधिहरण–धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत उपस्कर तब तक अधिहरण का दायी होगा जब तक कि वह केबल आपरेटर, जिससे उपस्कर अभिगृहीत किया गया है, उक्त उपस्कर के अभिग्रहण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर स्वयं को धारा 4 के अधीन केबल आपरेटर के रूप में रजिस्टर नहीं करा लेता है ।

धारा 13. उपस्कर के अभिग्रहण या अधिहरण से अन्य दंड पर प्रभाव न पड़ना–धारा 11 या धारा 12 में निर्दिष्ट उपस्कर का अभिग्रहण या अधिहरण किसी ऐसे दंड के दिए जाने को नहीं रोकेगा, जिसका उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दायी हैं ।

धारा 14. अभिगृहीत उपस्कर के केबल आपरेटर को अवसर का दिया जाना–(1) धारा 12 में निर्दिष्ट उपस्कर के अधिहरण के न्यायनिर्णयन का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि केबल आपरेटर को उन आधारों की, जिन पर ऐसे उपस्कर का अधिहरण करने की प्रस्थापना है, जानकारी देते हुए तथा ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिहरण के विरुद्ध लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का और यदि वह चाहता है तो मामले में सुनवाई का, उचित अवसर देते हुए, लिखित सूचना न दे दी गई हो

परन्तु जहां ऐसी सूचना उपस्कर के अधिगृहण की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर नहीं दी जाती है वहां ऐसा उपस्कर उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् उस केबल आपरेटर को, जिससे उसे कब्जे में लिया गया था, लौटा दिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) का के उपबन्ध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कार्यवाही को लागू होंगे ।

धारा 15. अपील–(1) उपस्कर अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने वाले न्यायालय के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति उस न्यायालय में अपील कर सकेगा, जिसमें ऐसे न्यायालय के विनिश्चय के विरुद्ध अपील होती है ।

(2) अपील न्यायालय, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करते हुए या उसका उपांतरण या पुनरीक्षण करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे अथवा उस मामले को, ऐसे निदेशों सहित, जो वह ठीक समझे, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात्, नए सिरे से, यथास्थिति, विनिश्चय या न्यायनिर्णयन करने के लिए वापस भेज सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आगे और कोई अपील नहीं होगी ।

अपराध और शास्तियां

धारा 16. इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड–

(1), जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा वह, –

(क) प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से;

(ख) प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा,दण्डनीय होगा ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 4क का उल्लंघन इस धारा के अधीन संज्ञेय अपराध होगा ।,

धारा 17. कम्पनियों द्वारा अपराध–(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरादायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तद्नुसार और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।
स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –
(क) कम्पनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और
(ख) फर्म के संबंध में, निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।
धारा 18. अपराधों का संज्ञान–कोई भी न्यायालय इस अधिनियम का अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, लिखित रूप में किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

धारा 43. कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान के लिए शास्ति और प्रतिकर,—यदि कोई व्यक्ति, ऐसे स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति की, जो किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली का भारसाधक है, अनुज्ञा के बिना,—

(क) ऐसे कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन, प्रणाली में पहुंचता है या पहुंच प्राप्त करता है;

(ख) ऐसे कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क से कोई डाटा, कंप्यूटर डाटा संचय या सूचना, जिसके अंतर्गत किसी स्थानांतरणीय भंडारण माध्यम में धृत या संचित कोई सूचना या डाटा भी हैं, डाउनलोड करता है, प्रतिलिपि करता है, या उसका उद्धरण लेता है;

(ग) किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में किसी कंप्यूटर संदूषक या कंप्यूटर वाइरस का प्रवेश करता है, या प्रवेश करवाता है;

(घ) ऐसे कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में के किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटा संचय या किसी अन्य कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचवाता है;

(ङ) किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क को विच्छिन्न करता है या करवाता है;

(च) किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति की किसी भी साधन से पहुंच से इंकार करता है या करवाता है;

(छ) इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में, किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में किसी व्यक्ति की पहुंच को सुकर बनाने के लिए कोई सहायता प्रदान करता है;

(ज) किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में छेड़छाड़ या छलसाधन करके, किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई सेवाओं के प्रभारों को किसी अन्य व्यक्ति के लेखे में डालता है,

तो वह इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में ऐसी नुकसानी का जो एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी, संदाय करने का दायी होगा ।

(झ) किसी कंप्यूटर संसाधन में विद्यमान किसी सूचना को नष्ट करता है, हटाता है या उसमें परिवर्तन करता है या उसके महत्व या उपयोगिता को कम करता है या उसे किन्हीं साधनों द्वारा हानिकर रूप से प्रभावित करता है;

(ञ) किसी कंप्यूटर संसाधन के लिए प्रयुक्त किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को नुकसान पंहुचाने के आशय से चुराता है, छिपाता है, नष्ट या परिवर्तित करता है या किसी व्यक्ति से उसकी चोरी कराता है या उसे छिपवाता, नष्ट या परिवर्तित कराता है,,

तो वह इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदाय करने का दायी होगा;,

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(प) कंप्यूटर संदूषक से कंप्यूटर अनुदेशों का कोई ऐसा सेट अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित के लिए अभिकल्पित किया गया हो,–

(क) किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में के डाटा या कार्यक्रम को उपांतरित, नष्ट, अभिलिखित या पारेषित करने; या

(ख) कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क के सामान्य प्रवर्तन का किसी भी साधन से अनधिकार ग्रहण करने,

(ii) कंप्यूटर डाटा संचय से पाठ, प्रतिबिंब, श्रव्य, दृश्य में सूचना, जानकारी, तथ्य, संकल्पना और अनुदेशों का व्यपदेशन अभिप्रेत है, जो प्रारूपित रीति में तैयार किया जा रहा है या तैयार किया गया है अथवा कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा उत्पादित किया गया है और जो कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग के लिए आशयित है;

(1) कंप्यूटर वाइरस से ऐसा कोई कंप्यूटर अनुदेश, सूचना, डाटा या कार्यक्रम अभिप्रेत है जो किसी कंप्यूटर साधन के निष्पादन को नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, ह्रास करता है या प्रतिकूल प्रभाव डालता है अथवा स्वयं को किसी अन्य कंप्यूटर साधन से संलग्न कर लेता है और वह तब प्रवर्तित होता है जब कोई कार्यक्रम, डाटा या अनुदेश निष्पादित किया जाता है या उस कंप्यूटर साधन में कोई अन्य घटना घटती है;

(2) नुकसान से किसी माध्यम द्वारा किसी कंप्यूटर साधन को नष्ट करना, परिवर्तित करना, हटाना, जोड़ना, उपान्तरित या पुनः व्यवस्थित करना अभिप्रेत है;

(3) कंप्यूटर स्रोत कोडष से कंप्यूटर संसाधन के कार्यक्रमों, कंप्यूटरों समादेशों, डिजाइन और रेखांक तथा कार्यक्रम विश्लेषण को किसी रूप में सूचीबद्ध करना अभिप्रेत है ।,

धारा 43क. डाटा को संरक्षित रखने में असफलता के लिए प्रतिकर–जहां कोई निगमित निकाय ऐसे किसी कंप्यूटर संसाधन में किसी संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना को रखता है, उसका संव्यवहार करता है या उसको संभालता है जो उसके स्वामित्व में, नियंत्रण में है या जिसका वह प्रचालन करता है, युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन और अनुरक्षण में उपेक्षा करता है और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को सदोष हानि या सदोष लाभ पहुंचाता है, वहां ऐसा निगमित निकाय, इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) निगमित निकाय से कोई कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वाणिज्यिक या वृत्तिक क्रियाकलापों में लगी हुई फर्म, एकल स्वामित्व या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम भी है;

(ii) युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं से ऐसी अप्राधिकृत पहुंच, नुकसानी, उपयोग, उपांतरण, प्रकटन या ह्रास, जो, यथास्थिति, पक्षकारों के बीच किसी करार में विनिर्दिष्ट किया जाए या जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी सूचना को संरक्षित करने के लिए अभिकल्पित सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाएं और ऐसे करार या किसी विधि के अभाव में, ऐसी युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे वृत्तिक निकायों या संगमों के परामर्श से, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, विहित की जाएं, अभिप्रेत हैं;

(iii) संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना से ऐसी व्यक्तिगत सूचना अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे वृत्तिक निकायों या संगमों के परामर्श से, जिन्हें वह उचित समझे, विहित की जाए

धारा 44. जानकारी, विवरणी, आदि देने में असफल रहने के लिए शास्ति—यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन,—

(क) नियंत्रक अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट देना अपेक्षित है, उसे देने में असफल रहेगा, तो वह, ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए एक लाख पचास हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा;

(ख) विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी फाइल करने या कोई जानकारी, पुस्तक या अन्य दस्तावेज देना अपेक्षित है, विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी फाइल करने या उसे देने में असफल रहेगा, तो वह, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, पाचं हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा;

(ग) लेखा बहियां या अभिलेख बनाए रखना अपेक्षित है, उन्हें बनाए रखने में असफल रहता है, तो वह, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, दस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा ।

धारा 45. अवशिष्ट शास्ति—जो कोई, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसे उल्लंघन के लिए, जिसके लिए अलग से किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को पच्चीस हजार रुपए से अनधिक के प्रतिकर का संदाय करने या पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा ।

धारा 46. न्यायनिर्णयन करने की शक्ति—(1) इस अध्याय के अधीन न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, जहां किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, दिए गए निदेश या किए गए आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया है, जो शास्ति या प्रतिकर का संदाय करने का दायी बनाता हैट वहां केन्द्रीय सरकार, उपधारा (3) के उपबंधों

के अधीन रहते हुए भारत सरकार के निदेशक की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी या राज्य सरकार के किसी समतुल्य अधिकारी को, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में जांच करने के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(1क) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी उन मामलों का न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता का प्रयोग करेगा, जिनमें क्षति या नुकसानी के लिए दावा पांच करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है

परंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक की क्षति या नुकसानी के लिए दावे की बाबत अधिकारिता सक्षम न्यायालय में निहित होगी ।,

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को उस मामले में अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा और यदि ऐसी जांच के पश्चात, उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह, उस धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे ।

(3) कोई व्यक्ति, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसा अनुभव और ऐसा विधिक या न्यायिक अनुभव न हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(4) जहां एक से अधिक न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वहां केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, उन विषयों और स्थानों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनकी बाबत ऐसे अधिकारी अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे ।

(5) प्रत्येक न्यायनिर्णायक अधिकारी को सिविल न्यायालय की वे शक्तियां होंगी, जो धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन साइबर अपील अधिकरण को प्रदान की गई है, और

(क) उसके समक्ष की सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी;

(ख) उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1974 (1974 का 2) की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।,

धारा 47. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा विचार की जाने वाली बातें—इस अध्याय के अधीन प्रतिकर की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी, निम्नलिखित बातों पर सम्यक् ध्यान देगा, अर्थातः—

(क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप हुए अभिलाभ या अनुचित फायदे की रकम, जहां वह परिमाण निर्धारण योग्य हो;

(ख) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हुई हानि की रकम;

(ग) व्यतिक्रम की आवृत्तीय प्रकृति ।

धारा 48. साइबर अपील अधिकरण की स्थापना–(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, साइबर अपील अधिकरण नामक एक या अधिक अपील अधिकरणों की स्थापना करेगी

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में, वे विषय और स्थान भी विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में साइबर अपील अधिकरण अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

49. साइबर अपील अधिकरण की संरचना–(1) साइबर अपील अधिकरण, अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे

परंतु सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारंभ के ठीक पूर्व इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन साइबर अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।

(2) साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किया जाएगा ।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,–

(क) साइबर अपील अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा;

(ख) किसी पीठ का गठन, साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा ऐसे अधिकरण के एक या दो सदस्यों से, जो अध्यक्ष उपयुक्त समझे, किया जा सकेगा;

(ग) साइबर अपील अधिकरण की न्यायपीठों की बैठक नई दिल्ली और ऐसे अन्य स्थानों पर होगी, जो केन्द्रीय सरकार, साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

(घ) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में साइबर अपील अधिकरण की प्रत्येक न्यायपीठ अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, साइबर अपील अधिकरण का अध्यक्ष, ऐसे अधिकरण के किसी सदस्य का एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में स्थानांतरण कर सकेगा ।

(5) यदि साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को किसी मामले या विषय की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर यह प्रतीत होता है कि मामला या विषय ऐसी प्रकृति का है कि उसे अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली किसी न्यायपीठ द्वारा सुना जाना चाहिए, तो उस मामले या विषय को अध्यक्ष द्वारा ऐसी न्यायपीठ को, जिसे अध्यक्ष उचित समझे, अंतरित किया जा सकेगा ।

धारा 50. साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं–(1) कोई व्यक्ति साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है ।

(2) साइबर अपील अधिकरण के सदस्यों को, उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले न्यायिक सदस्य के सिवाय, केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, उद्योग, प्रबंध या उपभोक्ता मामलों का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा

परंतु किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा जब वह केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में है या रहा है और उसने भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद एक वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए अथवा भारत सरकार में संयुक्त सचिव का पद या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए धारण किया हो ।

(3) साइबर अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्यों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जो भारतीय विधिक सेवा का सदस्य है या रहा है और उसने अपर सचिव का पद एक वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए या उस सेवा का श्रेणी–पद पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए धारण किया है ।

धारा 51. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, सेवा की शर्तें, आदि–(1) साइबर अपील अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पदभार ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या उसके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

(2) साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान करेगी कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(3) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को साइबर अपील अधिकरण के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके चयन पर, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व सेनानिवृत्त होना होगा ।

धारा 52. अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें–साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को, संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं, ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं ।

धारा 52क. अधीक्षण, निदेशन आदि की शक्तियां–साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष को, उस अधिकरण के कामकाज के संचालन में साधारण अधीक्षण और निदेशन की शक्तियां होंगी और वह अधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त अधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं ।

धारा 52ख. न्यायपीठों के बीच कारबार का वितरण–जहां न्यायपीठों का गठन किया जाता है, वहां साइबर अपील अधिकरण का अध्यक्ष, आदेश द्वारा, न्यायपीठों के बीच उस अधिकरण के कारबार और प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा कार्यवाही किए जाने वाले मामलों का भी वितरण कर सकेगा ।

धारा 52ग. मामलों को अन्तरित करने की अध्यक्ष की शक्ति–पक्षकारों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना के पश्चात् तथा ऐसे पक्षकारों में से किसी की, जिनकी सुनवाई करना वह समुचित समझे या स्वप्रेरणा से ऐसी सूचना के बिना, सुनवाई करने के पश्चात् साइबर अपील अधिकरण का अध्यक्ष किसी न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को, निपटान के लिए किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा ।

धारा 52घ. बहुमत द्वारा विनिश्चय–यदि दो सदस्यों से मिलकर बनने वाली किसी न्यायपीठ के सदस्यों की किसी प्रश्न पर राय में मतभेद है तो वे उस प्रश्न या उन प्रश्नों का, जिन पर उनमें मतभेद है, कथन करेंगे और साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष को निदेश करेंगे जो स्वयं उस प्रश्न या प्रश्नों की सुनवाई करेगा और ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का विनिश्चय ऐसे सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिनके अंतर्गत वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने मामले की पहले सुनवाई की थी ।

धारा 53. रिक्तियों का भरा जाना–यदि साइबर अपील अधिकरण के ख्यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य, के पद में अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न कारण से कोई रिक्ति होती है तो केन्द्रीय सरकार, उस रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगी और साइबर अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रक्रम से चालू रखी जा सकेंगी जिस पर रिक्ति भरी जाती है ।

धारा 54. पद–त्याग और पद से हटाया जाना–(1) साइबर अपील अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य, केन्द्रीय सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा

परन्तु उक्त अध्यक्ष या सदस्य, जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उससे पहले पद का त्याग करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की

समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक्तः नियुक्त व्यक्ति के पद–ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी पूर्वतम हो, अपना पद धारण करता रहेगा ।

(2) साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य, को, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की गई ऐसी जांच के पश्चात, जिसमें संबद्ध अध्यक्ष या सदस्य, को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई हो और इन आरोपों की बाबत सुनवाई का उचित अवसर दे दिया गया हो, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(3) केन्द्रीय सरकार, पूर्वोक्त अध्यक्ष या सदस्य, के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण की प्रक्रिया को नियमों द्वारा विनियमित कर सकेगी ।

धारा 55. अपील अधिकरण का गठन करने वाले आदेश का अन्तिम होना और उसकी कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना–केन्द्रीय सरकार का साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने वाला कोई आदेश किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और साइबर अपील अधिकरण का कोई कार्य या उसके समक्ष कार्यवाही केवल इस आधार पर किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि साइबर अपील अधिकरण के गठन में कोई दोष है ।

धारा 56. साइबर अपील अधिकरण के कर्मचारिवृन्द–(1) केन्द्रीय सरकार, साइबर अपील अधिकरण को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह सरकार उचित समझे ।

(2) साइबर अपील अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, अध्यक्ष, के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) साइबर अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

धारा 57. साइबर अपील अधिकरण को अपील–(1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस साइबर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा, जिसकी उस विषय पर अधिकारिता है ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पक्षकारों की सहमति से किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील साइबर अपील अधिकरण को नहीं होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको नियंत्रक या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगी और उसके साथ उतनी फीस होगी जो विहित की जाए

परन्तु साइबर अपील अधिकरण, उक्त पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर उसे फाइल न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण था ।

(4) साइबर अपील अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश पर जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उसकी पुष्टि, उपान्तरण या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह उचित समझे ।

(5) साइबर अपील अधिकरण, अपने द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति अपील के पक्षकारों और संबंधित नियंत्रक या न्यायनिर्णायक अधिकारी को भेजेगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन साइबर अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील यथासंभवशीघ्र निपटाई जाएगी और अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर अपील को अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास किया जाएगा ।

धारा 58. साइबर अपील अधिकरण की शक्तियां और प्रक्रिया—(1) साइबर अपील अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा किन्हीं नियमों के अधीन होगा । साइबर अपील अधिकरण को, अपनी प्रक्रिया को, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है जहां उसकी बैठकें होंगी, विनियमित करने की शक्ति होगी

(2) साइबर अपील अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी, जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थातः—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों या अन्य इलैक्ट्रानिक अभिलेखों को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(ङ) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(च) किसी आवेदन को व्यतिक्रम के लिए खारिज करना या एकपक्षीय विनिश्चय करना;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

(3) साइबर अपील अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही समझी

जाएगी और साइबर अपील अधिकरण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

धारा 59.विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार–अपीलार्थी, साइबर अपील अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए स्वयं हाजिर हो सकेगा या एक अथवा अधिक विधि व्यवसायियों को अथवा अपने किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा ।

धारा 60. परिसीमा–परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के उपबंध, जहां तक हो सके, साइबर अपील अधिकरण को की गई अपील को लागू होंगे ।

धारा 61. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का न होना–ऐसे किसी विषय की बाबत, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई न्यायनिर्णायक अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन गठित कोई साइबर अपील अधिकरण, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है, कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की किसी न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

धारा 62. उच्च न्यायालय को अपील–साइबर अपील अधिकरण के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय या आदेश से उद्‌भूत होने वाले तथ्य या विधि के किसी प्रश्न पर, साइबर अपील अधिकरण के विनिश्चय या आदेश की उसे संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा

परन्तु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी, उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह ऐसी और अवधि के भीतर, जो साठ दिन से अधिक नहीं होगी, अपील फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

धारा 63. अपराधों का शमन–(1) इस ख्अधिनियम, के अधीन कोई उल्लंघन, न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के संस्थापन के पूर्व या पश्चात, यथास्थिति, नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, शमन किया जा सकेगा

परन्तु ऐसी राशि, किसी भी दशा में, शास्ति की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी, जो इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार शमन किए गए उल्लंघन के लिए अधिरोपित है ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो उसके द्वारा किए गए पहले उल्लंघन, जिसका शमन किया गया था, की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर वही या वैसा ही उल्लंघन करता है ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उस तारीख से, जिसको उल्लंघन का पहले शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया गया कोई दूसरा या पश्चात्वर्ती उल्लंघन पहला उल्लंघन समझा जाएगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी उल्लंघन का शमन किया गया है, वहां इस प्रकार शमन किए गए उल्लंघन की बाबत उस उल्लंघन के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध, यथास्थिति, कोई कार्यवाही या अतिरिक्त कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

धारा 64. शास्ति या प्रतिकर की वसूली–इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति, या अधिनिर्णीत प्रतिकर, यदि उसका संदाय नहीं किया जाता है, भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या इलैक्ट्रानिक चिह्नक, प्रमाणपत्र शास्ति का संदाय किए जाने तक निलंबित रखा जाएगा ।

धारा 65. कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़–जो कोई, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी कम्प्यूटर साधन कोड को, जब कम्प्यूटर साधन कोड का रखा जाना या अनुरक्षित किया जाना तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अपेक्षित हो, जानबूझकर या साशय छिपाता है, नष्ट करता है या परिवर्तित करता है अथवा साशय या जानबूझकर किसी अन्य से छिपवाता है, नष्ट कराता है या परिवर्तित कराता है तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कम्प्यूटर साधन कोड से कार्यक्रमों, कम्प्यूटर समादेशों, डिजाइन और विन्यास का सूचीबद्ध करना तथा कम्प्यूटर साधन का किसी भी रूप में कार्यक्रम विश्लेषण अभिप्रेत है ।

धारा 66. कंप्यूटर से संबंधित अपराध–यदि कोई व्यक्ति, धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) बेईमानी से शब्दों का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 24 में है;

(ख) कपटपूर्वक शब्द का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 25 में है

धारा 66क. संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड–कोई व्यक्ति, जो किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी संसूचना के माध्यम से,–

(क) ऐसी किसी सूचना को, जो अत्यधिक आक्रामक या धमकाने वाली प्रक्रति की है; या

(ख) ऐसी किसी सूचना को, जिसका वह मिथ्या होना जानता है, किंतु क्षोभ, असुविधा, खतरा, रुकावट, अपमान, क्षति या आपराधिक अभित्रास, शत्रुता, घृणा या वैमनस्य फैलाने के प्रयोजन के लिए, लगातार ऐसे कंप्यूटर संसाधन या किसी संसूचना युक्ति का उपयोग करके,

(ग) ऐसी किसी इलैक्ट्रानिक डाक या इलैक्ट्रानिक डाक संदेश को, ऐसे संदेशों के उद्‌गम के बारे में प्रेषिती या पाने वाले को क्षोभ या असुविधा कारित करने या प्रवंचित या भ्रमित करने के प्रयोजन के लिए,

भेजता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इलैक्ट्रानिक डाक और इलैक्ट्रानिक डाक संदेश पदों से किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति में सृजित या पारेषित या प्राप्त किया गया कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत पाठ, आकृति, आडियो, वीडियो और किसी अन्य इलैक्ट्रानिक अभिलेख के ऐसे संलग्नक भी है, जो संदेश के साथ भेजे जाएं ।

धारा 66ख. चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेइमानी से प्राप्त करने के लिए दंड–जो कोई ऐसे किसी चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को, जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह चुराया गया कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या प्रतिधारण करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 66ग. पहचान चोरी के लिए दंड–जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक चिह्नक, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान चिह्न का प्रयोग करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

धारा 66घ. कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड–जो कोई, किसी संचार युक्ति या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

धारा 66ङ. एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड–जो कोई, साशय या जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग के चित्र उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति की एकांतता का अतिक्रमण करने वाली परिस्थितियों में खींचेगा, प्रकाशित या पारेषित करेगा, वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से अधिक का नहीं हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) पारेषण से किसी दृश्यमान चित्र को इस आशय से इलैक्ट्रानिक रूप में भेजना अभिप्रेत है कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा देखा जाए;

(ख) किसी चित्र के संबंध में चित्र खींचना से वीडियो टेप, फोटोग्राफ, फिल्म तैयार करना या किसी साधन द्वारा अभिलेख बनाना अभिप्रेत है;

(ग) गुप्तांग से नग्न या अंतःवस्त्र सज्जित जननांग, जघन अंग, नितंब या स्त्री स्तन अभिप्रेत हैं;

(घ) प्रकाशित करने से मुद्रित या इलैक्ट्रानिक रूप में पुनःनिर्माण करना और उसे जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराना अभिप्रेत है;

(ङ) एकांतता का अतिक्रमण करने वाली परिस्थितियों के अधीन से ऐसी परिस्थितियां अभिप्रेत हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को यह युक्तियुक्त प्रत्याशा हो सकती है कि,–

(प) वह इस बात की चिंता किए बिना कि उसके गुप्तांग का चित्र खींचा जा रहा है; एकांतता में अपने वस्त्र उतार सकता या उतार सकती है, या

(पप) इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान में है उसके गुप्तांग का कोई भाग जनसाधारण को दृश्यमान नहीं होगा ।

धारा 66च. साइबर आतंकवाद के लिए दंड–(1) जो कोई,–
(अ) भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालने या जनता या जनता के किसी वर्ग में,–
(i) कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को पहुंचे से इंकार करके या इंकार कराके; या
(ii) प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक किसी कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश या उस तक पहुंच करने का प्रयास करके; या
(iii) किसी कंप्यूटर संदूषक को सन्निविष्ट करके या सन्निविष्ट कराके,
आतंक फैलाने के आशय से और ऐसा करके ऐसा कार्य करता है जिससे व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति होती है या संपत्ति का नाशा या विनाश होता है या होने की संभावना है या यह जानते हुए कि इससे समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं को नुकसान या उसका विनाश होने की संभावना है या धारा 70 के अधीन विनिर्दिष्ट संवेदनशील सूचना अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(आ) जानबूझकर या साशय किसी कंप्यूटर संसाधन में प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक प्रवेश या पहुंच करता है और ऐसे कार्य द्वारा ऐसी सूचना, डाटा या कंप्यूटर डाटा आधारसामग्री तक, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी संबंधों के कारण निर्बंधित है या कोई निर्बंधित सूचना डाटा या कंप्यूटर डाटा आधारसामग्री तक यह विश्वास करते हुए पहुंच प्राप्त करता है कि इस प्रकार अभिप्राप्त ऐसी सूचना, डाटा या कंप्यूटर डाटा आधारसामग्री का उपयोग भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हितों को या न्यायालय की अवमानना के संबंध मे, मानहानि या किसी अपराध के उत्प्रेरण के संबंध में किसी विदेशी राष्ट्र, व्यष्टि, समूह के फायदे को क्षति पहुंचाने के लिए या अन्यथा किया जा सकता है या किए जाने की संभावना है,तो वह साइबर आतंकवाद का अपराध करेगा ।

(2) जो कोई साइबर आतंकवाद कारित या करने की कूटरचना करेगा, तो वह कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

धारा 67. अश्लील सामग्री का इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन या पारेषण करने के लिए दंड—जो कोई, इलैक्ट्रानिक रूप में, ऐसी सामग्री को प्रकाशित या पारेषित करता है अथवा प्रकाशित या पारेषित कराता है, जो कामोत्तेजक है या जो कामुकता की अपील करती है या यदि इसका प्रभाव ऐसा है जो व्यक्तियों को कलुषित या भ्रष्ट करने का आशय रखती है जिसमें सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें अंर्तविष्ट या उसमें आरुढ़ सामग्री को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना है, पहली दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।

धारा 67क. कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि वाली सामग्री के इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड—जो कोई, किसी ऐसी सामग्री को इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित करता है या पारेषित करता है या प्रकाशित या पारेषित कराता है, जिसमें कामुकता व्यक्त करने का कार्य या आचरण अंतर्वलित है, पहली दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।

धारा 67ख. कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित या पारेषित करने के लिए दंड—

जो कोई,—

(क) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित या पारेषित करेगा या प्रकाशित या पारेषित कराएगा, जिसमें कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य या आचरण में लगाए गए बालकों को चित्रित किया जाता है; या

(ख) अश्लील या अभद्र या कामुकता व्यक्त करने वाली रीति में बालकों का चित्रण करने वाली सामग्री का पाठ या अंकीय चित्र किसी इलैक्ट्रानिक रूप में तैयार करेगा, संगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा, पढ़ेगा, डाउनलोड करेगा, उसे बढ़ावा देगा, आदान—प्रदान या वितरित करेगा; या

(ग) कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य के लिए और उसके संबंध में या ऐसी रीति में बालकों को एक या अधिक बालकों के साथ आन—लाइन संबंध के लिए लगाएगा, फुसलाएगा या उत्प्रेरित करेगा, जो कंम्पयूटर संसाधन पर किसी युक्तियुक्त वयस्क को बुरी लग सकती है; या

(घ) आन—लाइन बालकों का दुरुपयोग किए जाने को सुकर बनाएगा; या

(ङ) बालकों के साथ कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य के संबंध में अपने दुर्व्यवहार को किसी इलैक्ट्रानिक रूप में अभिलिखित करेगा,

तो वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, और दूसरी और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा

परन्तु धारा 67, धारा 67क और इस धारा के उपबंधों का विस्तार निम्नलिखित किसी पुस्तक, पर्चे, पत्र, लेख, रेखाचित्र, पेंटिंग, प्रदर्शन या इलैक्ट्रानिक रूप में आकृति पर नहीं है

(i) जिसका प्रकाशन इस आधार पर जनकल्याण के रूप में न्यायोचित साबित किया गया हो कि ऐसी पुस्तक, पर्चे, पत्र, लेख, रेखाचित्र, पेंटिंग, प्रदर्शन या आकृति, विज्ञान, साहित्य या शिक्षण या सामान्य महत्व के अन्य उद्देश्यों के हित में है; या

(ii) जो सद्भाविक परंपरा या धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या प्रयुक्त की गई है स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, बालकष से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ।

धारा 67ग. मध्यवर्त्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण–(1) मध्यवर्ती ऐसी सूचना का, जो विनिर्दिष्ट की जाए, परिरक्षण और प्रतिधारण ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति तथा रूप में करेगा जो केन्द्रीय सरकार विहित करे ।

(2) ऐसा कोई मध्यवर्ती, जो साशय या जानबूझकर उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।,

68. नियंत्रक की निदेश देने की शक्ति–(1) नियंत्रक, आदेश द्वारा, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी के किसी कर्मचारी को आदेश में विनिर्दिष्ट उपाय करने या ऐसे क्रियाकलापों को बंद कर देने का निदेश दे सकेगा यदि वे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या किन्हीं विनियमों के किन्हीं उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं ।

(2) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश का अनुपालन करने में साशय या जानबूझकर असफल रहता है, अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर कारावास का, जिसकी अवधि दो वर्ष से अधिक की नहीं होगी या एक लाख रुपए से अनधिक के जुर्माने का या दोनों का दायी होगा ।,

धारा 69. किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना के अन्तररोधन या मानिटरिंग या विगूढ़न के लिए निदेश जारी करने की शक्ति–(1) जहां केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता या अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में अथवा उपरोक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने में उद्दीपन के निवारण या किसी अपराध के अन्वेषण के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहां वह उपधारा (2) के उपबंधों के

अधीन रहते हुए, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा समुचित सरकार के किसी अभिकरण को, किसी कम्प्यूटर संसाधन में जनित, पारेषित, प्राप्त या भण्डारित किसी सूचना को अंतर्रुद्ध या मानीटर करने अथवा विगूढ़न करने अथवा अंतर्रुद्ध या मानीटर कराने या विगूढ़ न कराने का निदेश दे सकेगी ।

(2) प्रक्रिया और रक्षोपाय, जिनके अधीन ऐसा अंतररोधन या मानीटरिंग या विगूढ़न किया जा सकेगा, वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(3) उपयोगकर्ता या मध्यवर्ती या कम्प्यूटर संसाधन का भारसाधक कोई व्यक्ति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण द्वारा मांगे जाने पर, निम्नलिखित के लिए सभी सुविधाएं और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा–

(क) ऐसी सूचना जनित करने, पारेषित करने, प्राप्त करने या भंडार करने वाले कम्प्यूटर संसाधन तक पहुंच उपलब्ध कराना या पहुंच सुनिश्चित करना; या

(ख) यथास्थिति, सूचना को अंतर्रुद्ध, मानीटर या विगूढ़न करना; या

(ग) कम्प्यूटर संसाधन में भंडारित सूचना उपलब्ध कराना ।

(4) ऐसा उपयोगकर्ता या मध्यवर्ती या कोई व्यक्ति जो उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अभिकरण की सहायता करने में असफल रहता है, कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

धारा 69क. किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच के अवरोध के लिए निदेश जारी करने की शक्ति–(1) जहां केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सबंधों या लोक व्यवस्था के हित में या उपरोक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने में उद्दीपन को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहां वह उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा सरकार के किसी अभिकरण या मध्यवर्ती को किसी कंप्यूटर संसाधन में जनित, पारेषित, प्राप्त, भंडारित या परपोषित किसी सूचना को जनता की पहुंच के लिए अवरुद्ध करने का निदेश दे सकेगा या उसका अवरोध कराएगा ।

(2) वह प्रक्रिया और रक्षोपाय, जिनके अधीन जनता की पहुंच के लिए ऐसा अवरोध किया जा सकेगा, वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(3) वह मध्यवर्ती जो उपधारा (1) के अधीन जारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

धारा 69ख. साइबर सुरक्षा के लिए किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मानीटर करने और एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति–(1) केन्द्रीय सरकार, देश में साइबर सुरक्षा बढ़ाने और कंप्यूटर संदूषक की पहचान, विश्लेषण और अनाधिकार प्रवेश या फैलाव को रोकने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी कंप्यूटर संसाधन में जनित, पारेषित, प्राप्त या भंडारित ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना, मानीटर और एकत्र करने के लिए सरकार के किसी अभिकरण को प्राधिकृत कर सकेगी ।

(2) मध्यवर्ती या कम्प्यूटर संसाधन का भारसाधक कोई व्यक्ति, जब ऐसे अभिकरण द्वारा मांग की जाती है, जिसे उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया है, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा और आन–लाइन पहुंच को समर्थ बनाने के लिए ऐसे अभिकरण को सभी सुविधाएं देगा या ऐसे ट्रैफिक आंकड़े या सूचना जनित, पारेषित, प्राप्त या भंडारित करने वाले कम्प्यूटर संसाधन को आन–लाइन पहुंच सुरक्षित कराएगा और उपलब्ध कराएगा ।

(3) ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना को मानीटर और एकत्र करने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(4) ऐसा कोई मध्यवर्ती जो साशय या जानबूझकर उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(i) कंप्यूटर संदूषण का वही अर्थ होगा जो धारा 43 में है;

(ii) ट्रैफिक आंकड़ा से ऐसे किसी व्यक्ति, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क या अवस्थिति की पहचान करने वाला या पहचान करने के लिए तात्पर्यित कोई डाटा अभिप्रेत है जिसको या जिससे संसूचना पारेषित की गई या पारेषित की जाए और इसके अंतर्गत संसूचना उद्‌गम, गंतव्य मार्ग, समय, तारीख, आकार, की गई सेवा की अवधि या प्रकार और कोई अन्य सूचना भी है ।,

धारा 70. संरक्षित प्रणाली– (1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे कम्प्यूटर संसाधन को, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नाजुक सूचना अवसंरचना की सुविधा को प्रभावित करता है, सरंक्षित प्रणाली घोषित कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, नाजुक सूचना अवसंरचनाष से ऐसा कंप्यूटर संसाधन अभिप्रेत है, जिसके अक्षमीकरण या नाश से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा कमजोर होगी ।,

(2) समुचित सरकार, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगी जो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित संरक्षित प्रणाली तक पहुंचने के लिए प्राधिकृत है ।

(3) कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच प्राप्त कर लेता है या पहुंच प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, ऐसी संरक्षित प्रणाली के लिए सूचना सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं विहित करेगी ।,

धारा 70क. राष्ट्रीय नोडल अभिकरण–(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी संगठन को नाजुक सूचना अवसंरचना संरक्षण की बाबत राष्ट्रीय नोडल अभिकरण अभिहित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिहित राष्ट्रीय नोडल अभिकरण सभी उपायों के लिए उत्तरदायी होगा जिनके अंतर्गत नाजुक सूचना अवसंरचना के संरक्षण से संबंधित अनुसंधान और विकास भी है ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण के कृत्यों और कर्तव्यों के पालन की रीति वह होगी, जो विहित की जाए ।

धारा 70ख. दुर्घटना मोचन के लिए भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल का राष्ट्रीय आपात अभिकरण के रूप में सेवा करना–(1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी अभिकरण को नियुक्त करेगा जिसे भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल कहा जाएगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण में एक महानिदेशक और ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो विहित किए जाएं ।

(3) महानिदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(4) भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कृत्यों का पालन करने वाले राष्ट्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करेगा, –

(क) साइबर घटना संबंधी सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार;

(ख) साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और चेतावनियां;

(ग) साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटाने के लिए आपात अध्युपाय;

(घ) साइबर घटना मोचन क्रियाकलापों का समन्वय;

(ङ) साइबर घटनाओं की सूचना सुरक्षा पद्धतियों, प्रक्रियाओं, निवारण, मोचन और रिपोर्ट करने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत, सलाह, अति संवेदनशील टिप्पण और श्वेतपत्र जारी करना;

(च) साइबर सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण के कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने की रीति वह होगी, जो विहित की जाए ।

(6) उपधारा (4) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण सेवा प्रदाताओं, मध्यवर्तियों, डाटा केंद्रों, निगमित निकायों और किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मांग सकेगा और उसे निदेश दे सकेगा ।

(7) ऐसा कोई सेवा प्रदाता, मध्यवर्ती डाटा केंद्र, निगमित निकाय और अन्य व्यक्ति, जो उपधारा (6) के अधीन मांगी गई सूचना देने में या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(8) कोई न्यायालय, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दिए गए किसी परिवाद पर के सिवाय नहीं करेगा ।

धारा 71. दुर्व्यपदेशन के लिए शास्ति—जो कोई, नियंत्रक या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के समक्ष, यथास्थिति, कोई अनुज्ञप्ति या ख्इलैक्ट्रानिक चिह्नक, प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कोई दुर्व्यपदेशन करता है या किसी तात्त्विक तथ्य को छिपाता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 72. गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति—इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यदि किसी व्यक्ति ने, इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अनुसरण में किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री से सम्बद्ध व्यक्ति की सहमति के बिना पहुंच प्राप्त कर ली है, और वह किसी व्यक्ति को उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रकट करता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 72क. विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए सूचना के प्रकटन के लिए दंड—इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत मध्यवर्ती भी है, जिसने, विधिपूर्ण संविदा के निबंधनों के अधीन सेवाएं उपलब्ध कराते समय, ऐसी किसी सामग्री तक, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत सूचना अंतर्विष्ट है, पहुंच प्राप्त कर ली है, सदोष हानि या सदोष अभिलाभ कारित करने के आशय से या यह जानते हुए कि उसे सदोष हानि या सदोष अभिलाभ कारित होने की संभावना है, संबंधित व्यक्ति की सम्मति के बिना या किसी विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सामग्री प्रकट

करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।,

73. इलैक्ट्रानिक चिह्नक, प्रमाणपत्र की कतिपय विशिष्टियों को मिथ्या प्रकाशित करने के लिए शास्ति–(1) कोई व्यक्ति, इलैक्ट्रानिक चिह्नक, प्रमाणपत्र को तब तक प्रकाशित नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध नहीं कराएगा, यदि उसे यह जानकारी है कि–

(क) प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ने उसे जारी नहीं किया है; या

(ख) प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध हस्ताक्षरकर्ता ने उसे स्वीकार नहीं किया है; या

(ग) वह प्रमाणपत्र प्रतिसंहृत या निलम्बित कर दिया गया है,

जब तक कि ऐसा प्रकाशन, ऐसे निलम्बन या प्रतिसंहरण से पूर्व सृजित इलैक्ट्रानिक चिह्नक, के सत्यापन के प्रयोजनार्थ न हो ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 74. कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन–जो कोई, किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए कोई ख्इलैक्ट्रानिक चिह्नक, प्रमाणपत्र जानबूझकर सृजित करता है, प्रकाशित करता है या अन्यथा उपलब्ध कराता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 75. अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों और उल्लंघनों को लागू होना–(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंध, किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किए गए किसी अपराध या उल्लंघन को भी, उसकी राष्ट्रिकता को विचार में लाए बिना, लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह अधिनियम किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किए गए किसी अपराध या उल्लंघन को लागू होगा, यदि उस कार्य या आचरण में, जिससे यह अपराध या उल्लंघन होता है, भारत में अवस्थित कोई कंप्यूटर, कंप्यूटर, प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क अंतर्वलित हो ।

धारा 76. अधिहरण–कोई ऐसा कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, फ्लापी, काम्पैक्ट डिस्क, टेप चालन या उससे संबंधित कोई ऐसे अन्य उपसाधन, जिनकी बाबत इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों, किए गए आदेशों या बनाए गए विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया हो या किया जा रहा है, अधिहरणीय होंगे

परन्तु जहां अधिहरण का अधिनिर्णय देने वाले न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति, जिसके कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में कोई ऐसा कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, फ्लापी, काम्पैक्ट डिस्क, टेप चालन या उससे संबंधित कोई अन्य उपसाधन पाया जाता है, इस

अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों, किए गए आदेशों या बनाए गए विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं है वहां न्यायालय, ऐसे कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, फ्लापी, काम्पैक्ट डिस्क, टेप चालन या उससे संबंधित किसी अन्य उपसाधन के अधिहरण का आदेश करने के बजाय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, किए गए आदेशों या बनाए गए विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

धारा 77. प्रतिकर शास्ति या अधिहरण का अन्य दंड में हस्तक्षेप न करना—इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर, अधिरोपित शास्ति या किया गया अधिहरण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर के अधिनिर्णय या किसी अन्य शास्ति या दंड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगा ।

धारा 77क. अपराधों का शमन—(1) सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय, उन अपराधों से भिन्न अपराधों का शमन कर सकेगा, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन आजीवन या तीन वर्ष से अधिक के कारावास के दंड का उपबंध किया गया है रू

परंतु न्यायालय, ऐसे अपराध का वहां शमन नहीं करेगा, जहां अपराधी, उसकी पूर्व दोषसिद्धि के कारण या तो वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के किसी दंड के लिए दायी है

परंतु यह और कि न्यायालय ऐसे किसी अपराध का शमन नहीं करेगा, जहां ऐसा अपराध देश की समाजिक—आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है या अठारह वर्ष की आयु से कम आयु के किसी बालक या किसी स्त्री के संबंध में किया गया है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति उस न्यायालय में, जिसमें अपराध विचारण के लिए दंडित है, शमन के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 265ख और धारा 265ग के उपबंध लागू होंगे।

धारा 77ख. तीन वर्ष के कारावास वाले अपराधों का जमानतीय होना—

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, तीन वर्ष और उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे और तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध जमानतीय होंगे ।

धारा 78. अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी, कोई ऐसा पुलिस अधिकारी, जो खनिरीक्षक, की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करेगा।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

2क. आवश्यक वस्तुओं की घोषणा, आदि–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक वस्तु से अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु अभिप्रेत है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में और उन कारणों से जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ऐसा करना आवश्यक है, उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे कि वह राज्य सरकारों के परामर्श से–

(क) उक्त अनुसूची में से किसी वस्तु को जोड़ सके;

(ख) उक्त अनुसूची में से किसी वस्तु को हटा सके ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी किसी अधिसूचना द्वारा यह भी निदेश दिया जा सकेगा कि उक्त अनुसूची में ऐसी वस्तु के सामने यह घोषणा करते हुए प्रविष्टि की जाएगी कि ऐसी वस्तु छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आवश्यक वस्तु समझी जाएगी,

परन्तु केन्द्रीय सरकार, लोकहित में और उन कारणों से जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि को उक्त छह मास की अवधि से आगे बढ़ा सकेगी

(4) केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसी वस्तु के संबंध में, जिसके लिए संसद् को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 33 के आधार पर विधि बनाने की शक्ति है, उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी।

(5) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

3. आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां–(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि किसी आवश्यक वस्तु के प्रदाय को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए या उसका साम्यिक वितरण और उचित कीमतों पर उसकी उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिए अथवा भारत की रक्षा के लिए या सैनिक संक्रियाओं के दक्ष संचालन के लिए किसी आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसा करना, आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्यिक के विनियमन या प्रतिषेध के लिए उपबंध कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तद्धीन किए गए आदेश द्वारा निम्नलिखित का उपबन्ध किया जा सकेगा–

(क) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों द्वारा या अन्यथा विनियमन;

(ख) किसी बंजर या कृषि भूमि को, चाहे वह किसी भवन से अनुलग्न हो या न हो उस पर सामान्यतः खाद्य फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों को उगाने के लिए खेती के अधीन लाना और सामान्यतः खाद्य फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों की खेती अन्यथा बनाए रखना या बढ़ाना;

(ग) ऐसी कीमत नियंत्रित करना जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा;

(घ) किसी आवश्यक वस्तु के भण्डारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, अर्जन, प्रयोग या खपत का अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों द्वारा या अन्यथा विनियमन;

(ङ) सामान्यतः विक्रय के लिए रखी गई किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोक रखने का प्रतिषेध;

(च) किसी व्यक्ति से, जो किसी आवश्यक वस्तु को स्टाक में रखता है या उसके उत्पादन में या उसके क्रय या विक्रय के कारबार में लगा हुआ है, यह अपेक्षा करना कि वह–

(क) उस सम्पूर्ण मात्रा या उसके विनिर्दिष्ट भाग का जिसे वह स्टाक में रखता है या जिसका उसने उत्पादन किया है या जिसे उसने प्राप्त किया है, अथवा

(ख) किसी ऐसी वस्तु की दशा में, जिसका वह सम्भवतः उत्पादन करेगा या जिसे वह सम्भवतः प्राप्त करेगा, उसके द्वारा उत्पादन या प्राप्त करने पर उस सम्पूर्ण वस्तु या उसके विनिर्दिष्ट भाग का,

केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को या ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम को या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को और ऐसी परिस्थितियों में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, विक्रय करे।

स्पष्टीकरण 1–खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों के सम्बन्ध में इस खण्ड के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा, संबंधित क्षेत्र में ऐसे खाद्यान्नों, खाद्य तेलों के प्राक्कलित उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्र में उत्पादकों द्वारा विक्रय की जाने वाली मात्रा नियत की जा सकेगी और श्रेणी के आधार पर ऐसी मात्रा उत्पादकों द्वारा धृत या उनकी जोत के कुल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भी नियत की जा सकेगी या उसके नियतन के लिए उपबंध किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण 2–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, उत्पादन के अन्तर्गत, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, खाद्य तेलों और चीनी का विनिर्माण भी है;

(छ) खाद्य पदार्थों से सम्बन्ध ऐसे वर्ग के किन्हीं वाणिज्यिक या वित्तीय संव्यवहारों का विनियमन या प्रतिषेध जो कि आदेश देने वाले प्राधिकारी की राय में लोकहित के लिए हानिकर है यदि अविनियमित रहे तो हानिकर हो सकते हैं;

(ज) पूर्वोक्त बातों में से किसी का विनियमन या प्रतिषेध करने की दृष्टि से किसी जानकारी या आंकड़ों का संग्रहण;

(झ) किसी आवश्क वस्तु के उत्पादन, प्रदाय या वितरण अथवा उसमें व्यापार और वाणिज्य में लगे व्यक्तियों से यह अपेक्षा करना कि वे अपने कारबार से सम्बद्ध ऐसी पुस्तकें, लेखे और अभिलेख रखें और निरीक्षण के लिए पेश करें तथा उसके संबंध में ऐसी जानकारी दें जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए;

(झझ) अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों या दस्तोवजों का दिया जाना या जारी किया जाना, उनके लिए फीसें लिया जाना, ऐसी किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या अन्य दस्तावेजों की शर्तों के सम्यक् पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि का, यदि कोई है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, जमा किया जाना, ऐसी जमा की गई राशि या उसके किसी भाग का किन्हीं ऐसी शर्तों के उल्लंघन पर समपहरण तथा ऐसे समपहरण का ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए न्यायनिर्णयन;

(ञ) कोई आनुषंगिक और अनुपूरक विषय, जिनके अन्तर्गत विशिष्टतया परिसरों, विमानों, गाड़ियों अथवा अन्य प्रवहणों में प्रवेश तथा उनकी एवं पशुओं की तलाशी और परीक्षा एवं ऐसा प्रवेश, तलाशी या परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कार्य भी है

(i) किन्हीं ऐसी चीजों का, जिनकी बाबत ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया ही जाने वाला है, और किन्हीं ऐसे पैकेजों, आवेष्टकों या पात्रों का, जिनमें ऐसी चीजें पाई जाएं, अभिग्रहण;

(ii) ऐसी चीजों को ले जाने में प्रयुक्त विमानों, जलयानों, गाड़ियों अथवा अन्य प्रवहणों या पशुओं का उस दशा में अभिग्रहण, जब ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा विमान, जलयान, गाड़ी या अन्य प्रवहण या पशु इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समपहरणीय है;

(iii) किन्हीं ऐसी लेखा–पुस्तकों और दस्तावेजों का अभिग्रहण, जो ऐसे व्यक्ति की राय में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हों तथा वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में ऐसी लेखा–पुस्तकों या दस्तावेजों का अभिग्रहण किया गया है, उस अधिकारी की उपस्थिति में, जिसकी अभिरक्षा में ऐसी लेखा–पुस्तकें या दस्तावेजें हैं, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे उद्धरण लेने का हकदार होगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति किसी आवश्यक वस्तु का विक्रय उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश के अनुपालन में करता है वहां उसके लिए उसे ऐसी कीमत दी जाएगी जो इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित है,–

(क) जहां कीमत, इस धारा के अधीन नियत नियंत्रित कीमत से, यदि कोई हो, संगत रह कर करार पाई जा सकती है वहां वह करार पाई गई कीमत;

(ख) जहां ऐसा कोई करार नहीं हो सकता वहां नियंत्रित कीमत के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश से परिकलित कीमत;

(ग) जहां न तो खण्ड (क) और न खण्ड (ख) ही लागू होता है वहां उस परिक्षेत्र में विक्रय की तारीख को अभिभावी बाजार दर पर परिकलित कीमत ।

(3क) (i) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी परिक्षेत्र में किन्हीं खाद्य पदार्थों में कीमतों के चढ़ाव को नियंत्रित करने या उनमें जमाखोरी को निवारित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वह कीमत, जिस पर कि उस परिक्षेत्र में खाद्य पदार्थ का विक्रय उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किए गए आदेश के अनुपालन में किया जाएगा, इस उपधारा के उपबन्धों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

(ii) इस उपधारा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना तीन मास से अधिक की ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो।

(iii) जहां इस उपधारा के अधीन अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् कोई व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट प्रकार के खाद्य पदार्थ का, और ऐसे विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में, विक्रय उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश के अनुपालन में करता है, वहां उसके लिए विक्रेता को निम्नलिखित कीमत दी जाएगी,–

(क) जहां कीमत, इस धारा के अधीन नियत खाद्य पदार्थ की नियंत्रित कीमत से, यदि कोई हो, संगत रह कर करार पाई जा सकती है वहां वह करार पाई गई कीमत;

(ख) जहां ऐसा कोई करार नहीं हो सकता वहां नियंत्रित कीमत के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश से परिकलित कीमत;

(ग) जहां न तो खण्ड (क) और न खण्ड (ख) ही लागू होता है वहां अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्वगामी तीन मास की कालावधि के दौरान उस परिक्षेत्र में अभिभावी औसत बाजार दर के प्रति निर्देश से परिकलित कीमत।

(त) खण्ड (iii) के उपखण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए उस परिक्षेत्र में अभिभावी औसत बाजार दर का अवधारण इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उस परिक्षेत्र की या पड़ोस के परिक्षेत्र की बाबत अभिभावी ऐसे बाजार दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा जिनके लिए प्रकाशित आंकड़े उपलभ्य हैं, और ऐसे अवधारित औसत बाजार दर अन्तिम होंगे और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे।

(3ख) जहां उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई है कि वह केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम को, किसी ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों का, विक्रय करे जिनके संबंध में उपधारा (3क) के अधीन या तो कोई अधिसूचना निकाली ही नहीं गई है या ऐसी अधिसूचना निकाली गई है किन्तु प्रवृत्त नहीं है, वहां संबंधित व्यक्ति को, उपधारा (3) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उतनी रकम का संदाय, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, ऐसे खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की वसूली कीमत के बराबर हो, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए किया जाएगा :–

(क) यदि ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों के लिए कोई नियंत्रित कीमत इस धारा के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन नियत की गई हो तो उस कीमत का;

(ख) फसल की साधारण सम्भावनाओं का;

(ग) उपभोक्ताओं की विशेष रूप से उपभोक्ताओं के दुर्बल वर्गों को, ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्न, खाद्य तिलहन या खाद्य तेल युक्तियुक्त कीमत पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता का; और

(घ) यदि संबंधित श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की कीमत के संबंध में कृषि मूल्य आयोग की सिफिरिशें, यदि कोई हों, तो उन सिफारिशों का,।

(3ग) जहां उपधारा (2) के खंड (च) के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश द्वारा किसी उत्पादक से यह अपेक्षित है कि वह किसी प्रकार की चीनी (चाहे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को) विक्रीत करे, चाहे उपधारा (3क) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई थी या अन्यथा, वहां उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उस उत्पादक को केवल वह रकम संदत्त की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, अवधारित करे–

(क) उचित और लाभकारी कीमत, यदि कोई हो, जो इस धारा के अधीन विचार में ली जाने वाली गन्ने की कीमत के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की गई हों;

(ख) चीनी की विनिर्माण लागत;

(ग) उस पर संदत्त या संदेय शुल्क या कर, यदि कोई हो; और

(घ) चीनी विनिर्माण के कारबार में लगाई गई पूंजी पर युक्तियुक्त प्रत्यागम :

परंतु केंद्रीय सरकार भिन्न–भिन्न क्षेत्रों या कारखानों अथवा भिन्न–भिन्न प्रकार की चीनी के लिए, समय–समय पर, भिन्न–भिन्न कीमतें अवधारित कर सकेगा :–

परंतु यह और कि जहां चीनी सत्र 2008–2009 तक उत्पादित चीनी के संबंध में उद्गृहीत चीनी की कीमत का कोई अनंतिम अवधारण किया गया है, वहां अंतिम कीमत, इस उपधारा के उपबंधों के अधीन, जैसी वह 1 अक्तूबर, 2009 से ठीक पूर्व थी, अवधारित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण 1–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) उचित और लाभकारी कीमत" से इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित गन्ने की कीमत अभिप्रेत है;

(ख) चीनी की विनिर्माण लागत" से गन्ने के चीनी में संपरिवर्तन पर उपगत शुद्ध लागत अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उत्पादक द्वारा वहन की गई सीमा तक क्रय केन्द्र से कारखाने के द्वार तक गन्ने के परिवहन की शुद्ध लागत भी है;

(ग) उत्पादक" से चीनी विनिर्माण का कारबार करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) लगाई गई पूंजी पर युक्तियुक्त प्रत्यागम" से चीनी के विनिर्माण के संबंध में कुल स्थिर आस्तियों सहित उत्पादक की कामकाज पूंजी पर प्रत्यागम अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत इस धारा के अधीन अवधारित उचित और लाभकारी कीमत पर गन्ने का उपापन भी है।

स्पष्टीकरण 2–शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट उचित और लाभकारी कीमत" खण्ड (ख) में निर्दिष्ट चीनी का विनिर्माण लागत" और खंड (घ) में निर्दिष्ट लगाई गई पूंजी पर युक्तियुक्त प्रत्यागम पदों में किसी राज्य सरकार के किसी आदेश या किसी अधिनियमिति के अधीन संदत्त या संदेय कीमत तथा उत्पादक और गन्ना उगाने वाले या गन्ना उगाने वालों की किसी सहकारी समिति के बीच तय की गई कोई कीमत, सम्मिलित नहीं है।,

(3घ) केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि कोई भी उत्पादक, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, ऐसे कारखाने के जिसमें वह उत्पादित की जाती है, बंधित गोदामों से, भले ही ऐसे गोदाम उस कारखाने के परिसर के भीतर स्थित हों या बाहर अथवा, यथास्थिति, आयातकर्ताओं या निर्यातकर्ताओं के भांडागारों से, उस सरकार द्वारा जारी निदेश के अधीन या उसके अनुसार के सिवाय, किसी प्रकार की चीनी का विक्रय नहीं करेगा या उसका किसी अन्य रीति में व्ययन नहीं करेगा अथवा परिदान नहीं करेगा या किसी प्रकार की चीनी को नहीं हटाएगा :–

परंतु यह धारा, किसी उत्पादक या आयातकर्ता द्वारा ऐसी चीनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ङ) में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नए बैंक के पक्ष में गिरवी रखने को प्रभावित नहीं करेगी, तथापि ऐसा कोई बैंक उसके पास गिरवी रखी गई चीनी का, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, विक्रय नहीं करेगा।

(3ङ) केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी उत्पादक या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या मान्यताप्राप्त व्यौहारी या उत्पादकों अथवा मान्यताप्राप्त व्यौहारियों

के किसी वर्ग को किसी प्रकार की चीनी के, उस निदेश में विनिर्दिष्ट रीति से, उत्पादन, स्टाक के रखरखाव, भंडारकरण, विक्रय, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, तौल, व्ययन, परिदान और वितरण के संबंध में कार्रवाई करने के लिए निदेश दे सकेगी।

स्पष्टीकरण—उपधारा (3घ) और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, —

(क) **उत्पादक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो चीनी विनिर्माण का कारबार कर रहा है;

(ख) **मान्यताप्राप्त व्यौहारी"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो चीनी का क्रय करने, विक्रय करने या वितरण करने का कारोबार कर रहा है;

(ग) **चीनी"** के अन्तर्गत रोपण सफेद चीनी, कच्ची चीनी और परिष्कृत चीनी भी है, भले ही वह देश में ही उत्पादित हो या आयात की गई हो ।,

(4) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन और प्रदाय को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को (जो इसके पश्चात् इसमें प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में निर्दिष्ट है) उस वस्तु के उत्पादन और प्रदाय में संलग्न किसी ऐसे उपक्रम या उसके किसी भाग की बाबत, जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो, नियंत्रण के ऐसे कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जैसे उसमें उपबंधित किए जाएं और जब तक ऐसे आदेश किसी उपक्रम या उसके भाग की बाबत प्रवृत्त हैं—

(क) जो भी आदेश प्राधिकृत नियंत्रक को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं उनके अनुसार वह अपने कृत्यों का प्रयोग करेगा किन्तु इस प्रकार कि उसे उपक्रम के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्तियों के कृत्यों का अवधारण करने वाली किसी अधिनियमिति या किसी लिखत के उपबन्धों से असंगत कोई निदेश वहां तक के सिवाय, जहां तक कि आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट या उपबंधित हों, देने की शक्ति नहीं होगी; और

(ख) आदेश के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा जो भी आदेश दिए जाएं उनके अनुसार उपक्रम या उसके भाग को चलाया जाएगा और उस उपक्रम या उस भाग के सम्बन्ध में प्रबन्ध के किन्हीं कृत्यों से सम्बद्ध कोई भी व्यक्ति ऐसे सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(5) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश—

(क) सामान्य प्रकार के या व्यक्तियों के किसी वर्ग को प्रभावित करने वाले आदेश की दशा में, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा; और

(ख) किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को निदिष्ट आदेश की दशा में, ऐसे व्यष्टि पर—

(i) उस व्यष्टि को देकर या देने के लिए प्रस्तुत करके तामील किया जाएगा, या

(ii) यदि वह इस प्रकार दिया या देने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो उसे उन परिसरों के जिनमें वह व्यष्टि रहता है बाहरी दरवाजे या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगा

कर तामील किया जाएगा और उसकी एक लिखित रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पड़ोस में रहने वाले दो व्यक्तियों द्वारा साबित की जाएगी ।

(6) केन्द्रीय सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किया गया हर एक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

धारा 7. शास्तियां– (1) जो कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह–

(क) (i) उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ज) या खण्ड (झ) के प्रति निर्देश से किए गए आदेश की दशा में कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, तथा

(ii) किसी अन्य आदेश की दशा में कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा :

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा;

(ख) तो ऐसी सम्पत्ति जिसकी बाबत आदेश का उल्लंघन किया गया है सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जाएगी,

(ग) तो कोई पैकेज, आवेष्टक या पात्र जिसमें सम्पत्ति पाई गई हो और कोई पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहण जिसे सम्पत्ति को ले जाने में प्रयुक्त किया गया हो, न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिए जाएंगे ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन निदेश दिया गया हो उस निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा ।

(2क) यदि उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया कोई व्यक्ति उसी उपबन्ध के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः सिद्धदोष ठहराया जाएगा तो, वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा :

(2ख) उपधारा (1), (2) और (2क) के प्रयोजनों के लिए यह बात कि उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध से जनसाधरण या किसी व्यक्ति को कोई खास हानि नहीं हुई है, यथास्थिति, तीन मास या छह मास से कम की अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश देने का पर्याप्त और विशेष कारण होगी।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध से सिद्धदोष हुआ कोई व्यक्ति, किसी आवश्यक वस्तु की बाबत किसी आदेश के उल्लंघन के लिए उस उपधारा के अधीन किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष होता है वहां वह न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति सिद्धदोष किया जाए उस किसी शास्ति के अतिरिक्त, जो उस धारा के अधीन उस पर अधिरोपित की जाए, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति उस आवश्यक वस्तु से छह मास से अन्यून ऐसी कालावधि तक, जैसी आदेश में न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, कोई कारोबार नहीं करेगा,।

धारा 10क. अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन दण्डनीय हर एक अपराध संज्ञेय होगा ।

धारा 10ख. न्यायालय को अधिनियम के अधीन सिद्धदोष कम्पनियों के नाम, कारबार के स्थान आदि प्रकाशित करने की शक्ति–(1) जब कोई कम्पनी इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराई जाती है तब उस कम्पनी को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह कम्पनी का नाम और कारबार का स्थान, उल्लंघन का स्वरूप, यह बात कि कम्पनी उस प्रकार सिद्धदोष ठहराई गई है और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिन्हें न्यायालय मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, कम्पनी के खर्चे पर ऐसे समाचारपत्रों में या ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित कराए जैसी, न्यायालय निदिष्ट करे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील करने की अवधि अपील किए बिना समाप्त न हो गई हो या ऐसी अपील किए जाने पर निपटा न दी गई हो ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रकाशन के खर्चे कम्पनी से इस प्रकार वसूल किए जा सकेंगे मानो वे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने हों ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए कम्पनी" का वही अर्थ है जो धारा 10 के स्पष्टीकरण के खण्ड (क) में है।

धारा 10ग. आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा–(1) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के अभियोजन में जिसमें अभियुक्त की आपराधिक मनःस्थिति होनी अपेक्षित है न्यायालय ऐसी मनःस्थिति विद्यमान होने की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह साबित करना प्रतिवाद होगा कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत उसकी ऐसी मनःस्थिति नहीं थी ।

स्पष्टीकरण–इस धारा में आपराधिक मनःस्थितिष के अन्तर्गत आशय, मन्तव्य, किसी तथ्य की जानकारी और किसी तथ्य पर विश्वास या विश्वास करने कारण भी है।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई तथ्य तभी साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय को विश्वास है कि उसका विद्यमान होना युक्तियुक्त रूप से संदेह के परे है न कि जब उसका विद्यमान होना केवल अत्यधिक संभावनाओं से सिद्ध होता है,।

धारा 11. अपराधों का संज्ञान—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उस दशा के सिवाय नहीं करेगा जिसमें कि ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 में यथापरिभाषित लोक सेवक है या कोई व्यथित व्यक्ति या कोई मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम है, चाहे ऐसा व्यक्ति उस संगम का सदस्य है या नहीं,।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 12क के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम अभिप्रेत है।

धारा 12. जुर्माने के बारे में विशेष उपबन्ध—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति के बारे में पांच हजार रुपए से अधिक जुर्माने का दण्डादेश पारित करना किसी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो विधिसम्मत होगा ।

धारा 12क. संक्षेपतः विचारण की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसमें किसी आवश्यक वस्तु के जो उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवश्यक वस्तु नहीं है,, उत्पादन, प्रदाय या वितरण अथवा उसमें व्यापार या वाणिज्य और अन्य सुसंगत बातों के हित में यह आवश्यक है कि ऐसी आवश्यक वस्तु के सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन का सक्षेपतः विचारण किया जाए तो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे आदेश को इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रयोजन के लिए विशेष आदेश विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसी हर एक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी :

परन्तु—

(क) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारम्भ के पश्चात् निकाली गई हर ऐसी अधिसूचना जब तक वह पहले ही विखंडित न कर दी जाए, राजपत्र में उस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् दो वर्ष के अवसान पर प्रवृत्त न रह जाएगी;

(ख) ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हर ऐसी अधिसूचना, जब तक वह पहले ही विखंडित न कर दी जाए, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् दो वर्ष के अवसान पर प्रवृत्त न रह जाएगी :
परन्तु यह और कि यदि किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी विशेष आदेश के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले में संक्षिप्त विचारण के रूप में कार्यवाही उस अधिसूचना के विखण्डित किए जाने के या प्रवृत्त न रह जाने के पूर्व प्रारम्भ की गई हो तो पूर्वगामी परन्तुक की कोई बात उस

मामले पर कोई प्रभाव न डालेगी और इस धारा के उपबन्ध उस मामले को ऐसे लागू बने रहेंगे मानो वह अधिसूचना विखण्डित न की गई हो या उसका प्रवृत्त रहना समाप्त न हुआ हो।,

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, उन सभी अपराधों का जो, –

(क) धारा (3) के अधीन किए गए किसी आदेश के–

(ii) खाद्य पदार्थ की बाबत जिसके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल भी है; या

(iii) ओषधि की बाबत,

उलंल्घन से संबंधित है; और

(ख) उस दशा में जब किसी विशेष आदेश के संबंध में उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवृत्त है ऐसे विशेष आदेश के उल्लंघन से संबंधित है,

राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः विचारण किया जाएगा और जहां तक हो सके उक्त संहिता की धारा 262 से लेकर धारा 265 तक के उपबन्ध ऐसे विचारण को लागू होंगे :

परन्तु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में दोषसिद्धि की दशा में, मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह इतनी अवधि के लिए जो एक वर्ष से अधिक की न हो कारावास का दण्डादेश पारित करेः

परन्तु यह और कि यदि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रारम्भ में या उसके दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश पारित करना पड़े या किसी अन्य कारण से मामले का संक्षेपतः विचारण करना अवांछनीय है तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, उस भाव का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् किन्हीं भी साक्षियों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी हो पुनः बुलाएगा और मामले को उक्त संहिता द्वारा उपबंधित रीति से सुनने या पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा ।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन संक्षेपतः विचारित किसी मामले में सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा उस दशा में कोई अपील नहीं हो सकेगी जिसमें कि मजिस्ट्रेट एक मास से अनधिक के कारावास का और दो हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने का, दण्डादेश पारित करता है चाहे ऐसे दण्डादेश के अतिरिक्त सम्पत्ति के समपहरण का कोई आदेश या उक्त संहिता की धारा 452, के अधीन कोई आदेश किया जाता है या नहीं, किन्तु उस दशा में अपील हो सकेगी जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त परिसीमाओं से अधिक का दण्डादेश पारित किया जाता है।

(4) उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश के, जो विशेष आदेश नहीं है, उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों का, जो आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ के ठीक पहले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित है और जहां किसी विशेष आदेश के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है वहां ऐसे विशेष आदेश के उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों का, जो ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित है, इस धारा के अधीन उस दशा में संक्षेपतः विचारण किया जाएगा, जब, यथास्थिति, ऐसे प्रारम्भ या उक्त तारीख से पहले किसी साक्षी की परीक्षा नहीं हुई है और यदि वह मामला किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित है जो इस धारा के अधीन उसका संक्षेपतः विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है तो वह इस प्रकार सक्षम मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।,

धारा 12ख. सिविल न्यायालयों द्वारा व्यादेशों आदि का दिया जाना—इस अधिनियम के अधीन या तद्धी बनाए गए किसी आदेश के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत से किए गए या किए गए तात्पर्यित किसी कार्य की बाबत उस सरकार या उस लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई सिविल न्यायालय तब तक कोई व्यादेश नहीं देगा या किसी अन्य अनुतोष के लिए आदेश नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यादेश या अनुतोष के लिए आवेदन की सूचना उस सरकार या अधिकारी को न दे दी गई हो।,

धारा 13. आदेशों के बारे में उपधारणा—जहां कोई आदेश इस धारा के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित हुआ तात्पर्यित है वहां न्यायालय यह उपधारित करेगा कि ऐसा आदेश भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अर्थ में उस प्राधिकारी द्वारा वैसे किया गया था ।

धारा 14. कतिपय मामलों में सबूत का भार—जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किए गए किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है जो उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञा—पत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज का कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञा—पत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है, उसी पर होगा।

धारा 15क. लोक सेवकों का अभियोजन—जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो सेवक है, किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में उसके कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्य करने के दौरान उसके द्वारा किया गया अभिकथित है वहां कोई न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा, अर्थात् : —

(क) उस व्यक्ति की दशा में जो अभिकथित अपराध के किए जाने के समय संघ के कार्यकलापों के संबंध में, यथास्थिति, नियोजित है या था, केन्द्रीय सरकार;

(ख) उस व्यक्ति की दशा में जो अभिकथित अपराध के लिए किए जाने के समय राज्य के कार्यकलापों के संबंध में, यथास्थिति, नियोजित है या था, राज्य सरकार।,

विद्युत अधिनियम, 2003

धारा 2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(15) **"उपभोक्ता"** से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उसके स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत का प्रदाय किसी अनुज्ञप्तिधारी या सरकार अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जनता को विद्युत का प्रदाय करने के कारबार में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके परिसरों को विद्युत प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति के संकर्म के साथ तत्समय संयोजित किया गया है;

(19) "वितरण प्रणाली" से, पारेषण लाइनों या उत्पादन केन्द्र संयोजन पर परिदान बिंदुओं और उपभोक्ताओं के संस्थापन के संयोजन बिन्दु के बीच तारों और सहयुक्त सुविधाओं की प्रणाली अभिप्रेत है;

(20) "विद्युत लाइन" से ऐसी कोई लाइन अभिप्रेत है, जिसका उपयोग किसी प्रयोजन के लिए विद्युत ले जाने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं–
(क) किसी ऐसी लाईन के लिए कोई सहारा अर्थात् कोई संरचना, टावर, खंभा या ऐसी अन्य चीज जिसमें, जिस पर, जिसके द्वारा या जिससे किसी ऐसी लाइन को सहारा मिलता है या वह ले जाई जाती है या निलंबित की जाती है अथवा सहारा मिल सकता है, वह ले जाई जा निलंबित की जा सकती है; और
(ख) विद्युत ले जाने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसी लाइन से संयोजित कोई साधित्र भी है,

(23) "विद्युत" से, –
(क) किसी प्रयोजन के लिए उत्पादित, पारेषित, प्रदाय की गई या व्यापार की गई; या
(ख) किसी संदेश के पारेषण के सिवाय किसी प्रयोजन के लिए उपयोग की गई,
विद्युत उर्जा अभिप्रेत है,

(28) "उत्पादन कंपनी" से अभिप्रेत है कोई कंपनी या निगम निकाय या संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो किसी उत्पादन केन्द्र का स्वामी है या उसे प्रचालित करता है या उसका रखरखाव करता हो,

(40) "लाईन" से ऐसा कोई तार, केबल, ट्यूब, पाइप, विद्युत–रोधक, चालक या अन्य वैसी ही चीज (उसकी केसिंग या कोटिंग सहित) अभिप्रेत है जो विद्युत ले जाने में उपयोग के लिए डिजाइन या अनुकूलित की गई है और इसके अंतर्गत ऐसी कोई लाइन भी है जो परिवेष्टित करती है या आलंब देती है या परिवेष्टित की गई है या आलंब दिया गया है अथवा उसके सामीप्य में स्थापित किया गया है या किसी ऐसी लाईन से सहारा दिया गया है या ले जाया गया है या उसके संयोजन में निलंबित की जाती है,

अपराध और शास्तियां

धारा 135 बिजली की चोरी– (1) जो कोई बेइमानी से, –

(क) यथास्थिति, किसी अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता की शिरोपरि, भूमिगत या जल के अंदर की लाइनों या केबिलों या सर्विस तारों या सर्विस सुविधाओं से कोई टैप करेगा, कनेक्शन करेगा या करवाएगा; या

(ख) मीटर से छेड़छाड़ करेगा, बिगाड़े गए मीटर, धारा प्रत्यावर्ती ट्रांसफार्मर, लूप कनेक्शन या किसी अन्य युक्ति या पद्धति को संस्थापित करेगा या उसका उपयोग करेगा, जिससे विद्युत धारा के ठीक–ठीक या उचित रजिस्ट्रीकरण, अंशांकन या मापने में बाधा पड़ती है या उसका किसी रीति से अन्यथा परिणाम निकलता है, जिससे विद्युत की चोरी होती है या विद्युत बर्बाद होती है; या

(ग) किसी विद्युत मीटर, साधित्र, उपस्कर या तार को नुकसान पहुंचाएगा या उसे नष्ट करेगा अथवा उनमें से किसी को इस प्रकार नुकसान पहुंचवाएगा या नाश करवाएगा या होने देगा, जिससे कि विद्युत के उचित या ठीक–ठीक मापने में बाधा पडे,

(घ) बिगाड़े गए मीटर के माध्यम से विद्युत का उपयोग करेगा है,

(ङ) जिस प्रयोग के लिए विद्युत को प्राधिकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अतिरिक्त प्रयोजन के लिए विद्युत का उपयोग करता है,

जिससे कि विद्युत खिंचती है या उसका उपभोग होता है या उपयोग होता है तो वह, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा,

परंतु जहां खींचा गया, उपभोग किया गया, उपयोग किया गया विद्युत भार या खींचे जाने, उपभोग किए जाने, उपयोग किए जाने के लिए, किए गए प्रयास से विद्युत भार–

(i) 10 किलोवाट से अधिक नहीं होता है, वहां प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना, विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के तीन गुना से कम नहीं होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, अधिरोपित जुर्माना, विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के छह गुना से कम नहीं होगा;

(ii) 10 किलोवाट से अधिक हो तो, वहां प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना, विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के तीन गुना से कम नहीं होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दंडादेश ऐसे, कारावास का, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं हो सकेगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और जुर्माना, जो विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ के छह गुना से कम नहीं होगा,

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति की द्वितीय और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, जहां 10 किलोवाट से अधिक का भार, खींचा, उपभोग या उपयोग किया गया है या खींचने का या उपभोग का या उपयोग का प्रयत्न किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी अवधि के लिए, जो तीन मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, विद्युत के किसी प्रदाय को प्राप्त करने से भी विवर्जित किया जाएगा और वह किसी अन्य स्रोत या उत्पादन केंद्र से उस अवधि के लिए विद्युत प्रदाय प्राप्त करने से भी विवर्जित होगा,

परंतु यह भी कि यदि यह साबित हो जाता है कि उपभोक्ता के पास ऐसे कृत्रिम साधन या साधन, यथास्थिति, बोर्ड या अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता द्वारा प्राधिकृत न किए गए साधन विद्युत के खींचने, उपभोग या उपयोग के लिए विद्यमान हैं तो जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि, विद्युत का खींचना, उपभोग या उपयोग ऐसे उपभोक्ता द्वारा बेईमानीपूर्वक किया गया है ।

(1क) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता, विद्युत की ऐसी चोरी के पता चलने पर विद्युत के प्रदाय को तुरंत रोक सकेगा,

परंतु समुचित आयोग द्वारा, इस प्रयोजन के लिए यथा प्राधिकृत, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का केवल ऐसा अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत पंक्ति से उच्चतर पंक्ति का, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का कोई अन्य प्राधिकारी ही विद्युत के प्रदाय की लाईन को काटेगा,

परंतु यह और कि, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का ऐसा अधिकारी, ऐसे काटे जाने के समय से, चौबीस घंटे के भीतर अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में ऐसे अपराध को किए जाने के संबंध में लिखित रूप में एक शिकायत दाखिल करेगा,

परंतु यह भी कि, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्धारित रकम या विद्युत प्रभारों को जमा करने या उसका संदाय करने पर, इस खंड के दूसरे परंतुक में यथा निर्दिष्ट शिकायत को दाखिल करने की बाध्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जमा या संदाय के अड़तालीस घंटे के भीतर विद्युत की प्रदाय लाईन को प्रत्यावर्तित करेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त यथास्थिति, प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का कोई अधिकारी–,

(क) ऐसे किसी स्थान या परिसर में, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग किया गया है, किया जा रहा है, प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा, तोड़कर खोल सकेगा, या तलाशी ले सकेगा; या

(ख) ऐसी सभी युक्तियों, यंत्रों, तारों और किसी अन्य सुकारक या वस्तु की जो विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग के लिए प्रयोग की गई है, या की जा रही है, तलाशी ले सकेगा, उसका अभिग्रहण कर सकेगा और उसे हटा सकेगा;

(ग) ऐसी लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा या उन्हें अभिगृहीत कर सकेगा जो उसकी राय में उपधारा (1) के अधीन अपराध की बाबत किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या

सुसंगत होगी और ऐसे व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा से ऐसी लेखा पुस्तकें या दस्तावेज अभिगृहीत किए गए हैं, अपनी उपस्थिति में उनकी प्रतियां बनाने या उनसे उद्धरण लेने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

(3) तलाशी के स्थान का अधिभोगी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति, तलाशी के दौरान उपस्थित रहेगा और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सभी वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाएगी और ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी जो सूची पर हस्ताक्षर करेगा,

परन्तु यह कि किन्हीं घरेलू स्थानों या घरेलू परिसरों का निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे परिसर पर कोई अधिभोगी वयस्क पुरुष उपस्थित न हो ।

(4) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध यथासंभव, इस अधिनियम के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

धारा 136. विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी–(1) जो कोई बेईमानी से–

(क) किसी टावर, पोल, किसी अन्य संस्थापन या संस्थापन के स्थान या किसी अन्य स्थान या स्थल, जहां वह अधिकारपूर्वक या विधिपूर्वक भंडारित किया गया, जमा किया गया, रखा गया, स्टॉक किया गया है, स्थित या अवस्थित हो, जिसके अंतर्गत परिवहन के दौरान अवस्थित करना भी है, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाईन, सामग्री या मीटर काटेगा या हटाएगा, या ले जाएगा या अन्तरित करता है वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं; या

(ख) किसी विद्युत लाईन, सामग्री या मीटर को स्वामी की सहमति के बिना भंडारित करेगा, कब्जे में रखेगा या अन्यथा अपने परिसर में, अभिरक्षा में या नियंत्रण में रखेगा, चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं; या

(ग) किसी विद्युत लाईन, सामग्री या मीटर को स्वामी की सहमति के बिना लेगा, ले जाएगा, या एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाएगा, चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं,

विद्युत लाईनों और सामग्री की चोरी का अपराध किया गया कहा जाएगा और वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसे, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, उस उपधारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का पुनःदोषी है, तो वह दूसरे और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा ।

धारा 137. चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दंड—जो कोई, किसी चुराई गई विद्युत लाइन या सामग्री को यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई गई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

धारा 138. अनुज्ञप्तिधारी के मीटरों या संकर्मों से छेड़छाड़—(1) जो कोई—

(क) किसी मीटर, सूचक या साधित्र को किसी ऐसी विद्युत लाइन से जिसके माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय की जाती है, अप्राधिकृत रूप से संयोजित करेगा या उसे ऐसी विद्युत लाईन से विच्छेदित करेगा; या

(ख) किसी मीटर, सूचक या साधित्र को, किसी ऐसी विद्युत लाइन या अन्य संकर्म से, जो किसी अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति है, उस समय अप्राधिकृत रूप से पुनः संयोजित करेगा जब उक्त विद्युत लाईन या अन्य संकर्म काट दिया गया है या विच्छेदित कर दिया गया है; या

(ग) किन्हीं संकर्मों को अनुज्ञप्तिधारी के किन्हीं अन्य संकर्मों के साथ संपर्क के प्रयोजन के लिए लगाएगा या लगवाएगा या संयोजित करेगा;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी के किसी मीटर, सूचक या साधित्र को विद्वेषपूर्वक हानि पहुंचाएगा या ऐसे किसी मीटर, सूचक या साधित्र की अनुक्रमणिका में जानबूझकर या कपटपूर्वक परिवर्तन, सूचक या साधित्र सूचकांक को परिवर्तित करेगा या किसी ऐसे मीटर, सूचक या साधित्र को सम्यकतः रजिस्टर करने से निवारित करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्मान से जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से और जारी रहने वाले अपराध की दशा में दैनिक जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा संयोजन जैसा खंड (क) में निर्दिष्ट है या ऐसा पुनः संयोजन जैसा खंड (ख) में निर्दिष्ट है या ऐसा संपर्क जैसा खंड (ग) में निर्दिष्ट है करने के लिए या ऐसा परिवर्तन या निवारण करने के लिए जैसा खंड (घ) में निर्दिष्ट है साधन विद्यमान है और वह मीटर, सूचक या साधित्र, उपभोक्ता की अभिरक्षा में या उसके नियंत्रण के अधीन है, चाहे वह उसकी संपत्ति हो या न हो, तो जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता यह उपधारणा की जाएगी कि, यथास्थिति, ऐसा संयोजन, पुनः संयोजन, संपर्क, परिवर्तन, निवारण या अनुचित उपयोग ऐसे उपभोक्ता द्वारा जानते हुए और जानबूझकर किया गया है।

धारा 139. संकर्मों को उपेक्षापूर्वक तोड़ना या नुकसान पहुंचाना—जो कोई विद्युत के प्रदाय से संयोजित किसी सामग्री को उपेक्षापूर्वक तोड़ेगा, क्षति पहुंचाएगा, नीचे फेंकेगा या नुकसान करेगा वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

धारा 140. संकर्मों को साशय क्षति पहुंचाने के लिए शास्ति—जो कोई विद्युत के प्रदाय को काटने के आशय से किसी विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्मों को काटेगा या क्षति पहुंचाएगा या काटने या

क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करेगा वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

धारा 141. सार्वजनिक लैम्पों को बुझाना—जो कोई किसी सार्वजनिक लैंप को विद्वेषपूर्वक बुझाएगा, वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

धारा 142. समुचित आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अननुपालन के लिए दंड—यदि किसी व्यक्ति द्वारा समुचित आयोग के समक्ष कोई शिकायत फाइल की जाती है या यदि उस आयोग का समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का या आयोग द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है, तो समुचित आयोग ऐसे व्यक्ति को, मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी अन्य शास्ति पर जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी होगा, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में प्रत्येक उल्लंघन के लिए ऐसी रकम का संदाय करेगा जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और लगातार असफलता की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति का, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसे निदेश के प्रथम उल्लंघन के पश्चात् असफलता बनी रहती है, संदाय करेगा जो छह हजार रुपए तक हो सकेगी।

धारा 143. न्यायनिर्णयन की शक्ति—(1) इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, समुचित आयोग, अपने सदस्यों में से किसी को, ऐसी रीति में जांच करने के लिए जैसी समुचित सरकार द्वारा, संबंधित किसी व्यक्ति को, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् विहित की जाए, न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा ।

(2) जांच करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी को ऐसे किसी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हैं, समन करने और साक्ष्य देने के लिए उसको हाजिर कराने या कोई ऐसी दस्तावेज प्रस्तुत कराने, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय–वस्तु के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो सकती है, की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच पर उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति, धारा 29 या धारा 33 या धारा 43 के उपबंधों का पालन करने में असफल रहा है तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वह उन धाराओं में से किसी के उपबंधों के अनुसार उचित समझे।

धारा 144. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखी जाने वाली बातें—धारा 29 या धारा 33 या धारा 43 के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी, निम्नलिखित कारकों का सम्यक् रूप से ध्यान रखेगा, अर्थात्–

(क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप प्राप्त अननुपातिक अभिलाभ या अनुचित फायदों की मात्रा जहां उसकी गणना की जा सकती है;

(ख) व्यतिक्रम का बार–बार किया जाना ।

धारा 145. सिविल न्यायालय को अधिकारिता का न होना—किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी विषय की बाबत, जिसका अवधारण करने के लिए धारा 126 में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी या धारा 127 में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त किया गया है, कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही की बाबत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

धारा 148. शास्ति जहां संकर्म सरकार का है—इस अधिनियम के उपबंध जहां तक लागू हों, उस दशा में भी लागू समझे जाएंगे जिसमें तद्धीन दंडनीय कार्य समुचित सरकार द्वारा प्रदाय की गई विद्युत या उसके संकर्मों के संबंध में किए जाते हैं।

धारा 151. अपराधों का संज्ञान—कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का तब के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा जब, यथास्थिति, समुचित सरकार या समुचित आयोग या मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी ने इस प्रयोजन के लिए लिखित में परिवाद न किया हो,

परंतु न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के अधीन फाइल की गई किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर भी, संज्ञान ले सकेगा,

परंतु यह और कि धारा 153 के अधीन गठित कोई विशेष न्यायालय, किसी अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किए बिना, किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम होगा।

धारा 151क. अन्वेषण करने की पुलिस की शक्ति—इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, पुलिस अधिकारी को, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 12 में यथा उपबंधित सभी शक्तियां होंगी।

धारा 151ख. कतिपय अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 135 से धारा 140 तक या धारा 150 के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

धारा 152. अपराधों का शमन—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी उपभोक्ता या व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय विद्युत की चोरी का अपराध किया है या जिसके द्वारा किए जाने का समुचित रूप से संदेह है, अपराध के शमन के रूप में नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट धनराशि स्वीकार कर सकेगा,—

सारणी

सेवा की प्रकृति

वह दर, जिस पर शमन के लिए धनराशि निम्न विभव (एल.टी.) प्रदाय के लिए प्रति किलोवाट/अश्वशक्ति या उसके भाग और उच्च विभव (एच.टी.) के लिए संविदा की गई मांग के प्रति किलोवाट एम्पीयर (के वी ए) पर संगृहीत की जानी है ।

(1)	(2)
1.औद्योगिक सेवा	बीस हजार रुपए
2.वाणिज्यिक सेवा	दस हजार रुपए
3.कृषि सेवा	दो हजार रुपए
4.अन्य सेवाएं	चार हजार रुपये,

परन्तु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट दरों को संशोधित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिए जाने पर उस अपराध के संबंध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध किसी दांडिक न्यायालय में कोई कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी

(3) उपधारा (1) के अनुसार किसी अपराध का शमन करने के लिए समुचित सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धनराशि का ग्रहण किया जाना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 300 के अर्थान्तर्गत दोषमुक्ति मानी जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन, किसी व्यक्ति या उपभोक्ता के लिए एक ही बार अनुज्ञात किया जाएगा।

धारा 153. विशेष न्यायालयों का गठन–(1) राज्य सरकार, धारा 135 से धारा 140 तक और धारा 150ट में निर्दिष्ट अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों का, जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आवश्यक हों और जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, गठन कर सकेगी ।

(2) कोई विशेष न्यायालय एकल न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, जो उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति तब तक विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले वह अपर जिला और सेशन न्यायाधीश न रहा हो ।

(4) जहां विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का पद रिक्त है या ऐसा न्यायाधीश ऐसे विशेष न्यायालय की बैठक के सामान्य स्थान से अनुपस्थित है या वह बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए असमर्थ है वहां विशेष न्यायाल का कोई अत्यावश्यक कार्य–

(क) विशेष न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायाधीश द्वारा, यदि कोई हो,

(ख) जहां कोई ऐसा अन्य न्यायाधीश उपलब्ध न हो वहां उपधारा (1) के अधीन यथा अधिसूचित विशेष न्यायालय की बैठक के सामान्य स्थान पर अधिकारिता रखने वाले जिला और सेशन न्यायाधीश के निदेश के अनुसार, निपटाया जाएगा।

पासपोर्ट अधिनियम, 1967

धारा 2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित प्रस्थान से जल, भूमि या वायु द्वारा भारत से प्रस्थान अभिप्रेत है ;

(ख) पासपोर्ट से इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया या जारी किया गया समझा जाने वाला पासपोर्ट अभिप्रेत है ;

(ग) पासपोर्ट प्राधिकारी से ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे पासपोर्ट या यात्रा—दस्तावेज जारी करने के लिए उन नियमों के अधीन सशक्त किया गया हो जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं और इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार भी है ;

(घ) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ङ) यात्रा—दस्तावेज से इस अधिनियम के अधीन जारी की गई या जारी की गई समझी जाने वाली यात्रा—दस्तावेजें अभिप्रेत हैं ।

धारा 3. भारत से प्रस्थान के लिए पासपोर्ट या यात्रा—दस्तावेज—कोई भी व्यक्ति, जब तक उसके पास इस निमित्त कोई विधिमान्य पासपोर्ट या यात्रा—दस्तावेज न हो, न भारत से प्रस्थान करेगा और न प्रस्थान करने का प्रयत्न करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) पासपोर्ट के अन्तर्गत ऐसा पासपोर्ट भी है जो किसी विदेश की सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी किया जाकर पासपोर्टों के उस वर्ग की बाबत, जिस वर्ग का वह पासपोर्ट है, उन शर्तों को पूरा करता है, जो पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) के अधीन विहित हैं ;

(ख) यात्रा—दस्तावेज के अन्तर्गत वह यात्रा—दस्तावेज भी है जो किसी विदेश की सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी की जाकर विहित शर्तों को पूरा करती है।

धारा 12. अपराध और शास्तियां—(1) जो कोई—

(क) धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा; अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन कोई पासपोर्ट या यात्रा—दस्तावेज अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, जानते हुए, कोई मिथ्या जानकारी देगा या कोई तात्विक जानकारी दबाएगा या किसी पासपोर्ट या यात्रा—दस्तावेज में की गई प्रविष्टियों में विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना कोई परिवर्तन करेगा या परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगा या परिवर्तन कराएगा; अथवा

(ग) अपना पासपोर्ट या यात्रा–दस्तावेज (चाहे उसे इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया हो या नहीं) निरीक्षण के लिए पेश करने में, जब विहित प्राधिकारी उससे ऐसा करने की अपेक्षा करे, असफल रहेगा; अथवा

(घ) किसी अन्य व्यक्ति को जारी किए गए पासपोर्ट या यात्रा–दस्तावेज को जानते हुए उपयोग में लाएगा; अथवा

(ङ) अपने को जारी किए गए पासपोर्ट या यात्रा–दस्तावेज का उपयोग, जानते हुए, किसी दूसरे व्यक्ति को करने देगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(1क) जो कोई, जो भारत का नागरिक नहीं है, –

(क) अपनी राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी दबाकर किसी पासपोर्ट के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, या

(ख) कोई कूटरचित पासपोर्ट या यात्रा–दस्तावेज धारण करेगा ।

वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) या उपधारा (1क), के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा वह, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप कर दिया जाए तो, उस उपधारा में उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई पासपोर्ट या यात्रा–दस्तावेज की किसी शर्त का या इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध का कोई ऐसा उल्लंघन करेगा जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई दण्ड उपबंधित नहीं है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाकर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः सिद्धदोष ठहराया जाएगा वह पश्चात्कथित अपराध के लिए उपबंधित शास्ति की दुगुनी शास्ति से दण्डनीय होगा।

धारा 13. गिरफ्तार करने की शक्ति–(1) सीमाशुल्क का कोई अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो, और पुलिस का कोई आफिसर या उत्प्रवास अधिकारी, जो उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध यह समुचित संदेह हो कि उसने धारा 12 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा और ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी उसे यथाशक्य शीघ्र देगा ।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक अधिकारी, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिसे उस मामले में अधिकारिता हो, या निकटतम थाने के भारसाधक आफिसर के समक्ष, अनावश्यक विलंब किए बिना, ले जाएगा या भेजेगा और ऐसी किसी गिरफ्तारी के मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 57 के उपबन्ध यावत्शक्य लागू होंगे ।

धारा 14. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति—(1) सीमाशुल्क का कोई अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो, और पुलिस का कोई आफिसर या उत्प्रवास अधिकारी, जो उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किसी भी स्थान की तलाशी ले सकेगा और कोई भी पासपोर्ट या यात्रा–दस्तावेज किसी ऐसे व्यक्ति से अभिगृहीत कर सकेगा जिसके विरुद्ध यह समुचित संदेह हो कि उसने धारा 12 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), के वे उपबन्ध, जो तलाशियों और अभिग्रहणों के संबंध में हैं, इस धारा के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को यावत्शक्य लागू होंगे ।

धारा 15. केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक—किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत कोई अभियोजन केन्द्रीय सरकार की या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की, जिसे वह सरकार लिखित आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971

धारा–2. भारत के संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान या किसी ऐसे स्थान में जो आम जनता को दृष्टव्य हो, भारतीय संविधान या भारत के राष्ट्रीय ध्वज अथवा उसके किसी भाग को जलाएगा, फाड़ेगा, उसका रूप बिगाड़ेगा, उसे दूषित करेगा, कुरुप करेगा, नष्ट करेगा, उसे रोधेंगा, या अन्यथा उसका अपमान करेगा, चाहे वह मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या किसी अन्य कार्य द्वारा, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा. अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1.– **भारतीय संविधान या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज** के संबंध में कोई आलोचना या कोई अस्वीकृति या शासन ने इस प्रकार का कोई उपाय जिसका आशय वैध रीति से संविधान में संशोधन, या राष्ट्रीय ध्वज में परिवर्तन हो इस धारा के अधीन अपराध नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2.– अभिव्यक्ति **भारतीय राष्ट्रीय ध्वज** में किसी पदार्थ का या पदार्थ पर, कोई रंगचित्र, छाया चित्र या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का कोई दृश्य प्रतिरुप, भी शामिल है।

स्पष्टीकरण 3.– अभिव्यक्ति **सार्वजनिक स्थान** से अर्थ है कोई ऐसा स्थान जो किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किये जाने या वहाँ जाने के लिए आशयित है और इसमें सार्वजनिक वाहन भी शामिल है।

स्पष्टीकरण 4,– भारतीय ध्वज के अपमान से अभिप्रेत है व इसके अन्तर्गत आता है

(क) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का किया गया घोर अपमान या अनादर; या

(ख) किसी वस्तु या व्यक्ति को सलामी देने में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को झुकाना; या

(ग) उन अवसरों के अतिरिक्त जिन पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार सार्वजनिक भवनों पर अर्द्ध–मस्तूल फहराया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अर्द्ध–मस्तूल फहराया जाना; या

(घ) राजकीय शोक या सशस्त्र बलों या अन्य अतिरिक्त सेना बलों के अतिरिक्त चाहे किसी भी प्ररूप में एक वस्तु विक्रेता के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करना या

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का,

(i) किसी भी प्रकार की ऐसी वेशभूषा, वर्दी या उपसाधन के, जो किसी व्यक्ति की कमर के नीचे पहना जाता है, किसी भाग के रूप में, या

(ii) कुशनों, रूमालों, नैपकिनों, अधोवस्त्रों या किसी पोषक सामग्री पर कशीदाकारी या छपाई करके उपयोग करना या

(च) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर किसी भी प्रकार का शिला लेखन करना या

(छ) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस को सम्मिलित कर विशेष अवसरों पर समारोहों के एक भाग के रूप में फहराये जाने के पूर्व फूल की पंखुडियों के सिवाय किसी भी वस्तु को प्राप्त करने या परिदान करने या ले जाने के लिए सम्मानीय रीति से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करने से या

(ज) किसी मूर्ति या स्मारक या स्पीकर की डिस्क या स्पीकर के प्लेटफार्म को ढकने के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करना

(झ) भूमि या धरातल या जल को साशय स्पर्श करने देना अनुज्ञात करना या

(ञ) वाहन, रेलगाडी, नौकायान या वायुयान या अन्य किसी समरूप वस्तु पर या कनटोप, शीर्ष एवं किनारों या पीठ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लगाना या

(ट) किसी भवन को आच्छादित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करना या

(ठ) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग को नीचे साशय प्रदर्शित करना ।

धारा 3. भारतीय राष्ट्रीय गीत के गाने में रूकावट डालना आदि.—जो कोई जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गीत गाए जाने में रूकावट डालेगा या ऐसे गीत गाने में संलग्न किसी समूह को व्यवधान उत्पत्र करेगा, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 3क. द्वितीय और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धियों पर वर्धित दण्ड,—जिस किसी को धारा 2 या धारा 3 के अन्तर्गत अपराध में पूर्व में ही दोषसिद्ध किये जाने पर किसी ऐसे अपराध के लिये पुनः दोषसिद्ध किया जाता है, द्वितीय अपराध के लिये दण्डनीय होने वाले पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से जो एक वर्ष से कम का न होगा, से दण्डनीय होगा।,

राजस्थान शरीर अधिनियम , 1986

धारा 2. परिभाषाएं. इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल नहीं होता, तब तक

(क) **प्राधिकारी अधिकारी** धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक अधिकारी से अभिप्रेत है।

(ख) **''नजदीक नातेदार''** मृतक के निम्नलिखित नातेदारों में से किसी से अभिप्रेत है अर्थात पत्नी, पति, माता–पिता, पुत्र, पुत्री, भाई और बहन और इसमें वह कोई दूसरा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो मृतक से सम्बन्धित है

(i) **पारस्परिक नातेदारी** में तीन डिग्रियां और संपार्श्विक नातेदारी में छः डिग्रियों के अंदर पारस्परिक या संपार्श्विक समरक्तता के द्वारा या

(ii) या तो मृतक के साथ या इस खण्ड में विशेष रूप से उल्लिखित किये गये किसी नातेदार के साथ या उपरोक्त डिग्री के अंदर किसी अन्य के साथ विवाह द्वारा।
स्पष्टीकरण–''पारस्परिक समरक्तता और संपार्श्विक समरक्तता'' पद के वही अर्थ होंगे जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारायें 25 और 26 में उन्हें क्रमशः समनुदेशित किये।

(घ) **शिक्षण मेडिकल संस्था**'' इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी संस्था से अभिप्रेत है और इसमें वह कोई दूसरी संस्था सम्मिलित है जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक शिक्षण मेडिकल संस्था होने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जा सकेगा, और

(ङ) **''अदावाकृत शरीर''** एक मृतक के शरीर से अभिप्रेत है जिसकी मृत्यु के सात दिनों के अंदर उसके निकट के नातेदारों में किसी के या उसकी जाति, पन्थ या धर्म के किसी व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया जाता है।

धारा 4 अदावाकृत शरीरों का रोगोपचार के प्रयोजनों या शरीर विच्छेद के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाना–(1) जहां एक व्यक्ति, एक अस्पताल चाहे राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित हो या निहित होने में या पोषित हो, ने जो उपचार के अधीन है, उसकी ऐसे अस्पताल में मृत्यु हो जाती है और शरीर का दावा नहीं किया है. वहां ऐसे अस्पताल का भारसाधक अधिकारी जहाँ तक हो सके, कम से कम विलम्ब के साथ प्राधिकृत अधिकारियों को मृत्यु की सूचना देंगे और इस पर यह उस अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि अदावाकृत शरीर को अपने आधिपत्य में ले और इसको पोस्ट मार्टम या शरीर विच्छेद परीक्षण या विच्छेदन के प्रयोजन के लिए या रोगोपचार के लिए एक शिक्षण मेडिकल संस्था के भार साधक अधिकारियों को सौंप दें।

(2) जहां एक व्यक्ति की मृत्यु उपधारा (1) में निर्देशित अस्पताल से भिन्न अस्पताल में या कारागार में हो जाती है और उसके शरीर का दावा नहीं किया जाता है. ऐसे अस्पताल या

कारागार के भारसाधक अधिकारीगण यथासाध्य सर्वाधिक कम विलम्ब के साथ प्राधिकृत अधिकारी. को तथ्य की सूचना देगा और उस पर यह अदावाकृत शरीर का कब्जा ग्रहण करना ऐसे अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा और इसको उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए एक शिक्षण मेडिकल संस्था के भार साधक अधिकारियों को सौंप देगा।

(3) जहां एक व्यक्ति की मृत्यु एक क्षेत्र के किसी सार्वजनिक स्थान में हो जाती है जिसमें उसका कोई स्थायी निवास स्थल नहीं और उसके शरीर का दावा उसके किसी निकट के नातेदारों या उसकी जाति, पन्थ या धर्म के किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, वहाँ प्राधिकृत अधिकारी अदावाकृत शरीर का कब्जा ग्रहण कर लेगा और इसको उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए एक शिक्षण मेडिकल संस्था के भारसाधक अधिकारियों को सौंप देगा।

(4) जब मृत्यु के हेतुक से संबंधित कोई संदेह होता है या जब किसी अन्य कारणवश
प्राधिकृत अधिकारी उसे वैसा करना समीचीन मानता है, तब वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 में निर्देशित किये गये पुलिस अधिकारी को अदावाकृत शरीर को अग्रेषित करेगा।

(5) जहां इस धारा के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी अदावाकृत शरीर के ग्रहण किये गये कब्जे की अपेक्षा उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ एक शिक्षण मेडिकल संस्था के भारसाधक अधिकारी द्वारा नहीं की जाती है वहां इसका निपटारा ऐसे तरीके से किया जायेगा जैसे विहित किया जाय।

(6) ऐसी कालावधि, जिसके भीतर किसी मृत व्यक्ति के शरीर को अदावाकृत शरीर मानने के विरुद्ध दावा किया जा सकता है, प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति के शरीर को सड़ने से बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाएं।

धारा 5. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारी को निर्देशित किये जाने वाले नजदीकी नातेदारों के बारे में संदेह या विवाद, यदि कोई संदेह या विवाद उद्भूत होता है कि एक व्यक्ति धारा 4 के प्रयोजन के लिए मृतक का एक नजदीकी नातेदार है या नहीं तो मामला ऐसे अधिकारी को सौंप दिया जायेगा जो इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाये और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम और निश्चयात्मक होगा।

(2) ऐसे विनिश्चय के लम्बित रहने में मृतक व्यक्ति के शरीर का परिरक्षण ऐसे तरीके से
किया जायेगा जो विहित किया जाय।

धारा 6. शास्ति—जो कोई इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय एक अदावाकृत शरीर का निपटारा करता है या निपटारे को दुष्प्रेरित करता है या इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ऐसे शव को सौंपने या कब्जा लेने या हटाने या प्रयोग करने में एक शिक्षण मेडिकल संस्था के भार साधक किसी अधिकारी को बाधा पहुंचाता है तो वह दोषसिद्धि पर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रूपये तक विस्तारित हो सकेगा।

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006

धारा 2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) विरूपण — विरूपण में शामिल होगा किसी भी तरह से, भले ही कुछ भी हो किसी स्वरूप या सुन्दरता को बिगाड़ना या उसमें हस्तक्षेप करना, उसे क्षति पहुँचाना, किसी चिन्ह को मिटाना, खराब करना या चोट पहुँचाना तथा शब्द विरूपण का अर्थ तद्नुसार निकाला जायेगा।

(ख) **नगरपालिका क्षेत्र** तथा **नगरपालिका** का अर्थ वही होगा जो उन्हें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) में दिया गया हैं।

(ग) "**सम्पत्ति** में सम्मलित होगा कोई भी इमारत, झोंपड़ी, स्मारक, मूर्ति, जल पाइप लाईन,सार्वजनिक सड़क, ढांचा, दीवार जिसमें हत्थे की दीवार, वृक्ष, बाड़ा, पोस्ट पोल अथवा कोई अन्य निर्माण जो राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय।

(घ) **"सार्वजनिक स्थल** से अभिप्रेत है कोई भी स्थल (जिसमें कोई भी सड़क, मार्ग या रास्ता शामिल हैं भले ही वह आम रास्ता और रुकने का स्थान हो या नहीं हो), जहां आम जनता को जाने की मंजूरी दी गई है या आम जनता वहां आने–जाने का अधिकार रखती है या जिस पर जनता को वहां से गुजरने का अधिकार है।

(ड) **"लोक दृष्टि** से अभिप्रेत है कोई भी वस्तु, जो जनता को, जब वह उसके अन्दर है या वहां से किसी लोक स्थल को गुजर रही है, दृष्टिगोचर है।

धारा 3. संपत्ति के विरूपण के लिए शास्ति.—(1) जो कोई भी जनता को दृष्टिगोचर सम्पत्ति में विरूपण द्वारा या घूमकर या पेशाब करके या उस पर पेम्फलेट, पोस्टर इत्यादि चस्पा करके या स्याही. खडिया. रंग–रोगन या किसी अन्य सामग्री या तरीके से सिवाय ऐसी सम्पत्ति के स्वामी और अधिष्ठाता के नाम और उसमें पते को दर्शाने के प्रयोजन से, विरूपित करेगा, पहले अपराध के मामले में वह कारावास से जो ऐसी अवधि का होगा जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय किया जा सकेगा।

(2) जहां उप–धारा (1) के तहत किया गया अपराध किसी अन्य व्यक्ति या कम्पनी या अन्य निगमित निकाय या व्यष्टियों के संगम (भले ही वह निगमित है या नहीं) के फायदे के लिए किया गया है तो ऐसा अन्य व्यक्ति तथा प्रत्येक अध्यक्ष, सभापति, निदेशक, साझेदार, प्रबंधक सचिव, अभिकर्ता या कोई भी अन्य अफसर या उसके प्रबंधन से सबंधित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, ऐसे अपराध का कसूरवार होगा, बशर्ते कि वह यह साबित न कर दे कि अपराध उसके ज्ञान या सम्मति के बगैर किया गया था।

धारा 4. अपराध कारित के प्रयास के लिए दण्ड.—कोई भी जो इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करता है या ऐसे अपराध को करने के लिए उकसाता है तथा ऐसे प्रयत्न में अपराध कारित करने के लिए कोई कृत्य करता है, वह अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा 5. दुष्प्रेरक के लिए दण्ड.—कोई भी व्यक्ति जो धन देकर या धन का लालच देकर आश्रय देकर, सामान देकर या किसी भी तरीके से, जो कुछ भी हो इस अधिनियम के तहत किसी अपराध को कारित करने के लिए प्रेरित करता है या सलाह करता है; सहायता करता है या अपराध करने का उपकरण बनाता है वह अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा 6. अपराध संज्ञेय होगा.—इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय होगा। ———

धारा 7. लिखावट इत्यादि को मिटाने की शक्ति.—धारा 3 में के प्राविधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नगरपालिका या उसके द्वारा अपने निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी सक्षम होगा कि वह ऐसे कदम जो आवश्यक हो, उठाये जिससे किसी भी लिखावट को मिटाया जा सके, किसी विद्रूपण से छुटकारा दिया जा सके या समत्ति से किसी चिम्ह को हटाया जा सके।

धारा 8. अपराध के शमन की शक्ति.—नगरपालिका या उसके निमित्त किसी प्राधिकृत अधिकारी इस बाबत् सक्षम होगा वह अभियोजन वापस ले सके या इस अधिनियम के तहत कारित अपराध का शमन ऐसे निबन्धनों व शर्तों के तहत कर सके जो विहित की जाय।

मोड्यूल (डी) :– औषधि, आयुध एवं विस्फोटक संबधी विधियां

आयुध अधिनियम 1959

धारा 2. परिभाषाएं और निर्वचन :–

(ग) **"आयुध"** से आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिये शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएँ अभिप्रेत हैं और अग्न्यायुध, तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और आयुधों के भाग और उनके विनिर्माण के लिये मशीनरी इसके अंतर्गत आते हैं किन्तु केवल घरेलू या कृषिक उपयोगों के लिये परिकल्पित वस्तुएं, जैसे लाठी या मामूली छडी तथा वे शस्त्र जो खिलौने से भिन्न रूप में उपयोग में लाये जाने के लिये या काम के शस्त्रों में सम्परिवर्तित किये जाने के लिये अनुपयुक्त हों, इसके अंतर्गत नहीं आते है,

(ड.) **"अग्न्यायुधों"** से किसी विस्फोटक या अन्य प्रकारों की उर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार के प्रक्षेप्य या प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन के शस्त्र अभिप्रेत है, तथा

(i) तोपें, हथगोले, रायट पिस्तौलों या किसी भी अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को छोडने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी प्रकार के शस्त्र,

(ii) किसी भी ऐसे अग्न्यायुधों को चलाने से हुई आवाज या चमक को कम करने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित उसके उपसाधन,

(iii) अग्न्यायुधों के भाग और उन्हें विनिर्मित करने के लिए मशीनरी, तथा

(iv) तोपों को चढाने, उनका परिवहन करने और उन्हें काम में लाने के लिये गाडियां, मंच और साधित्र,

(झ) **"प्रतिषिद्ध आयुधों"** से–

(i) वे अग्न्यायुध जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकूलित हों कि यदि घोडे पर दबाव डाला जाए, तो जब तक दबाव घोडे पर से हटा न लिया जाए, या अस्त्रों को अनतर्विष्ट रखने वाला मैगजीन खाली न हो जाए, अस्त्र छूटते रहें, अथवा

(ii) किसी भी वर्णन के वे शस्त्र जो किसी भी अपायकर द्रव, गैस या ऐसी ही अन्य चीज को छोडने के लिये परिकल्पित या अनुकूलित हों, अभिप्रेत है, और इनके अर्न्तगत तोपें, वायुयान–भेदी और टैंक–भेदी अग्न्यायुध और ऐसे अन्य आयुध आते हैं, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध आयुध होना विनिर्दिष्ट करें,

धारा 3.अग्न्यायुधों और गोलाबारूदों के अर्जन और कब्जे के लिये अनुज्ञप्ति :– (1) कोई भी व्यक्ति कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद तब तक न तो अर्जित करेगा न अपने कब्जे में रखेगा और न लेकर चलेगा जब तक कि इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो,

परन्तु कोई व्यक्ति स्वंय अनुज्ञप्ति धारित किये बिना किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद को मरम्मत के लिए या अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए या ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिए, उस अनुज्ञप्ति के धारक की उपस्थिति में या उसके लिखित प्राधिकार के अधीन लेकर वहन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय, कोई व्यक्ति, किसी समय दो से अधिक अग्न्यायुध न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा।

परन्तु कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रारंभ पर दो से अधिक अग्न्यायुध हैं, अपने पास ऐसे अग्न्यायुधों में से कोई दो प्रतिधारित कर सकेगा और शेष अग्न्यायुध को ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास या धारा 21 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विहित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यौहारी के पास अथवा जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है, वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में निक्षिप्त करेगा, जिसके पश्चात् पूर्वोक्त एक वर्ष की अवधि के अवसान की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा,

परंतु यह और कि उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति अनुदत्त करते समय, दो अग्न्यायुध की सीमा को नहीं बढाया जाएगा।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट कोई बात अग्न्यायुधों के किसी डीलर या लक्ष्य अभ्यास के लिये प्वाइंट 22 बोर रायफल या एयर–रायफल का प्रयोग करने वाले केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यता प्राप्त राइफल क्लब या राइफल संगम (एसोसियेशन) के किसी सदस्य को लागू नहीं होगी।

(4) धारा 21 की उपधाराओं (2) से (6) (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के उपबन्ध उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अग्न्यायुधों के किसी निक्षेप के सम्बन्ध में लागू होगें, जैसे वे उस उपधारा की उपधारा (1) के अधीन किसी आयुध या गोलाबारूद के निक्षेप के संबंध में लागू होते हैं।

धारा 4. कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति :– यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोक हित में यह आवश्यक या समीचीन है, अग्न्यायुधों से भिन्न आयुधों का अर्जन, कब्जे में रखना या वहन विनियमित किया जाना चाहिये, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को यह धारा लागू होगी और तदुपरि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्ग या वर्णन के आयुध जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ उस क्षेत्र में तब तक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा जब तक कि वह इस अधिनियम

और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो।

धारा 5. आयुधों और गोलाबारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति :– (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्न्यायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का, जैसा विहित किये जाएँ या किसी गोलाबारूद का तब तक–

(क) न तो उपयोग में लाएगा विनिर्माण करेगा, अभिप्राप्त करेगा या उपाप्त करेगा, विक्रय करेगा, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, या परख या परिसिद्धि करेगा, और न

(ख) विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शन प्रस्थापन करेगा और न उन्हें विक्रय अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, या परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा,

जब तक कि वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति इस निमित्त अनुज्ञप्ति धारित किये बिना कोई आयुध या गोलाबारूद जिसका वह अपने स्वंय के प्राइवेट उपयोग के लिए विधिपूर्ण कब्जा रखता है, अन्य व्यक्ति को जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधार पर ऐसे आयुध और गोलाबारूद रखने का हकदार है, या इस अधिनियम अथवा ऐसी अन्य विधि के अधीन अपने कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध नहीं है, विक्रय या अन्तरण कर सकेगा,

परन्तु कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद, जिसकी बाबत धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है और कोई आयुध जिनकी बाबत धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय या अन्तरित नहीं किये जाएंगे जब तक कि–

(क) उसने अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के भारसाधक अधिकारी को, ऐसे अग्न्यायुधों, गोलाबारूद या अन्य आयुधों को विक्रय या अन्तरित करने के अपने आशय तथा उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे वह ऐसे अग्न्यायुध, गोलाबारूद या अन्य आयुध विक्रय या अन्तरित करना चाहता है, लिखित में सूचित न कर दिया हो, और

(ख) ऐसी सूचना देने के पश्चात् पैंतालीस दिवस से अन्यून कालावधि का अवसान न हो गया हो।

धारा 25. कुछ अपराधों के लिए दण्ड :– (1) जो कोई–

(क) धारा 5 के उल्लंघन में किसी भी आयुध या गोलाबारूद का विनिर्माण, अभिप्राप्त, उपाप्त, विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, या परख या परिसिद्धि करेगा या उसे विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा या विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, या परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, अथवा

(ख) धारा 6 के उल्लंघन में किसी अग्न्यायुध की नाल को छोटी करेगा या नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित या आयुध नियम 2016 में उल्लिखित अग्न्यायुधों के किसी प्रवर्ग में संपरिवर्तित करेगा अथवा

(घ) धारा 11 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग या वर्णन के आयुध या गोलाबारूद को भारत लायेगा या भारत के बाहर ले जायेगा,

वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(1क) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

परंतु न्यायलय, निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से, सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास को कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा।

(कख) जो कोई बल का प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बलों से अग्न्यायुध छीन लेता है, ऐसे कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।

(1कक) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद का विनिर्माण, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, या परख या परिसिद्धि करेगा या उन्हें विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रतिस्थापित करेगा या उन्हें विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, या परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, वह कारावास के, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(1ककक), जो कोई किन्हीं आयुध या गोलाबारूद की धारा 24क के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में अपने कब्जे में रखेगा या धारा 24ख के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में वहन करता है या अन्यथा अपने कब्जे में रखता है, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(1ख) जो कोई–

(क) धारा 3 के उल्लंघन में, कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा; अथवा

(ख) धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किसी स्थान में, ऐसे वर्ग या वर्णन के जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है, कोई आयुध उस धारा के उल्लंघन में अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा; या

(ग) किसी ऐसे अग्न्यायुध का विक्रय या अन्तरण करेगा जिस पर निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान चिह्न मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित नहीं है, जैसा कि धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित है या उस धारा की उपधारा (1) के उल्लंघन में कोई भी कार्य करेगा; अथवा।

(घ) ऐसा व्यक्ति होते हुए जिसे धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) का उपखण्ड (ii) या उपखण्ड (iii) लागू होता है, किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद को उस धारा के उल्लंघन में अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा; या

(ङ) धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उल्लंघन में, किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद का विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा; अथवा

(च) धारा 10 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग या वर्णन के आयुध या गोलाबारूद को भारत में लाएगा या भारत से बाहर ले जाएगा; अथवा

(छ) धारा 12 के उल्लंघन में किसी आयुध या गोलाबारूद का परिवहन करेगा; या

(ज) आयुध या गोलाबारूद को धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित रूप में निक्षिप्त करने में असफल रहेगा; अथवा

(झ) आयुध या गोलाबारूद का विनिर्माता या व्यौहारी होते हुए, धारा 44 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित किए जाने पर अभिलेख या लेखा रखने में या उनमें ऐसी सब प्रविष्टियां करने में, जैसी ऐसे नियमों द्वारा अपेक्षित हों, असफल रहेगा या उनमें मिथ्या प्रविष्टि साशय करेगा या ऐसे अभिलेख या लेखाओं का निरीक्षणा या उनमें से प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां बनाना रोकेगा या बाधित करेगा या जिस किसी परिसर या अन्य स्थान में अग्न्यायुध या गोलाबारूद विनिर्मित किये जाते हों या रखे जाते हो, उसमें प्रवेश रोकेगा या उन्हें छिपायेगा या वह स्थान जहां वे विनिर्मित किया जाता हैं या रखा जाता हैं बताने के लिए इन्कार करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा तथा जुर्माने का भी दायी होगा।

परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित किसी यथोचित और विशेष कारणों से दो वर्ष से से कम अवधि के लिए कारावास दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

(1ग) उपधारा (1क) में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई किसी उपद्रव–ग्रस्त क्षेत्र में उस उपधारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करता है वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उपद्रव—ग्रस्त क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसे, अव्यवस्था का दमन तथा लोक व्यवस्था के पुनः स्थापित एवं बनाये रखने का उपबन्ध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अन्तर्गत उपद्रव—ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया हो, इसके अन्तर्गत धारा 24क या धारा 24ख के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र भी सम्मिलित है ।

(2) जो कोई ऐसा व्यक्ति होते हुए, जिसे धारा 9 की उपधारा (ग) के खंड (क) का उपखंड (i) लागू होता है उस धारा के उल्लंघन में कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई, किसी अग्न्यायुध, गोलाबारूद या अन्य आयुधों का—

(i) अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट की या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस अग्न्यायुध, गोलाबरूद या अन्य आयुधों के आशयित बिक्री या अन्य अन्तरण की सूचना दिए बिना; अथवा

(ii) ऐसे जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसी सूचना देने की तारीख से 45 दिनों की कालावधि के अवसान के पूर्व,

धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों के उल्लंघन में, विक्रय या अन्तरण करता है, वह छह मास तक की अवधि के हो सकने वाले कारावास से या पांच सौ रुपयों तक की रकम के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(4) जो कोई अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट शर्तों में फेरफार करने के प्रयोजन से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर वैसा करने में असफल रहेगा या अनुज्ञप्ति के निलम्बन या प्रतिसंहरण पर उस धारा की उपधारा (10) के अधीन समुचित प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने में असफल रहेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जिसकी रकम पांच सौ रुपए तक हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(5) जो कोई अपना नाम और पता देने के लिए धारा 19 के अधीन अपेक्षित होने पर, ऐसा नाम और पता देने से इन्कार करेगा या ऐसा नाम या पता देगा जो तत्पश्चात् मिथ्या निकले, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जिसकी रकम दो सौ रुपए तक हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(6) यदि किसी संगठित अपराध संघ का कोई सदस्य या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अध्याय 2 के किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई आयुध या गोलाबारूद अपने कब्जे में रखता है या लेकर चलता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(7) जो कोई, किसी संगठित अपराध संघ के किसी सदस्य की ओर से या कोई व्यक्ति उसकी ओर से,–

(i) धारा 5 के उल्लंघन में किसी आयुध या गोलाबारूद का विनिर्माण करता है, उसे अभिप्राप्त करता है, उपाप्त करता है, उसका विक्रय करता है, अन्तरण करता है, उसको संपरिवर्तित करता है, उसकी मरम्मत करता है, उसकी परख करता है या उसे परिसिद्ध करता है या अभिदर्शित करता है या विक्रय या अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए प्रस्थापित करता है, या

(ii) धारा 6 के उल्लंघन में किसी अग्न्यायुध की बैरल को छोटा करता है या किसी नकली अग्न्यायुध में संपरिवर्तित करता है या आयुध नियम, 2016 में उल्लिखित किसी प्रवर्ग के अग्न्यायुध को किसी अन्य प्रवर्ग के अग्न्यायुध में संपरिवर्तित करता है, या

(iii) धारा 11 के उल्लंघन में किसी वर्ग या भांति के किसी भी आयुध या गोलाबारूद को भारत में लाता है या भारत से बाहर ले जाता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण– उपधारा (6) और उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "संगठित अपराध" से किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या सामूहिक रूप से, किसी संगठित अपराध संघ के सदस्य के रूप में या ऐसे संघ की ओर से हिंसा या हिंसा की धमकी या अभित्रास या प्रपीडन या अन्य विधि–विरूद्ध साधनों का प्रयोग करके, धनीय फायदे प्राप्त करने या स्वंय के लिए या किसी व्यक्ति के असम्यक् आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, कोई भी निरंतर विधि–विरूद्ध क्रियाकलाप अभिप्रेत है,

(ख) "संगठित अपराध संघ" से दो या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह अभिप्रेत है, जो किसी संघ या गैंग के रूप में अकेले या सामूहिक रूप से किसी संगठित अपराध के क्रियाकलापों में लिप्त होते हैं।

(8) जो कोई धारा 3, धारा 5, धारा 6, धारा 7 और धारा 11 के उल्लंघन में अग्न्यायुध और गोलाबारूद के अवैध व्यापार में सम्मिलित है या उसमें सहायता करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए–"अवैध व्यापार" से भारत के राज्यक्षेत्र में, उससे या उसके भीतर अग्न्यायुध या गोलाबारूद का आयात, निर्यात, अर्जन, विक्रय, परिदान, संचलन या अंतरण अभिप्रेत है, यदि अग्न्यायुध या गोलाबारूद इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चिह्नित नहीं है या जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में दुर्व्यापार किया गया है, जिसके अंतर्गत तस्करी किए गए विदेश म निर्मित अग्न्यायुध या प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध गोलाबारूद भी हैं।

(9) जो कोई उतावलेपन या उपेक्षा से कोई अनुष्ठानिक गोलाबारी का उपयोग करेगा, जिससे मानव जीवन या किन्हीं अन्य की वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो जाए, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अनुष्ठानिक गोलाबारी" से जन सभाओं, धार्मिक स्थानों, विवाह समारोहों या अन्य उत्सवों में गोलाबारी करने के लिए अग्न्यायुध का प्रयोग करना अभिप्रेत है।

धारा 27 आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दण्ड, आदि – (1) जो कोई धारा 5 के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद को उपयोग में लाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा, और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को उपयोग में लाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को प्रयोग में लाएगा या धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा और ऐसे प्रयोग या कार्य के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा 30. अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दण्ड–जो कोई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का या इस अधिनियम के किसी उपबंध का या तद्धीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई दण्ड उपबंधित नहीं हैं, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

धारा 31. पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए दण्ड–जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध किए जाने पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पुनः दोषसिद्ध किया जाएगा वह पश्चात् कथित अपराध के लिए उपबन्धित शास्ति की दुगुनी शास्ति से दण्डनीय होगा।

धारा 37. गिरफ्तारी और तलाशी–इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय–

(क) इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई, सब गिरफ्तारियां और तलाशियां दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), के उन उपबंधों के अनुसार की जाएगी जो उस संहिता के अधीन की गई क्रमशः गिरफ्तारियों और तलाशियों से संबंधित हैं;

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट या पुलिस आफिसर न हो, इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति और अभिगृहीत आयुध या गोलाबारूद अविलम्ब निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर को परिदत्त किया जाएगा और वह आफिसर–

(i) या तो उस व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसंजात होने के लिए उसके द्वारा प्रतिभुओं सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित किए जाने पर छोड़ देगा और अभिगृहीत चीज़ों को मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति के उपसंजात होने तक अपनी अभिरक्षा में रखेगा; या

(ii) यदि वह व्यक्ति बंधपत्र निष्पादित करने में या पर्याप्त प्रतिभूति यदि उससे वैसी अपेक्षा की जाए, देने में असफल रहे, तो उस व्यक्ति को और उन चीजों को अविलम्ब मजिस्ट्रेट के समक्ष, पेश कर देगा।

धारा 38. अपराधों का संज्ञेय होना–इस अधिनियम के अधीन हर अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), के अर्थ के अन्दर संज्ञेय होगा ।

धारा 39. कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक–किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई भी अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

एनडीपीएस एक्ट, 1985

धारा 8. कुछ संक्रियाओं का प्रतिषेध—कोई व्यक्ति—

(क) किसी कोका के पौधे की खेती या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह; या

(ख) अफीम पोस्त या किसी कैनेबिस के पौधे की खेती; या

(ग) किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भाण्डागारण, उपयोग, उपभोग, अन्तरराज्य आयात, अन्तरराज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से बाहर निर्यात या यानान्तरण,

चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबंधों द्वारा उपबंधित रीति से और विस्तार तक ही और ऐसी किसी दशा में जहां ऐसे किसी उपबंध में अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, या प्राधिकार के रूप में कोई अपेक्षा अधिरोपित की गई है वहां ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं,

परन्तु इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, गांजा के उत्पादन के लिए कैनेबिस के पौधे की खेती या चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन, कब्जे, उपयोग, उपभोग, क्रय, विक्रय, परिवहन, भाण्डागारण, अन्तरराज्यिक आयात और अन्तरराज्यिक निर्यात के विरुद्ध प्रतिषेध केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात आलंकारिक प्रयोजनों के लिए पोस्ततृण के निर्यात को लागू नहीं होगी।

धारा 8क. अपराध से अर्जित संपत्ति के बारे में कुछ संक्रियाओं का प्रतिषेध—

(क) ऐसी किसी संपत्ति का अन्तरण या परिवर्तन नहीं करेगा, जिसके बारे में वह यह जानता है कि ऐसी संपत्ति इस अधिनियम या अन्य किसी देश की समतुल्य विधि के अधीन किये गये किसी अपराध से प्राप्त है या ऐसी संपत्ति के अवैध उद्गम छिपाने या परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए अपराध में भाग लेने के परिणामस्वरूप प्राप्त संपत्ति या अपराध घटित करने में सहयोग करने या विधिक परिणाम से बचने के कृत्य से प्राप्त संपत्ति है,

(ख) यह जानते हुए कि संपत्ति इस अधिनियम या अन्य देश की किसी विधि के अधीन घटित अपराध से प्राप्त हुई है, ऐसी संपत्ति की सत्य प्रकृति, स्त्रोत, स्थिति तथा व्ययन को न तो छिपायेगा न ही बदलेगा, या

(ग) इस अधिनियम या अन्य देश की किसी विधि के अधीन घटित किसी अपराध से प्राप्त संपत्ति का जानबूझकर अर्जन, प्रसस्करण या उपयोग नहीं करेगा।

धारा 15. पोस्त तृण के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड—जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में पोस्त तृण का उत्पादन, कब्जा, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपयोग करेगा या उसको भांडागारण में रखने का लोप करेगा या भांडागारित पोस्त तृण के बाबत कोई कार्य करेगा या उसे हटाएगा वह, —

(क) जहां उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष, तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा,

(ख) जहां ऐसा उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा का है, ऐसे कठोर कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और अर्थदण्ड से जो भी एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

(ग) जहां ऐसा उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, वहां ऐसे कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु बीस वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे अर्थदण्ड का भी दायी होगा जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु दो लाख रुपए तक बढाया जा सकेगा, दण्डनीय होगा।

परंतु न्यायालय, निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकता है।

धारा 19. खेतिहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड—केन्द्रीय सरकार के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए अनुज्ञप्त जो, कोई खेतिहर उत्पादित अफीम या उसके किसी भाग का गबन करेगा या उसका अन्यथा अवैध व्ययन करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

धारा 20. कैनेबिस के पौधे और कैनेबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड—जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में, —

(क) किसी कैनेबिस के पौधे की खेती करेगा; या

(ख) कैनेबिस का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा;

(i) जहां उल्लंघन खंड (अ) के संबंध में है वहां, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और अर्थदण्ड से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा; तथा

(ii) जहां उल्लंघन खंड (ब) के संबंध में है, –

(क) और अल्पमात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष, तक की हो सकेगी, या अर्थदण्ड से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,

(ख) और जहां वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा,

(ग) और वाणिज्यिक मात्रा का है, ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु बीस वर्ष तक की हो सकेगी और अर्थदण्ड से भी जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

परंतु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

धारा 27. किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के उपभोग के लिए दंड–जो कोई, किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उपभोग करेगा, वह–

(अ) उपभोग की गई स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ, कोकेन, मार्फिन, डाइऐसीटल मार्फिन अन्य कोई स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ हो जैसा कि इस सम्बन्ध में राजपत्र अधिसूचना के द्वारा केन्द्र सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय तो ऐसी अवधि के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से; और

(ब) उपभोग की गई स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ खंड (अ) में विनिर्दिष्ट की गई उससे भिन्न है तो ऐसी अवधि के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

धारा 28. अपराध करने के प्रयत्नों के लिए दंड–जो कोई इस अध्याय के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने का या ऐसे अपराध का किया जाना कारित करने का प्रयत्न करेगा और ऐसा प्रयत्न करने में उस अपराध के संबंध में कोई कार्य करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा ।

धारा 29. दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड–(1) जो कोई इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा या ऐसा कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होगा, वह चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में किया जाता है या नहीं किया जाता है और भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का

45) की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा ।

(2) वह व्यक्ति इस धारा के अर्थ में किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है या ऐसा कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होता है जो भारत में, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होता है, जो–

(क) यदि भारत के भीतर किया जाता तो, अपराध गठित करता, या

(ख) ऐसे स्थान की विधियों के अधीन स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों से सम्बन्धित ऐसा अपराध है, जिसमें उसे ऐसा अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित वैसे ही या उसके समरूप सभी विधिक शर्तें हैं जैसी उसे इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित विधिक शर्तें होती यदि ऐसा अपराध भारत में किया जाता।

धारा 30. तैयारी–यदि कोई व्यक्ति, ऐसा कोई कार्य, जो धारा 19, धारा 24 और धारा 27क के किसी उपबंध के अधीन दंडनीय अपराध और किसी ऐसे अपराध के लिए जो किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, गठित करता है, करने की तैयारी करेगा या करने का लोप करेगा और मामले की परिस्थितियों से युक्तियुक्त रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह उस अपराध को करने के अपने आशय को कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्प था किन्तु उसे उसकी इच्छा से स्वतंत्र परिस्थितियों द्वारा रोका गया था, तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की, जिससे वह यदि वह ऐसा अपराध करता तो दण्डनीय होता, न्यूनतम अवधि (यदि कोई हो) के आधी से कम की नहीं होगी किन्तु ऐसे कारावास की, अधिकतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो ऐसे जुर्माने की जिससे वह पूर्वोक्त दशा में दण्डनीय होता, न्यूनतम रकम (यदि कोई हो) के आधे से कम का नहीं होगा किन्तु ऐसे जुर्माने की, जिससे वह साधारणतया (अर्थात् विशेष कारणों के अभाव में) दण्डनीय होता, अधिकतम रकम के आधे तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा,

परन्तु न्यायालय ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, उच्चतर जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

धारा 31. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् अपराधों के लिए वर्धित दंड–(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न करने या उसका दुष्प्रेरण करने या करने का आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, तत्पश्चात् इस अधिनियम के अधीन उतने ही दंड से दंडनीय कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न करने या उसका दुष्प्रेरण करने या करने का आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह, द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कठोर कारावास से, जिसकी अवधि कारावास की अधिकतम अवधि के डेढ़ गुणा तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो जुर्माने की अधिकतम रकम के डेढ़ गुणा तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति कारावास की, न्यूनतम अवधि और जुर्माने की न्यूनतम रकम से दंडित किए जाने का भागी है, वहां ऐसे व्यक्ति के लिए न्यूनतम दंड, कारावास की न्यूनतम अवधि का डेढ़ गुणा, और जुर्माने की न्यूनतम रकम का डेढ़ गुणा, होगा,

परंतु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, उस जुर्माने से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा जिसके लिए कोई व्यक्ति दायी है ।

(3) जहां कोई व्यक्ति, तत्स्थानी किसी विधि के अधीन भारत से बाहर दांडिक अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां, ऐसे व्यक्ति से, ऐसी दोषसिद्धि की बाबत, उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार बरता जाएगा मानो वह भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो।

धारा 31क. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कुछ अपराधों के लिए मृत्यु दंड–(1) धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 19, धारा 24, धारा 27क के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने या करने का प्रयत्न करने या दुष्प्रेरण करने या करने का आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए और उन अपराधों के लिए जो किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित हैं, सिद्धदोष कोई व्यक्ति, यदि वह निम्नलिखित से संबंधित अपराध किए जाने या करने का प्रयत्न करने या दुष्प्रेरण करने या उसे करने के आपराधिक षड्यंत्र के लिए तदनंतर सिद्धदोष ठहराया जाता है तो ऐसे दंड से जो धारा 31 में विनिर्दिष्ट दंड से कम का नहीं होगा या मृत्यु दंड से, दंडित किया जाएगा अर्थात्,

(क) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) के अधीन विनिर्दिष्ट स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों और उनमें अंतर्वलित मात्रा के, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी प्रत्येक ओषधि या पदार्थ के सामने उपदर्शित मात्रा के बराबर या उससे अधिक है, उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण में लगे रहने से संबंधित अपराध,

सारणी

स्वापक ओषधियों / मनःप्रभावी पदार्थों की विशिष्टिया	मात्रा
(1)	(2)
(i) अफीम	10 किलोग्राम
(ii) मार्फीन	1 किलोग्राम
(iii) हेरोइन	1 किलोग्राम
(iv) कोडीन	1 किलोग्राम
(v) थिबेन	1 किलोग्राम

(vi) कोकेन 500 ग्राम

(vii) हशीश 20 किलोग्राम

(viii) उपरोक्त ओषधियों में से किसी ओषधि की निष्प्रभावी

सामग्री सहित या उससे रहित कोई मिश्रण मिश्रण का भाग बनाने वाली उपरोक्त स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के सम्मुख दर्शित मात्राओं से अल्प मात्रा ऊपर वर्णित

सम्मिश्रण के भागरूप संबंधित ऐसी स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के सामने जो मात्राएं दी गई हैं उनसे कम मात्रा,

(ix) एल०एस०डी०, एल०एस०डी०–25 –एन, एन–डाइएथिललाइसरजैमाईड (डी–लाइसर्जिक अम्ल डाइथिलएमाइड)

1500 ग्राम

(X) डी०एच०सी० टेट्राहाइड्रोकेनाबिनोल्स, निम्नलिखित समतुल्य 6ए (10ए)/ 6ए (7) 7, 8, 9, 10, 9(11) और उनके समान रासायनिक प्रकार 500 ग्राम

(xi) मेथेमकेटामिन –2–मेथिलामाइन, 1–फनिलप्रोपेन

1,500 ग्राम

(xii) मेथाक्वेलोन (2 मेथिल–3–ओ–टोलिल–4–(3एच)–क्विनेजोलिनोन)

1,500 ग्राम

(xiii) एम्फ़टेमिन –2–एमिनी–1–फेनिलप्रोपेन

1,500 ग्राम

(xiv) (ix) से (xiii) में वर्णित मनःप्रभावी पदार्थों के लवण और उत्पाद

1,500 ग्राम

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः वित्तपोषण करना ।

(2) जहां कोई व्यक्ति धारा 19, धारा 24 या धारा 27क के उपबंधों के तत्समान किसी विधि के अधीन और किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए, भारत के बाहर किसी दांडिक अधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया

जाता है, वहां ऐसी दोषसिद्धि की बाबत ऐसे व्यक्ति के बारे में उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसी कार्यवाही की जाएगी मानो वह भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो।

धारा 32. ऐसे अपराधों के लिए दण्ड जिनके लिए किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया है—जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश का या दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार की किसी शर्त का, जिसके लिए इस अध्याय में पृथक् रूप से किसी दंड का उपबन्ध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

धारा 34. अपराध के किए जाने से प्रविरत रहने के लिए प्रतिभूति—(1) जब कभी कोई व्यक्ति अध्याय 4 के किसी उपबन्ध के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है और उसे सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जानी आवश्यक है तो वह न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दण्ड पारित करते समय उसे आदेश दे सकेगा कि वह तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के दौरान, जिसे नियत करना वह न्यायालय ठीक समझे, अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए प्रतिभुओं सहित या उनके बिना, अपने साधनों की आनुपातिक राशि के लिए बन्धपत्र निष्पादित करे।

(2) बन्धपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो केन्द्रीय सरकार विहित करे और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, जहां तक वे लागू होते हैं, ऐसे बन्धपत्र से संबंधित सभी बातों को इस प्रकार लागू होंगे मानो वे परिशांति बनाए रखने के लिए उस संहिता को धारा 106 के अधीन निष्पादित किए जाने के लिए आदिष्ट बन्धपत्र हों ।

(3) यदि दोषसिद्धि, अपील पर या अन्यथा, अपास्त कर दी जाती है तो इस प्रकार निष्पादित बन्धपत्र शून्य हो जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायाधीश द्वारा भी, जब वह पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकेगा।

धारा 37. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, —

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ;

(ख) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दंडनीय किसी अपराध, के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जाएगा जब—

(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन करने का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है व हां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के संबंध में ये परिसीमाएं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने की बाबत परिसीमाओं के अतिरिक्त है।

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना :– (1) यह अधिनियम **विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908** कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के नागरिकों को भी लागू होता है ।

धारा 2. परिभाषाएं –इस अधिनियम में –

(क) **"विस्फोटक पदार्थ"** पद के अन्तर्गत कोई विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए कोई सामग्री, किसी विस्फोटक पदार्थ में या उससे विस्फोट कारित करने या कारित करने में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित या अनुकूलित या कारित करने में सहायता के लिए कोई साधित्र, मशीन, उपकरण या सामग्री भी तथा ऐसे किसी साधित्र, मशीन या उपकरण का काई भाग भी समझा जाएगा;

(ख) **"विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ"** पद के अन्तर्गत अनुसंधान विकास विस्फोटक (आर० डी० एक्स०), पेंटा एरिथ्रीटाल टेट्रा नाइट्रेट (पी० ई० टी० एन ०), उच्च गलन विस्फोटक (एच० एम० एक्स०), ट्रीनाइट्रो टाल्यूइन (टी० एन० टी०), निम्न ताप प्लास्टिक विस्फोटक (एल० टी० पी० ई०) सम्मिश्रण विस्फोटन (सी० ई०) (2, 4, 6 फिनाइल मिथाइल नाइट्रामाइन या टैट्रि), ओ० सी० टी० ओ० एल० (उच्च गलन विस्फोटक और नाइट्रो टाल्यूइन का मिश्रण) प्लास्टिक विस्फोटक किरकी–1 (पी० ई० के०–1) और आर० डी० एक्स ०/ टी० एन० टी० सम्मिश्रण तथा अन्य उसी प्रकार के विस्फोटकों और उनका संयोजन तथा विस्फोट कारित करने वाली सुदूर नियंत्रण युक्तियां और ऐसा कोई अन्य पदार्थ तथा उसका सम्मिश्रण, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे, भी समझा जाएगा।

धारा 3. जीवन या सम्पत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट कारित करने के लिए दंड –

कोई व्यक्ति जो विधिविरुद्धतः और विद्वेषतः

(क) किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोटक कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या किसी संपत्ति को गम्भीर क्षति होने की संभाव्यता है, वह, चाहे किसी व्यक्ति या संपत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा;

(ख) किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की सम्भाव्यता है, वह, चाहे किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं, मृत्यु या कठोर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा 4. विस्फोटक कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिए दंड :–कोई व्यक्ति जो विधिविरुद्धतः और विद्वेषतः

(क) इस प्रकार का विस्फोट, जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की सम्भाव्यता है, किसी विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करने के आशय से कोई कार्य करेगा या किसी विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करने के लिए षड्यंत्र करेगा; या

(ख) कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ इस आशय से बनाएगा या अपने पास रखेगा या अपने नियंत्रणाधीन रखेगा कि उसके द्वारा वह जीवन को जोखिम में डाले या संपत्ति को गंभीर क्षति कारित करे अथवा उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन को जोखिम में डालने या सपत्ति को गंभीर क्षति कारित करने के लिए समर्थ बनाए,

चाहे कोई विस्फोट होता है या नहीं और चाहे किसी व्यक्ति या संपत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं –

(i) किसी विस्फोटक पदार्थ की दशा में, आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा;

(ii) किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ की दशा में, कठोर आजीवन कारावास से या ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा 5. संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड :– कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ बनाता है या जानबूझकर अपने पास रखता है या अपने नियंत्रणाधीन रखता है जिससे युक्तियुक्त रूप से यह संदेह उत्पन्न होता है कि वह उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं बना रहा है या अपने पास नहीं रख रहा है या अपने नियंत्रणाधीन नहीं रख रहा है जब तक कि वह यह दर्शित नहीं कर सकता कि उसने उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया है या अपने पास रखा है या अपने नियंत्रणाधीन रखा है –

(क) किसी विस्फोटक पदार्थ की दशा में, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा;

(ख) किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ की दशा में, कठोर आजीवन कारावास से या ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा 6. दुष्प्रेरकों को दण्ड :– कोई व्यक्ति जो धन के प्रदाय या याचना द्वारा, परिसर उपलब्ध कराके, सामग्री के प्रदाय द्वारा, या अन्य किसी भी रीति से इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कराता है, उसके किए जाने के लिए मंत्रणा देता है, सहायता करता है, दुष्प्रेरण करता है, या उसका उपसाधक होता है, उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा।

धारा 7. अपराधों के विचारण पर निर्बन्धन –इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के लिए कोई न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट की सम्मति के बिना कार्यवाही नहीं करेगा।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

परिभाषाएं

धारा 3(15) :– "शराब" के मादक शराब अभ्रिप्रेत है और इसमें वाइन, स्पिरीट, वाइन, ताडी, पचावर, बीयर और एल्कॉहोल रखने या अन्तर्विष्ट करने वाले सभी द्रव्य शामिल है, या ऐसा पदार्थ शामिल है, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शराब के रूप में घोषित करें,

धारा 3(19) :– "स्थान" में गृह, भवन, दुकान, कमरा, बूथ, टेंट, जलयान, नौका, बेडा, यान और अहाता शामिल है,

धारा 6 :–पत्नि, लिपिक या सेवक द्वारा आधिपत्य :– जब कोई भी आबकारी योग्य वस्तु किसी व्यक्ति की पत्नि, लिपिक या सेवक के आधिपत्य में किसी व्यक्ति की तरफ से हो, तो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए इसे उस व्यक्ति के आधिपत्य के रूप में माना जायेगा।

स्पष्टीकरण :– लिपिक या सेवक की योग्यता में अस्थायी तौर पर या विशेष अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के भीतर लिपिक या सेवक है।

धारा 16 :– इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन के अलावा निषिद्ध आबकारी योग्य वस्तु का विनिर्माणः– (1) (क) किसी भी आबकारी योग्य वस्तु को विनिर्मित नहीं किया जायेगा,

(ख) किसी हैम्प पौधे (कैनेबिस– सतिवा) की खेती नहीं की जायेगी,

(ग) हैम्प पौधे (कैनेबिस– सतिवा) के किसी भाग, जिससे मादक औषधि विनिर्मित की जा सकती है, संग्रहित नहीं किया जायेगा,

(घ) किसी भी शराब को विक्रय के लिए बोतल में नहीं भरा जायेगा,

(ड) ताडी उत्पादित करने वाले वृक्ष से रस नहीं निकाला जायेगा,

(च) किसी ताडी को किसी वृक्ष से नहीं निकाला जायेगा,

(छ) कोई भी व्यक्ति किसी आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए किसी भी हथकर शराब/चाहे एक बूंद हो समग्री, भभका, बर्तन, औजार, उपकरण या यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा, अपने पास नहीं रखेगा या अपने अधिपत्य में नहीं रखेगाः

सिवाय आबकारी अधिकारी द्वारा या इस निमिन सम्यक् रूप में सशक्त आबकारी अधिकारी द्वारा उस निमित्त प्रदान अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार और प्राधिकार के अधीन।

(2) आबकारी आयुक्त द्वारा उस निमित प्रदान अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार और प्राधिकार के अधीन के अलावा किसी भी असवानी, शराब निर्माणशाला या पॉट भभका को निर्मित नहीं किया जायेगा या चलाया नहीं जायेगा।

धारा 19 :– अनुमति के अधीन के अलावा निषिद्ध राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के आधिक्य में आबकारी योग्य वस्तु का आधिपत्य – (1) किसी भी व्यक्ति, जो किसी आबकारी योग्य वस्तु का विनिर्माण, उगाने, संग्रहण या विक्रय के लिए अनुज्ञप्तिकृत नहीं हो, के पास उसके आधिपत्य में आबकारी आयुक्त द्वारा या उस निमित सम्यक् रूप से सशक्त राज्य सरकार धारा 5 के अधीन खुदरा विक्रय की सीमा के रूप में घोषित करे, ऐसी वस्तु की किसी मात्रा को नहीं रखेगा।

(2) उपधारा (1) निम्न में विस्तारित नहीं होगी–

(क) किसी सामान्य वाहक या भण्डारक के आधिपत्य में किसी विदेशी शराब पर (विकृतिकृत स्पिरिट के अलावा) या

(3) कोई अनुज्ञप्त विक्रेता अपने स्वामित्व में उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत से अन्यथा किसी स्थान पर, आबकारी आयुक्त या इस निमित सम्यक् रूप से सशक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा प्रदान किए परमिट के अधीन के सिवाय, ऐसी मात्रा से अधिक, जैसी कि राज्य सरकार ने धारा 5 के अधीन खुदरा बिक्री की सीमा होना घोषित किया है, किसी आबकारी योग्य वस्तु की मात्रा नहीं रखेगा,

(4) पूर्वोक्त उप–धाराओं में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा या ऐसे अपवादों के अध्यधीन जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए राजस्थान राज्य के उन भागों में जहां तक इस अधिनियम का विस्तार है या उसके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के किसी आबकारी योग्य वस्तु का पूर्णतया या ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी विहित की जाए, समस्त व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व का निषेध या प्रतिरोध कर सकेगी।

धारा 20:– अनुज्ञप्ति के बिना आबकारी योग्य वस्तु का विक्रय निषिद्ध :– किसी भी आबकारी योग्य वस्तु का विक्रय आबकारी आयुक्त से या उस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त किसी आबकारी अधिकारी से अनुज्ञप्ति के बिना नहीं किया जायेगा,

परन्तु–

(1) हैम्प पौधे (केनेबिस सतिवा) को उगाने या संग्रहित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिकृत व्यक्ति पौधे के उन भागों को, जिनसे किसी मादक औषधि को विनिर्मित किया जा सकेगा, उसमें व्यापार करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिकृत किसी व्यक्ति को किसी कार्यालय को, जिसे आबकारी आयुक्त निर्धारित करे, अनुज्ञप्ति के बिना विक्रय कर सकेगा,

(2) राजस्थान राज्य के उन भागों में जिन पर यह अधिनियम विस्तारित है या एक से अधिक जिले में विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रदान की जायेगी, और

(3) उस धारा में कोई बात किसी विदेशी शराब के विक्रय पर लागू नहीं होगी, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए विधिक रूप से उपाप्त किया और उसके स्टेशन छोडने पर या उसकी मृत्यु के पश्चात् हितबद्ध उसके प्रतिनिधियों की तरफ से या उसकी तरफ से उसके द्वारा विक्रय या नीलामी की जाये।

धारा 54 अविधिपूर्ण आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, आधिपत्य, इत्यादि के लिए शास्ति :– जो कोई भी इस अधिनियम या किसी नियम या निर्मित आदेश या उसके अधीन प्रदान किसी अनुज्ञप्ति, परमिट या पास के उल्लंघन में –

(क) किसी आबकारी योग्य वस्तु का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय या कब्जा करता है या

(ख) किसी हैम्प पौधे (कैनेबिस– सतिवा) की खेती करता है या

(ग) किसी आसवन, पॉट–भभका या शराब निर्माणशाला का निर्माण करता है या चलाता है, या

(घ) ताडी के अलावा किसी आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किसी भी सामग्री, भभका, बर्तन, उपकरण या औजार का प्रयोग करता है, रखता है या अपने कब्जे में रखता है या

(ड) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्तिकृत किसी आसवन, पॉट–भभका या शराब निर्माणशाला या भण्डारगाह से किसी आबकारी योग्य वस्तु को हटाता है, या

(च) विक्रय के प्रयोजनों के लिए किसी शराब को बोतल में भरता है, या

(छ) किसी ताडी उत्पादक वृक्ष से ताडी चुराता या निकालता है, कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी, लेकिन जो तीन वर्ष तक हो सकेगी, और बीस हजार रूपये के जुर्माने से या आबकारी शुल्क की हानि के पांच गुने जुर्माने से, जो भी उच्चतर हो, दण्डनीय होगा।

परन्तु इस धारा के खण्ड (क) के अधीन अपराध का पता लगने के समय या उसकी कार्यवाही में पायी गयी शराब की मात्रा पचास बल्क लीटर से अधिक हों, तो ऐसे अपराध के दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो पांच वर्ष तक हो सकेगी, और बीस हजार रूपये के जुर्माने से या आबकारी शुल्क की हानि के दस गुने जुर्माने से, जो भी उच्चतर हों, दण्डनीय होगा।

धारा 66 :– पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् वर्धित दण्ड :– धारा 58क में उपबंधित के अलावा, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के समान प्रावधानों के अधीन अपराध का पूर्व मे दोषसिद्ध किये जाने के पश्चात् बाद में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध करता है और दोषसिद्ध किया जाता है, तो वह दुगनी सजा के लिए दायी होगा, जिसे अधिनियम के अधीन प्रथम दोषसिद्धी पर अधिरोपित किया जा सकता था।

परन्तु बढाया गया दण्ड किसी भी तरीके में इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम दण्डादेश को प्रभावित नहीं करेगा।

नियम 43. डाक द्वारा पारेषण – नियम 44 के अनुसार, राजस्थान के भीतर, उसमें या उससे बाहर मादक औषधि का डाक द्वारा पारेषण सरकार की तरफ से या अपने कर्त्तव्य के निष्पादन में सद्भावी कार्यरत सरकारी सेवक द्वारा के अलावा प्रतिबंधित है।

नियम 44. राजस्थान में होकर परिवहन – राजस्थान में होकर भारत में किसी राज्य से भारत में अन्य राज्य को किसी मादक औषधि का परिवहन तब तक अविधिपूर्ण होगा, जब तक कि उस राज्य के मुख्य आबकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं किया जाये, जिससे इसे पास द्वारा निर्यातित किया जा रहा हो, जिसे इस शर्त पर प्रदान किया गया कि परेषण को पारगमन में नहीं तोड़ा गया है, विनिर्दिष्ट गन्तव्य रूट द्वारा और ऐसी परीक्षा के अनुसार ले जाया जाता है, जैसी राजस्थान का राजपत्रित आबकारी अधिकारी अपेक्षा करें।

नियम 45. अविधिपूर्ण रूप से प्राप्त औषधि का आधिपत्य – कोई भी व्यक्ति विधिपूर्णप्राधिकारों के बिना अपने आधिपत्य में किसी भी मात्रा में किसी मादक औषधि को नहीं रखेगा,जिसे वह जानता हो या यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे अविधिपूर्ण रूप से प्राप्त किया गया।

नियम 46. औषधि का सम्मिश्रण. – (1) दो या अधिक मादक औषधि के सम्मिश्रण में, किसी ऐसी औषधि को लागू आधिपत्य की न्यूनतम सीमा (धारा 19 के अधीन सपठित धारा 5 के अधीन तत्समय प्रवृत्त अधिसूचना) सम्मिश्रण को लागू मानी जायेगी।

(2) किसी अन्य पदार्थ के साथ (अन्य पदार्थ जो मादक औषधि नहीं हो) एक या अधिक मादक औषधि के सम्मिश्रण के मामले में, किसी ऐसी औषधि को लागू आधिपत्य की न्यूनतम सीमा (धारा 19 के अधीन सपठित धारा 5 के अधीन तत्समय प्रवृत्त अधिसूचना) सम्मिश्रण को लागू मानी जायेगी परन्तु जहां जल को जोड़ा जाता है, वहां इसके भार को इस उप–नियम के प्रयोजनों के लिए सम्मिश्रण के भार की गणना करने में विचारित नहीं किया जायेगा।

47. थोक विक्रय अनुज्ञप्तियां. –(1) विदेशी मदिरा और बीयर के थोक विक्रय हेतु लाईसेंस चार श्रेणियों के होंगे।
(क) निर्माताओं द्वारा राजस्थान राज्य बीवरेजेज निगम लिमिटेड को थोक विक्रय हेतु
(ख) राजस्थान राज्य बीवरेजेज निगम लिमिटेड द्वारा थोक विक्रेताओं को थोक विक्रय हेतु
(ग) थोक विक्रेताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को थोक विक्रय हेतु तथा
(घ) मदिरा के निर्माताओं द्वारा उसके स्वयं के थोक विक्रय हेतु थोक विक्रय के लिए

परन्तु खण्ड (क) के अन्तर्गत लाइसेंस धारक निर्माता ड्रॉट बीयर का विक्रय कर सकतें है तथा खण्ड (घ) के अन्तर्गत लाइसेंस धारक (बार लाईसेंस) पर लाईसेंस धारक को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए परमिट के आधार पर सीधे मदिरा बेच सकते है।,
(2) उप–नियम (1) के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान थोक विक्रय लाईसेंस ऐसे प्ररूप में होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

(3) किसी जिले या जिलों को आवृत्त करने वाली उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन अनुज्ञप्ति रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी ऐसे जिले या जिलों के लिए विदेशी शराब के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति तब तक नहीं रखेंगे, जब तक कि आबकारी आयुक्त ऐसी खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए विशेष संस्वीकृति प्रदान न करें। (4) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विदेश में बोतलबंद (बी.आई.ओ.) विदेशी शराब के व्यापारियों या व्यवहारियों द्वारा थोक विक्रय और थोक विक्रेताओं को भारत में बोतलबंद आयातित विदेशी शराब और रिटेल ऑन विक्रेताओं के लिए अनुज्ञप्ति, आबकारी आयुक्त द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर मंजूर की जायेगी जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे ं।

परंतु उप–नियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन थोक अनुज्ञप्ति धारक राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लि. बोटल्ड इन ओरिजिन (बी.आई.ओ.) और भारत में बोतलबंद विदेशी आयातित शराब के अनन्य थोक विक्रय के लिए पात्र व्यक्ति से फ्रेंचाइजी करार कर सकेगा। इस नियम के अधीन ऐसी फ्रेंचाइजी को बोटल्ड इन ओरिजिन (बी.आई.ओ.) और भारत में बोतलबंद आयातित विदेशी शराब के थोक विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी।

नियम 48. खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति कौन प्रदान कर सकेगा. – नियम 47 (3) के प्रावधान के अनुसार, और इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अनुसार, विदेशी शराब के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्तियों के निम्नलिखित प्रकार सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त की पूर्व संस्वीकृति से प्रदान किये जा सकेंग

(क) दुकान अनुज्ञप्तियां;

(ख) होटल या डाक बंगला अनुज्ञप्तियां;

(ग) रेस्टोरेंट या होटल–बार अनुज्ञप्तियां;

(गग) क्लब बार अनुज्ञप्तियां

(घ) रेलवे रिफ्रेशमेंट रूम या डायनिंग कार अनुज्ञप्तियां,

नियम 49. दुकान अनुज्ञप्तियां.– (1) विदेशी शराब के खुदरा विक्रय के लिए दुकान अनुज्ञप्तियां नीचे वर्णित अनुसार दो वर्गों की होगी

(क) परिसर पर उपभोग के लिए खुदरा विक्रय के लिए, और

(ख) केवल परिसर के उपभोग के लिए खुदरा विक्रय के लिए।

(2) परिसर उपभोग के लिए खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी को अपने परिसर पर विदेशी शराब के उपभोग की अनुमति नहीं दी जायेगी और केवल मुहरबंद बोतलों में ही विक्रय करेगा।

नियम 50. होटल अनुज्ञप्ति पत्र. – विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय के लिए होटल अनुज्ञप्ति पत्र परिसर में उपभोग तथा उस होटल में आने वाले ग्राहकों और आगंतुकों को मदिरा और बीयर परोसने के लिए अधिकृत का होगा।

नियम 51. रेस्टोरेंट या होटल बार अनुज्ञप्तियां. – रेस्टोरेंट या होटल बार अनुज्ञप्तियां केवल परिसर में उपभोग के लिए रेस्टोरेंट या होटल में खाने योग्य परोसे गये व्यक्तियों को विदेशी शराब के खुदरा विक्रय को ही कवर करेंगी और अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी शराब का विक्रय नहीं करेगाः

परन्तु होटल बार लाईसेन्स रखने वाले हेरीटेज होटल राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित हेरीटेज शराब के खुदरा विक्रय को प्रभावित कर सकते है।,

नियम 72. अनुज्ञप्तियां कौन प्रदान कर सकेगा. इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के अलावा, अधिनियम के अधीन सभी अनुज्ञप्तियां आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी परन्तु अनुज्ञप्तियां, जिनका विवरण इन नियमों के नियम 68 में प्रदान है, क्षेत्र का अतिरिक्त आबकारी आयुक्त नियम 88 (8) में वर्णित अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा और क्षेत्र का जिला आबकारी अधिकारी नियम 68 (1) 68 (2). 68 (3–क). 68(5), 68(9) और 68(11) और 54 में वर्णित अनुज्ञप्तियां प्रदान कर सकेगा।

नियम 72–क. अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन. – अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन स्पष्ट रूप से उस परिसर को वर्णित करेगा, जिसमें आवेदक अपना कारोबार करना चाहता है और वर्ष के आरम्भ होने से न्यूनतम एक माह पूर्व नवीनीकरण के मामले में प्रस्तुत किया जायेगा और जहां अनुज्ञप्ति अवधि के एक वर्ष के आरम्भ होने के न्यूनतम एक वर्ष पहले लम्बी अवधि के लिए प्रदान की जाती है, जिसके लिए यह अपेक्षित है और अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान को दर्शाती कोषागार रसीद साथ लगाई जायेगीं।

परन्तु जहां अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां इसके साथ ऐसी फीस निम्नलिखित दरों पर लगाई जाएगी

(i) रू. 5000/– या लाइसेंस फीस का 5 प्रतिशत जो भी कम हो, यदि फीस के जमा करने में देरी एक महीने तक है;

(ii) रूपये दस हजार या लाईसेंस फीस का 10 प्रतिशत जो भी कम हो, यदि फीस के जमा करने में देरी एक महीने से अधिक हो

परन्तु वर्ष 2001–2002 तक लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु नवीनीकरण फीस के 25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त फीस या पांच रूपये, जो भी अधिक हो चाज्र की जायेगी।

परन्तु नियम में निर्दिष्ट अतिरिक्त फीस खुदरा ऑफ अनुज्ञप्ति रखने वाले और राजस्थान में स्थित भारतीय संघ के आयुध बलों की इकाईयों के कमाडिंग अधिकारियों से प्रभारित नहीं की जायेगी। यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में देरी राज्य के बाहर इकाई के अभाव के

कारण या ऐसे अन्य कारण से हो, जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से क्षमा करने के लिए ठीक समझे।

नियम 72–ख. अनुज्ञप्ति का अंतरण. – (1), प्रत्येक अनुज्ञप्ति व्यक्तिगत रूप से अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान या

नवीनीकृत की गई मानी जायेगी, और किसी भी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना विक्रय या अंतरित नहीं किया जायेगाः तथा ऐसी अनुमति जब तक लाईसेंस फीस के 50 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं किया गया है, प्रदान नहीं की जाएंगी।, परन्तु चालू अनुज्ञप्ति में या उससे निर्धारित अनुज्ञप्ति को गठित करने वाली सह अनुज्ञप्तियों के नामों को जोड़ना या काटना या प्रतिस्थापन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर संस्वीकृत किया जायेगा, जिसे वह ठीक समझे।

प्रावधान और आगे यह कि अनुज्ञप्ति पत्र में सह–अनुज्ञप्तिधारी के रूप में नाम को जोड़ना, मिटाना अथवा प्रति स्थापित नहीं किया जाएगा, यदि वह अनुज्ञप्ति पत्र खेप के आरेखण की प्रक्रिया के माध्यम से मंजूर किया गया है।, (2) , यदि अनुज्ञप्ति के चलन के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी अपने कारोबार को नये परिसर में अंतरित करना चाहता है, तो वह अपने आशय की अनुज्ञापन प्राधिकारी को 15 दिनों की अग्रिम न्यूनतम सूचना प्रदान करेगा, और अपनी अनुज्ञप्ति उपयुक्त रूप से संशोधित करायेगा। अनुज्ञप्ति उस पर नये परिसर के सम्बन्ध में उत्तम धारित होगी।

(3), अनुज्ञप्ति का प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी प्रदान अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में आबकारी विभाग के प्रत्येक प्रकार के बकायों और अन्य दायित्वों के लिए संयुक्त या अलग रूप में दायी होंगे।

(4), अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में अनुज्ञप्ति के अन्तरण हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसे विधिक वारिस के नाम पर विचार किया जाएगा जिसके पक्ष में मृतक अनुज्ञप्तिधारक के समस्त वारिस 5,000/– रू., यदि अनन्य विशेषाधिकार राशि या अनुज्ञप्ति शुल्क, यथा स्थिति, 10 लाख रूपये तक है तथा 10,000/– रूपये, यदि अनन्य विशेषाधिकार राशि या अनुज्ञप्ति शुल्क 10 लाख रूपये से अधिक है, के भुगतान पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मृत्यु–प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत शपथ–पत्र द्वारा समर्थित आवेदन के माध्यम से सहमत हो। यदि विधिक वारिस किसी नाम पर सहमत नहीं हो तो इसे समस्त वारिसों के नाम पर अन्तरित किया जाऐगा या समक्ष न्यायालय द्वारा जैसा आदेश किया जाऐ। वारिस जिसके नाम पर अनुज्ञप्ति अन्तरित की जाए प्रचलित प्रावधानों के अनुसार ऐसी अनुज्ञप्ति रखने हेतु अन्यथा पात्र होना चाहिए ।,

नियम 73. खुदरा विक्रयों के लिए अनुज्ञप्ति की अवधि – (1) अन्यथा उपबंधित के अलावा, आबकारी योग्य वस्तुओं के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्तियां निम्नलिखित अपवादों के अनुसार सरकार के वित्तीय वर्ष के तत्स्थानी एक वर्ष के लिए प्रदान की जायेगी

(क) वित्तीय वर्ष के अनुक्रम के दौरान प्रदान अनुज्ञप्ति वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की अर्द्धरात्रि को समाप्त होगी।

(ख) निर्धारित अवसर के लिए प्रदान अनुज्ञप्तियां केवल उस अवसर के लिए विधिमान्य होंगीं

(ग) देशी शराब, विदेशी शराब और हैम्प औषधि के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्तियां

● आबकारी आयुक्त की विशेष संस्वीकृति द्वारा या उससे एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रदान की जा सकेगी और,

(घ) देशी शराब के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्तियां आबकारी आयुक्त की विशेष संस्वीकृति द्वारा या उससे वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए प्रदान की जा सकेगी।

(2) शराब के थोक विनिर्माण या आपूर्ति के लिए अनुज्ञप्तियां पांच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए प्रदान की जा सकेगी ।

नियम 74. अनुज्ञप्तियां रखने से वर्जित व्यक्ति आबकारी आयुक्त की पूर्व लिखित सम्मति के बिना

(i), जिले में विदेशी शराब के विनिर्माण, विक्रय या आपूर्ति के लिए अनुज्ञप्ति में हित रखने या धारित करने वाला कोई भी व्यक्ति उसी जिले में देशी शराब के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति में किसी हित को नहीं रख सकेगा या नहीं धारित कर सकेगा।

(ii), जिले में अफीम, विकृतिकृत स्पिरिट या मादक औषधि के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति में हित रखने या धारित करने वाला कोई भी व्यक्ति उसी जिले में विदेशी देशी शराब के थोक या खुदरा विनिर्माण या विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति में किसी हित को नहीं रख सकेगा या नहीं धारित कर सकेगा।

(iii), कोई भी व्यक्ति उसी गांव में या उसी शहर या करचें में उसी आबकारी योग्य वस्तु के खुदरा विक्रय के लिए दो या अधिक दुकानों में हित नहीं रखेगा या धारित नहीं करेगा, और

(iv), आसवन से खुदरा विक्रेता को देशी शराब के विनिर्माण या उसकी आपूर्ति के लिए अनुज्ञप्ति में हित रखने या धारित करने वाला कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में, जिसमें आसवन स्थापित है या ऐसे आसवन से आपूर्तित किसी क्षेत्र में देशी शराब के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति में हित नहीं रखेगा या धारित नहीं करेगा।

(v), किसी भी व्यक्ति, जिसकी अधिनियम या इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए नीलामी में निविदा या बोली स्वीकृत की गई, लेकिन जो स्वीकृत समय के भीतर निक्षेप करने में असफल होता है, निविदा या नीलामी की शर्तों के अनुसार प्रतिभूति राशि निक्षेपित करने हेतु अपेक्षा की जाती है, ऐसी प्रतिभूति के निक्षेप के लिए स्वीकृत अंतिम दिन से तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को रखने का हकदार नहीं होगा।

नियम 75 दुकानों की स्थिति. – (1) देशी शराब, विदेशी या भारतीय निर्मित विदेशी शराब या हैम्प औषधि के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्तिधारी अपनी दुकान को केवल सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर रखेगा।

(2) देशी शराब या विदेशी या भारतीय निर्मित विदेशी शराब के खुदरा विक्रय के लिए दुकान कॉलेज शैक्षणिक संस्था, सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल, किसी मानक की गर्ल्स स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या लोक मनोरंजन के स्थान, फैक्टरी या श्रमिक या हरिजन कॉलोनी के 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थित नहीं होगी।

(3) खुदरा दुकान को सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

(4) जिला आबकारी अधिकारी के पास लेखबद्ध किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर दुकान स्थानान्तरित करने की शक्ति होगी और कोई प्रतिकर दुकान के ऐसे स्थानान्तरित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान नहीं किया जायेगाः

परन्तु आबकारी आयुक्त ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपवादिक परिस्थितियों में शराब दुकान की स्थिति की उपरोक्त शर्तों में छूट प्रदान कर सकेगा।

(5) देशी शराब, विदेशी शराब और भारतीय निर्मित विदेशी शराब, बीयर या हैम्प औषधि के खुदरा विक्रय के लिए दुकान राष्ट्रीय या राजमागों के केन्द्र से दोनों साइडों पर 150 मीटर की दूरी के भीतर स्थित नहीं होगी। लेकिन यह शर्त नगर निगम / नगर परिषद् / नगर पालिका की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में या जहां लोक कार्य विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट दूरी पर विकसित बाजार स्थित है. लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण. – (1) नियम 75 के उप–नियम (2) के प्रयोजन के लिए एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पूजा स्थल से दुकान की दूरी के बारे में प्रतिबंध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी सूची में प्रविष्ट केवल उन पूजा स्थलों के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(2) हरिजन कॉलोनी से नगर वार्ड अभिप्रेत होगा, जिसमें वर्तमान जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की जनसंख्या उस वार्ड की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हो।

स्पष्टीकरण–– (1) नियम 75 के उप–नियम (2) के प्रयोजन के लिए एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पूजा स्थल से दुकान की दूरी के बारे में प्रतिबंध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी सूची में प्रविष्ट केवल उन पूजा स्थलों के सम्बन्ध में लागू होगे।

(2) हरिजन कॉलोनी से नगर वार्ड अभिप्रेत होगा जिसमें वर्तमान जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की जनसंख्या उस वार्ड की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हो।

(3) कॉलेज या सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल स्तर संस्था पर किसी मानक की गर्ल्स स्कूल के अलावा शैक्षणिक संस्था के नजदीक स्थित किसी भी दुकान को उस संस्था के समय के समाप्त होने के पश्चात् न्यूनतम केवल एक घंटे के लिए खोली जायेगी।

(4) नियम 75 के उप–नियम (2) के प्रयोजन के लिए लोक मनोरंजन स्थल से केवल थियेटर और सिनेमा हॉल अभिप्रेत होगा।

टिप्पणी – नियम 75–स्थानान्तरण के लिए याची द्वारा जारी नोटिस स्वीकृत शराब की दुकान के स्थान को बन्द करना – स्थायी आदेश या अस्थायी आदेश भी प्राप्त करने के लिए ठेकेदार द्वारा इसके खिलाफ वाद दायर किया गया सिविल न्यायालय की अधिकारिता के बाहर होने के कारण वाद को खारिज करने हेतु विभाग द्वारा आदेश 7 नियम 11 के अधीन आवेदन दाखिल किया गया– विचारण न्यायालय ने आवेदन नामंजूर कर दिया– विचारण न्यायालय न्यायोचित ठहरा– सिविल न्यायालय की अधिकारिता को धारा 9 ख. के अधीन अपवर्जित करने हेतु मामला 1950 के अधिनियम की धारा 8 क के अन्तर्गत नहीं था। जिला आबकारी अधिकारी और अन्य बनाम मैं श्रीमति कालावती हरी सिंह चौधरी, 2001 (2) WIN 472 (Raj),

–नियम 75 (2)– मदिरा की दुकान बन्द करने का अधित्य–मदिरा का व्यापार मौलिक अधिकार नहीं–नियमों में छूट के अन्तर्गत चल रही दुकान, छूट वापस लेने के परिणाम स्वरूप बन्द करने के आदेश पारित किए गए छूट को अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता लोकहित में होने के कारण निर्णय का पुनः अवलोकन करने हेतु सरकार स्वतन्त्र है–प्रार्थी स्वयं मदिरा का विक्रय नहीं करते बल्कि विक्रय पर केवल कमिशन प्राप्त करने है–अन्यथा भी सरकार के नीतिगण निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकते **– जितेन्द्र शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 2009 (2) WLC 256 (Raj).**

नियम 75 क.– सरकार ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिसे प्रतिपादित किया जाये, देशी शराब दुकान से लगे परिसर पर (अहाता कहा जायेगा) देशी शराब के उपभोग को स्वीकृत करेगा।

76. अनुज्ञप्तियों का रद्दीकरण, उपान्तरण और निलम्बन–इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को रद्द, उपांतरित या निलंबित कर सकेगा,

(क) लिपिकीय त्रुटियों को परिशोधित करने के लिए;

(ख) यदि अनुज्ञप्ति कपट द्वारा प्राप्त की गयी; या

(ग) यदि अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन या अधिनियम के किसी प्रावधान या अधिनियम के अधीन जारी किसी अधिसूचना, आदेश या नियम का उल्लंघन का दोषी रह चुका हो।

नियम 78. मजिस्ट्रेट द्वारा आबकारी अधिकारी को वस्तुएं भेजना. – किसी आबकारी योग्य वस्तु या किसी बर्तन, पैकेट या कवर या किसी पशु, गाड़ी, जलयान, बेड़े या अन्य प्रवहण को

अधिग्रहित करने के आदेश को इस अधिनियम के अधीन पारित करने वाला मजिस्ट्रेट इसे सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त को सौंपा जायेगा।

नियम 79. आबकारी योग्य वस्तु के पशुओं और चीजों का निस्तारण. – अधिनियम के अधीन अधिग्रहित सभी पशुओं और अधिग्रहित आबकारी योग्य वस्तुओं के अलावा सभी चीजों को मजिस्ट्रेट से नियम 78 के अधीन उन्हें प्राप्त करने के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर आबकारी आयुक्त के आदेशों के अधीन लोक नीलामी द्वारा विक्रय किया जायेगा और उसके आगमों को "8 राज्य आबकारी शास्तियों शीर्षक के अधीन सरकार को क्रेडिट किया जायेगा। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के नियम 19, 20, 21, 22, 23 के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर आबकारी विभाग के संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा सबंधित के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर देशी मदिरा / भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर को जब्त कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अभियोग दर्ज किया जाता है । ऐसे अभियोगों में जब्त की गई विदेशी मदिरा एवं बीयर के निस्तारण हेतु निम्न अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर ऐसी मदिरा को निस्तारण करने के लिए अधिकृत किया जाता है

1. संबंधित उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.)– अध्यक्ष

2 उप पुलिस अधिक्षक संबंधित– सदस्य

3. जिला आबकारी अधिकारी सहायक आबकारी अधिकारी– सदस्य सचिव अधिकारी,

नियम 80. आबकारी योग्य वस्तुओं का निस्तारण अधिनियम के अधीन अधिग्रहित सभी आबकारी योग्य वस्तुओं को **नियम 78** के अधीन मजिस्ट्रेट से उन्हें प्राप्त करने के पश्चात युक्ति युक्त समय के भीतर अनुसरित अनुसार बरता जायेगा

(क) मूल्य में रू. 5/– से अनधिक आबकारी योग्य वस्तुओं को सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा नष्ट किया जायेगा;

(ख) मूल्य में रू. 50/– से अनधिक मुहरबंद बोतलों में विधिपूर्वक विनिर्मित शराब को ऐसे तरीके में निस्तारित किया जायेगा, जिसे जिला आबकारी अधिकारी निर्देशित करे और मूल्य मे रू. 50/– से अधिक ऐसी शराब को ऐसे तरीके में निस्तारित किया जायेगा. जिसे आबकारी आयुक्त निर्देशित करें।

(ग) मूल्य में रू. 5/– से अधिक भांग को नजदीकी बंधिक भण्डारगाह में, यदि यह जारी करने के लिए उचित हो. जिला आबकारी अधिकारी की संस्वीकृति से निक्षेपित किया जायेगा और यदि अनुपयुक्त हो, तो ऐसे तरीके में निस्तारित किया जायेगा, जिसे आबकारी आयुक्त निर्देशित करें।

(घ) उपरोक्त उप–खण्ड, द्वारा आवृत्त नहीं मामलों में आबकारी योग्य वस्तुओं का निस्तारण ऐसे तरीके में होगा, जिसे आबकारी आयुक्त विशेष या सामान्य आदेश द्वारा निर्देशित करें।

नियम 81. नाशवान वस्तुएं–नियम 78 से 81 में किसी भी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, नाशवान वस्तुओं या पशु, जिसके संबंध में अभिरक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं नहीं की जा सकेंगी. स्वयं

मजिस्ट्रेट द्वारा या सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा लोक नीलामी द्वारा तुरन्त निस्तारित किया जायेगा।

नियम 82 विक्रय या निस्तारण अपील के लंबित रहने तक स्थगित रखना. – अधिनियम के अधीन अधिग्रहित आबकारी योग्य वस्तु, पशु या किसी अन्य पदार्थ के विक्रय या अन्य निस्तारण को अधिग्रहण के आदेश के विरूद्ध अपील की अवधि समाप्त होने तक स्थगित रखा जायेगा, या यदि एक अपील ऐसे आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित अधिकारी की जानकारी में की जाये, तो जब तक कि अपील का निस्तारण नहीं किया जाये।

परन्तु नाशवान वस्तु या पशु जिसके सम्बन्ध में कोई पर्याप्त व्यवस्था अभिरक्षा के लिए नहीं की जा सके, तुरन्त निस्तारित किये जायेंगे और विक्रय आगम निक्षेपित अनुसार सरकारी कोषागार में क्रेडिट किया जायेगा, जब तक कि अपील की अवधि समाप्त नहीं हो जाये, या जब तक कि अपील निस्तारित की जाये, जो भी स्थिति हो ।

नियम 83. गवाह के व्यय. – (1) आबकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत या इसके समक्ष आबकारी मामलों के लिए आपराधिक न्यायालय द्वारा समन किये गये गवाहों को आपराधिक मामलों में गवाहों को व्यय प्रदान करने के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम की अनुपालना में न्यायालय द्वारा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

मोड्यूल (ई) : अन्य विधियां

मोटर यान अधिनियम, 1988

धारा 2 परिभाषाएंः–

1 **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र–**से सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाणपत्र अभिप्रेत है कि मोटर यान को अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से रजिस्टर कर दिया गया है।
2 **कडंक्टर अनुज्ञप्ति–** से सक्षम अधिकारी द्वारा अध्याय 3 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।
3 **ड्राईवर–** के अर्न्तगत किसी ऐसे मोटर यान के संबंध में जो किसी अन्य मोटर यान से चलाया जाता है, वह व्यक्ति भी है जो चलाएं जाने वाले यान के अनुचालक के रूप में कार्य करता है।
4 **चालन–अनुज्ञप्ति–** से ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन दी गई है और जो उसमें विनिर्दिष्टि व्यक्ति को मोटर यान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटर यान शिक्षार्थी से भिन्न रूप में चलाने के लिए प्राधिकृत करती है।
5 **शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति**– से ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन दी गई है, और जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को शिक्षार्थी के रूप में कोई मोटर यान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटर यान चलाने के लिए प्राधिकृत करती है।
6 **हल्का मोटर यान**– से अभिप्रेत है ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसमें से किसी का सकल यान भार, ऐसी मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड–रोलर जिसमें से किसी का लदान रहित भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है।
7 **मोटर यान या यान**– से कोई ऐसा यंत्र अभिप्रेत है जो सड़कों पर उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है, चाहे उसमें नोदन शक्ति किसी बाहरी स्त्रोत से संचारित की जाती हो या आतंरिक स्त्रोत से और इसके अन्तर्गत चैसिस, जिससे बॉडी संलग्न नहीं है और ट्रेलर भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत पटरियों पर चलने वाला यान अथवा केवल कारखाने में या अन्य किसी सीमाबद्व परिसर में उपयोग किए जाने के अनुकूल बना लिया गया विशेष प्रकार का यान चार से कम पहियों वाला यान जिसमें पच्चीस घन सें.मी से अनधिक क्षमता वाला इंजन लगाया गया है, नहीं है।
8 **स्वामी–** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम में मोटर यान रजिस्टर है और जहाँ ऐसा व्यक्ति अवयस्क है, वहाँ उस अवयस्क का संरक्षक अभिप्रेत है और उस मोटर यान के संबंध में जो अवक्रय करार या पट्टे के करार या आडमान के करार पर लिया गया है, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका उस यान पर उस करार के अधीन कब्जा है।
9 **परमिट–** से ऐसा परमिट अभिप्रेत है जो राज्य या प्रोदेशिक परिवहन प्राधिकरण ने या इस अधिनियम के अधीन इस निमित विहित प्राधिकारी ने किसी मोटर यान का परिवहन यान के रूप में उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हुए दिया गया है।
10 **परिवहन यान–** से कोई सार्वजनिक सेवा यान माल वाहन, शिक्षा संस्था बस या प्राइवेट सेवा यान अभिप्रेत है।

धारा 177 अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध– जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबन्धित नहीं है, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो (पाँच

सौ रूपए) तक का हो सकेगा, और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से, जो एक हजार पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 178 पास या टिकट के बिना यात्रा करने और कंडक्टर द्वारा कर्त्तव्य की अवहेलना के लिए तथा ठेका गाड़ी आदि के चलाने से इन्कार करने के लिए शास्ति आदि– (1) जो कोई मन्जिली गाड़ी में समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करेगा या मन्जिली गाड़ी में रहेगा या उससे उतरने पर जांच के लिए पास या टिकट देने में असफल रहेगा या देने से इन्कार करेगा अथवा पास या टिकट की अध्यपेक्षा की जाने पर उसे तत्काल परिदत्त करने में असफल रहेगा या इन्कार करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 180 अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना– जो कोई किसी मोटर यान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए ऐसे अन्य किसी व्यक्ति से, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करता है, यान चलवाएगा चा चलाने देगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या (पाँच हजार रूपए के) जुर्माने से अथवा दोनो से, दण्डनीय होगा।

धारा 181 धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना– जो कोई धारा 3 या 4 के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या (पाँच हजार रूपए के) जुर्माने से अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा :– 183 अत्यधिक गति आदि से चलाना (1) जो कोई धारा 112 में निर्दिष्ट गति–सीमा का उल्लंघन करके मोटर यान चलाएगा, या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसके द्वारा नियोजित है या उसके नियंत्रण के अधीन या किसी को उसके नियंत्रणाधीन है, चलवाएगा। यह जुर्माने से, निन्नलिखित रीति में :–

(i) जहाँ कोई ऐसा मोटर यान हल्का मोटर यान है वहाँ ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रूपए से कम नहीं होगा किन्तु दो हजार रूपए तक हो सकेगा।

(ii) जहाँ ऐसा मोटर यान मध्यम माल यान या मध्यम यात्री यान या भारी माल यान या भारी यात्री यान है वहाँ ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु चार हजार रूपए तक का हो सकेगा, और

(iii) इस उपधारा के अधीन दूसरे या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे चालक की चालन अनुज्ञप्ति धारा 206 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार परिबद्व कर ली जाएगी।

(3) कोई व्यक्ति केवल एक साक्षी के इस आशय के साक्ष्य पर ही कि उस साक्षी की राय में ऐसा व्यक्ति ऐसी गति से यान को चला रहा था जो विधिविरूद्व है, तब तक दोषसिद्व नहीं किया जाएगा जब तक उस राय की बाबत यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि वह किसी यान्त्रिक या इलेक्ट्रोनिक युक्ति के उपयोग से अभिप्राप्त प्राक्कलन पर आधारित है।

(4) ऐसी समय सारणी का प्रकाशन जिसके अधीन ऐसे किसी निदेश का दिया जाना जिसके अनुसार कोई यात्रा या यात्रा का भाग विनिर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा कर लिया जाना है, उस दशा मे, जिसमें न्यायालय की यह राय है कि मामलें की परिस्थितियों में यह साक्ष्य नहीं है कि वह यात्रा या यात्रा का भाग धारा 122 में विनिर्दिष्ट गति–सीमा का उल्लंघन किए बिना विनिर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा कर लिया जाए, बात का प्रथमदृष्टया साक्ष्य होगा कि जिस व्यक्ति ने वह समय सारणी साक्ष्य होगा कि उस व्यक्ति ने वह समय सारणी प्रकाशित की है या वह निर्देशत दिया है उसने उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध किया है।

धारा 184 खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना– जो कोई मोटर यान को ऐसी गति से ऐसे तरीके से चलाएगा जो मामले की उन सब परिस्थितियों को, जिनके अन्तर्गत उस स्थान का स्वरूप, हालत और उपयोग भी है, जहाँ वह यान चलाया जा रहा है तथा उस समय में जिसके होने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है, ध्यान में रखते हुए साधारण जनता के लिए खतरनाक ध्यान में रखते हुए साधारण जनता के लिए खतरनाक है, जो यान के अधिभोगियों, अन्य सड़क उपयोगकर्ताऔर और सड़कों के निकट व्यक्तियों को चेतावनी का बोध कराता है, वह प्रथम अपराध पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी किन्तु छह मास से कम की नहीं होगी या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु पांच हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनो से तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए उस दशा में, जिसमें कि वैसे ही पूर्ववर्ती अपराध के किए जाने के तीन वर्ष के अन्दर किया गया है, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या दस हजार रूपये के जुर्माने से अथवा दोनो से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए

(क) लाल बत्ती को पार करना,

(ख) ठहरो के चिह्न का उल्लंघन करना,

(ग) गाड़ी चलाते समय हाथ में रखी संसूचना युक्तियों का प्रयोग,

(घ) विधि के विरूद्व किसी रीति में अन्य यानों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना,

(ङ) यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरूद्व चालन करना,

(च) किसी ऐसी रीति में गाड़ी चलाना जो उससे बहुत कम है जिसकी किसी सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षा की जाएगी और जहाँ किसी सक्षम और सावधान चालक को यह स्पष्ट होगा कि उस रीति में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा, से ऐसी रीति में चालन जो पब्लिक के लिए खतरनाक है, अभिप्रेत होगा।

धारा 185 किसी मत्त व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाया जाना–मोटर यान को चलाते समय या चलाने का प्रयत्न करते समय

(क) जिस किसी के रक्त में किसी श्वास विश्लेषक या किसी अन्य परीक्षण जिसके अंतर्गत प्रयोगशाला परीक्षण भी है, द्वारा परीक्षण किए जाने पर रक्त के प्रति 100 मिली लिटर में 30 मिली ग्राम से अधिक ऐल्कोहाल पाया जाता है, या

(ख) जो कोई मादक द्रव्य के असर में इस सीमा तक है कि वह मोटर यान पर समुचित नियन्त्रण रखने में असमर्थ है, वह प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रूपये के जुर्माने से अथवा दोनों से तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए उस दंशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या पन्द्रह हजार रूपये के जुर्माने से अथवा दोनो से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, मादक द्रव्य पद से अल्कोहल प्राकृतिक या कृत्रिम से भिन्न कोई मद्दे या कोई अन्य सामग्री या कोई लवण या ऐसे पदार्थ या सामग्री की निर्मिति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए और इसके अंतर्गत स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 2 के खंड (xiv) और खंड (xxiii) में यथा परिभाषित स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ भी है।

धारा 187 दुर्घटना संबंधी अपराधों के लिए दण्ड– जो कोई धारा 132 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) या धारा 133 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या पांच हजार रूपये के जुर्माने से अथवा दोनो से, अथवा इस धारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्वि हो चुकने पर इस

धारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्व होने की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या दस हजार रूपये के जुर्माने से अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा 188 कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड– जो कोई धारा 184, धारा 185 या धारा 186 के अधीन अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा 192 रजिस्ट्रीकरण के बिना यान का उपयोग– (1) जो कोई धारा 39 के उपबंधों के उल्लंघन में, किसी मोटर यान को चलाएगा अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, किन्तु दो हजार रूपये से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा तथा किसी द्वितीय या पश्चावर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, किन्तु पांच हजार रूपये से कम का नहीं होगा, अथवा दोनो से, दण्डनीय होगा,
परन्तु न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्व किए जाएंगे, कोई लघुतर दण्ड अधिरोपितकर सकेगा।
(2) इस धारा की कोई बात आपात के दौरान ऐसे व्यक्तियों को ले जाने के लिए, जो रोग से या क्षति से ग्रस्त है या कष्ट निवारण के लिए खाद्य या सामग्रियों के या वैसे ही प्रयोजन के लिए चिकित्सीय प्रदायों के परिवहन के लिए मोटर यान के उपयोग के संबंध में लागू नहीं होगी।
परन्तु यह तब जबकि वह व्यक्ति, जो यान का उपयोग कर रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट प्रोदेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसे उपयोग की तारीख से सात दिन के भीतर दे दे।
(3) वह न्यायालय, जिसमें उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के अपराध की बाबत किसी दोषसिद्वि की अपील होती है, निचले न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश को, इस बात के होते हुए भी अपास्त कर सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा कि उस दोषसिद्वि के विरूद्व, जिसके संबंध में ऐसा आदेश किया गया था कोई अपील नहीं होती है।
स्पष्टीकरण :– धारा 56 के उपबंधों के उल्लंधन में मोटर यान का उपयोग धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन होना समझा जाएगा और उपधारा (1) में यथा उपबंधित वैसी ही रीति में दंडनीय होगा।

धारा 193 क परमिट के बिना यानों का उपयोग– (1) जो कोई धारा 66 की उप–धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में अथवा ऐसे परमिट की उस मार्ग संबंधी जिस पर या उस क्षेत्र संबंधी जिसमें या उस प्रयोजन संबंधी जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा सकेगा, किसी शर्त के उल्लंघन में यान को चलाएगा, अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, वह प्रथम अपराध के लिए ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और दस हजार रूपये के जुर्माने से तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु छह मास से कम नहीं होगी, या जो दस हजार रूपये के जुर्माने से, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा,
परन्तु न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबद्व किए जाएंगे, कोई लघुतर दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।
(2) इस धारा की कोई बात आपात के दौरान ऐसे व्यक्तियों को ले जाने के लिए, जो रोग से या क्षति से ग्रस्त हैं या मरम्मत के लिए सामग्री के या कष्ट निवारण के लिए खाद्य या सामग्रियों के या वैसे ही प्रयोजन के लिए चिकित्सीय प्रदायों के परिवहन के लिए मोटर यान के उपयोग के संबंध में लागू नहीं होगी ।

परन्तु यह तब जब कि वह व्यक्ति, जो यान का उपयोग कर रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसे उपयोग की तारीख से सात दिन के भीतर दे दे।
(3) वह न्यायालय, जिसमें उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के अपराध की बाबत किसी दोषसिद्वि की अपील होती है, निचले न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश को इस बात के होते हुए भी अपास्त कर सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा कि उस दोषसिद्वि के विरूद्व, जिसके संबंध में ऐसा आदेश किया गया था, कोई अपील नहीं होती है।

धारा 192 ख. रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अपराध (1) जो कोई मोटर यान का स्वामी होते हुए धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो मोटर यान के वार्षिक सड़क कर का पांच गुना या आजीवन कर का एक तिहाई जुर्माने से, जो भी अधिक हो, दंडनीय होगा।
(2) जो कोई व्यौहारी होते हुए धारा 41 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन नए मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है तो वह मोटर या के वार्षिक सड़क या आजीवन कर के पंद्रह गुना जुर्माने से दंडनीय होगा।
(3) जो कोई भी वाहन का मालिक होने के तौर से उन दस्तावेजों के आधार पर वह वाहन के लिए पंजीकरण का प्रमाण–पत्र अर्जित करता है, जो किसी तात्विक विशिष्ट में मिथ्या या फिर तथ्यों के निरूपण के जरिए मिथ्या से अथवा उस पर उत्कीर्ण इंजिन संख्या अथवा चेसिस संख्या उस संख्या से भिन्न है जो पंजीयन प्रमाण–पत्र में दर्ज है, वह कारावास जिसकी अवधि छह माह से कम नही होगी मगर जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और वार्षिक सड़क कर की राशि के दस गुना के बराबर अथवा मोटर वाहन के आजीवन कर के एक तिहाई, जो भी उच्चतर हो के जुर्माने से दंडनीय होगा।
(4) जो कोई ऐसा व्यौहारी होते हुए ऐसे दस्तावेजों के आधार पर ऐसे यान के लिए रजिस्ट्रीकरण या प्रमाणपत्र जो तथ्यों के प्रतिरूपण द्वारा किसी तात्विक विशिष्ट में मिथ्या थे या मिथ्या था या उस पर उत्कीर्ण, इंजन संख्या या चेसिस संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रविष्ट ऐसी संख्या से भिन्न हैं कारावास जिसके लिए अवधि छह माह से कम नहीं होगी मगर जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा तथा एक वार्षिक सड़क की राशि का दस गुणा के बराबर अथवा दो तिहाई जुर्माना जो मोटर यान के वार्षिक सड़क कर का दस गुना या आजीवन कर के दुगुने के, जुर्माने से जो भी अधिक हो, दंडनीय होगा।

धारा 194 क– अधिक यात्रियों का वहन– जो कोई किसी ऐसे परिवहन यान को उस समय चलाता है या परिवहन यान को चलाना है या चलवाए जाने के लिए अनुज्ञात करता है जब ऐसे परिवहन यान की रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में या ऐसे परिवहन यान को लागू अनुज्ञप्ति शर्तो में प्राधिकृत यात्रियों से अधिक यात्रियों से अधिक यात्रियों का वहन किया जाता है तो वह एक हजार रूपये प्रति अधिक व्यक्ति के जुर्माने से दंडनीय होगा।
परंतु ऐसे मोटर यान को चलने के लिए तक तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिक यात्रियों को नहीं उतार दिया जाता है और ऐसे यात्रियों के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है।

धारा 194 ख – सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना (1) जो कोई सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटर यान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है एक हजार रूपये के जुर्माने से दंडनीय होगा।
परन्तु राज्य सरकार ऐसे परिवहन यानों को, जो चलवाता है या चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है, चलवाता है या चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है, जिसमें कोई ऐसा बालक है जिसने चौदह

वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है ओ जो सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है, एक हजार रूपये के जुर्माने से दंडनीय होगा।

धारा 194 ग – मोटर साइकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए शास्ति–जो कोई धारा 128 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और नियमों के उल्लंघन में कोई मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल को चलवाता है चलाने के लिए अनुज्ञात करता है तो वह दो हजार रूपये के जुर्माने से दंडनीय होगा और तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरर्हित होगा।

धारा 196 बीमा न किए गए यान को चलाना – जो कोई धारा 146 के उपबंधों का उल्लंघन करके कोई मोटर यान चलाएगा। प्रथम अपराध के लिए या चलवाएगा, या चलाने देगा वह कारावास से, जो तीन मास तक हो सकेगा, या दो हजार रूपये के जुर्माने से, अथवा दोनो से और पश्चावर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या चार हजार रूपये के जुर्माने से या दोनो से दंढनीय होगा।

धारा 199 क – किशोर द्वारा अपराध (1) जहाँ कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी किशोर द्वारा किया गया है ऐसे किशोर संरक्षक या मोटर यान का स्वामी उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और उसके विरूद्ध कार्रवाई का दायी होगा तथा तदुनुसार दंडित किया जाएगा।

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे संरक्षक या स्वामी को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए दायाी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के लिए जाने को रोकने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि किशोर द्वारा मोटर यान का प्रयोग यथास्थिति ऐसे किशोर के संरक्षक या स्वामी की सहमति से किया गया था।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्ति ऐसा संरक्षक या स्वामी ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध ऐसे संरक्षक या स्वामी को लागू नहीं होगें यदि अपराध करने वाला किशोर को धारा 8 के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी और ऐसा मोटर यान प्रचालित कर रहा था जिसे ऐसा किशोर चलाने के लिए अनुज्ञप्त किया गया था।

(4) जहाँ इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है वहाँ अपराध किए जाने में प्रयुक्त मोटर यान बारह मास की अवधि के लिए रद्द किया जाएगा।

(5) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है वहाँ धारा 4 या धारा 7 के होते हुए भी ऐसा किशोर धारा 9 के अधीन चालन अनुज्ञप्ति या धारा 8 के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसे किशोर ने पच्चीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो।

(6) जहाँ इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है वहाँ ऐसा किशोर इस अधिनियम में यथा उपबंधित जुर्मानों से दंडित किए जाने का पात्र होगा जबकि कोई अभिरक्षक अभिरक्षा, दंडादेश किशोर न्याय अधिनियम 2000 (2000 का 56) के उपबंधो के अधीन उपांतरित किया जा सकेगा।

धारा 200 कतिपय अपराधों का शमन– (1) धारा 177, धारा 178, धारा 179 धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 182–क की उपधरा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4), धारा 182–क, धारा

182–ख, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184, केवल हाथ में संचार उपकरणों के उपयोग की सीमा तक धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 192, धारा 192–क, धारा 194, धारा 194–क, धारा –ख, धारा 194–ग, धारा 194–घ, धारा 194–ङ, धारा 194–च, धरा 196, धारा 198 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो या पश्चात किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी राशि के लिए जो राज्य सरकार, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, शमन या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् किया जा सकेगा।
परन्तु यह कि राज्य सरकार ऐसी रकम के अतिरिक्ति अपराधी से सामुदायिक सेवा की अवधि का वचनबंध करने की अपेक्षा कर सकेगी।
(2) जहाँ किसी अपराध का शमन उप–धारा (1) के अधीन किया गया है वहाँ अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के बारे में उसके विरूद्व आगे कार्यवाही नहीं के जाएगी ।
परंतु इस धारा के अधीन शमन के होते हुए ऐसा अपराध यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उसी अपराध के पूर्व में किया जाना समझा जाएगा कि क्या पश्चावर्ती अपराध किया गया है।
परंतु यह और कि किसी अपराध का शमन अपराधी को धारा 206 की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहियों से या चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठयक्रय पूरा करने की बाध्यता या यदि लागू हो, संपूर्ण सामुदायिक सेवा की बाध्यता से उन्मुक्त नहीं करेगा।

धारा 201 यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालने के लिए शास्ति– जो कोई किसी यान को किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी रीति से रखेगा जिससे कि यातायात का मुक्त प्रवाह अवरूद्व होता है तो वह, जब तक यान उस स्थिति में रहता है, (पांच सौ रूपए) तक की शास्ति के लिए दायी होगा।
परन्तु दुर्घटनाग्रस्त यान केवल उस समय से शास्ति का दायी होगा जिस समय विधि के अधीन निरीक्षक की औपचारिकताएँ पूरी हो जाती है।
परन्तु यह और कि जहाँ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अभिकरण, हटाए जाने का प्रभार, वहाँ अनुकर्षण प्रभार यान के स्वामी या ऐसे यान के भारसाधक व्यक्ति से वसूल किए जाएंगें।
(2) इस धारा के अधीन शास्तियां या (आरोपों को हटाना) ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा वसूल किए जाएंगे जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत करे।
(3) उपधारा (1) वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ मोटर यान में अनवेक्षित खराबी हो गई है और हटाए जाने की प्रक्रिया में है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए हटाए जाने के प्रभारों के अंतर्गत अनुकर्षण के माध्यम सहित और ऐसे मोटर यान के भंडारण से संबंद्व किन्हीं लागतों सहित भी एक अवस्थिति से दूसरी अवस्थिति तक एक मोटर यान के हटाए जाने में अंतर्वलित कोई लागत मंजूर होगी।

धारा 202 वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति– (1) वर्दी में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसने उसकी उपस्थिति में ऐसा अपराध किया है जो धारा 184 या धारा 185 या धारा 197 के अधीन दण्डनीय है, वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।
परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति की जो धारा 185 के अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में ऐसे गिरफ्तार किया गया है, धारा 203 और धारा 204 में निर्दिष्ट उसकी चिकित्सीय परीक्षा उसकी गिरफ्तारी

के दो घण्टो के भीतर किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से कराई जाएगी और ऐसा न करने की दशा से उसे अभिरक्षा से निर्मुक्त किया जाएगा।
(2) वर्दी पहने हुए कोई पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता देने से इन्कार करता है।
(3) मोटर यान के ड्रावर को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी परिस्थितियों से अपेक्षित होने पर यान के अस्थायी निपटारे के लिए ऐसे कदम उठाऐगा या उठवाऐगा जो वह उचित समझे।

धारा 203 श्वास–परीक्षण– (1) वर्दी पहने हुए कोई पुलिस अधिकारी या मोटर यान विभाग का कोई अधिकारी जिसे उस विभाग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान चलाने वाले या चलाने का प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति से श्वास परीक्षण के लिए वहाँ या पास के स्थान में श्वास के एक या अधिक नमूने देने की उस दशा में अपेक्षा कर सकेगा जब ऐसे पुलिस अधिकारी या अधिकारी के पास ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 185 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किए जाने का सन्देह करने का कोई युक्तियुक्त कारण है। परन्तु श्वास परीक्षण के लिए कोई अपेक्षा ऐसे अपराध के किए जाने के पश्चात् युक्तियुक्त तौर पर तब तक नहीं की जाएगी (जब तक कि ऐसा श्वास परीक्षण यथासाध्य शीघ्र नहीं करा लिया गया हो)।
(2) यदि कोई मोटर यान किसी सार्वजनिक स्थान में दुर्घटनाग्रस्त है और वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी को यह सन्देह करने का युक्तियुक्त कारण है कि उस व्यक्ति के, जो दुर्घटना के समय मोटर यान चला रहा था, रक्त में एल्कोहल थी या धारा 185 में निर्दिष्ट किसी मादक द्रव्य के असर में यान चला रहा था, तो वह इस प्रकार मोटर यान चलाने वाले किसी व्यक्ति से :–
(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में है, उस अस्पताल में,
(ख) किसी अन्य व्यक्ति की दशा, में, या तो उस स्थान पर या उसके समीप जहाँ अपेक्षा की गई है या यदि पुलिस अधिकारी उचित समझे तो पुलिस अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट पुलिस थाने पर,
श्वास–परीक्षण के लिए श्वास–नमूना देने की अपेक्षा कर सकेगा।
परन्तु उस व्यक्ति से, जो किसी अस्पताल में अन्तर्गत रोगी के रूप में है, ऐसा नमूना देने की अपेक्षा उस दशा में नहीं की जाएगी जब उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, जिसकी अव्यवहित देख–रेख में उक्त व्यक्ति है, नमूना लेने की प्रस्थापना की सूचना पहले नहीं दी गई है अथवा वह इस आधार पर नमूना दिए जाने पर आपत्ति करता है कि नमूने का दिया जाना या दिए जाने की अध्यपेक्षा रोगी की समुचित देखरेख या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
(3) यदि वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी को उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति पर उसके द्वारा किए गए श्वास–परीक्षण के परिणामस्वरूप यह प्रतीत होता है कि वह युक्ति जिसके द्वारा परीक्षण किया गया है, यह उपदर्शित करती है कि उस व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकेगा किन्तु तब नहीं जब वह व्यक्ति अन्तरंग रोगी के रूप में अस्पताल में हो।
(4) यदि श्वास–परीक्षण के लिए श्वास का नमूना देने के लिए उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई व्यक्ति ऐसा करने से इन्कार करता है या ऐसा करने में असफल रहता है और पुलिस अधिकारी को उसके रक्त में एल्कोहल होने का सन्देह करने का युक्तियुक्त कारण है तो पुलिस अधिकारी उसे बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकेगा किन्तु तब नहीं जब वह अन्तरंग रोगी के रूप में अस्पताल में हो।
(5) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को, जब वह पुलिस थाने में हो, श्वास–परीक्षण के लिए श्वास का नमूना देने का अवसर दिया जाएगा।

(6) इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किए गए श्वास–परीक्षण के परिणाम साक्ष्य में ग्राहय होंगें।
स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, श्वास–परीक्षण से किसी व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल होने का कोई संकेत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उस व्यक्ति द्वारा दिए गए श्वास के नमूने पर, उस युक्ति के द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे परीक्षण के प्रयोजन के लिए अनुमोदित की जाए, किया गया परीक्षण अभिप्रेत है।

धारा 204 प्रयोगशाला परीक्षण–(1) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे धारा 203 के अधीन गिरफ्तार किया गया है, जब वह पुलिस थाने में हो, ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायीी को, जो पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किया जाए प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का कोई नमूना देने की पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जा सकेगी, यदि–
(क) पुलिस अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि वह युक्ति जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के संबंध में श्वास–परीक्षण किया गया है, ऐसे व्यकित के रक्त में एल्कोहल होने का संकेत करती है, या
(ख) ऐसे व्यक्ति ने जब उसे श्वास–परीक्षण कराने के लिए अवसर दिया गया था, ऐसा करने से इन्कार किया है, ऐसा नहीं किया है या करने में असफल रहा है ।
परन्तु जहा ऐसा नमूना देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति कोई व्यक्ति कोई स्त्री है और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किया गया रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी कोई पुरूष चिकित्सा व्यवसायी है तो नमूना किसी स्त्री की उपस्थिति में ही चाहे वह चिकित्सा व्यवसायी हो या नहीं, लिया जाएगा।
(2) किसी व्यक्ति से, जब वह अन्तरंग रोगी के रूप में किसी अस्पताल में हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अस्पताल में प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का नमुना देने की अपेक्षा की जा सकेगी –
(क) यदि पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि वह युक्ति, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के संबंध में श्वास का परीक्षण किया गया है, ऐसे व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल होने का संकेत करती है, या
(ख) यदि उस व्यक्ति ने, चाहे अस्पताल में या अन्यत्र, श्वास–परीक्षण के लिए श्वास का नमूना देने की अपेक्षा की जाने पर ऐसा करने से इन्कार किया है, ऐसा नहीं किया है या ऐसा करने में असफल रहा है और पुलिस अधिकारी के पास उसके रक्त में एल्कोहल होने के सन्देह का युक्तियक्त कारण है।
परन्तु किसी व्यक्ति से, इस उप–धारा के अधीन प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का नमूना देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, नमूना लेने की प्रस्थापना की सूचना पहले नहीं दी गई, है, अथवा वह इस आधार पर नमूना दिए जाने पर आपत्ति करता है कि नमूने का दिया जाना या दिए जाने की अध्यपेक्षा रोगी की समुचित देख–रेख या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
(3) इध धारा के अनुसरण में किए गए प्रयोगशाला परीक्षण के परिणाम साक्ष्य में ग्राह्म होगें।
स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रयोगशाला परीक्षण से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में रक्त के नमूने का किया गया विश्लेषण अभिप्रेत है।

धारा 206 पुलिस अधिकारी की दस्तावेज परिबद्व करने की शक्ति– (1) यदि किसी पुलिस अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान पर ले जाया जाने वाला कोई भी पहचान चिन्ह अथवा कोई अनुज्ञप्ति, परमिट, रजिस्टीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज, जिसे मोटर यान

के ड्राइवर या अन्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष पेश किया गया है, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 464 के अर्थ में मिथ्या दस्तावेज है, जो वह उस चिन्ह या दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा तथा यान के ड्राइवर या स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे चिन्ह या दस्तावेज के अपने कब्जे में होने अथवा यान में विद्यमान होने का कारण बताए।

(2) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्रधिकृत पुलिस ऑफिसरको यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान का ड्राइवर जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप है, फरार हो सकता है या समन की तामील से अन्यथा बच सकता है तो वह ऐसे ड्राइवर द्वारा धारित किसी अनुज्ञप्ति को अभिगृहीत कर सकेगा तथा उक्त न्यायालय अपने समक्ष ऐसे ड्राइवर के प्रथम बार उपस्थित होने पर उस अनुज्ञप्ति को ऐसी अस्थायी अभिस्वीकृति के बदले में, जो उप–धारा (3) के अधीन दी गई है, उसे लौटा देगा।

(3) कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसने उप–धारा (2) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को अभिग्रहीत किया है, उस व्यक्ति को, जिसने अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित किया है, उसके लिए अस्थायी अभस्वीकृति देगा तथा ऐसा अभिस्वीकृति धारक को जब तक वह अनुज्ञप्ति उसे लौटा नहीं दी जाती अथवा ऐसा तारीख तक जो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उस अनुज्ञप्ति उसे लौटा नहीं दी जाती अथवा ऐसी तारीख तक जो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा एस अभिस्वीकृति में निर्दिष्ट की गई है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, यान चलाने के लिए प्राधिकृत करेगीः

परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति का, उससे आवेदन किए जाने पर यह समाधान हो जाता है कि वह अनुज्ञप्ति उसके धारक को अभिस्वीकृति में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व ऐसे किसी कारण से, जिसके लिए वह धारक उत्तरदायी नहीं है, नहीं लौटाई जा सकती अथवा नहीं लौटाई गई है तो यथास्थिति, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति मोटर चलाने के प्राधिकार की अवधि को उस तारीख तक के लिए बढ़ा सकेगा जो अभिस्वीकृति में विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि मोटर यान के चालक ने धारा 183, धारा 185, धारा 189, धारा 190, धारा 194–ग और धारा 194–ङ में से किसी धारा के अधीन कोई अपराध किया है तो ऐसे चालक द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति को जब्त करेगा और उसे धारा 19 के अधीन निर्हरत संबंधी कार्रवाहियों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

पंरतु अनुज्ञप्ति को जब्त करने वाला व्यक्ति उसके लिए अस्थायी अभिस्वीकृति अनुज्ञप्ति अभ्यर्पण करने वाले व्यक्ति को देगा किंतु ऐसी अभिस्वीकृति धारक को तब तक चालन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि अनुज्ञप्ति उसकों न लौटा दी गई हो।

धारा 207 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, परमिट, आदि के बिना उपयोग किए गए यानों को निरूद्व करने की शाक्तिः–

(1) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान का उपयोग धारा 3 या धारा 4 या धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन करके या धारा 66 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित परिमिट के बिना अथवा उस मार्ग संबंधी, जिस पर या उस क्षेत्र संबंधी जिसमें अथवा उस प्रयोजन संबंधी जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा सकता है, ऐसे परमिट की किसी शर्त का उल्लंघन कर किया गया है या किया जा रहा है तो वह उस यान को अभिगृहीत और विहित रीति से निरूद्व कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कोई कदम उठा सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कोई कदम उठा सकेगा या उठवा सकेगा जो उस यान की अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए वह उचित समझेः

परंतु जहाँ ऐसे अधिकारी या व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान का उपयोग धारा 3 या धारा 4 का उल्लंघन करके, या धरा 66 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित परमिट के बिना किया गया है या किया जा रहा है वहाँ वह यान को अभिगृहीत करने के बजाय यान के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र अभिगृहीत कर सकेगा तथा उसके लिए अभिस्वीकृति देगा।

(2) जहाँ कोई मोटर यान उप–धारा (1) के अधीन अभिगृहीत और निरूद्व किया गया है वहाँ उस मोटर यान का स्वामी या उसका भारसाधक व्यक्ति, परिवहन प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को, ऐसे यान के निर्मुक्त कर देने के लिए सुसंगत दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेगा, और ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात्, आदेश द्वारा यान को ऐसी शर्तो के अधीन निर्मुकत कर सकेगा जो वह प्राधिकारी या अधिकारी अधिरोपित करना ठीक समझे।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम. 1951

धारा 125. निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करना–जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।,

धारा 125क. मिथ्या शपथपत्र, आदि फाइल करने के लिए शास्ति–कोई अभ्यर्थी, जो स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से, किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, यथास्थिति, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन परिदत्त अपने नामनिर्देशन पत्र में या धारा 33क की उपधारा (2) के अधीन परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित अपने शपथ पत्र में, –

(i) धारा 33क की उपधारा (1) से संबंधित सूचना देने में असफल रहेगा; या

(ii) ऐसी मिथ्या सूचना देगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है; या

(iii) कोई सूचना छिपाएगा,

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।,

धारा 126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध–(1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान, –

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या

(ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद–प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा

(2) वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा; कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) इस धारा में, निर्वाचन संबंधी बात पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है।

धारा 126क. निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम आदि के प्रकाशन और प्रसारण पर निर्बंधन–

(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा ।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात –

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

(ख) किसी उप–निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप–निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

परंतु भिन्न–भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप–निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) निर्गम मत सर्वेक्षण से वह राय सर्वेक्षण अभिप्रेत है जो इस संबंध में है कि निर्वाचकों ने कैसे किसी निर्वाचन में मतदान किया या इस संबंध में है कि किसी निर्वाचन में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी की पहचान सभी मतदाताओं ने कैसे की है;

(ख) इलैक्ट्रानिक मीडिया के अन्तर्गत इंटरनेट, रेडियो और टेलीविजन भी हैं, जिसमें इंटरनेट प्रोटोकाल टेलीविजन, सेटेलाइट, क्षेत्रीय या केबल चैनल, मोबाइल और ऐसा अन्य मीडिया सम्मिलित है जो सरकार के या निजी व्यक्ति अथवा दोनों के स्वामित्वाधीन है;

(ग) प्रिंट मीडिया के अन्तर्गत कोई समाचारपत्र, पत्रिका या नियतकालिक पत्रिका, पोस्टर, प्लेकार्ड, हैंडबिल या कोई अन्य दस्तावेज भी है;

(घ) प्रसार के अन्तर्गत किसी प्रिंट मीडिया में प्रकाशन या किसी इलैक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारण या प्रदर्शन भी है ।

धारा 126ख. कंपनियों द्वारा अपराध–(1) जहां धारा 126क की उपधारा (2) के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने

के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे।

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम भी है; और

(ख) निदेशक से किसी फर्म के संबंध में फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।,

धारा 127. निर्वाचन सभाओं में उपद्रव–(1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में, जिसके संबंध में यह धारा लागू है, उस कारबार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह सभा बुलाई गई है, विच्छृखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिए उद्दीप्त करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा,, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।,

(1क) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।,

(2) यह धारा राजनीतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है, जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन–क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन–क्षेत्र में की गई है ।

(3) यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति की बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने उपधारा (1) के अधीन अपराध किया है और तो यदि सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए, तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरन्त अपना नाम और पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इंकार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस आफिसर उसकी बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि

उसने मिथ्या नाम या पता दिया है, तो पुलिस आफिसर उसे वारंटट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा ।

धारा 127क. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन–(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को–

(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है; तथा

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा, जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित–

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन आफिसर को, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के, जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और मुद्रण पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा; तथा

(ख) निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल प्रख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता ।

(4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।,

धारा 128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना–(1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी

कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

परन्तु इस उपधारा के उपबंध ऐसे आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को, जो राज्य सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए किसी निर्वाचन में ऐसे किसी कर्तव्य का पालन करता है, लागू नहीं होंगे ।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

धारा 129. निर्वाचनों में आफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे–(1) जो ख्कोई जिला निर्वाचन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर, या सहायक रिटर्निंग आफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान आफिसर है या ऐसा आफिसर है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा ।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य–

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का; और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का; और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का, प्रयास करेगा ।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।,

धारा 130. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध–(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर, की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य न करेगा, अर्थात–

(क) मतों के लिए संयाचना;

(ख) किसी निर्वाचक से उनके मत को याचना करना;

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना;

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए निर्वाचक को मनाना; और

(ङ) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना ।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

धारा 131. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति—(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है —

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्र मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा; और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में के किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विच्छृखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा,

कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्तव्यारूढ़ आफिसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो ।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस आफिसर को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे और पुलिस आफिसर उस पर उसे गिरफ्तार करेगा ।

(4) कोई पुलिस आफिसर ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उपधारा (1) के उपबंधों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधित्र को अभिगृहीत कर सकेगा ।

धारा 132. मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्ति—(1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन आफिसर के विधिपूर्ण निदेशों के अनुपालन में असफल रहता है, उसे पीठासीन आफिसर या कर्तव्यारूढ़ कोई पुलिस आफिसर या ऐसे पीठासीन आफिसर द्वारा एतन्निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां ऐसे प्रयुक्त न की जाएंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाए ।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन आफिसर की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

धारा 132क. मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति–यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा ।,

धारा 133. निर्वाचनों में प्रवहण के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति–यदि कोई व्यक्ति, निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है जो धारा 123 के खंड (5) में विनिर्दिष्ट है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।,

धारा 134. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग–(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(1क) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।,

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी ।

(3) वे व्यक्ति, जिन्हें यह धारा लागू है या हैं, जिला निर्वाचन आफिसर, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा पदीय कर्तव्य पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित है ।

धारा 134क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति–यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा 134ख. मतदान केन्द्र में या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध–(1) रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर और किसी पुलिस आफिसर से तथा मतदान केन्द्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर कर्तव्यारूढ़ है,

भिन्न कोई व्यक्ति, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस–पास आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर नहीं जाएगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अधिनियम में परिभाषित ऐसे आयुध, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुधों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहृत की गई समझी जाएगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।,

धारा 135. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा–(1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र अप्राधिकृत रूप से, बाहर ले जाएगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा ऑफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आफिसर को निदेश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस आफिसर द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा।

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी ।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा पुलिस आफिसर के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस आफिसर द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा आफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

धारा 135क. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध– (1), जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा, ।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए बूथ का बलात् ग्रहणष के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को उसके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना,;

(ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीड़ित करना या अभित्रस्त करना या धमकी देना, और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;

(ङ) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना ।,

(2) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।,

धारा 135ख. मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी–(1) किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती ।

(3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकती है ।

धारा 135ग. मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना और न वितरण किया जाना—(1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए ।,

धारा 136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां—(1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति—

(क) कोई नामनिर्देशन—पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा

(ख) रिटर्निंग आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा, अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिह्न या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक—मतपत्र द्वारा मत देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा;, अथवा

(ङ) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा; अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा,

तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा ।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति–

(क) यदि वह रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर या मतदान केन्द्र में पीठासीन आफिसर या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य आफिसर या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु पदीय कर्तव्य पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित होगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।,

विदेशी अधिनियम, 1946

धारा 2. परिभाषा–इस अधिनियम में,
(क) "विदेशी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक नहीं है।

धारा 3. आदेश करने की शक्ति–
(1) केन्द्रीय सरकार या तो साधारणतः या सब विदेशियों के संबंध में या किसी विशिष्ट विदेशी संबंध में या किसी विहित वर्ग या विवरण के विदेशी के संबंध में भारत में विदेशियों के प्रवेश, उससे उनके प्रस्थान या उसमें उनकी उपस्थिति या उनकी निरन्तर उपस्थिति को प्रतिषिद्ध, विनियमित या निर्बंधित करने के लिए, आदेश द्वारा उपबन्ध बना सकती है ।
(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन बनाए गए आदेशों में यह उपबंधित हो सकता है कि विदेशी
(क) भारत, में प्रवेश नहीं करेगा, या भारत, में केवल ऐसे समयों पर और ऐसे मार्ग से और ऐसे पत्तन या स्थान से, और अपने आगमन पर ऐसी शर्तों के, जैसे विहित की जाएं, अनुपालन के अधीन रहते हुए, प्रवेश करेगा ;
(ख) भारत, से प्रस्थान नहीं करेगा, या ऐसे समयों पर और ऐसे मार्ग से और ऐसे पत्तन या स्थान से और प्रस्थान पर ऐसी शर्तों के, जैसी विहित की जाएं, अनुपालन के अधीन रहते हुए प्रस्थान करेगा ;
(ग) भारत, में या भारत में किसी विहित क्षेत्र में नहीं रहेगा ;
(गग) यदि इस धारा के अधीन आदेश द्वारा उससे भारत में न रहने की अपेक्षा की गई है, तो वह अपने व्ययनाधीन साधनों से भारत से अपने हटाए जाने का और ऐसे हटाए जाने तक भारत में अपने भरण–पोषण का व्यय वहन करेगा
(घ) भारत, में ऐसे क्षेत्र में जैसा विहित किया जाए अपने को ले जाएगा और उसमें रहेगा ;
(ङ) ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा जो विहित या विनिर्दिष्ट की जाएं
(i) जिनसे किसी विशिष्ट स्थान में निवास करने की उससे अपेक्षा की जाए,
(ii) जिनसे उसकी गतिविधियों पर किन्हीं निर्बंधनों को अधिरोपित किया जाए,
(iii) जिनसे उनको पहचान का ऐसा सबूत देने और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी विशिष्टियां ऐसी रीति से और ऐसे समय और स्थान पर जो विहित या विनिर्दिष्ट किए जाएं, रिपोर्ट करने के लिए अपेक्षा की जाए,
(iv) जिनसे उसके फोटोचित्र और अंगुली छाप लिए जाने के लिए, अनुज्ञात करने के लिए और उसके हस्तलेख और हस्ताक्षर का नमूना ऐसे प्राधिकारी को ऐसे समय और स्थान पर जो विहित या विनिर्दिष्ट किए जाएं देने की अपेक्षा की जाए,
(v) जिनसे ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे समय और स्थान पर जैसे विहित या विनिर्दिष्ट किए जाएं ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के लिए जो विहित या विनिर्दिष्ट की जाएं स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षा की जाएं,

(vi) जिनसे विहित या विनिर्दिष्ट प्रकार के व्यक्तियों के साथ मेलजोल से उसे प्रतिषिद्ध किया जाए,

(vii) जिनसे विहित या विनिर्दिष्ट विवरण के क्रियाकलापों के करने से उसे प्रतिषिद्ध किया जाए,

(viii) जिनसे विहित या विनिर्दिष्ट वस्तुओं के उपयोग या कब्जे से उसे प्रतिषिद्ध किया जाए,

(ix) जिनसे किसी ऐसी विशिष्टि में जैसी विहित या विनिर्दिष्ट की जाए, उसके आचरण को अन्यथा विनियमित किया जाए ;

(च) किन्हीं या सभी विहित या विनिर्दिष्ट निर्बंधनों या शर्तों के, सम्यक् अनुपालन के लिए, या प्रवर्तन के विकल्प के रूप में, प्रतिभू सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करेगा ;

(छ) गिरफ्तार और निरुद्ध या परिरुद्ध किया जाएगा ;,,

और किसी ऐसे मामले के लिए जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है और, ऐसे आनुषंगिक या अनुपूरक मामलों के लिए जो केन्द्रीय सरकार की राय में इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए समीचीन या आवश्यक है, उपबंध कर सकते हैं ।

(3) इस निमित्त विहित कोई भी प्राधिकारी किसी विशिष्ट विदेशी के संबंध में उपधारा (2) के खण्ड (ङ) [या खण्ड (च)] के अधीन आदेश दे सकता है।

धारा 7. होटल के चलाने वालों और अन्य व्यक्तियों को विशिष्टियां देने की बाध्यता—(1) किसी ऐसे परिसर को चाहे वह सुसज्जित हो या असुसज्जित, जहां पारिश्रमिक के लिए निवास और शयन की व्यवस्था की जाती है, चलाने वाले का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे परिसरों में उन विदेशियों की बाबत जिन्हें स्थान दिया गया है, ऐसी सूचना ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से देगा जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में निर्दिष्ट सूचना ऐसे सभी या किन्हीं विदेशियों से संबंधित हो सकती है जिन्हें ऐसे परिसरों में स्थान दिया गया है और कालिकतः या किसी विनिर्दिष्ट समय या अवसर पर प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षा की जा सकती है ।

(2) ऐसे परिसरों में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे स्थान दिया गया है, उसके चलाने वाले को एक विवरणी देगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना देने के प्रयोजन के लिए चलाने वाला अपेक्षा करे ।

(3) प्रत्येक ऐसे परिसर को चलाने वाला, उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा दी गई सूचना तथा उपधारा (2) के अधीन अपने द्वारा अभिप्राप्त सूचना का अभिलेख रखेगा और ऐसा अभिलेख ऐसी रीति से रख जाएगा और ऐसी कालावधि तक परिरक्षित होगा जो विहित की जाए तथा किसी पुलिस अधिकारी या इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के निरीक्षण के लिए हर समय खुला रहेगा ।

(4) यदि इस निमित्त विहित किसी क्षेत्र में विहित प्राधिकारी, ऐसी रीति से प्रकाशित सूचना द्वारा जो प्राधिकारी की राय में ऐसे संपृक्त व्यक्तियों को सूचित करने के लिए सर्वाधिक अनुकूलित है ऐसा निदेश देता है तो किसी ऐसे आवासिक परिसरों को अधिभोग में या अपने नियंत्रणाधीन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को जिन्हें ऐसे परिसरों में स्थान दिया गया है उन विदेशियों की बाबत ऐसी रीति से ऐसी सूचना प्रस्तुत करे जो विनिर्दिष्ट

की जाए और उपधारा (2) के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को लागू होंगे जिसे ऐसे परिसर में स्थान दिया गया है ।

धारा 7क. विदेशी जहां बार–बार आते हैं उन स्थानों को नियंत्रित करने की शक्ति–

(1) विहित प्राधिकारी, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, गृह या सार्वजनिक समागम या आमोद–प्रमोद के स्थान या क्लब के रूप में प्रयुक्त और जिसमें विदेशी बार–बार आते हैं ऐसे किन्हीं परिसरों के स्वामी या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगा कि वह –

(क) ऐसे परिसरों को या तो सम्पूर्णतः या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बन्द करे, या

(ख) ऐसे परिसरों का केवल ऐसी शर्तों के अधीन जो विनिर्दिष्ट की जाएं उपयोग करे या उपयोग के लिए अनुज्ञात करे, या

(ग) ऐसे परिसरों में या तो सभी विदेशियों को या किसी विनिर्दिष्ट विदेशी या विदेशी के वर्ग को प्रवेश देने से इन्कार करे ।

(2) कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया गया है, जब तक ऐसा निदेश प्रवृत्त रहता है तब तक, विहित प्राधिकारी की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के और जिन्हें वह प्राधिकारी अधिरोपित करना ठीक समझे ऐसी शर्तों के अनुसार ही पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए किसी अन्य परिसर का उपयोग करेगा या उपयोग के लिए अनुज्ञात करेगा अन्यथा नहीं ।

(3) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया गया है और जो एतद्द्वारा व्यथित है, ऐसे निदेश की तारीख से तीस दिन के अन्दर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकता है ; और इस मामले में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।,

धारा 13. इस अधिनियम आदि के उपबन्धों का उल्लंघन करने का प्रयास आदि–

(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश का उल्लंघन या दुष्प्रेरण की तैयारी करता है या दुष्प्रेरण करने का प्रयास करता है या उल्लंघन में कोई कार्य करता है या किसी ऐसे आदेश के अनुसरण में दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है ।

(2) कोई व्यक्ति जो यह जानते हुए या यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण रखते हुए कि किसी अन्य व्यक्ति ने इस अधिनियम या तद्धीन किए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश के उपबन्धों का उल्लंघन किया है, उस अन्य व्यक्ति की इस आशय से सहायता करता है कि तद्द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए उसकी गिरफ्तारी, विचारण या दण्ड में रुकावट, बाधा या अन्यथा हस्तक्षेप होगा तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे उल्लंघन को दुष्प्रेरित किया है ।

(3) यथास्थिति, किसी ऐसे जलयान के मास्टर या वायुयान के चालक के बारे में जिसके माध्यम से कोई विदेशी धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश या उक्त धारा के अनुसरण में दिए गए किसी निदेश के उल्लंघन में भारत, में प्रवेश या भारत से प्रस्थान करता है, जब तक वह यह साबित नहीं कर दे कि उसने उक्त उल्लंघन का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी, यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम का उल्लंघन किया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

धारा 4 निरोधादेश का निष्पादन – दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन गिरफ्तारी के वारण्ट के निष्पादन के लिए प्रदत किए गये तरीके से भारत के किसी स्थान में निरोधादेश का निष्पादन किया जा सकेगा।

धारा 5 निरोधादेश की परिस्थितियों और स्थान को नियंत्रित करने की शक्ति – प्रत्येक व्यक्ति जिसके लिए निरोधादेश बनाया गया है, उत्तरदायी होगा–

(क) निरूद्ध रहने के लिए ऐसे स्थान से और परिस्थितियों के अधीन अनुशासन और व्यवस्था के प्रतिबंधों के सहित और अनुशासनहीनता के लिए दण्ड जो उपयुक्त सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश में निर्दिष्ट हो, और

(ख) हटाये जाने के लिए निरोध के एक स्थान से अन्य स्थान को, भले ही उसी राज्य में या अन्य राज्यों में समुचित सरकार के आदेश द्वारा, परंतु यह प्रतिबंध है कि खंड (ख) के अधीन राज्य सरकार के द्वारा एक राज्य से अन्य राज्य में जब तक कि अन्य सरकार की स्वीकृति न हो, व्यक्ति को हटाने के लिए आदेश नहीं होगा।

धारा 7 – फरार व्यक्ति के सम्बन्ध में शक्तियां – (1) यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या धारा 3 की उपधारा (3) में वर्णित अधिकारी, यथास्थिति के पास विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में निरूद्व आदेश बनाया गया है, भाग गया है या अपने को छिपा रहा है, जिससे कि आदेश का पालन नहीं किया जा सके, तो सरकार या अधिकारी–

(क) इस तथ्य की लिखित में रिपोर्ट महानगरीय मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, जिसके कि क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति का सामान्य निवास–स्थान है, सूचना देगाः

(ख) राजकीय राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर निदेशित करेगा कि वह व्यक्ति निश्चित स्थान पर और निश्चित समय में जैसा कि आदेश में निदेशित हो, प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट किए जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 82,83 84 एंव 85 के उपबन्ध उस व्यक्ति और उसकी सम्पति के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया निरोधादेश जारी किया गया वांरट हो।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (ख) का पालन करने में असफल होता है जब तक कि वह यह सिद्ध न करे कि उसके लिए उनका पालन करना सम्भव नहीं था और आदेश में उल्लेखित अवधि में वह कहां था और सब कारणों संहित जिसके कारण उनका पालन सम्भव न था और उसका पता, ठिकाना व आदेश में बताए अधिकारी को सूचित करे, वह कारावास के दंड से जिसकी अवधि एक वर्ष तक अथवा जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता 1973, (1974 का 2) में कुछ भी वर्णित होने पर भी उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक उपधारा संज्ञेय होगा।

धारा 8 आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्ति को निरोध के आदेश के आधारों प्रकट किया जाना– जब एक व्यक्ति निरोध के पालन पर निरूद्ध किया गया हो, आदेश बनाने वाले प्राधिकारी यथाशीघ्र लेकिन साधारणतः निरोध के दिनांक से पांच दिन के बाद नहीं और असाधारण स्थिति में जिसके कि कारण लिखित में उल्लिखित हो पन्द्रह दिन के बाद नहीं, वे आधार उसे बताएगा जिस पर वह आदेश बनाया गया हो और आदेश के विरूद्ध उसे उपयुक्त सरकार को आवेदन देने का उसे शीघ्र अवसर देगा।

(2) यदि अधिकारी उपधारा (1) के अन्तर्गत तथ्यों को बताना सार्वजनिक हित के विरूद्ध समझता है तो वह तथ्य प्रकट नहीं करेगा।

धारा 9 सलाहकर बोर्ड का गठन– (1) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार जब आवश्यक समझे इस अधिनियम के लिए एक या अधिक सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक बोर्ड तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के योग्य हों या रह चुकें हो और ऐसे व्यक्ति समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(3) समुचित सरकार सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में से एक जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी और केन्द्रीय क्षेत्र की दशा में किसी व्यक्ति को सलाहकार मंडल में नियुक्ति जो राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, संबधित राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से होगी।

धारा 13 निरोध की अधिकतम अवधि– कोई निरोधादेश जिसकी धारा 12 के अधीन पुष्टि की गयी है के अनुसार कोई व्यक्ति जो निरूद्ध हुआ है का अधिकतम समय निरोध के दिनांक से बाहर माह होगाः

परन्तु उपबन्ध यह है कि इस धारा में वर्णित समुचित सरकार द्वारा किसी भी समय निरोधादेश को रद्द करने या परिवर्तन करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी।

धारा 14 निरोधादेश को रद्द करना– (1) जनरल क्लाजेज एक्ट 1897 (1897 का क्रमांक 10) की धारा 21 के उपबन्ध पर विपरित प्रभाव डाले बिना निरोधादेश किसी भी समय परिवर्तित या रद्द किया जा सकेगा।

(क) भले ही वह आदेश धारा 3 की उपधारा (3) में वर्णित राज्य सरकार द्वारा जिसका की वह अधिकारी अधीनस्थ है या केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया हो।

(ख) भले ही वह आदेश राज्य सरकार द्वारा बनाया गया हो या केन्द्र सरकार द्वारा।

(2) एक निरोध आदेश का वापस लेने या अवसान होना (एतद्पश्चात् इस धारा में पूर्ववर्ती निरोध आदेश के रूप में निर्दिष्ट) (चाहे ऐसा पूर्ववर्ती निरोध आदेश राष्ट्रीय सूरक्षा (द्वितीय संसोधन) अधिनियत, 1984 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् दिया गया हो)

उसी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 3 के अधीन दूसरा निरोध आदेश (एतद्पश्चात् इस उपधारा में पश्चात्वर्ती निरोध आदेश के रूप में निर्दिष्ट दिया जाना वर्जित नहीं करेगा।

परन्तु उस दशा में जहां की ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध दिये गये पूर्ववर्ती निरोध आदेश की वापसी या अवसान के पश्चात् कोई नवीन तथ्य उत्पत्र न हुआ हो तो वह अधिकतम कालावधि जिसके लिये ऐसा व्यक्ति पश्चात्वर्ती निरोध के आदेश के अनुसरण में निरूद्ध किया जा सके, किसी भी दशा में पूर्ववर्ती निरोध आदेश के अधीन निरोध की तारीख से बारह मासों की कालाअवधि के अवसान के आगे तक की नहीं हो सकेगी।

धारा 15 निरूद्ध व्यक्ति की अस्थाई मुक्ति – 1. समुचित सरकार किसी भी समय निर्देश कर सकता है कि कोई व्यक्ति जो निरोध आदेश के पालन में निरूद्ध है निर्दिशित समय निर्देशों में बताये गये प्रतिबन्धों के साथ जो उस व्यक्ति की स्वीकृति हो या बिना प्रतिबन्ध के मुक्त किया जा सकता है, और किसी भी समय उसकी मुक्ति निरस्त की जा सकती है।

2. उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को मुक्त करने के आदेश में समुचित सरकार निर्देश में उल्लिखित प्रतिबन्धों के उचित पालन के लिये प्रतिभूति या बिना प्रतिभूति के उससे प्रतिज्ञा पत्र ले सकता है।

3. यदि उपधारा (1.) के अधीन किसी व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाता है तो आदेश में उल्लिखित उसके मुक्त करने या उसके मुक्ति करने या उसकी मुक्ति निरस्त करने जैसे भी स्थिति हो अधिकारी को वह व्यक्ति स्वयं किसी भी समय एवं स्थान पर समर्पित करेगा।

4. उपधारा (3.) में उल्लेखित रीति से कोई व्यक्ति बिना प्रर्याप्त कारण के स्वयं को समर्पित करने में असफल रहता है तो वह कारावास के दण्ड से दण्डित होगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक या अर्थदण्ड के साथ या दोनो होंगे।

5. उपधारा (1) के अधीन कोई व्यक्ति मुक्त होता है तो उसके द्वारा दिये गये प्रतिज्ञा पत्र या किसी प्रतिबन्ध के पालन में असफल रहता है, प्रतिज्ञा पत्र राज्यसात घोषित कर दिया जावेगा, और व्यक्ति उसकी शास्ति के लिए दायी होगा।

राजस्थान अभ्यासरत अपराधी अधिनियम, 1953

धारा 2– निजी बन्धपत्र एवं प्रतिभूति धारा 2 उन अपराधियों पर लागू होती है जो पांच वर्ष की लगातार अवधि में तीन या अधिक बार दोषसिद्ध किये जा चुके है प्रार्थी कभी भी दोषसिद्ध नहीं किया गया। निर्धारित विवादित कार्यवाही अपास्त किये जाने योग्य है।

धारा 3. अभ्यासरत अपराधियों का रजिस्टर.– (1) प्रत्येक जिले के भीतर निर्धारित तरीके में अभ्यासरत अपराधियों का रजिस्टर तैयार किया जायेगा, रखा जायेगा और संचालित किया जायेगा, जिसे इस अधिनियम में एतस्मिन् पश्चात् रजिस्टर निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) xxxxxx

(3) उप–धारा (1) के प्रायोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी निर्धारित तरीके में तामील की जाने वाली निर्धारित प्ररूप में सूचना द्वारा जिले में प्रत्येक अभ्यासरत अपराधी को

(क) उसमें निर्दिष्ट समय और स्थान पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहेगा.:
(ख) रजिस्टर में ऐसे अभ्यासरत अपराधी का नाम और अन्य निर्धारित वर्णन लिखने के लिए उसे समर्थ करने हेतु ऐसे सूचना, जो आवश्यक हो, अग्रेसित करने के लिए कहेगा, और
(ग) उसकी अंगुली और हथेली चिन्ह, पद–चिन्ह और फोटोग्राफ लेने हेतु अनुमति के लिए कहेगा।

(4) किसी व्यक्ति को अभ्यासरत अनराधी के रूप में तब तक पंजीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे ऐसे रजिस्ट्रेशन के विरूद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया जाये।

(5) रजिस्टर जब अंतिम रूप से तैयार हो जाये. जिले के पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा, जो समय–समय पर जिला मजिस्ट्रेट को किन्ही परिवर्तनों के लिए रिपोर्ट करेगा, जिन्हें उसकी राय में या तो जोड़ते या घटाते हुए उसमें किया जाये।

(6) पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में रजिस्टर प्रस्तुत किये जाने के पश्चात किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में जोड़ा नहीं जायेगा, और कोई भी रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के लिखित में आदेश द्वारा या अधीन के अलावा रद्द नहीं किया जायेगा।

(7) xxx xxx

धारा 4. अंगुली और हथेली निशानों, इत्यादि, को लेने की शक्ति– जिला मजिस्ट्रेट या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी किसी भी समय किसी पंजीकृत अपराधी के अंगुली और हथेली निशानों, पद–चिन्हों और फोटोग्राफ लेने हेतु आदेश कर सकता है।

धारा 5. पंजीकृत अपराधियों द्वारा निवास अधिसूचित करना और स्वयं को रिपोर्ट करना. –

(1) प्रत्येक पंजीकृत अपराधी ऐसे प्राधिकारी को और ऐसे तरीके में, जिसे निर्धारित किया जाये, अपने सामान्य निवास के किसी परिवर्तन या आशयित परिवर्तन की अधिसूचना देगाः

परन्तु जहां ऐसा अपराधी अन्य जिले को (चाहे राज्य के भीतर हो या नहीं) अपने सामान्य निवास को परिवर्तित या आशयित परिवर्तित करता है, वहां यह जिला मजिस्ट्रेट को परिवर्तन या आशयित परिवर्तन अधिसूचित करेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है कि कोई पंजीकृत अपराधी

(क) स्वयं को प्रत्येक माह में, या जहां आदेश में विनिर्दिष्ट पर्याप्त कारणों के लिए जिला मजिस्ट्रेट निर्देशित करता है, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसे तरीके में जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, अत्यधिक बारम्बारता से रिपोर्ट करेगा, और

(ख) उपरोक्त प्राधिकारी को अपने सामान्य निवास में किसी अनुपस्थिति या आशयित अनुपस्थिति को अधिसूचित करेगा :

परन्तु जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अपराधी को अपने सामान्य निवास से किसी अनुपस्थिति या आशयित अनुपस्थिति अधिसूचित करने से या ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन, जो उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो, छूट प्रदान कर सकता है।

धारा 5–क, निवास के परिवर्तन पर प्रक्रिया का अवलोकन किया जाना.–(1) जहां कोई पंजीकृत अपराधी राज्य के भीतर अन्य जिले में अपने सामान्य निवास को परिवर्तित करता है, तो जिला, जिसमें अपराधी पंजीकृत है, का जिला मजिस्ट्रेट ऐसे परिवर्तन के बारे में अन्य जिले के जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा और उसी समय उसे पंजीकृत अपराधी का नाम और अन्य वर्णन अग्रेसित करेगा।

(2) ऐसी सूचना की प्राप्ति पर अन्य जिले या जिला मजिस्ट्रेट पंजीकृत अपराधी का नाम और अन्य वर्णन अपने रजिस्टर में लिखेगा और ऐसे रजिस्ट्रेशन के बारे में पहले जिले के जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा और उस पर ऐसा जिला मजिस्ट्रेट उस अपराधी से सम्बन्धित प्रविष्टि को अपने रजिस्टर से रद्द करेगा।

(3) जहां पंजीकृत अपराधी राज्य के बाहर दूसरे जिले में अपने सामान्य निवास को परिवर्तित करता है, वहां पहले जिले का जिला मजिस्ट्रेट पंजीकृत अपराधी का नाम

और अन्य वर्णन दूसरे जिले के जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करते समय उस जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध करेगा कि उसे उन कदमों, यदि कोई हो, की सूचना दी जाये, जिन्हें उस अन्य जिले में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराधी के सम्बन्ध में उठाया जाये और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर पहले जिले का जिला मजिस्ट्रेट उस अपराधी से सम्बन्धित प्रविष्टि अपने रजिस्टर से रद्द कर देगा।

(4) उप–धारा (2) के अधीन पंजीकृत अपराधी के नाम और अन्य वर्णनों की प्रविष्टि पर, इस अधिनियम के प्रावधान और उसके अधीन बनाये गये नियम उसे ऐसे लागू होंगे, मानो यदि उसे उस जिले जिसमें उसने अपने सामान्य निवास को परिवर्तित किया, के रजिस्टर में पंजीकृत किया गया हो।

धारा 5–ख. अभ्यासरत अपराधियों के रजिस्ट्रेशन और पुनः रजिस्ट्रेशन की अवधि –

(1) इस अधिनियम के अधीन अभ्यासरत अपराधी का रजिस्ट्रेशन, जब तक कि पूर्व में रद्द नहीं किया जाये, ऐसे रजिस्ट्रेशन की तिथि से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रवृत्त होने से समाप्त होगा और ऐसे रद्द करने या समाप्ति पर अभ्यासरत अपराधी पंजीकृत अपराधी के रूप में होने से समाप्त होगा।

(2) रजिस्ट्रेशन रद्द करने या अवधि की समाप्ति के होते हुए भी. अभ्यासरत अपराधी रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित इस अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना में पुनः पंजीकृत किया जा सकेगा, जैसे ही उसे ऐसे रद्द करने या समाप्ति के किसी भी समय एक या अधिक अनुसूचित अपराधों का दोषसिद्ध किया जाये, और पुनः रजिस्ट्रेशन, जब तक कि पूर्व को रद्द नहीं किया जाये, ऐसे रजिस्ट्रेशन की तिथि से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रवृत्त होने से समाप्त होगा।

(3) उप–धाराओं (1) और (2) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, जहां पंजीकृत अपराधी रजिस्ट्रेशन या पुनः रजिस्ट्रेशन की अवधि के दौरान एक या अधिक अनुसूचित अपराधों का दोषसिद्ध किया जाता है, और कारावास की सारभूत अवधि से दण्डादिष्ट किया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन या पुनः रजिस्ट्रेशन की अवधि ऐसे कारावास से उसकी मुक्ति की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए विस्तारित की जायेगी।

धारा 5–ग. रजिस्ट्रेशन इत्यादि के विरूद्ध प्रतिवेदन –

(1) धारा 3 या धारा 5–ख, यथास्थिति, के अधीन अपने नाम के रजिस्ट्रेशन या पुनः रजिस्ट्रेशन द्वारा या धारा 5 की

उप–धारा (2) के अधीन किये गये किसी आदेश द्वारा स्वयं को व्यथित मानने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे रजिस्ट्रेशन, पुनः रजिस्ट्रेशन या आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसके विरूद्ध राज्य सरकार को प्रतिवेदन कर सकता है।

(2) राज्य सरकार प्रतिवेदन विचारित करने और व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् या तो रजिस्ट्रेशन, पुनः रजिस्ट्रेशन या आदेश यथास्थिति, पुष्ट करेगा या रद्द करेगा, और पुष्टि के मामले में उसके लिए कारणों का संक्षिप्त विवरण अभिलेखित करेगी।

धारा 9. धारा 3 के अधीन सूचना की अनुपालना करने में असफलता के लिए शास्तियां – जो कोई भी विधिपूर्ण कारण के बिना, साबित करने का भार, जो उस पर होगा

(क) धारा 3 के अधीन जारी सूचना की अनुपालना में उपस्थित होने में असफल होता है, या

(ख) उस धारा के अधीन अपेक्षित किसी सूचना को अग्रेसित करने में आशयपूर्वक लोप करता है या

(ग) जब ऐसी सूचना अग्रेसित करने की अपेक्षा की जाये, किसी सूचना को सही रूप में अग्रेसित करता है, जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह गलत है या सही रूप में विश्वास नहीं करताः या

(घ) धारा 4 के अधीन पारित आदेश के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा उसकी हथेली के निशानों, पद–चिन्हों और फोटोग्राफ लेने हेतु अनुमति देने से मना करता हैः या

(ड़) उप–धारा (1) के प्रावधानों या धारा 5 की उप–धारा (2) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के आदेश या धारा 6 के अधीन राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना करने में असफल होता है,

वारन्ट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा, और दण्डनीय होगा

(i) पहली दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक हो हो सकेगा, या दोनों से, और

(ii) दूसरी या अनुगामी दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा, या दोनो सेः

परन्तु यदि न्यायालय अपराधी की आयु और शारीरिक और मानसिक स्थिति और शोधक निपटारे में शोधक प्रकृति का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसकी उपयुक्तता विचारित करने के पश्चात् सन्तुष्ट हो कि उसने पुनः विचारण और अपराध के निवारण के विचार से यह समीचीन है कि उसे सारभूत समय के लिए शोधक प्रकृति का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तो न्यायालय इस धारा के अधीन अपराधी को किसी दण्ड से दण्डादिष्ट करने के स्थान पर उसे कारण दर्शाने का अवसर देने के पश्चात् निर्देशित कर सकता है कि वह तीन वर्षों से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जिसे निर्धारित किया जाये, शोधक निपटारे में शोधक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

धारा 12. संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन पाये अभ्यासरत अपराधियों के लिए दण्ड —जो कोई भी, अभ्यासरत अपराधी होते हुए न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए ऐसी परिस्थितियों के अधीन किसी स्थान में पाया जाये,

(क) कि वह चोरी या डकैती कारित करने वाला है या उसकी सहायता में है, या

(ख) कि वह चोरी या डकैती कारित करने के अवसर का इन्तजार कर रहा था. कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्षों तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा।

धारा 13. निर्धारित सीमाओं से बाहर पाये गये अभ्यासरत अपराधियों की गिरफ्तारी. —(1) जो कोई भी अभ्यासरत अपराधी होते हुए,

(क) उस क्षेत्र, जिससे उसकी गतिविधियां सीमित की गयी. से परे उन शर्तों, जिनके अधीन उसे ऐसे क्षेत्र को छोड़ने के लिए अनुज्ञात किया गया, के उल्लंघन में पाया जाता है, या

(ख) किसी शोधक निपटारे से भाग जाता है, जिसमें उसे रखा जाता है, किसी पुलिस अधिकारी, गांव प्रधान या गांव चौकीदार द्वारा वारन्ट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा, और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जा सकेगा, जो तथ्यों के साबित होने पर उसे ऐसे क्षेत्र या ऐसे शोधक निपटारे यथास्थिति से हटाने हेतु आदेशित कर सकता है. इसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों की अनुपालना में बरता जायेगा।

धारा 48 अपराधों से संबंधित साधारण उपबंध (1) कोई व्यक्ति किसी खाद्य वस्तु को इस जानकारी के साथ कि वह मानव उपभोग के लिए विक्रय की जा सकेगी या विक्रय के लिए प्रस्थापित की जा सकेगाी या वितरित की जा सकेगी, निम्नलिखित संक्रियाओं में से किसी एक या अधिक संक्रिया द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकर बनाता है, अर्थात –

(क) खाद्य में कोई वस्तु या पदार्थ मिलाकर

(ख) खाद्य की तैयारी में किसी अवयव के रूप में किसी वस्तु या पदार्थ का उपयोग करके,

(ग) खाद्य से किसी संघटक को निकालकर या

(घ) खाद्य के साथ कोई अन्य प्रक्रिया या उपचार करके।

(2) इस बारे में अवधारण करने में कि क्या कोई खाद्य असुरक्षित या स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा

(क) (1) उपभोक्ताओं द्वारा खाद्य के उपयोग की सामान्य दशाएं और उसके उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण के प्रत्येक प्रक्रम पर रखरखाव,

(2) उपभोक्ताओं को दी गई जानकारी जिसके अंतर्गत लेबल पर जानकारी भी सम्मिलित है या किसी विशिष्ट खाद्य या खाद्य के किसी प्रवर्ग से स्वास्थ्य पर विनिर्दिष्ट प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के संबंध में और उसका उपभोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर उस खाद्य के संभावित, तात्कालिक या अल्पकालिक या दीर्घकालिक प्रभावों से बचाव के संबंध में उपभोक्ताओं को साधारणतया उपलब्ध अन्य जानकारी,

(3) संभावित संचयी विषाणु प्रभाव

(4) जहां खाद्य उपभोक्तओं के किसी प्रवर्ग के लिए आशयित है वहां उपभोक्ताओं के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग की विशिष्ट स्वास्थ्य संवेदनशील पर , और

(5) उसकी सामान्य मात्रा में उपभोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर उसी संरचना के खाद्य की संचयी प्रभाव की भी संभावना,

(ख) यह तथ्य कि जहां ऐसे किसी वस्तु की जो प्राथमिक खाद्य है, क्वालिटी या शुद्वता विनिर्दिष्ट मानकों से नीचे गिर गई है या उसके संघटक ऐसी मात्राओं में विद्यमान हैं जो भिन्नता की विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर नहीं आती और दोनो ही मामलों में प्राकृतिक कारणों से हुई है तथा मानव अभिकरण के नियंत्रण से परे है तब ऐसी वस्तु असुरक्षित या अवमानक या बाह्य वस्तु से युक्त खाद्य नहीं माना जाएगा।

स्पटीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''क्षति'' के अंतर्गत कोई ह्रास भी है चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी और स्वास्थ्य के लिए हानिकर का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

धारा 49 शास्ति से संबंधित साधारण उपबंध–जब इस अध्याय के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक, अधिकारी या अधिकरण, निम्नलिखित का सम्यक ध्यान रखेगा–

(क) उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुए अभिलाभ या अनुचित लाभ की रकम, जहां भी निर्धारणीय हो,

(ख) उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कारित हानि या ऐसी हानि जिसके होने की संभावना है, की रकम,

(ग) उल्लंघन की पुनरावृत्ति की प्रकृति,

(घ) चाहे उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया है, और

(ङ) कोई अन्य सुसंगत कारक।

धारा 51 अवमानक खाद्य के लिए शास्ति कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वंय या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय के लिए विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय का वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो पांच लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा 52 मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्ति (1) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वंय या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य वस्तु का जो मिथ्या छाप की है, मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय का वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो तीन लाख रूपये तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को त्रृटि के लिए सुधारने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने या ऐसे खाद्य पदार्थ को नष्ट करने का निदेश जारी कर सकेगा।

धारा 53 भ्रामक विज्ञापन के लिए शास्ति (1) कोई व्यक्ति, जो ऐसे किसी विज्ञापन का प्रकाशन करता है या उस प्रकाशन का कोई पक्षकार है, जिसमें

(क) किसी खाद्य का मिथ्या वर्णन है,या

(ख) किसी खाद्य की प्रकृति या तत्व या क्यालिटी के बारे में भ्रम पैदा होने की संभावना है या मिथ्या गारंटी देता है, शास्ति का, जो दस लाख रूपये तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(2) किसी कार्यवाही में यह तथ्य कि किसी खाद्य वस्तु से संबंधित कोई लेबल या विज्ञापन जिसकी बाबत् अभिकथित रूप से उल्लंघन किया गया है, खाद्य के संघटकों का यथार्थ कथन अंतर्विष्ट है, न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने से प्रवारित नहीं करेगा कि उल्लंघन किया गया था।

धारा 64 पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए दंड (1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में सिद्वदोष ठहराए जाने के पश्चात् वैसा करता है वह उस अपराध के लिए दोषसिद्व ठहराया जाता है, तो वह

(1) उस दंड के जो, पहली दोषसिद्वि पर अधिरोपित किया जाता उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए दुगुने दंड के लिए दायी होगा, और,

(2) दैनिक आधार पर अतिरिक्त जुर्माने का, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, जहा अपराध जारी रहने वाला अपराध है, वहॉ दायी होगा, और

(3) उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी।

(2) न्यायालय, अपराधी का नाम और उसके निवास का स्थान, अपराध और अधिरोपित शास्ति को अपराधी के खर्चे पर ऐसे समाचार–पत्रों में और ऐसी अन्य रीति से जो न्यायालय निदेशित करे, प्रकाशित करा सकेगा और ऐसे प्रकाशन के खर्चे दोषसिद्वि के खर्चे के भाग समझे जाएंगे और जुर्माने के रूप में उसी रीति से वसूलनीय होंगे।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022

परिभाषाएं–

अनुचित साधन

(i) किसी परीक्षार्थी के संबंध में सार्वजनिक परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे या किसी भी रूप में किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रानिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग करना सम्मिलित है,

(ii) किसी व्यक्ति के संबंध में,

I. प्रश्नपत्र के प्रतिरूपण या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षड़यंत्र करना, या

II. प्रश्नपत्र को अप्राधिकृत रीति से उपाप्त करना या उपाप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में लेना या कब्जे में लेले का प्रयास करना, या

III. अप्राधिकृत रीति से प्रश्नप्रत्र हल करना या हल करने का प्रयास करना या प्रश्नपत्र हल करने में

सहायता मांगना, और

IV.सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अप्राधिकृत रीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना,

सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण :– किसी व्यक्ति में परक्षार्थी भी सम्मिलित है; और

(छ) इसमें प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1890 को अधिनियिम सं. 45) में परिभाषित किये गये शब्दों और अभि व्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः उस संहिता में समनुदेशित किये गये है।

धारा –10. शास्तियां –(1) यदि कोई परीक्षार्थी धारा 2(च)(i) के अधीन यथापरिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है, वह ऐसी अवधी के कारावास से जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रूपये से कम नही होगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर ऐसा परिक्षार्थी दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि नौ मास तक की हो सकेगी दंण्डनीय होगा।

(2)परीक्षार्थी को सम्मिलित करते हुए यदि कोई व्यक्ति, चाहे सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के कर्तव्य के लिए न्यस्त या प्राधिकृत किया गया हो या नहीं, षड़यंत्र में या अन्यथा धारा 2 (च)(ii) में यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त है या लिप्त होन का प्रयत्न करता है या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लघंन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष के कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रूपये से कम नही होगा किन्तु जो दस करोड़ रूपये तक का हो सकेगा दंडित किया जायेगा और जुर्माने के संदाय में व्यक्तिक्रम करने पर ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित किये जाने वाले किन्ही पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए पांच वर्ष के कम अवधि के लिए कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

धारा11. दोषसिद्धि पर विवर्जन–कोई परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो उसे दो वर्ष की कालवधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किया जायेगा।

धारा 12. संपत्ति की कुर्की और अधिहरण –1. कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किन्ही आगमों को धारित नही करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा।

2. यदि इस अधिनियम के अधीन कारित किसी अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति, इस अधिनियिम के अधीन किसी अपराध के आगम की द्योतक है तो वह राज्य सरकार के लिखित में पूर्व अनुमोदन से ऐसी चल या अचल या दोनों संपत्ति के अभिग्रहण का आदेश कर सकेगा और जंहा ऐसी संपत्ती का अभिग्रहण करना व्यवहार्य न हो, वहां ऐसी संपत्ति की कूर्की का आदेश यह निदेश देते हुए करेगा कि अभिहित न्यायालय या यथास्थिति, ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसी संपत्ति को अंतरित नही किया जायेगा या उसके संबंध में अन्यथा कोई कार्यवाही नही की जायेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति पर तामील की जायेगी।

3. अन्वेषण अधिकारी ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण या कुर्की के 48 घंटो के भीतर अभिहित न्यायालय को सम्यक् सूचना देगा।

4. यह अभिहित न्यायालय पर निर्भर करेगा कि वो उप धारा (2) के अधीन किये गये अभिग्रहण या कुर्की के आदेश की या तो पुष्टि करे या उसका प्रतिसंहरण करें,

परन्तु अभिहित न्यायालय तब तक कोई आदेश पारीत नही करेगा जब तक कि उस व्यक्ति को, जिसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान न किया गया हो।

5. जंहा अभियुक्त इस अधिनियम के अधीन दंडनीस किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो अभिहित न्यायालय किसी दण्ड के निर्णय के अतिरिक्त, लिखित में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकता है कि आदेश में विनिर्दिष्ट और अभियुक्त से संबंधित सभी विल्लंगमों से मुक्त कोई भी चल या अचल या दोनों संपत्ति राज्य सरकार को अधिहृत समझी जायेगी।

धारा 13 समस्त लागत और व्यय का संदाय करने का प्रबंधतंत्र इत्यादि का दायित्व– यदि प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य का कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 10 की उप–धारा (2) के अधीन अपराध का दोषी पाया जाता है तो प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भगीदारी या अन्य, अभिहित न्यायालय द्वारा अवधारित परीक्षा से संबंधित समस्त लागत और संदाय करने के लिए दायी होंगे और उन्हे सदैव के लिए प्रतिबंधित किया जायेगा।

काल्पनिक प्रश्न

प्रश्न 1 :– अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अधीन किसी परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने के लिए क्या दांडिक प्रावधान है ? ऐसे स्थान की तलाशी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में क्या प्रावधान है ?

उत्तर :– अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अधीन किसी परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करना धारा 3 में 2 वर्ष तक के कारावास एवं दो हजार रूपये के जुर्माने से दण्डनीय अपराध है।

ऐसे स्थान की तलाशी एवं अभि. की बिना वारन्ट गिरफ्तारी के संबंध में व्यापक प्रावधान धारा 14 में है (देखिये पृ.सं. 1,2,3,4,5,6)

प्रश्न 2 :– बाल विवाह क्या है ? बाल विवाह का कब शून्यकरणीय है ? बाल विवाहों को प्रतिसिद्व करने वाला आदेश जारी करने की शक्ति किसको प्राप्त है ?

उत्तर :–:– बाल विवाह ऐसा विवाह जिसके बंधन में आने वाले पक्षकार में से कोई भी एक बालक हो।

ऐसा विवाह बालक के विकल्प **पर** शून्यकरणीय **है**। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या महानगर मजिस्ट्रेट को शक्ति है कि वह ऐसे बाल विवाह को प्रतिषेध करने वाला आदेश जारी कर सकता है। (धारा 2,3,13, पृष्ठ सं. 20,21,22)

प्रश्न 3 :– प्रवेशन लैंगिक हमला एवं गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित कीजिए।

उत्तर :– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमले को तथा धारा 5 में गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित किया है।

(पृ.सं. 23,24,25,26 27 28)

प्रश्न 4 :– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अत्याचार को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, की धारा 3 में कुछ कृत्यों को प्रतिषेध किया गया है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न व्यक्ति द्वारा किये जा सकते हैं।

(धारा 3 पृ.सं. 75 से 80)

प्रश्न 5 :– गौवंशीय पशु के संबंध में कौनसे अपराध दण्डनीय है?

उत्तर :– राजस्थान गौवंशीय पशु (वध प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास और निर्यात) अधिनियम, 1995 के निम्न कृत्य दण्डनीय हैं–

1. धारा 3 –गौवंशीय पशु के वध का प्रतिषेध

2. धारा 4 – गौमांस का विक्रय, परिवहन

3. धारा 6 – परिवहन का दुष्प्रेरक होना

4. धारा 9 एवं 10 गौवंशीय पशु को साशय उपहानि करना।

(देखिए पृ. सं. 98, 99)

प्रश्न 6 :– राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1963 में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।

उत्तर :– यदि अधिसूचित स्थान एवं समय में अधिनियम के उल्लंघन में ध्वनि यंत्रो का उपयोग किया जाता है तो उनका कृत्य धारा 3 एवं 4 में प्रतिबंधित है, जिसकी शास्ति धारा 6 में विहित है। यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसमें प्रयुक्त ध्वनि यंत्र को जब्त किया जाएगा–

(देखिए पृ. सं. 100,101)

प्रश्न 7 :– विद्युत एवं विद्युत सामग्री की चोरी को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :– विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 में किसी भी प्रकार से अर्थात् शिरोपरि, भूमिगत या जल के अंदर की लाईनों में विद्युत चोरी करना एवं धारा 136 में विद्युत प्रदाय के किन्हीं भी साधनों, खम्भों, तारों इत्यादि की चोरी का प्रावधान है, 10 किलोवाट से कम एवं 10 किलोवाट से अधिक के लिए अलग–अलग प्रावधान हैं।

(पृ. सं. 157 से 160)

प्रश्न 8 :– पासपोर्ट के बिना भारत से प्रस्थान करना क्या दायित्व पैदा करता है ?

उत्तर :– पासपोर्ट अधिनियम, 1963 की धारा 3 में पासपोर्ट के बिना भारत से प्रस्थान और भारत में प्रवेश दाण्डिक दायित्व पैदा करता है। जिसकी शास्ति धारा 72 में विहित है।

(पृ.सं.165,166,167)

प्रश्न 9 :– भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान क्या है ? दांडिक प्रावधान सहित स्पष्ट

कीजिए।

उत्तर :– राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान स्पष्ट किया गया है। जैसे उसको फाडना, जलाना, रौंदना, गंदा करना। धारा 2 के स्पष्टीकरणों द्वारा इसको विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है।

(पृ.सं.168,169)

प्रश्न 10 :– आयुध अधिनियम, 1959 में विहित दांडिक प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :– आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 में मुख्यतः धारा 3,4,5,6,7,9,10,11,12,44 के उल्लंघनों का दण्ड विहित किया गया है। धारा 27 में आयुधों के उपयोग के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। धारा 30 में अनुज्ञप्तियों के उल्लंघन के लिए दण्ड का प्रावधान है।

(पृ. सं. 177 से 181)